खण्ड २ — अंक ३५
९ अप्रैल, १९५६, (सोमवार)

# लोक-सभा

# वाद-विवाद

(भाग १ — प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

*(XII Session)*

( खण्ड २ में अंक २१ से अंक ४० तक हैं )

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

चार आने (देश में) एक शिलिंग (विदेश में)

## विषय-सूची


पृष्ठ

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर** ·

तारांकित प्रश्न संख्या १२६७ से १२७४, १२७७, १२७८, १२८४, १२८६, १२८८, १२९० से १२९२, १२९४ से १२९६, १२९९, १२७५, १२८२, १२८७ और १२९७ — १२३१–५२

**प्रश्नों के लिखित उत्तर**

तारांकित प्रश्न संख्या १२६६, १२७६, १२७९ से १२८१, १२८३, १२८५, १२८९, १२९३ और १२९८ ... ... — १२५३–५५

अतारांकित प्रश्न संख्या ७९८ से ८४० — १२५६–७०

**दैनिक संक्षेपिका** ... ... ... — १२७१–७३

# लोक-सभा वाद-विवाद

( भाग १—प्रश्नोत्तर )

# लोक-सभा

सोमवार, ९ अप्रैल, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई.

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

### साहित्य अकादमी

†*१२६७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साहित्य अकादमी द्वारा १९५५-५६ में मुख्य रूप से किस प्रकार के कार्य किये गये हैं; और

(ख) उन विभिन्न प्रकार के कार्यों पर कितना खर्च किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) साहित्य अकादमी द्वारा १९५५-५६ में किया गया मुख्य कार्य देश की विभिन्न भाषाओं में प्रकाशन निकाल कर या निकलवा कर साहित्य के कार्य को उन्नत करना था ।

(ख) लगभग १,३७,००० रुपये ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या मैं उन पुस्तकों के नाम जान सकता हूं जो प्रकाशित की गयी हैं अथवा जो शीघ्र ही प्रकाशित की जाने वाली हैं ?

†**डा० एम० एम० दास** : २०वीं शताब्दी के भारतीय साहित्य की ग्रंथ सूची, कवि कालिदास की रचनाओं के आलोचनात्मक संस्करण, संस्कृत साहित्य का एक संकलन—चार खण्डों में, भारतीय कविता १९५३, भारतीय लेखकों का एक परिचयात्मक ग्रंथ..................

†**अध्यक्ष महोदय** : वह सूची सभा के पटल पर ही क्यों नहीं रख दी जाती ? माननीय सदस्य ऐसे कोई अनुपूरक प्रश्न न पूछें जिनके उत्तर में विस्तृत विवरण अथवा आंकड़े दिये जाने हों । यदि वे इस प्रकार के विवरण चाहते हैं तो वह बात मुख्य प्रश्न में ही पूछ ली जाये । यदि ऐसी सूचियों आदि में दो-तीन से अधिक मदें हुईं तो मैं माननीय मंत्रियों को उन्हें पढ़ कर सुनाने की अनुमति नहीं दूंगा । उत्तर यदि मद तीन से अधिक हों तो वे स्पष्ट कह सकते हैं कि सूची बहुत बड़ी है ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या इस काम के लिये कोई पारिश्रमिक दिया जाता है और यदि हां तो यह कैसे निर्धारित किया जाता है ?

†**डा० एम० एम० दास** : जहां तक अनुवाद-कार्यों का सम्बन्ध है, मूल पुस्तक के १,००० शब्दों के अनुवाद के लिये १५ रुपये दिये जाते हैं। जहां तक अन्य कार्यों का सम्बन्ध है, कोई एक दर निश्चित नहीं की है। प्रत्येक कार्य का अलग-अलग रूप से मूल्यांकन किया जाता है और उसके पारिश्रमिक की राशि कार्यकारी मण्डल (एग्जीक्यूटिव बोर्ड) द्वारा निश्चित की जाती है।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या भारतीय लेखकों के ग्रंथों की सूची पूरी हो चुकी है ?

†**डा० एम० एम० दास** : इसके शीघ्र ही पूर्ण हो जाने की आशा है ?

**सेठ गोविन्द दास** : क्या इस में से कुछ ग्रंथ प्रकाशित भी हो गये हैं और अगर हुये हैं तो किन-किन भाषा में हुये हैं ?

†**डा० एम० एम० दास** : अभी तक केवल डा० एस० के० देव द्वारा सम्पादित कालिदास का मेघदूत ही पूर्ण हुआ है, और उसकी पाण्डुलिपि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग को भेज दी गई है। जहां तक भाषाओं का सम्बन्ध है, वह एक लम्बी सी सूची है क्योंकि प्रत्येक मामले में यह बताना पड़ेगा कि प्रकाशित होने वाली किस-किस पुस्तक की कौन-कौन सी भाषा होगी।

†**सेठ गोबिन्द दास** : जितने ग्रंथ तैयार हो गये हैं या होने वाले हैं, उनमें से कितनों की इस वर्ष प्रकाशित होने की आशा है ?

†**डा० एम० एम० दास** : हमें आशा है कि इस चालू वर्ष में, जो कि अभी प्रारम्भ हुआ है, पिछले वर्ष प्रारम्भ की गयी ये सभी पुस्तकें पूर्ण हो जायेंगी और प्रकाशित हो जायेंगी।

## भारत में विदेशी शासकों की प्रतिमायें

*१२६८. **श्री भक्त दर्शन** : क्या शिक्षा मंत्री २३ सितम्बर, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या २०९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक स्थानों में अभी तक विदेशी शासकों की जो प्रतिमायें विद्यमान हैं, उन्हें हटाने के बारे में अब तक कितनी प्रगति हो चुकी है या क्या निर्णय किया गया है ?

**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : यह विषय अभी विचाराधीन है।

**श्री भक्त दर्शन** : क्या यह सत्य नहीं है कि राज्य सरकारों की सम्मतियां आये हुये एक या डेढ़ वर्ष से अधिक बीत गये हैं ? इसका निर्णय करने में इतनी देरी क्यों की जा रही है ?

†**डा० एम० एम० दास** : यद्यपि दिया गया उत्तर एक रूढ़िबद्ध सा उत्तर है, परन्तु उसका यह अर्थ नहीं है कि उस दिशा में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। यदि मुझे अनुमति हो तो मैं सारी स्थिति अच्छी प्रकार से समझाऊं ?

**श्री भक्त दर्शन** : मेरा प्रश्न यह था कि अभी तक इसमें क्या प्रगति हुई है।' सभासचिव महोदय को यह बताने की कृपा पहले ही करनी चाहिये थी।

†**अध्यक्ष महोदय** : अभी तक क्या किया गया है ? आपका उत्तर क्या है ?

†**डा० एम० एम० दास** : उत्तर कुछ विस्तार से होगा। क्या मैं ब्यौरे बताऊं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह यही बतायें कि इतनी प्रतिमायें हटायी जा चुकी हैं।

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० एम० एम० दास** : देश के पांच राज्यों में ये प्रतिमायें अधिक संख्या में हैं। वे राज्य हैं— मद्रास, आंध्र, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, तथा बम्बई। हम इस प्रस्थापना के बारे में उन राज्यों की प्रतिक्रिया जानना चाहते थे। आंध्र ने यह कहा है कि वह यह नहीं चाहते.............

†**अध्यक्ष महोदय** : केन्द्र की क्या स्थिति है ? उन्हें राज्यों की क्या चिन्ता है ? उनका तो केन्द्र से ही सम्बन्ध है ?

†**डा० एम० एम० दास** : इस प्रश्न का सम्बन्ध केन्द्र से है और केन्द्रीय सरकार को राज्यों की ओर से इस सम्बन्ध में निर्णय करना है।

†**कुछ माननीय सदस्य** : केन्द्र में प्रतिमाओं की क्या स्थिति है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या मैं अनुपूरक प्रश्न पूछूं ? माननीय मंत्री तथा सभासचिव उन प्रश्नों के उत्तर देंगे। वे उतना ही समझते है जितना मैं समझता हूं। यदि राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त करने में इतनी देर लगती है तो जहां तक केन्द्र द्वारा शासित क्षेत्रों का सम्बन्ध है अभी तक क्या किया गया है ? आखिर हम ऐसा क्यों प्रतीत होने दें कि कोई बात छिपाई जा रही है जबकि सच यह है कि ऐसी कोई बात नहीं है।

†**डा० एम० एम० दास** : केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के उत्तर की प्रतिक्षा कर रही थी, और एक निर्णय...........

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय उपमंत्री।

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली)** : मामला कुछ समय तक बिचाराधीन रहा है, और फिर हमने राज्य सरकारों से यह पूछा है कि इस बारे में उनके क्या विचार हैं। उनके विचार प्राप्त हो चुके हैं। मद्रास ने यह कहा है कि कुछ एक प्रतिमायें हटा दी जायें, और बाकी प्रतिमाओं को रहने दिया जाये। उत्तर प्रदेश ने...............

†**श्री देवेश्वर शर्मा** : प्रश्न यह नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : हम यह जानना चाहते हैं कि केन्द्र के अधिकार क्षेत्र में क्या हो रहा है ?

†**श्री देवेश्वर शर्मा** : जैसे कि दिल्ली में।

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : इन सभी प्रतिमाओं के बारे में एक समान नीति को अपनाना होगा। राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त हो चुके हैं। इसके सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय किया जायेगा।

## राजभाषा आयोग

*१२६९. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभाषा आयोग ने कोई अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कब तक आ जाने की संभावना है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी नहीं। निदेश के अनुसार आयोग को कोई अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने को नहीं कहा गया था।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : मेरा प्रश्न अंग्रेजी में था और दूसरे सदस्य का हिन्दी में था। माननीय मंत्री ने इसका उत्तर हिन्दी में पढ़ा है। अब वह उत्तर अंग्रेजी में दिया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार** : जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, इसके दो प्रश्नकर्ता हैं, और आप प्रश्नों की सूची से देख सकते हैं कि.........

†**अध्यक्ष महोदय** : इस बात को समझाने के लिये अधिक परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय मंत्री किसी भी भाषा में उत्तर दे सकते हैं।

†**श्री दातार** : नहीं श्रीमान्। प्रश्न हिन्दी में पूछा गया है। माननीय सदस्य ने संभवतः हिन्दी प्रश्न पर हस्ताक्षर किये हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य हिन्दी जानते हैं। हिन्दी उनकी मातृ भाषा है, तो फिर आपत्ति क्या है ? हम अनावश्यक बातों में समय नहीं गंवाना चाहते।

†**श्री दातार** : इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री को अंग्रेजी में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : मैं उनकी हिन्दी को अच्छी प्रकार से समझ नहीं सका।

राज भाषा आयोग अभी तक कितने राज्यों का दौरा कर चुका है और कितने राज्यों में जाना अभी रह गया है ?

†**श्री दातार** : वह तो उस समय पता लगेगा जब उसका प्रतिवेदन प्राप्त हो जायेगा और मामले पर अच्छी प्रकार से विचार कर लिया जायेगा ?

†**श्री डी० सी० शर्मा** : क्या यह सच नहीं है कि राजभाषा आयोग के सभापति कुछ वक्तव्य देते रहे हैं ? क्या वे वक्तव्य व्यक्तिगत हैसियत से दिये गये हैं अथवा आयोग के सभापति की हैसियत से ? यदि वे व्यक्तिगत हैसीयत से दिये गये हैं तो क्या इस प्रकार के वक्तव्य देना उचित है जबकि उन्हें उस मामले पर न्यायिक हैसीयत से निर्णय करना है।

†**श्री दातार** : मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि आयोग के प्रतिवेदन के रूप में जो कुछ भी प्राप्त होगा वह शासकीय तथा औपचारिक होगा। बाकी सब कुछ अनौपचारिक होगा।

†**श्री फीरोज गांधी** : उनके प्रश्न का तो उत्तर मिला नहीं है।

**सेठ गोविन्द दास** : कब तक यह आशा की जाती है कि सरकार के पास यह रिपोर्ट आ जायेगी, और उसके आते ही क्या वह तत्काल प्रकाशित कर दी जायेगी या उसमें फिर भी कुछ देर लगेगी ?

**श्री दातार** : ३१ जुलाई, १९५६ या उससे भी पूर्व आयोग को अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत करना है।

**सेठ गोविन्द दास** : मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया गया कि प्रतिवेदन के आते ही क्या वह तत्काल प्रकाशित कर दिया जायेगा या उसमें कुछ विलम्ब होगा ?

†**श्री दातार** : वह प्रश्न तो प्रतिवेदन की प्राप्ति पर निर्भर करता है। सरकार सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये उसे शीघ्रातिशीघ्र प्रकाशित कर देगी।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : इस प्रतिवेदन पर विचार करने के लिये कौन सी प्रक्रिया को अपनाया जायेगा—क्या इसे भी पिछड़े वर्गों सम्बन्धी आयोग के प्रतिवेदन के समान इस पर राज्यों को, उनकी राय जानने के लिये, भेजा जायेगा और उनकी राय प्राप्त होने के बाद ही उस पर विचार किया जायेगा, अथवा केंद्रीय सरकार इसके बारे में सीधा ही निर्णय कर देगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री दातार : केन्द्रीय सरकार इस पर राज्य सरकारों से परामर्श प्राप्त करने के बाद ही निर्णय करेगी क्योंकि उनका भी इससे बहुत अधिक सम्बन्ध है ।

### फोर्ड विलियम-इण्डिया हाऊस पत्र-व्यवहार

†*१२७०. श्री के० के० दास : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "फोर्ट विलियम-इण्डिया हाऊस पत्र-व्यवहार" के प्रकाशन में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या यह सच है कि कुछ वर्ष पूर्व उपरोक्त प्रकाशनों का कार्य भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा ले लिया गया था ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) क्रम से प्रकाशित किये जाने वाले प्रस्तावित २१ खण्डों में से २ खण्ड पहले ही प्रकाशित हो चुके हैं, ३ खण्ड प्रेस में हैं, और ३ खण्ड प्रेस को भेजे जाने के लिये तैयार हैं । इन ३ खण्डों को प्रेस में भेजने के लिये प्रबन्ध किये जा रहे हैं । शेष १३ खण्डों के सम्बन्ध में भी कार्यवाही की जा रही है ।

(ख) जी, हां ।

†**श्री के० के० दास** : इनके प्रकाशन में इतना समय क्यों लग रहा है ?

†**डा० एम० एम० दास** : इन खण्डों के प्रकाशन की गति निर्धारित गति से बहुत कम है इसके कारण ये हैं : टाइप लिपियों को ठीक करने में कुछ समय लग गया था, अवैतनिक सम्पादकों की ओर से कुछ देरी इन खण्डों का पुनरीक्षण आदि ।

†**श्री के० के० दास** : इन्हें पूरा करने में और कितना समय लगेगा ?

†**डा० एम० एम० दास** : इन सभी को पूरा करने में दस वर्ष और लगेंगे ।

### केन्द्रीय खाद्य टेक्नोलोजी गवेषणा संस्था, मैसूर

†*१२७१. श्री एन० राचय्या : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय खाद्य टेक्नोलोजी गवेषणा संस्था, मैसूर में घोषित (गज़टिड) तथा अ-घोषित (नान-गजटिड) पदों पर भरती करने के लिये कोई समिति है; और

(ख) यदि हां, तो उस समिति में कौन कौन हैं ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २३**]

†**श्री एन० राचय्या** : क्या सरकार को ज्ञात है कि सम्बन्धित प्राधिकारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यर्थियों के लिये सुरक्षित अभ्यंश (कोटा) के अनुसार उन्हें नियुक्त नहीं कर रहे हैं ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : जी, नहीं । अभ्यर्थियों के चुनाव में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व को उचित स्थान दिया जाता है ।

†**श्री एन० राचय्या** : उस संस्था की स्थापना के समय से लेकर अभी तक निम्न श्रेणियों तथा उच्च श्रेणियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने अभ्यार्थी नियुक्त किये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० डी० मालवीय :** मेरे पास तो सभी आंकड़े नहीं हैं। परन्तु यदि वे निर्धारित अर्हता रखते हैं तो उन्हें अवश्य ही ले लिया जाता है।

†**श्री एन० राचय्या :** क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के बहुत से अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र भेजे थे, परन्तु फिर भी उनके आवेदन पत्रों पर सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है ?

†**श्री के० डी० मालवीय :** मुझे इसका ज्ञान नहीं है। परन्तु यदि कोई विशेष मामला है, और माननीय सदस्य मेरा ध्यान उस ओर दिलावें तो मैं उसके बारे में पूछ-ताछ करूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं माननीय सदस्य से एक बात पूछना चाहता हूं। उन्होंने मुख्य प्रश्न में तो यह पूछा था कि क्या घोषित (गजटिड) और अ-घोषित (नान-गजटिड) पदों की भर्ती के लिये कोई समिति है और यदि हां, तो उसमें कौन-कौन हैं। परन्तु अब वह अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के प्रतिनिधित्व के बारे में भी प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या उन्होंने इस भाग को भी मुख्य प्रश्न में पूछा था ?

†**श्री एन० राचय्या :** सामान्य नियुक्तियों के सम्बन्ध में उनके लिये सुरक्षण है।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह तो ठीक है परन्तु वह एक अलग प्रश्न है। उसकी यहां पर अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। माननीय सदस्य इसे नोट कर लें कि वे सरकार से अचानक ही कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते।

यहां पर प्रश्न केवल इतना ही है कि क्या कर्मचारियों के चुनाव के लिये कोई समिति है, और यदि हां, तो उसमें कौन-कौन से कर्मचारी हैं। अत : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अनुपात का प्रश्न यहां पर असंगत है, और यहां पर उत्पन्न नहीं होता। माननीय सदस्यों को पहले मुख्य प्रश्न में कोई और प्रश्न, और अनुपूरक प्रश्नों के कोई और ही प्रश्न नहीं पूछना चाहिये। यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने लोगों ने आवेदन पत्र भेजे थे और उनमें से कितने प्रतिशत व्यक्ति चुने गये हैं सो वह उसे मुख्य प्रश्न में ही शामिल कर सकते थे।

## राष्ट्रीय अभिलेखागार

†*१२७२. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अभिलेखागार में भारत सरकार के अभिलेखों के निरीक्षण का विशेषाधिकार केवल कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित है,

(ख) क्या यह सच है कि किसी व्यक्ति को १९०१ के बाद अभिलेख नहीं देखने दिये जाते हैं या १९०१ के पहले के अभिलेखों से भी, पहले उनको जांच के लिये प्रेषित किये बिना, कोई उद्धरण लेने की अनुमति नहीं दी जाती है;

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग के जनवरी १९५५ के सत्र में सरकार ने अपना यह निश्चय घोषित किया था कि चालीस या इससे अधिक वर्षों के जितने अभिलेख हैं वे गवेषणा कार्य के लिये देखे जा सकते हैं; और

(घ) यदि भाग (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) :** (क) हां, केवल प्रमाणित गवेषणा छात्रों (रिसर्च स्कौलर्स) को ही अनुमति दी जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) नहीं, वर्तमान नियमों के अनुसार १९०१ के बाद अभिलेखों के लिये जो भी छात्र (स्कौलर) आवेदन करते हैं उन्हें उद्धरण लेने की अनुमति दी जाती है किन्तु पहले इन उद्धरणों की सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा जांच की जाती है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के वर्तमान गवेषणा नियमों के स्थान पर जब नये गवेषणा नियम बन जायेंगे तब इस निश्चय को लागू किया जायेगा ।

†**श्री एच० एन० मुकर्जी :** मैं जानना चाहता हूं कि जब ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में इस सम्बन्ध में अधिक सुविधायें उपलब्ध हैं तो यहां के उन नियमों को अधिक उदार बनाने के लिये कोई गम्भीर प्रयत्न क्यों नहीं किया गया है जो कि साम्राज्यवादी समय से चल रहे हैं ?

†**डा० एम० एम० दास :** नियमों को उदार बनाने के प्रयत्न किये गये हैं किन्तु कोई भी सरकार अपने अभिलेखों को बिना किसी नियंत्रण के जनता के लिये खुले नहीं रख सकती । गोपनीय विषयों के दस्तावेज सदैव रहते हैं और उन्हें जनता के लिये खुले रख देना लोकहित में नहीं होगा । हम छात्रों (स्कौलर्स) को अधिक सुविधायें देने का प्रयत्न कर रहे हैं और जब नये नियम लागू होंगे तो चालीस या इससे अधिक वर्ष पहले के अभिलेख उन्हें उपलब्ध हो सकेंगे ।

†**श्री एच० एन० मुकर्जी :** ऐसे छात्रों (स्कौलर्स) को जो विश्वविद्यालयों द्वारा सीधे नहीं भेजे जाते अथवा ऐसे संसद् सदस्यों को भी जो राष्ट्रीय अभिलेखों में दिलचस्पी रखते हैं, विशेष प्रक्रिया के अनुसरण के बिना सीधे ही अभिलेखों को क्यों नहीं देखने दिया जाता ?

†**डा० एम० एम० दास :** इस प्रक्रिया का अनुसरण करना आवश्यक है चाहे वे संसद् के सदस्य हों या अन्य कोई व्यक्ति हों क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण विषय है ।

†**श्रीमति रेणु चक्रवर्ती :** १९०१ के पहले के अभिलेखों को प्राप्त करने से कौनसा लोक-हित बिगड़ जायेगा ?

†**डा० एम० एम० दास :** १९०१ के पहले के अनेक अभिलेखे हैं और छात्रों को उनमें से उद्धरण लेने की अनुमति दी जाती है किन्तु पहले अभिलेखागार के निदेशक द्वारा उनकी जांच की जाती है ?

†**श्रीमति रेणु चक्रवर्ती :** ऐसा क्यों है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** क्योंकि हो सकता है कि कहा कुछ जाये और लिखा कुछ हो ।

†**सरदार हुकम सिंह :** क्या सरकार के पास ऐसी कोई शिकायतें आई हैं कि किन्हीं अभिलेखों को छात्रों (स्कौलर्स) को दिखाया जाय या नहीं इसका निर्णय करने में उस कार्यालय द्वारा इतना समय लिया जाता है कि तब तक छात्र (स्कौलर) को उसकी आवश्यकता ही नहीं रहती ?

†**डा० एम० एम० दास :** मुझे इस का पता नहीं है किन्तु मैं इस का पता लगा कर सभा को सूचित कर दूंगा ।

**लौह-अयस्क की खानें**

†***१२७३. श्री गाडिलिंगन गौड़ :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने आंध्र स्थित लौह-अयस्क की खानों का सर्वेक्षण किया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २४**]

†**श्री गाडिलिंगन गौड़** : विवरण से पता चलता है कि कुरनूल, अनन्तपुर, कुड्डापा और गुन्तूर जिलों में हेमेटाइट के भांडार अधिक परिमाण में हैं और यह कि इसमें लौह-अयस्क की पर्याप्त मात्रा है । मैं जानना चाहता हूं कि इस लौह-अयस्क का देश के लिये उपयोग करने के हेतु क्या सरकार के पास कोई सुझाव अथवा योजना है ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : मेरे मंत्रालय में प्राप्त सूचना के अनुसार आंध्र के कुछ भागों में लौह-अयस्क के बृहत भांडार होते हुए भी अभी उनसे कोई लाभ उठाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

†**श्री गाडिलिंगन गौड़** : लौह-अयस्क निकालने के लिये क्या राज्य सरकार ने कोई योजना भेजी है ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : यह प्रश्न तो माननीय उत्पादन मंत्री से किया जाना चाहिये ।

†**श्री वी० पी० नायर** : विवरण से विदित होता है कि उसमें वह सूचना है जो १८७६ में ब्रूस फूट के प्रतिवेदनों में दी गई थी किन्तु क्या इस विवरण में हाल ही के अनुसंधानों के परिणाम भी दिये गये हैं ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : जी, हां । आंध्र में हाल ही में लौह-अयस्क का विस्तृत अनुसंधान किया गया था ।

†**श्री वी० पी० नायर** : क्या हाल ही के अनुसंधानों में ओगोल और गून्तलकामा क्षेत्रों में हेमेटाइट का कोई विशेष अध्ययन किया गया है और यदि हां तो वहाँ मेगनेटाइट या हेमेटाइट का प्रतिशत कितना है ।

†**श्री के० डी० मालवीय** : मुझे इस प्रश्न के बारे में विशेष सूचना नहीं है । किन्तु आंध्र में खानों से लौह-अयस्क निकालने के बारे में हमारे भूतत्ववेत्ता जो कार्य कर रहे हैं उनके प्रतिवेदन हाल ही में प्राप्त हुए हैं और उनका अध्ययन किये जाने के बाद मैं उन प्रतिवेदनों की प्रतियां सभा के पटल पर रख दूंगा ।

†**श्री जी० पी० सिन्हा** : देश के विभिन्न भागों में कितने भूतत्वीय सर्वेक्षण दल काम कर रहे हैं और क्या उन्होंने लौह-अयस्क की खानों का पता लगाया है ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : लौह-अयस्क की खानों का पता लगाने में अनेक भूतत्वीय सर्वेक्षण दल लगे हुये हैं और वे उन क्षेत्रों में विशेष रूप से हैं जहां खानों से लौह-अयस्क निकालने का प्रस्ताव है ।

### खनिज तेल

†*१२७४. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वह क्षेत्र कौन से हैं, जहाँ १९५६ में खनिज तेल की खोज का प्रस्ताव है ।

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : जैसलमेर खम्बात (कैम्बे) और पूर्वी पंजाब के क्षेत्रों में भूतत्वीय तथा भूभौतिकीय सर्वेक्षणों द्वारा खोज की जा रही है । गंगा की घाटी में भी भूभौतिकीय सर्वेक्षणों का प्रस्ताव है । कुछ प्रवर क्षेत्रों में अनुसंधानात्मक रूप से तेल निकालने के प्रयत्न प्रारम्भ किये जाने की भी आशा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी :** क्या १९५६ में आरम्भ किया गया कार्यक्रम द्वितीय पंच वर्षीय योजना में भी चलता रहेगा ?

†**श्री के० डी० मालवीय :** यह सब तो इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे अनुसंधानात्मक कार्यों के परिणामस्वरूप तेल-क्षेत्रों का पता कितनी जल्दी लगता है । यदि १९५६ के प्रयत्नों से कुछ पता चला तो हम अवश्य ही तेल निकालना प्रारम्भ कर देंगे और यदि पता न लगा तो हम पुन: प्रयत्न करेंगे ।

†**श्री एन० एम० लिंगम :** क्या रूसी विशेषज्ञों ने दक्षिण स्थित कावेरी डेल्टा में तेल निकाले जाने की संभावना प्रकट की है और यदि हां, तो सरकार का इस वर्ष वहां तेल निकालने के बारे में क्या कार्यक्रम है ?

†**श्री के० डी० मालवीय :** कावेरी डेल्टा के कुछ अच्छे हिस्सों और देश के पूर्वी भाग के कुछ क्षेत्रों में तेल निकाले जाने की संभावना का हमें पहले ही कुछ ज्ञान है किन्तु उनके कार्यक्रम में शामिल किये जाने के लिये कुछ और आंकड़े एकत्र करने की जरूरत है । मैंने कुछ समय पूर्व बताया था कि तेल निकाले जाने की संभावना के दृष्टिकोण से दक्षिण की भूतत्वीय स्थिति की जांच करना भी हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित है ।

†**श्री एन० बी० चौधरी :** क्या १९५६ में विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण ही होंगे अथवा तेल निकालने के प्रयत्न भी किये जायेंगे ।

†**श्री के० डी० मालवीय :** १९५६ में तेल निकालने के एक दो प्रयत्न भी किये जायेंगे ।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी :** तेल पाये जाने के बारे में रूसी विशेषज्ञों के प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुये, क्या उनके कथन की सत्यता की जांच के लिये कोई प्रारम्भिक खोज की जायेगी ?

†**श्री के० डी० मालवीय :** जिन तथ्यों को हम पहले ही जानते हैं उनकी सचाई की जांच करने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । यह काम तो कुछ और आगे परीक्षा करने और यह जानने के लिये किया गया है कि कुछ ऐसे स्थानों को छोड़कर जहां तेल जल्दी निकलने की संभावना है क्या अन्य स्थानों पर भी शीघ्र ही इतना रुपया खर्च करना उचित होगा ?

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी :** मेरा अभिप्राय यह है कि क्या रूसी विशेषज्ञों की राय की भारतीय विशेषज्ञों ने पुष्टि की है ?

†**श्री के० डी० मालवीय :** हमारी राय की पुष्टि रूसी विशेषज्ञों ने की है ।

**मनीपुर राज्य परिवहन विभाग**

†***१२७७. श्री रिशांग किशिंग :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री १९ दिसम्बर, १९५५ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मनीपुर राज्य परिवहन विभाग क गबन के मामले का पता लगाने में दिल्ली स्पेशल पुलिस ने क्या प्रगति की है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** इस मामले की अभी जांच की जा रही है ।

†**श्री रिशांग किशिंग :** इस मामले में कितने रुपये की गड़बड़ है और उसमें कितने अफसरों का हाथ है ?

†**श्री दातार :** इस में ५०,००० रुपये के गबन का अनुमान है ।

†**श्री रिशांग किशिंग :** और अफसरों की संख्या ?

†**श्री दातार :** इसका मुझे पता नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री रिशांग किशिंग : सरकार ने विशेष रूप से इसी मामले को दिल्ली स्पेशल पुलिस को क्यों सौंपा ?

†श्री दातार : यह विचार किया गया कि यह रकम काफी बड़ी है और इसमें बहुत चतुर लोगों द्वारा खोज की जरूरत है अतः इसे विशेष पुलिस को सौंपा गया ।

**केन्द्रीय प्रबन्ध संस्था**

†*१२७८. **श्री राम कृष्ण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रबन्ध संस्था की स्थापना के सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

---

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न १२८२, श्री संगण्णा ।

†**श्री निरंजन जेना** : श्रीमान मेरे पास प्राधिकार है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : पहले राऊंड में नहीं । पहले घंटे में जो भी कोई अनुपस्थित होगा वह सारे दिन के लिये अनुपस्थित समझा जायेगा । मैं संवैधानिक दृष्टिकोण से इस पर विचार करूंगा ।

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : हम जवाब लेकर तैयार हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जो मध्यान पूर्व में उपस्थित न होगा उसे सारे दिन के लिये अनुपस्थित समझा जायेगा ।

**कृत्रिम वर्षा**

†*१२८४. **मुल्ला अब्दुल्ला भाई** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) कृत्रिम वर्षा करने के प्रयोग में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या कोई कृत्रिम वर्षा तैयार की गयी है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना प्रदर्शित करते हुए एक विवरण सदन पटल पर रक्खा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २५**]

†**मुल्ला अब्दुल्ला भाई** : मैं जानना चाहूंगा कि कृत्रिम वर्षा तैयार करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है । विवरण में मुझे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं मिला है ।

†**श्री के० डी० मालवीय** : कुछ समय पूर्व एक उत्तर में मैं बतला चुका हूं कि वर्षा करने के प्रयोगों के संम्बन्ध म कुछ आधारभूत समस्याओं पर अग्रेतर गवेषणा कार्य करने के लिये आस्ट्रेलिया के डा० ब्रोवन के निमंत्रण पर दो वैज्ञानिक चुने गये हैं तथा आस्ट्रेलिया से इन वैज्ञानिकों के लौटने पर बड़े पैमाने पर मेय-बीजन एवं राडर नियंत्रण की योजना को अंतिम रूप दिया जायेगा । इसी बीच, इन वैज्ञानिकों को अपने प्रयोगों में सहायता देने के लिये राडर तथा अन्य उपकरण के क्रय का प्रबन्ध किया जा रहा है । हमें आशा है कि उनके लौटने पर हम इस दिशा में कोई ठोस कार्य कर सकेंगे ।

†**मुल्ला अब्दुल्ला भाई** : क्या कोई प्रयोग किया गया है, मैं यह जानना चाहता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी म

†श्री के० डी० मालवीय : कलकत्ते वे डाक्टर बनर्जी द्वारा अनेक प्रयोग किये गये हैं और इस विषय पर कुछ विवेचनात्मक अध्ययन भी किया गया है जिस का व्यौरा विभिन प्रतिवेदनों में मौजूद है । यदी माननीय सदस्य को प्रतिवेदनों में दिलचस्पी हो तो मैं उन्हें दे सकता हूं ।

†मुल्ला अब्दुल्ला भाई : क्या यह कृत्रिम वर्षा प्राकृतिक वर्षा की भांति ही लाभदायक होगी ?

†श्री के० डी० मालवीय : यह अभी से नहीं कहा जा सकता ।

†श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या मैं जान सकता हूं कि आस्ट्रेलिया तथा अमेरिका में मेघों के बीजन एक की दूसरे से भिन्न है ? यदी हां तो, क्या अमेरिका को भी कोई वैज्ञानिक भेजे गये हैं ?

†श्री के० डी० मालवीय : जहां तक हम जानते हैं, आस्ट्रेलिया में अच्छा कार्य हुआ है और वह हमारे वैज्ञानिकों को पसंद है, और इसलिये हमने सोचा कि वैज्ञानिकों को विश्व के समस्त भागों में भेजने के बजाय, पहले आस्ट्रेलिया पर ध्यान आकर्षित करें और वहां से सहायता प्राप्त करें ।

सेठ गोविन्द दास : अब तक हिन्दुस्तान में इस सम्बन्ध में जो तजुर्बे हुये हैं उनमें प्रति एकड़ काफी कृत्रिम पानी बरसाने के लिये कितना खर्च पड़ा है ?

†श्री के० डी० मालविय : अभी इस तरह से कोई खर्च नहीं कूत गया है । जो रकम मौलिक अन्वेषण करने के लिये दी गयी थी उसमें मे खर्च हुआ है । यह खर्च जगह-जगह पर हुआ है । हमारे कुछ वैज्ञानिक बड़े दावे कर रहे हैं पर अभी हम किसी राय पर नहीं आये हैं । इसलिये अभी यह नहीं कहा जा सकता कि प्रति एकड़ काफी पानी बरसाने पर कितना खर्च होगा । या यह हो भी सकता है। मैं समझता हूं अभी यह प्रश्न भी उपयुक्त नहीं है ।

## सन् १९५६-५७ में सरकार द्वारा ऋण उगाही

†*१२८६. श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५६-५७ में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा कुल कितनी ऋण उगाही की जायेगी ?

†वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत) : जैसा माननीय सदस्य को विदित है, चालू वर्ष के केन्द्रीय बजट में १०० करोड़ रुपये की पण्य ऋण-उगाही की व्यवस्था की गयी है । राज्यों के बजटों से उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्यों द्वारा पण्य ऋण उगाही ५० करोड़ रुपये की अनुमानित की गयी है । किन्तु वास्तविक राशि की मात्रा केवल तभी जानी जा सकती है जबकि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें ऋण उगाहने का निर्णय करें ।

†श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या मैं जान सकता हूं कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा जारी किये गये इन ऋणों के सम्बन्ध में केन्द्र व राज्यों की कुल घटी को पूरा करने सम्बन्धी कोई निश्चित नीति और योजना है ?

†श्री बी० आर० भगत : हमारी नीति सुविदित है और बजट भाषण में यह स्पष्ट कर दिया गया है, तथा समय-समय पर स्वयं योजना में स्पष्ट कर दिया गया है, कि जितनी राशि सम्भव होगी वह ऋणों तथा करों से उगाही जायेगी और शेष कमी घाटे की अर्थ-व्यवस्था द्वारा पूरी की जायेगी ।

†श्री के० पी० त्रिपाठी : मेरा प्रश्न यह था कि क्या मुद्रा स्फीति का सामना करने के लिये घाटे की व्यवस्था तथा ऋण उगाही के मध्य संतुलन करने की कोई नीति है । यदि हां, तो इसका प्रभाव न केवल राज्यों पर पड़ेगा अपितु केन्द्र पर भी पड़ेगा और इसलिये नीति केवल केन्द्र द्वारा ही निर्मित की जा सकती है, राज्यों द्वारा नहीं ।

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : वित्त विधेयक के प्रस्तुत होने तक माननीय सदस्य नीति के विषय में प्रतीक्षा करें। माननीय सदस्य नियमों को फिर से पढ़ें। किसी भी बड़ी नीति के सम्बन्ध में मामला यहां अभी नहीं उठाना चाहिये। ये केवल तथ्य सम्बन्धी प्रश्न हो सकते हैं, जैसे सरकार ने क्या किया है और क्या नहीं किया है।

†**श्री एल० एन० मिश्र** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऋणों पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत ब्याजों की दरें समान आधार पर नहीं होतीं। यदि हां, तो क्या सरकार का देश भर में समान दरों के रखने का इरादा है ?

†**श्री बी० आर० भगत** : केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों दोनों की समस्त ऋण उगाही भारत के रिज़र्व बैंक द्वारा समायोजित की जाती है, और ऋणों के ब्याज की दरों में केवल इसीलिये अन्तर नहीं रहता कि ऋण केन्द्र तथा राज्य सरकारों के हैं वरन् ऋणों के परिपक्कता की शर्तों तथा अन्य चीजों के कारण भी। जैसा मैंने बतलाया, रिज़र्व बैंक सारे मामले पर गौर करता हैं।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : छोटी बचत इत्यादि विभिन्न प्रकार के ऋणों से इस वर्ष कितनी-कितनी राशि प्रत्याशित है ?

†**श्री बी० आर० भगत** : मैं प्रश्न समझा नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : विभिन्न प्रकार के ऋणों, छोटी बचत, लघुकालीन और दीर्घकालीन उधार इत्यादि से कुल कितनी राशि की आशा है ?

†**श्री बी० आर० भगत** : छोटी बचत को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। चालू वर्ष के लिये ७० करोड़ रुपये की राशि उपबन्धित है।

## सैनिकों के बच्चों को शिक्षा सम्बन्धी रियायतें

†*१२८८. **श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि गत युद्ध में जो भारतीय सैनिक लड़े थे उनके बच्चों को दिये जाने वाले शिक्षा-सम्बन्धी रियायत (पढ़ाई तथा होस्टल शुल्क) को बन्द करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कब से; और

(ग) इसका कारण ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (ग) गत महायुद्ध में जो भारतीय सैनिक लड़े थे उनके बच्चों को शिक्षा सम्बन्धी रियायत देने की कोई स्कीम केन्द्रीय सरकार के संचालन में इस समय नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या मैं यह समझूं कि इन रियायतों को बन्द करने का कोई प्रश्न नहीं उठा है ?

†**डा० एम० एम० दास** : जी, नहीं, कोई प्रस्थापना नहीं। केन्द्रीय सरकार द्वारा इन रियायतों के सम्बन्ध में कोई अनुदान नहीं दिया गया है किन्तु ये रियायतें राज्य सरकारों प्रान्तीय सरकारों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा दी गई हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

## मुद्रास्फीति

†*१२९०. **पंडित सी० एन० मालवीय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि २० जनवरी और ९ मार्च, १९५६ के मध्य नोटों के सक्रिय परिचालन में ६२ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या इसी काल में बैंकों के निक्षेप २७ करोड़ रुपये कम हो गये हैं ;

(ग) क्या इसी काल में ऋणों तथा अग्रिम धन में २७ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है ; और

(घ) यदि उपर्युक्त भागों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों का सामना करने क लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत) :** (क) २० जनवरी और ९ मार्च, १९५६ के मध्य नोटों के परिचालन में ६१·४ करोड़ रु० की वृद्धि हुई ।

(ख) उपर्युक्त काल में अनुसूचित बैंकों के निक्षेपों में ३७·५ करोड़ रु० की कमी हुई ।

(ग) जी, हां ।

(घ) इन तथ्यों से स्पष्ट प्रकार से मुद्रास्फीति का अनुमान नहीं लगता । किन्तु सरकार सतर्कता से परिस्थिति को देख रही है तथा मुद्रास्फीति के दबावों को रोकने के लिये आवश्यक कदम उठाएगी ।

†**पंडित सी० एन० मालवीय** : क्या निर्वाह व्यय देशनांक तथा मूल्य देशनांक के सम्बन्ध में कोई कदम उठाया गया है ?

†**श्री बी० आर० भगत :** हाल में निर्वाह-व्यय देशनांक में कुछ वृद्धि हुई है और मूल्यों में भी वृद्धि हुई है ।

†**पंडित सी० एन० मालवीय** : क्या बम्बई बुलियन संघ के नव निर्वाचित अध्यक्ष श्री चुन्नीलाल मेहता द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ है जिसमें उन्होंने इन शब्दों में सरकार को दोष दिया है :

"मूल्य में वृद्धि भारतीय व्यवसायिक वर्ग की स्टोरिया कार्यवाहियों को दोष देना न्यायोचित नहीं है जब कि सरकार स्वयं इस प्रकार की कार्यवाहियों को प्रोत्साहित तथा प्रेरित करने के कदम उठा रही है और इन्हें रोकने के कदम नहीं उठा रही ।"

†**श्री बी० आर० भगत :** मैं उद्धरण को समझ नहीं सका । यदि माननीय सदस्य धीरे पढ़ें.....

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य एक उद्धरण पर राय जानना चाहते हैं ।

†**पंडित सी० एन० मालवीय** : सरकार की राय तथा कार्यवाही जानना चाहता हूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री पहली बार उद्धरण सुन रहे हैं ।

†**पंडित सी० एन० मालवीय** : मैं दुबारा पढ़ूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रकार का प्रश्न पूछे जाने का कोई अर्थ नहीं है और यह कोई परीक्षा पत्र नहीं है । माननीय सदस्यों को सारा उद्धरण पढ़ने के बजाय एक या दो लाइनों में तथा संक्षिप्त रूप से प्रश्न पूछना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ए० एम० थामस** : क्या मैं जान सकता हूं कि माननीय उपमंत्री प्रश्न में निहित इस धारणा से सहमत हैं कि ऋण सुविधाओं के प्रसार से मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियां पैदा हुई हैं ? यदि हां, तो बैंकों द्वारा ऋण दिये जाने के मार्ग में प्रतिबन्ध लगाने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

†**श्री बी० आर० भगत** : यह अत्यन्त जटिल प्रश्न है । इसके अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दोनों पहलू हैं । अल्पकालीन पहलू में, अर्थात् अक्तूबर, १९५५ से अब तक, बहुत थोड़ी वृद्धि हुई है सामान्यत:, यदि आप आंकड़ों की तुलना करें---तुलनात्मक आंकड़े अभी इसी समय देना असम्भव है-- तो आप देखेंगे कि सदा कुछ वृद्धि हुई है, किन्तु यदि आप दीर्घकालीन समय लें अर्थात् सन् १९५१ से अब तक का पंचवर्षीय योजना का समय, तो मूल्यों में ११ प्रतिशत वृद्धि हुई है जबकि राष्ट्रीय आय १८ प्रतिशत बढ़ी है । अतएव दीर्घकालीन समय के लिये यह सीधी मुद्रास्फीति प्रवृत्ति को जाहिर नहीं करता । किन्तु जैसा मैंने कहा, बाद में ऋण के विकास के साथ, नोटों के परिचालन में भी वृद्धि होगी । विभिन्न आर्थिक संसूचकों, जैसे बैंकों द्वारा अग्रिम-धन, पर सरकार दृष्टि रख रही है । यदि बैंकों द्वारा अग्रिम-धन में वृद्धि होगी तो रिजर्व बैंक तत्काल कार्यवाही करेगा । सरकार ध्यान से परिस्थिति को देख रही है यद्यपि इस समय मुद्रास्फीत का कोई चिन्ह नहीं नजर आता । इसे नियंत्रित करने के लिये हमारे पास सब प्रकार के साधन हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वित्त विधेयक पर चर्चा के समय माननीय सदस्यों को और अधिक सूचना हासिल करने का अवसर मिलेगा ।

### विश्व बैंक से ऋण

†*१२९१. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में कोयना जल विद्युत् परियोजना के लिये अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ख) इस कार्य के लिये बैंक ने कितना ऋण मंजूर किया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत)** : (क) भारत सरकार ने गैर-रस्मी तौर पर विश्व बैंक से ऋण मांगा है और विश्व बैंक ने ऋण देने के लिये इस परियोजना पर विचार करने की इच्छा प्रकट की है । कोयना के सम्बन्ध में एक एकीकृत परियोजना प्रतिवेदन बैंक को भेजा जा रहा है जो इस विषय में और आगे विचार करेगा ।

(ख) कोई नहीं ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या यह ऋण बिना ब्याज के है ? यदि नहीं, तो ब्याज की दर क्या है ?

†**श्री बी० आर० भगत** : ऋण बिना ब्याज के नहीं हो सकता । किन्तु हमने इस विषय में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया है ।

†**श्री के० सी० सोधिया** : उस परियोजना के लिये भारत सरकार ने कितने ऋण की सिफारिश की है ?

†**श्री बी० आर० भगत** : हमने गैर-रस्मी तौर पर उनसे मांग की है और परियोजना प्रतिवेदन उन्हें भेजा जा रहा है । परियोजना के लिये पुनरीक्षित अनुमान ४८·८१ करोड़ रूपये है जिसमें से केवल विदेशी विनिमय का भाग हम ऋण के तौर पर चाहते हैं । इस सम्बन्ध में अभी बातचीत करनी है कि ठीक ठीक ऋण कितना होगा और केवल तभी ऋण निर्धारित किया जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री आल्तेकर उठे--

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कुछ देर से खड़े हुये हैं।

**केन्द्रीय भारतीय औषधीय वनस्पति संगठन**

*१२९२. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री १९ दिसम्बर, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ९४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जड़ी-बूटियों पर गवेषणा के लिये केन्द्रीय भारतीय औषधीय वनस्पति संगठन की स्थापना के सम्बन्ध में क्या अब तक कोई निर्णय हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस योजना की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**श्री भक्त दर्शन** : क्या इसका कारण मालूम हो सकता है कि अब तक इस संस्था की स्थापना क्यों नहीं हो सकी है ? क्या इसमें जो दूसरे मंत्रालय खाद्य और कृषि मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय से परामर्श किया जा रहा था, तो क्या उनकी ओर से सहयोग नहीं मिल रहा है या कोई अड़चन पड़ रही है ?

**श्री के० डी० मालवीय** : जी नहीं, एक उपसमिति कौंसिल आफ साइंटिफिक रिसर्च ने कायम की थी और उसने इस सम्बन्ध में बहुत तफसील से एक विस्तृत योजना तैयार की है जो एक अच्छी योजना मालूम पड़ती है। कुछ उस पर विचार किया भी गया है और यह निश्चय हुआ कि वह हमारे दूसरे मंत्रालयों को जैसे फूड एंड एग्रीकलचर मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री को दी जाय ताकि उनका मत भी मालूम हो जाय। अब उनका मत कुछ तो आ गया है और कुछ अभी आना बाकी है और जैसे ही वह आ जायेगा उस पर कोई न कोई निर्णय किया जायेगा।

**श्री भक्त दर्शन** : मेरा प्रश्न यह था कि दूसरे जो दो मंत्रालय हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय और खाद्य तथा कृषि मंत्रालय, क्या उन्होंने अपना सहयोग देने का आश्वासन दिया है और उसमें अपनी सहमति प्रकट कर दी है ?

**श्री के० डी० मालवीय** : सहयोग तो प्राप्त है ही और आगे भी होगा। लेकिन चूंकि अभी मंत्रालयों में पृथक रूप से इस सम्बन्ध में गौर हो रहा है, इसलिये यह जरूरी था कि सब को एकत्र करके एक केन्द्रीय संगठन इस काम के लिये बना दिया जाय और इसलिये जब सब सामूहिक रूप से हमारे पास राय आ जायेगी, तब एक केन्द्रीय संगठन की स्थापना के ऊपर निर्णय हो जायेगा।

†**श्री वी० पी० नायर** : इस बात को देखते हुये कि जड़ी-बूटियों से बने भेषजीय उत्पादों की आधारभूत वस्तुओं का भारी आयात होता है, क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है कि उन सभी भारतीय औषधीय जड़ी-बूटियों के क्षारोद भाग और कम से कम सिद्धांतों का परीक्षण किया जाय जोकि आज लोगों को मालूम हैं।

†**श्री के० डी० मालवीय** : जी, हां। कुछ औषधीय जड़ी-बूटियों के संक्रिय सिद्धांतों के अनुसंधान के सम्बन्ध में, और विशेषकर क्षय और कुष्ट रोग दूर करने के लिये आवश्यक सत्रिय सिद्धांतों को ढूंढ निकालने के सम्बन्ध में बहुत कुछ काम किया जा रहा है और किया गया है। हमने अच्छा काम किया है और दूसरी पंचवर्षीय योजना में और अधिक काम करने का विचार है जिसके बारे में मैं आज अपने उत्तर में एक संक्षिप्त निर्देश करूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चट्टोपाध्याय** : क्या केन्द्रीय संस्था कम से कम ऐसे मामलों में औषधीय वनस्पतियों से लाभ उठाने की समस्या पर विचार करने वाली है जहां देशीय चिकित्सा पद्धतियों में ज्वर हटाने वाले, अंग संकोच विरोधी ऐन्टीहेसमिन्यीक और एन्टी-ड्यूरेटिक गुण हों ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : इस विषय में कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है किन्तु मैं अपने माननीय मित्र को बता सकता हूं कि यदि वे कार्यों को पढ़ें तो उन्हें मालूम होगा कि जिन गुणों का उन्होंने निर्देश किया है वे हमारी अनुसंधान-संस्थापनाओं में एक प्रकार से सम्मिलित किये गये हैं।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : क्या माननीय सदस्य गद्य में बात चीत कर रहे थे या पद्य में ?

**डीज़ल इंजन**

†*१२६४. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोटर परिवहन में काम में लाये जाने वाले डीजल इंजनों पर आयात कर बढ़ाया गया है;

(ख) यदि हां, तो कर में कितनी वृद्धि की गई है; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : (क) लगाये जाने वाले कर के संविहित दरों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। मोटरगाड़ी ढंग के डीज़ल इंजन और उनके विशेषीकृत भाग १९५० से कर से अंशतः मुक्त थे जब कि २५ जनवरी १९५६ से यह रियायत वापस लेली गयी है।

(ख) मोटर गाड़ियों के डीज़ल इंजनों पर, जो सी० के० डी० या एस० के० डी० हालत में आयात किये जाते हैं, भारतीय सीमा-शुल्क प्रशुल्क-सूची के मद ७५ (९) से ७५ (१२) के अधीन विभिन्न दरों के अनुसार, उनके पुर्जों के मुताबिक कर निर्धारित किया जाता है। विमुक्ति वापस लेने का यह परिणाम हुआ है कि डीज़ल इंजनों के कुछ हिस्सों पर ५० प्रतिशत यथा मूल्य (स्टैन्डर्ड) और ४२।। प्रतिशत यथामूल्य (प्रिफरेन्शल) लगाया जा रहा है जब कि पहले २५ प्रतिशत यथामूल्य (स्टैन्डर्ड) और १७।। प्रतिशत यथामूल्य (प्रिफरेशन्ल) लगता था।

(ग) विमुक्ति इस कारण वापस ले ली गयी है कि यह देखा गया है कि लंबे समय में डीजल इंजन चलाने वालों को खासकर वे इंजन जिन पर कम दर लगता था, पट्रोल चालित इंजन चलाने वालों की अपेक्षा काफी वित्तीय लाभ होता था।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या मोटर गाड़ियों में काम में लाये जाने वाले इन डीजल इंजनों को तैयार करने के लिये कोई उत्पादन कार्यक्रम है और यदि हां, तो क्या यह उत्पादन कार्यक्रम अंतिम रूप से स्थापित हो जाने तक सरकार इस संरक्षण शुल्क को जारी रखने पर फिर विचार कर रही है ?

†**श्री एम० सी० शाह** : १९५० में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था। उसके बाद एक कार्यक्रम है और इसलिय इन करों को हटा लेना देशी उत्पादकों के हित में समझा गया।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या सरकार जानती है कि ये इंजन चोर बाजार में अधिक मूल्यों पर बेचे जाते हैं ? उदाहरणार्थ, लगभग ८,००० रुपये की लागत का एक इंजन बाजार में, १०,००० रुपये पर बेचा जाता है। यदि, हां तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री एम० सी० शाह** : वित्त मंत्रालय का सम्बन्ध सीमा-शुल्क से है। वे चोर बाजार मूल्य पर बेचे जाते ह या नहीं यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का विषय है और इसलिये यह प्रश्न उस मंत्रालय से पूछा जाये।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी :** माननीय मंत्री ने अभी बताया कि डीजल से चलने वाली गाड़ियों और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों के चलाने के खर्च में बहुत अधिक अन्तर है और इसलिये यह कर न्यायोचित है। क्या यह कर का अन्तर जो सरकार अब इकट्ठा कर रही है, केन्द्रीय सड़क निधि में जमा किया जा रहा है जिसमें यह पेट्रोल शुल्क भी प्राय: जमा किया जाता है ।

†**श्री एम० सी० शाह :** मुझे उसके लिये पूर्व सूचना की आवश्यकता होगी ।

†**श्री जी० पी० सिन्हा :** इस बात को ध्यान में रखते हुये कि डीजल इंजनों की मांग में और उनके उत्पादन में वृद्धि हुई है, पुर्जों पर अधिक कर लगाने का क्या अर्थ है ?

†**श्री एम० सी० शाह :** यह प्रश्न भी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के लिये है । वह आयात नीति के बारे में है ।

**राज्यों में नये पदों की उत्पत्ति**

†*१२९५. **श्री गार्डिलिंगन गौड़ :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने राज्य सरकारों को यह चेतावनी दी है कि जब तक राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें कार्यान्वित नहीं होतीं तब तक कोई अस्थायी या स्थायी पद निर्माण न किये जायें या वेतनक्रमों का पुनरीक्षण न किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो आंध्र सरकार ने इस निदेश का कहां तक पालन किया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार):** (क) जी, हां । राज्य सरकारों से प्रार्थना की गयी है कि वे इन विषयों के सम्बन्ध में ऐसी कोई कार्यवाही न करें जिस से सेवाओं के एकीकरण की समस्या और अधिक उलझ जाये, जो नवीन राज्य सरकारों को आगे चलकर हल करनी होगी ।

(ख) भारत सरकार यह मान लेती है कि आंध्र सरकार इस सलाह के अनुसार काम कर रही है ।

†**श्री गार्डिलिंगन गौड़ :** इस सभा द्वारा आंध्र-राज्य निर्माण सम्बन्धी विधेयक पारित किये जाने के बाद, बेल्लारी जिले के दो तालुके कर्नूल जिले में मिला दिये गये थे । अब कर्नूल जिले के विभाजन की प्रस्थापना पहले से ही सरकार के समक्ष है । क्या यह आदेश इन प्रस्थापनाओं पर भी जो पिछले ढाई साल से पड़ी हुई है , लागू होगा ?

†**श्री दातार :** यह सेवाओं के एकीकरण से सम्बन्धित है । जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, राज्य पुनर्गठन विधेयक के भाग २ में उसकी चर्चा की गयी है । सरकार ने केवल एक चेतावनी दी है कि ऐसी कोई बात न की जाये जिससे मामले और उलझ जायें ।

†**श्री गार्डिलिंगन गौड़:** क्या राज्य सरकार इस विभाजन पर और अडोनी का एक अलग जिला बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर रही है ?

†**श्री दातार :** मुझे उसकी जानकारी नहीं है ।

†**श्रीमती ए० काले :** क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश राज्य में इस आदेश के बावजूद कि लोगों को स्थायी न बनाया जाये, अनेक अस्थायी लोगों को स्थायी बनाया जाता है ?

†**श्री दातार:** वह स्वत: प्रश्न से ही स्पष्ट है । हमने बताया है कि प्रशासन चलाते समय और कार्यवाही करते समय यह नितान्त आवश्यक है कि जहाँ तक नवीन राज्यों का सम्बन्ध है, सेवा के निष्कंटक एकीकरण के लिये मामलों में उलझन न पैदा करने की वांछनीयता पर सरकार को विचार करना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती ए० काले :** क्या सरकार जानती है कि अस्थायी लोगों को स्थायी बनाया जा रहा है ?

†**श्री दातार :** हमें मालूम नहीं है ।

†**श्री कामत :** प्रस्थापित क्षेत्रीय परिषदों के निर्माण के साथ साथ क्या ऐसी कोई प्रस्थापना है कि एक क्षेत्र वाले राज्यों की सेवाओं के लिये एक सम्मिलित पदाली और प्रत्येक क्षेत्र के लिये एक सम्मिलित लोक सेवा आयोग बनाया जाये ?

†**श्री दातार :** राज्य पुनर्गठन आयोग विधेयक में किसी हद तक इन प्रश्नों पर विचार किया गया है ।

†**श्री कामत :** क्या बाद में उस पर और आगे विचार किया जायेगा ?

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी :** क्या केन्द्रीय सरकार उन राज्यों में, जिनका विलय होने जा रहा है, भर्ती और वेतन क्रमों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में कोई सिद्धांत निर्धारित कर रही है ?

†**श्री दातार :** स्वाभाविक ही सरकार चाहती है कि जहां तक संभव हो, बिना किसी कठिनाई के सेवाओं का एकीकरण होना चाहिये और अन्याय, कठिनाई और द्वेषभाव के लिये कोई जगह नहीं छोड़नी चाहिये ।

†**श्री ए० एम० थामस :** क्या यह सच है कि पहले के अनेक देशी राज्यों की सेवाओं का एकीकरण अभी तक पूरा नहीं हुआ है और यदि हाँ, तो क्या सरकार जानती है कि वर्तमान क्रम से इन सेवाओं के श्रेणीकरण के शीघ्र निबटारे पर काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा ?

†**श्री दातार :** यह समझा जाता है कि यह अन्तिम पुनर्गठन होगा और जो बातें अभी समाप्त नहीं हैं वे अब राज्यों के पुनर्गठन के दौरान में पूरी कर दी जायेंगी ।

**कच्छ में तेल मिलने की संभावना**

†*१२९६. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ में तेल की खोज की जा रही है या की जाने वाली है ;

(ख) यदि हां, तो वहां कौन-कौन से अभिकरण काम कर रहे हैं, और

(ग) उन्होंने क्या खोज की है ?

**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) :** (क) से (ग). खम्भात और काठियावाड़ के साथ कच्छ क्षेत्र ऐसा प्रदेश है जहां तेल या गैस मिलने की संभावनायें हैं । दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इन क्षेत्रों में खोज करने का विचार है । अभी फिलहाल कच्छ क्षेत्र में कोई खोज नहीं चल रही है किन्तु भूतत्वीय सर्वेक्षण ने पूर्वी सौराष्ट्र और निकट के गुजरात, कछार और गोघा क्षेत्र में कुछ अन्वेषणात्मक सर्वेक्षण किये हैं ।

†**सरदार इकबाल सिंह :** क्या संपूर्ण राजस्थान और कच्छ क्षेत्र के लिये खोज करने वाला केवल एक अभिकरण होगा या भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लिये भिन्न भिन्न अभिकरण होंगे ?

†**श्री के० डी० मालवीय :** जैसलमेर और खम्भात में अनुसंधानों के सम्बन्ध में सरकार ही खोज करने की एकमात्र अधिकार है किन्तु यह विशिष्ट कार्य करने के लिये विभिन्न भू-भौतिकीय दल हैं । उदाहरणार्थ, एक दल जैसलमेर में काम कर सकता है और दूसरा खम्भात में ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री **फीरोज गान्धी :** प्रयोगात्मक रूप में कितने कुयें खोदे जा चुके हैं ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : जैसलमेर में सरकार ने कोई कुआं नहीं खोदा है ।

†**श्री फीरोज गान्धी** : आपके पास कितने वरमे हैं ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : अभी हाल में एक खरीदा गया है ।

†**श्री भवनजी :** क्या उस सर्वेक्षण में कच्छ में तेल पाया गया था ?

†**श्री के० डी० मालवीय :** कुछ क्षेत्रों में कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनके आधार पर हमने भू-भौतिकीय सर्वेक्षण किये हैं। परिणाम अभी तक पूरी तौर से स्पष्ट नहीं है किन्तु जैसा कि मैंने बताया, वहां संभावनायें हैं और इसलिये उस विषय में हम आगे बढ़ रहे हैं ।

†**सरदार इकबाल सिंह :** क्या संपूर्ण देश के लिये खोज के एक संयोजित अभिकरण के लिये सरकार के पास कोई कार्यक्रम है ?

†**श्री के० डी० मालवीय :** जी, हां । हमने भारत सरकार के अधीन तेल और प्राकृतिक गैस निदेशालय स्थापित किया है जो एकीकृत प्राधिकार है जो यह सब काम करता है ।

†**श्री भवनजी :** क्या यह सच है कि कच्छ में खोज करने की अनुज्ञप्ति कालटैक्स को दी गयी है ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : जी, नहीं । मुझे उसकी जानकारी नहीं है । इसमें कोई तथ्य नहीं ।

†**श्री फीरोज गांधी** : खोज का क्षेत्र इतना बड़ा है और सरकार के पास केवल एक बरमा है । यह किस प्रकार पर्याप्त होगा ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : जैसे और जब हमें अधिक बरमों की आवश्यकता होगी, उनकी खरीद के लिये हमारा एक कार्यक्रम है । दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में, हम पांच या छ: या उससे अधिक बरमें संभवत: खरीदेंगे ।

### बहावलपुर के विस्थापित सरकारी कर्मचारी

†*१२९९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २२ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ८९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बहावलपुर के विस्थापित सरकारी कर्मचारियों के साथ सिंध तथा उत्तर-पश्चिमी प्रांत के विस्थापित सरकारी कर्मचारियों के समान व्यवहार न करने के कारण क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : स्थिति को स्पष्ट करने वाला एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २६]**

†**सरदार इकबाल सिंह** : विवरण में यह बताया गया है कि अधिकांश विस्थापित सरकारी कर्मचारियों को पुनर्वासित कर दिया गया है। क्या मैं जान सकता हूं कि बहावलपुर के कितने विस्थापित सरकारी कर्मचारियों को सरकारी सेवा में विलीन कर लिय गया है ?

†**श्री दातार** : मुझे संख्या ज्ञात नहीं है परन्तु संख्या अधिक नहीं है ।

†**सरदार इकबाल सिंह :** विवरण में कारण नहीं बताये गये हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि किन कारणों से, बलोचिस्तान के सरकारी कर्मचारियों के सेमान बहावलपुर के सरकारी कर्मचारियों के साथ व्यवहार नहीं किया गया है ?

†**श्री दातार :** विधि में भूतपूर्व राज्यों के सरकारी कर्मचारी, ब्रिटिश भारतीय राज्यों के सरकारी कर्मचारियों से भिन्न थे । इसलिये, भूतपूर्व ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के कर्मचारियों को कुछ

†मूल अंग्रेजी में

रियायतें दीगई थीं क्योंकि उनके मामले में, उनकी सेवा में संघ सरकार अथवा राज्यों की सरकारों में प्रत्यक्ष रूप से स्थानांतरित कर दी गई थी । परन्तु जहां तक राज्यों का सम्बन्ध था वह विलीनी-करण अथवा एकीकरण के पश्चात् ही प्रत्यक्ष रूप से हमारे यहां आ सकते थे अन्यथा नहीं ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : भारतीय संघ में विलीन राज्यों के कर्मचारियों पर जो विधियां लागू होती हैं । क्या वही बहावलपुर के कर्मचारियों पर भी लागू होंगी ?

†**श्री दातार** : मैं माननीय सदस्य को यही बता रहा हूं । ये प्रश्न उन सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में है जो उस प्रदेश से आये हैं जो अब पाकिस्तान का अंग हैं । परन्तु मैं माननीय सदस्य को सूचित करता हूं कि उनको भी वह ही पुनर्वास सहायता दी गई है । सरकार भी इस बात पर विचार कर रही है कि क्या भूतपूर्व बहावलपुर राज्य के कर्मचारियों को कुछ और रियायतें दी जा सकती हैं ?

†**सरदार इकबाल सिंह** : बहावलपुर राज्य सरकार कर्मचारियों ने, अपने वेतन, वरिष्ठता आदि को पुनः निश्चित करने के कितने दावे प्रस्तु किये हैं तथा इस प्रकार के कितने दावे अभी लम्बित हैं ?

†**श्री दातार** : मुझे इस सम्बन्ध में यही सूचना प्राप्त है कि जहां तक भूतपूर्व राज्य कर्मचारियों का सम्बन्ध है, उनको दो लाभ दिये गये हैं । एक के अनुसार इन व्यक्तियों द्वारा बहावलपुर राज्य में लिये गये वेतन पर विचार किया गया था जिससे भारत में नियुक्ति होने पर उनके वेतन, तदर्थ आधार पर निश्चित किये जायें । दूसरे रोजगार दिलाने के लिये काम दिलाऊ दफ्तर में उनको प्राथमिकता दी गई थी ।

## सशस्त्र बल में असैनिक

†*१२७५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र बल में इस समय कितने असैनिक कर्मचारी नियुक्त हैं ; और

(ख) १९४८ के आंकड़ों से इसकी किस प्रकार तुलना हो सकती है ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) १६१,६१६

(ख) १९४८ के आंकड़ों से २९,७२३ कम हैं ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या, नियुक्त असैनिकों के वेतन तथा निवृत्ति वेतन, भारत सरकार द्वारा बनाये गये विशेष नियमों के अन्तर्गत लिये जाते हैं ?

**श्री त्यागी** : वेतन तथा निवृत्ति वेतन के प्रश्न के सम्बन्ध में जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है । मैं माननीय सदस्य से इस सम्बन्ध में एक अलग प्रश्न रखने की प्रार्थना करूंगा ।

**श्री भक्त दर्शन** : क्या गवर्नमेंट ने सिविलियन एम्पलायीज के बारे में कोई नीति निर्धारित की है कि धीरें धीरे इन के स्थान पर फौजी आदमी रखे जायेंगे या उनको हमेशा के लिये अलग कर दिया जायेगा, यदि हां, तो क्या मैं उस नीति की रूपरेखा जान सकता हूं ?

**श्री त्यागी** : यह जो सिविलियन एम्पालयीज हैं, ये कई तरह के हैं और अलग अलग महकमों की अलग अलग शाखाओं में उनके लिये अलग अलग नियम बनाये गये हैं ।

†**कुमारी एनी मैस्करीन** : त्रावनकोर-कोचीन राज्य के असैनिक कर्मचारियों के, वेतन तथा निवृत्ति वेतन के सम्बन्ध में कितनी याचिकायें प्राप्त हुई हैं ; कितने समय से ये लम्बित हैं तथा क्या किसी याचिका का उत्तर दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** : श्रीमान. . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय मंत्री को पूर्व सूचना चाहिये ?

†**श्री त्यागी** : मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि कोई सीमा निश्चित नहीं है जिसमें प्राप्त आवेदन पत्रों पर मैं विचार करूं ।

†**कुमारी एनी मैस्करीन** : इस विषय पर मैंने जो याचिकायें सरकार को भेजी थीं उनका क्या हुआ ?

†**श्री त्यागी** : माननीय मित्र से मेरी प्रार्थना है कि वह इस बारे में एक अनुस्मारक आज भेजें ।

†**सरदार इकबाल सिंह** ; क्या मैं जान सकता हूं......

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न लेना चाहिये । मैं केवल एक ही सदस्य द्वारा सभी प्रश्न प्रस्तुत होने देना नहीं चाहता ।

**'अमृतारा संतान'**

†*१२८२. **श्री निरंजन जेना (श्री संगण्णा की ओर से)** : क्या **शिक्षा** मंत्री उड़िया पुस्तक 'अमृतारा संतान' के अनुवाद के सम्बन्ध में ६ दिसम्बर १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब कोई निर्णय किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हुये ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) और (ख). जी, हां । उड़िया उपन्यास 'अमृतारा संतान' का हिन्दी में अनुवाद किया जा रहा है ।

†**श्री निरंजन जेना** : यह अनुवाद कार्य किसको सौंपा गया है तथा क्या वह उड़िया तथा हिन्दी के ख्यात विद्वान हैं ?

†**डा० एम० एम० दास** : अनुवादक श्री युगाजीत नेवलपुरी हैं । वह उड़िया से हिन्दी में अनुवाद कर रहे हैं ।

†**श्री निरंजन जेना** : क्या इसका अन्य किसी भाषा में अनुवाद करने का भी विचार है ; यदि हां, तो वह कौन कौन सी भाषायें हैं ?

†**डा० एम० एम० दास** : साहित्य अकादमी के समक्ष इस उपन्यास को, अन्य प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद करने का भी प्रस्ताव है परन्तु अभी इसके ब्यौरे नहीं बताये गये हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री एच० जी० वैष्णव ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : प्रश्न संख्या १२८७ के बारे में मेरे पास प्राधिकार है ।

†**श्री चट्टोपाध्याय** : मेरी प्रार्थना है कि प्रश्न संख्या १२८७ लिया जाये क्योंकि यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न प्रस्तुत किया जा रहा है तथा अब उत्तर दिया जायेगा ।

**उस्मानिया विश्वविद्यालय**

†*१२८७. **श्री एच० जी० वैष्णव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस्मानिया विश्वविद्यालय को केन्द्रीय सरकार के हाथ सौंपने के बारे में ब्यौरेवार कार्यक्रम बना लिया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों ने कुछ शर्तें निर्धारित की हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री** (**श्री दातार**) : (क) और (ख) मैं माननीय सदस्य का ध्यान २३ नवम्बर, १६५५ को श्री हेडा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११४ के उत्तर की ओर आकर्षित करता हूं। तब से स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : हस्तांतरण के लिये जो समिति स्थापित की गई थी क्या उसने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ?

†**श्री दातार** : जी, नहीं ।

†**श्री चट्टोपाध्याय** : क्या हम यह समझें कि राज्य विधान सभा तथा सीनेट ने उस्मानिया विश्वविद्यालय को केंद्र द्वारा लेने तथा इसको हिन्दी विश्वविद्यालय का रूप देने के विरोध में कुछ दिन पूर्व संकल्प पारित किये हैं ?

†**श्री दातार** : मुझे कुछ दिन पूर्व के संकल्पों की जानकारी नहीं है । इसके उल्ट मुझे सरकार के निर्णय के पक्ष में राज्य विधान सभा द्वारा पारित संकल्प की जानकारी है ।

†**श्री चट्टोपाध्याय** : क्या सरकार को जानकारी है कि इस विश्वविद्यालय को लेने को हस्तांतरित करने का जनता कितना विरोध कर रही है ?

†**श्री दातार** : माननीय सदस्य देखें कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी इस कार्यवाही की सराहना की है तथा इसलिये सरकार इस सम्बन्ध में अपने निर्णय पर दृढ़ है ।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** : अब हैदराबाद विधान सभा ने सर्वसम्मति से नये राज्य के अन्तर्गत विश्वविद्यालय को बनाये रखने का संकल्प पारित किया है । इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्बन्ध में, सरकार का क्या करने का विचार है ?

†**श्री दातार** : जहां तक प्रथम भाग का सम्बन्ध है, मुझे राज्य विधान सभा द्वारा सर्व सम्मति से पारित संकल्प की जानकारी नहीं है ।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या इस विषय पर अन्तः विश्वविद्यालय बोर्ड का परामर्श लिया गया था तथा क्या उन्होंने कोई सम्मति दी थी ?

†**श्री दातार** : सरकार ने यह निर्णय सभी सम्बन्धित व्यक्तियों तथा प्राधिकारियों की सम्मति पर विचार करने के पश्चात् किया था ।

### तेल शोधन शालायें

†*१२६७. **डा० रामा राव** (श्री टी० बी० विट्ठल राव की ओर से) : **क्या प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम तेल कम्पनी से सरकार को भारत में पांचवीं तेल शोधनशाला स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या कोई निर्णय हो चुका है ; और

(ग) यदि हां, तो वह किस प्रकार का है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

# प्रश्नों के लिखित उत्तर

## श्रमदान

*१२६६. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सशस्त्र सेना के वभिन्न अंगों में श्रमदान तथा अन्य वैसे ही सामाजिक कार्यों में रुचि पैदा करने के लिये किसी योजना पर विचार किया है अथवा कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ;

(ग) जवानों को प्रोत्साहित करने तथा ठेकेदारों द्वारा किये जाने वाले कामों में कुछ बचत करने की दृष्टि से क्या कोई ऐसा विचार है कि इस प्रकार से अर्जित धन को किसी अच्छे कार्य म लगाया जाये ; और

(घ) यदि हां, तो वे कार्य क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २७]**

## बुनियादी शिक्षा आकलन समिति

†*१२७६. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुनियादी शिक्षा आकलन समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) क्या सरकार प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखेगी ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). इस समय प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

## भारतीय विमान बल में भरती

†*१२७६. **श्री नटराजन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय विमान बल के अन्य दर्जों (अदर रैंक्स) में बच्चों की भरती के लिये संविदा की अवधि नौ वर्ष तथा आरक्षण अवधि छः वर्ष निश्चित करने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या अवधि बढ़ाई जा सकती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो संविदे की अवधि समाप्त होने के पश्चात् क्या सरकार इन नवयुवकों को वैकल्पिक काम देती है ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) नियमित सेवा की निश्चित अवधि के पश्चात् निश्चित समय के लिये आरक्षण की भरती पद्धति बहुत दिनों से है । इससे यह बात सुनिश्चित हो जाती है कि सेवा में केवल ऐसे नवयुवक हैं जो सेवा काल की कठिनाइयां झेल सकते हैं । इससे आपत्तिकाल में आरक्षित बनाने में भी सहायता मिलती है ।

(ख) जी हां, उपयुक्त मामलों में प्रारंभिक सेवा अवधि बढ़ाई जा सकती है ।

(ग) क्योंकि विमान बल बढ़ रहा है इसलिये एयरमेल, जिनकी सेवाओं की अपेक्षा होती है, प्रारंभिक नियुक्ति समाप्त हो जाने पर, भी सेवा मुक्त नहीं होते हैं परन्तु जहां परिस्थितिवश किसी व्यक्ति को जब वह युवक है सेवा युक्त करना पड़ता है तो उसको काम दिलाने में सहायता देने के सभी प्रयास किये जाते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

## मेवाड़ भील दल (कोर)

†*१२८०. **श्री भीखा भाई** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के विलीनीकरण के समय मेवाड़ भील दल (कोर) न तो राज्य पुलिस में ही विलीन किया गया तथा न ही भारतीय सेना में विलीन किया गया था ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि उनको साधारण पुलिस कर्मचारी का भी वेतन क्रम नहीं दिया गया था यद्यपि उनकी सेवाओं का उपयोग डाकू विरोधी दल के रूप में तथा भारत-पाक सीमा की देखभाल के लिये किया गया था ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां।

(ख) राजस्थान सरकार से सामग्री मंगाई गई है तथा प्राप्त होने पर बता दी जायगी।

## मेहतर तथा दरबान

†*१२८१. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेहतरों तथा दरबानों को साप्ताहिक छुट्टी नहीं मिलती है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार इनको साप्ताहिक छुट्टी देने का विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी नहीं। भारत सरकार के अधिकांश मेहतर तथा दरबान, नियमित कर्मचारी वर्ग, जिनको अन्य छुट्टियों के साथ साप्ताहिक छुट्टी स्वीकृत है, में लाया गया है। अन्य अस्थायी रूप से अथवा थोड़े समय के लिये नियुक्त किये जाते हैं तथा इनके मामलों में साप्ताहिक छुट्टी का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

## हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्टरी तथा भारतीय टेलीफोन उद्योग में मैसूर सरकार के शेयर

†*१२८३. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या वित्त मंत्री २८ अप्रैल १६५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २११७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या, हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्टरी तथा भारतीय टेलीफोन उद्योग में मैसूर सरकार की शेयर पूंजी के सम्बन्ध में मैसूर सरकार की प्रार्थना पर निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय किस प्रकार का है ;

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : भारतीय टेलीफोन उद्योग तथा हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड में मैसूर सरकार की शेयर पूंजी की वापसी अथवा उसे ५ प्रतिशत लाभांश के अधिमान्य शेयरों में बदलने के सम्बन्ध में मैसूर सरकार की प्रार्थना पर निर्णय कर लिया गया है।

(ख) मैसूर सरकार की प्रार्थना स्वीकार करना संभव नहीं है तथा यह निर्णय उस सरकार को भेजा जा चुका है।

## केन्द्रीय एजेंसी ब्रांच

†*१२८५. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जो राज्य सरकारें मंत्रालय की केन्द्रीय एजेन्सी ब्रांच योजना में भाग ले रही हैं क्या उन्हें ब्रांच का व्यय भी देना पड़ता है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य कितने प्रतिशत व्यय देता है ?

†**विधि तथा अल्प-संख्यक कार्य मंत्री (श्री विश्वास)**: (क) भाग लेने वाली राज्य सरकारों को ब्रांच का व्यय नहीं देना पड़ता है, किन्तु उनकी ओर से जितने मामलों को लिया जाता है उन्हें उनके लिये भुगतान करना पड़ता है। इस प्रकार यदि किसी राज्य की ओर से कोई मामला न हो तो उसे कुछ भी नहीं देना पड़ेगा।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

### आवास योजना के लिये अनुदान

†*१२८९. **डा० सत्यवादी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यहबताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली राज्य सरकार को हरिजनों के लिये मकान बनाने की योजना के अन्तर्गत भूमि खरीदने के लिये कुछ रुपया दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना के क्या विवरण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली राज्य को २.४५ लाख रुपया दिया गया है ताकि वह १९५५-५६ में विभिन्न बस्तियों में हरिजनों के लिये में मकान बनाने के लिये लगभग १ लाख वर्ग गज जगह खरीद सके।

इससे आगे की बातों पर अर्थात् मकान बनाने वालों को कितनी आर्थिक सहायता तथा ऋण आदि दिया जाये, १९५६-५७ में विचार किया जायेगा और तभी उनपर अमल किया जायेगा।

### शिक्षा के स्तर

†*१२९३. { **श्री विभूति मिश्र** :
**श्री वोडयार** :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने देश के विश्वविद्यालयों में शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)**: एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। [ **देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २८** ]

### सूर्य शक्ति पर विश्व गोष्ठी

†*१२९८. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला के उप-निर्देशक ने फेनिक्स में सूर्य शक्ति पर होने वाली पहली विश्व गोष्ठी में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया ;

(ख) क्या उस गोष्ठी के पश्चात् उन्होंने सरकार को कोई रिपोर्ट दी है ; और

(ग) यदि हां, तो सूर्य शक्ति के उपयोग में भारत का अन्य देशों की तुलना में क्या स्थान है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) गोष्ठी के व्यवस्थापकों के आमन्त्रण पर डा० के० एन० माथुर ने उसमें भाग लिया है।

(ख) और (ग) डा० माथुर की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

## सैन्य शिक्षा निकाय (ए० ई० सी०) केन्द्र तथा स्कूल पचमढ़ी

†७९८. **श्री कामत** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पचमढ़ी (मध्य प्रदेश) के ए. ई. सी. केन्द्र तथा स्कूल के एडजुटेंट के कार्यालय में टेलीफोन के संचालन के लिये कितने कर्मचारी हैं ;

(ख) उनमें से प्रत्येक का वेतन तथा भत्ता क्या है ;

(ग) वे कितने घंटे काम करते हैं ; और

(घ) क्या यह समय १९५४ के सेना आदेश संख्या १०१ के अनुसार है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री मजीठिया)** : (क) पंचमढ़ी के ए० ई० सी० केन्द्र तथा स्कूल के एडजुटेंट के कार्यालय में विशेषतबा टेलीफोन के संचालन के लिये कोई अधिकृत कर्मचारी नहीं है।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

## कृषि भूमियों पर सम्पदा शुल्क

†७९९. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों की विधान सभाओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद २५२ खंड (१) के अनुसार अपने राज्यों में स्थित कृषि भूमियों के सम्बन्ध में सम्पदा शुल्क आधिनियम, १९५३ को अंगीकार करने के लिये आवश्यक संकल्प पारित कर दिये हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो किन-किन राज्यों ने अभी तक उक्त संकल्प पारित नहीं किये हैं; और

(ग) सरकार इस के लिये क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) पश्चिमी बंगाल, पेप्सू तथा जम्मू व काश्मीर के राज्यों ने अभी तक इस सम्बन्ध में आवश्यक संकल्प नहीं पारित किये हैं।

(ग) कृषि भूमि पर सम्पदा शुल्क राज्य सरकारों का विषय है। [**देखिये भारत का संविधान अनुसूची ७, सूची २, मद संख्या ४८**]। अत: राज्य सरकारें ही इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर सकती हैं।

## भारतीय समवायु

†८००. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ की अक्टूबर से लेकर अब कितने मामलों में रजिस्ट्रारों ने भारतीय कम्पनी अधिनियम की उप-धारा (१) धारा १३७ के अन्तर्गत पूछ-ताछ की है ;

(ख) इसी अवधि में रजिस्ट्रारों ने उपधारा (६) १३७ के अन्तर्गत कितने मामलों में पूछ-ताछ की है ; और

(ग) इन परिपृच्छाओं का क्या परिणाम रहा है ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : (क) से (ग) इस सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना का अन्तरिम विवरण संलग्न किया जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ७ अनुबन्ध संख्या २९**], पूरा विवरण जैसे ही रजिस्ट्रारों से प्राप्त होगा लोक-सभा के पटल पर रख दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

## नौसेना के कर्मचारियों का प्रशिक्षण

†८०१. **श्री राम कृष्ण** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४-५५ और १९५५-५६ में नौसेना में कितने अधिकारियों तथा नाविकों को प्रशिक्षण के लिये विदेशों में भेजा गया है और प्रत्येक देश में कुल कितने व्यक्ति भेजे गये हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : प्रशिक्षण के लिये भेजे गये अधिकारियों तथा नाविकों की संख्या ।

| वर्ष | ब्रिटेन | | | माल्टा | | | कुल जोड़ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | अधिकारी | केडिट | नाविक | अधिकारी | केडिट | नाविक | |
| १९५४-५५ | २४ | १४ | ७० | – | — | — | १०८ |
| १९५५-५६ | ३६ | — | ३९ | १ | — | — | ७६ |
| कुल जोड़ | ६० | १४ | १०९ | १ | — | — | १८४ |

## टेकनीकल ट्रेनिंग कालिज, जालाहाली

†८०२. **श्री राम कृष्ण** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टेकनीकल ट्रेनिंग कालिज, जालाहाली में इस समय कितने विदेशी प्रशिक्षक हैं ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : २० (बीस) ।

## राष्ट्रीय छात्र सेना निकाय

†८०३. **श्री राम कृष्ण** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गम राष्ट्रीय छात्रसेना निकाय के विस्तार की योजना पूरी की जा चुकी है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

## भूतपूर्व सैनिकों का पुनः स्थापन

†८०४. **श्री राम कृष्ण** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पेप्सू में भूतपूर्व सैनिकों को फिर से बसाने के लिये महाबलीपुर रणधीरपुरा बनूर और घामदान की बस्तियों के विकास के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : अभी तक केन्द्रीय सरकार ने पेप्सू सरकार को भूतपूर्व सैनिकों को बसाने के लिये बस्तियां बनाने की भूमि का विकास करने के लिये ३ लाख रुपये दिये हैं; उनमें इस प्रकार प्रगति हुई है :—

**महावलीपुर–रणधीरपुर (जिला, कपुरथला)**

बस्ती का नक्शा तैयार करके उस पर प्लाटों के चिह्न लगाये जा चुके हैं । ट्रेक्टरों द्वारा २५० एकड़ भूमि को उपयोगी बनाया जा चुका है । और एक ट्यूबवैल भी लगवा दिया गया है । एक पंचायत घर बन रहा है । रिहायशी क्वार्टरों का नमूना अन्तिम रूप से बनाया जा चुका है और शीघ्र ही वहां मकान बनने शुरू हो जायेंगे ।

---

†**मूल अंग्रेजी में**

**बनूर (जिला पटियाला)**

भूमि प्राप्त कर ली गई है उस की चकबन्दी की जा रही है। ग्राम का नक्शा तैयार कर लिया गया है और एक ट्यूबवैल खोदा जा रहा है।

**घामदान (जिला संगरूर)**

भूमि अर्जन की कार्यवाही पूरी कर ली गई है। किन्तु उसको कृषि-योग्य नहीं बनाया जा सका है क्योंकि कुछ भूस्वामियों ने उस अर्जन का विरोध किया है। पेप्सू सरकार इस मामले पर विचार कर रही है।

इन बस्तियों में ३०० भूतपूर्व सैनिक बसाये जायेंगे।

**परीक्षा के लिये स्टेनोग्राफरों को आयु सम्बन्धी सुविधा**

**८०५. श्रीमती अनुसूयाबाई बोरकर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालयों तथा सम्बद्ध कार्यालयों में काम करने वाले स्टैनोग्राफरों और स्टैनोटाइपिस्टों को संघ लोक सेवा आयोग की स्टैनोग्राफरों की परीक्षा में बैठने के लिये जो आयु सम्बन्धी सुविधा दी गई थी, वह अधीनस्थ कार्यालयों में काम करने वाले स्टैनोग्राफरों तथा स्टैनोटाइपिस्टों को नहीं दी गई ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां।

(ख) संघ लोक-सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षा केवल सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों में स्टैनोग्राफरों की भर्ती के लिये थी। अधीनस्थ कार्यालयों में आयोग द्वारा भर्ती नहीं की जाती है, इसलिये उन्हें आयु के बारे में छट देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

**नृतत्व विभाग**

†**८०६. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में नृतत्व विभाग ने क्या क्या मुख्य कार्य किये हैं ; और

(ख) जिन स्थानों पर इस विभाग द्वारा दल भेजे गये हैं उनके नाम क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ३०]**

(ख) बाहर काम करने वाले दल त्रिपुरा, अंडमान, और निकोबर द्वीप, गुजरात, गढ़वाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और दक्षिण बंगाल आदि में भेजे गये थे।

**छावनी कार्यपालक अधिकारी**

**८०७. श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २२ दिसम्बर, १९५५ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ५२ छावनी कार्यपालक अधिकारियों में ऐसे कितने अधिकारी हैं जो छावनी बोर्ड के कर्मचारियों में से लिये गये हैं ?

**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : तीन।

---

†मूल अंग्रेजी में

## पुलिस की अभिरक्षा में मृत्युएं

†८०८. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में प्रत्येक 'ग' राज्य में, पुलिस की भी अभिरक्षा में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है ; और

(ख) वे किन कारणों से मरे हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) एक व्यक्ति विन्ध्य प्रदेश में।

(ख) वह व्यक्ति एक डाकू था जिसे बन्दी करने से पहले ग्रामीणों से लड़ाई के कारण कई चोटें आई हुई थीं। बाद में वह हवालात में ही इन चोटों के कारण मर गया।

## चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिये वर्दियां

†८०९. **श्री एम० आर० कृष्ण** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि यूनिटों के चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को ड्यूटी पर एक विशेष प्रकार की वर्दी पहनने के लिये मजबूर किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रथा तीनों प्रतिरक्षा सेवाओं में प्रचलित है अथवा किन्हीं विशेष संस्थापनों में ही ; और

(ग) १९५५-५६ में सरकार ने प्रत्येक शाखा में इन चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को वर्दियां देने में कुल कितना रुपया खर्च किया है ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) चौथी श्रेणी के सभी कर्मचायियों को वर्दी पहनना लाजमी नहीं है। उनमें से कुछ विशेष वर्गों के कर्मचारियों को ही वर्दी पहनना जरूरी है।

(ख) तीनों प्रतिरक्षा सेवाओं में अधिकतर संस्थापनों में वर्दियां देने की प्रणाली है।

(ग) १९५५-५६ में व्यय की गयी कुल राशि इस प्रकार है :

सेना---सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

| | रु० आ० पा० |
|---|---|
| नौसेना | २९,५४०—१४-० |
| वायुबल | ३८,४७५— ०-० |

## निर्माण कामगार संघ

†८१०. **श्री वेलायुधन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक-सभा के पिछले सत्र के अन्तिम दिन पुलिस और भारतीय निर्माण कामगार संघ के बीच कोई झगड़ा हो गया था ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां।

(ख) बिल्डिग और फर्नीचर वरस कयूनियन ने २३ दिसम्बर १९५५ को संसद् भवन की सीमाओं में एक प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में उन्होंने दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पंजाब राज्य सुरक्षा अधिनियम, १९५३ (जो दिल्ली राज्य में लागू किया गया है) की धारा ६ के अन्तर्गत जारी की गई प्रतिषेध आज्ञा को भंग करने का प्रयत्न किया था। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की पंक्ति को तोड़कर जबर्दस्ती

---

†मूल अंग्रेजी में

संसद् भवन की सीमाओं में घुसने का प्रयत्न किया इसमें वे हिंसा पर उतर आये और उन्होंने अपने झंडों आदि वाली लाठियों से पुलिस पर आक्रमण किया। तब के पुलिस हल्का लाठी चार्ज करना पड़ा। इसमें यूनियन के कुछ कार्यकर्ताओं और कुछ पुलिस के सिपाहियों को मामूली चोटें आईं। सभी जख्मी आदमियों को तत्काल अस्पताल पहुंचा दिया गया था। इसके बाद कामगार शान्त रहे और उन्होंने कुछ भाषण भी दिये।

**मेकेनिकल इंजिनियरिंग संस्था**

**८११. श्री अमर सिंह डामर** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक मैकेनीकल इंजीनियरिंग संस्था स्थापित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कार्य हैं ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) अभी नहीं।

(ख) इस संस्था का मुख्यतः कार्य मैकेनीकल इंजीनियरिंग में गवेषणा करना होगा जिसमें कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों पर विशेष बल दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में डा० बी० सी० राय की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है जो विस्तृत योजनायें तैयार करेगी।

**अल्मोड़ा छावनी**

†**८१२. श्री बी० डी० पांडे** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छावनी अधिनियम का अध्याय ५ जिसका सम्बन्ध 'करारोपण' से है अल्मोड़ा छावनी के आस पास वाले क्षेत्र पर भी लागू किया गया जब कि यह क्षेत्र सरकारी आदेश संख्या ३८४/११-१३-(क)-१९२४ दिनांक २ फरवरी, १९२५, जोकि उत्तर प्रदेश के स्वायत्तशासन विभाग के सचिव ने जारी किया था, के अन्तर्गत उक्त छावनी में शामिल कर लिया गया था ;

(ख) इस क्षेत्र के अल्मोड़ा छावनी में शामिल करने तथा छावनी अधिनियम के कुछ उपबन्धों को वहां लागू करने का प्रयोजन क्या था ;

(ग) क्या इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को पानी तथा सफाई की अपनी व्यवस्था करने की अनुमति दी गई थी ; और

(घ) क्या हाल ही में अल्मोड़ा छावनी बोर्ड ने वहां सभी लोगों पर जल तथा सफाई सम्बन्धी कर लगाये हैं यद्यपि उन्होंने छावनी प्रशासन से इस तरह की कोई सेवा नहीं मांगी है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) छावनी अधिनियम का अध्याय ५ इस क्षेत्र पर लागू नहीं किया गया।

(ख) इस क्षेत्र की सफाई व्यवस्था में सुधार करने के लिये।

(ग) जी हां।

(घ) जिन लोगों ने जल प्रदाय तथा स्वच्छता सम्बन्धी सेवाओं की अपनी व्यवस्था की है उनसे इन सेवाओं के लिये कर नहीं मांगे गये हैं।

**त्रिपुरा राज्य कर्मचारी संस्था**

†**८१३. श्री बीरेन दत्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार त्रिपुरा राज्य कर्मचारियों की इस मांग पर विचार कर रही है कि उन्हें विशेष प्रतिकर भत्ता (कम्पेनसेटरी अलाउंस) दिया जाये ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

### त्रिपुरा के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

†८१४. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि त्रिपुरा सरकार के विभिन्न विभागों के प्रमुख उनसे घरेलू काम लेते हैं ; और

(ख) क्या यह सच है कि वह बिना किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक के १७ घंटे से अधिक समय के लिये प्रतिदिन काम करते हैं ?

†**गृहकार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

### उत्तर प्रदेश में खुदाई

†८१५. **चौ० बदन सिंह** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में किन किन स्थानों पर खुदाई हो रही है अथवा खुदाई किये जाने का विचार है ;

(ख) क्या बरेली जिले में अही छत्रा के स्थान पर खुदाई का काम पूरा हुआ है अथवा अभी जारी है तथा वहां से प्राप्त प्रदर्श्य वस्तुयें कहां रखो गई हैं ;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं में "कोट शाल्काहन" नाम का एक मिट्टी का किल्ला है जिसका उल्लेख 'आइन-अकबरी' में भी "कोट शाल्काहन" के नाम से आया है ;

(घ) क्या इसकी खुदाई के बिना पौचाल-देश (रोहिल खंड) का इतिहास अपूर्ण है ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) उत्तर प्रदेश में इस समय कहीं भी पुरातत्वीय खुदाई नहीं हो रही है ?

मथुरा तथा अयोध्या में निकट भविष्य में खुदाई का काम शुरू, करने का विचार है ।

(ख) अही छत्रा में खुदाई का काम पूरा हुआ है तथा वहां से प्राप्त प्रदर्श्य वस्तुयें रामनगर स्थित अही छत्रा गोदाम में रखी गई हैं ।

(ग) जी हां । परन्तु यह एक संरक्षित स्मारक नहीं है ।

(घ) तथा (ङ) उस समय तक कोई जानकारी नहीं दी जा सकती है जब तक कि इस स्थान का पूर्ण रूप से निरीक्षण न किया जाये ।

### सीमा पुलिस

†८१६. **सरदार इकबाल सिंह** :
**सरदार अकरपुरी** :
**श्री राम कृष्ण** :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में सीमान्त पुलिस के सम्बन्ध में विभिन्न राज्य सरकारों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई ; और

(ख) १९५६-५७ में कितनी धन राशि देने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी बताने वाला एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ३१]**

---

†मूल अंग्रेजी में

**अध्यापक प्रशिक्षण संस्था, इम्फाल**

†८१७. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार, मनीपुर, इम्फाल की अध्यापक प्रशिक्षण संस्था को बन्द करने जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार इम्फाल में बुनियादी शिक्षा प्रशिक्षण स्कूल प्रारम्भ करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) मनीपुर सरकार इम्फाल की अध्यापक प्रशिक्षण संस्था को बन्द करने जा रही है ।

(ख) अध्यापक प्रशिक्षण संस्था का स्थान लेने के लिये, एक बुनियादी शिक्षा प्रशिक्षण संस्था स्थापित की जा चुकी है ।

(ग) और (घ) अगस्त १९५५ में एक बुनियादी शिक्षा प्रशिक्षण संस्था प्रारम्भ की जा चुकी है तथा अगले विद्या सम्बन्धी वर्ष में दूसरा प्रारम्भ करने का विचार है ।

**तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क**

†८१८. **श्री संगण्णा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में १९५४-५५ में तम्बाकू उत्पादन शुल्क से राजस्व कम हो गया था ; और

(ख) क्या इसकी कोई जांच की गई है ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)** : (क) १९५४-५५ में तम्बाकू के राजस्व में कोई अधिक कमी नहीं थी । १९५४-५५ में यह २४.३८ लाख रुपये था जब कि १९५३-५४ में २५.७७ लाख रुपये प्राप्त हुआ था ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**गोमतेश्वर का नवीकरण**

†८१९. { **श्री मादिया गौडा** :
**श्री तिम्मय्या** :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोमतेश्वर की मूर्ति के नवीकरण के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत हुई थी ;

(ख) नवीकरण कार्य किसने किया ; और

(ग) इसके प्रबन्ध के लिये जो समिति बनाई गई उसके सदस्य कौन हैं ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) परिरक्षण समिति के सदस्य ये हैं :—

१. मैसूर सरकार के भूतत्व शास्त्र के निदेशक (सभापति) ।

२. पुरातत्व विभाग, दक्षिण सर्किल मद्रास के अधीक्षक ।

---

†मूल अंग्रेजी में

३. भारत के सहायक पुरातत्वीय रसायन शास्त्री ।

४. राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पूना का एक प्रतिनिधि ।

५. सामान्य अकार्बनिक रसायनशास्त्र, भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर के एक प्राध्यापक ।

६. मैसूर सरकार के पुरातत्व विभाग के निदेशक ।

७. मैसूर सरकार के मुख्य इंजीनियर ।

८. श्री छोटे लाल जैन, कलकत्ता ।

९. मैसूर सरकार के परामर्शदाता इंजीनियर तथा वास्तुशास्त्री ।

**जनगणना आंकड़े**

†८२०. **श्री भीखा भाई :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्रों की अनुसूचित आदिमजातियों की जनगणना के आंकड़े ठीक करने के लिये, सरकार को कोई प्रतिनिधान प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) एक प्रतिनिधान प्राप्त हुआ है कि कुछ आदिम जातियों जो अनुसूचित आदिम जाति आदेश–१९५० में राजस्थान की विशिष्ट अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में नहीं आईं थीं, उनको इस सूची में जोड़ा जाये ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

**पौंडों का दूसरी मुद्राओं में बदला जाना**

†८२१. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या, कुछ मास पूर्व भारत सरकार ने, राष्ट्रमण्डलीय देशों के समक्ष, दीर्घकाल के लिये पौंडों की दूसरी मुद्राओं में बदले जाने का लक्ष्य प्राप्त करने की कोई निश्चित योजना तथा कार्यक्रम रखा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हुए ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत) :** (क) जी, नहीं । इस प्रकार का कोई कार्यक्रम बनाना भारत सरकार का काम नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**दुअन्नियां**

८२२. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में पीली दुअन्नियों के चलने में बड़ी कठिनाई होती है;

(ख) क्या पीली दुअन्नियों में बहुत संख्या में खराब पाई जा रही हैं;

(ग) क्या ये दुअन्नियां डाकघर, रेलवे बुकिंग आफिस आदि सरकारी दफ्तरों में नहीं ली जाती हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस विषय में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह) :** (क) सम्भवतः माननीय सदस्य गलट-पीतल की उन दुअन्नियों का उल्लेख कर रहे हैं जिनकी ढलाई १९४६ में बन्द कर दी गयी थी ।

†मूल अंग्रेजी में

सरकार को इस बात की सूचना मिली है कि बिहार में गिलट-पीतल की दुअन्नियों के चलन में कुछ कठिनाई अनुभव की जा रही है ।

(ख) कुछ नकली दुअन्नियां चल रही हैं; १९५४-५५ में समस्त भारत में ऐसे जितने सिक्कों का पता चला जो राजकोषों और रेलवे स्टेशनों पर काट दिये गये उनकी संख्या लगभग ९५,००० है ।

(ग) हाल में ऐसी कोई सूचना नहीं मिली कि किसी सरकारी दफ्तर में, जिसमें डाकखाने और रेलवे बुकिंग आफिस शामिल हैं, गिलट-पीतल की असली दुअन्नियां लेने से इन्कार किया गया है ।

(घ) गिलट-पीतल की दुअन्नियों के लीगल टेन्डर होने के सम्बन्ध में भ्रम दूर करने तथा जनता को यह सूचित करने के लिये कि ऐसे सिक्कों को अन्य सिक्कों में बदलवाने की पर्याप्त सुविधायें रिजर्व बैंक के दफ्तरों, राज्य बैंक की शाखाओं, राजकोषों (ट्रेजरी) और उप-राजकोषों (सब-ट्रेजरी) में उपलब्ध हैं, भारत सरकार ने अगस्त १९५५ में एक विज्ञप्ति जारी की थी । बिहार सरकार ने भी ऐसी ही एक विज्ञप्ति जारी की थी और भारत सरकार द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति का व्यापक प्रचार किया था ।

## संघ लोक सेवा आयोग

८२३. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५ और १९५५-५६ में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा गैर-सरकारी परामर्श-दाताओं के यात्रा भत्ते और पारिश्रमिक पर कितना व्यय किया गया;

(ख) पिछले दो वर्षों में नियुक्त किये गये ऐसे परामर्शदाताओं की पृथक्-पृथक् संख्या कितनी है; और

(ग) इस अवधि में विज्ञापनों पर कुल कितनी रकम खर्च की गई ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :**

| | १९५४-५५ | १९५५-५६ (२९-२-५६ तक) |
|---|---|---|
| (क) | ५८,४७० रुपये | ६४,५३३ रुपये |
| (ख) | ४०६ | ४०५ |
| (ग) | ३,८५,७०२ रुपये | ४,१३,१३६ रुपये |

## साहित्य अकादमी के फेलो

८२४. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय साहित्य अकादमी के कितने फेलों हैं और उनके क्या नाम हैं;

(ख) वे किस प्रकार चुने जाते हैं; और

(ग) पिछला चुनाव कौन सी तारीख को हुआ था ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) :** (क) साहित्य अकादमी ने अब तक कोई फेलो नहीं चुना है ।

(ख) फेलोज का चुनाव कार्यकारी बोर्ड की सिफारिश पर, साहित्य अकादमी की सामान्य परिषद् द्वारा होता है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

### प्रादेशिक सेना तथा लोक सहायक सेना

†८२५. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में प्रादेशिक सेना तथा लोक सहायक सेना के लिये मंत्रणा समिति है; और

(ख) यदि हां, तो इसका संविधान क्या है ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) जी, हां ।

(ख) भारत के गजट में प्रकाशित, पश्चिमी बंगाल में प्रादेशिक सेना तथा लोक सहायक सेना के लिये राज्य मंत्रणा समिति बनाने की अधिसूचना संख्या ४२८ दिनांक ६ मार्च १९५६ लोक-सभा पटल पर रखी जाती है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबंध संख्या ३२**]

### भूमिहीन किसान (त्रिपुरा)

†८२६. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिम जाति भूमियों तथा भूमिहीन शरणार्थियों को छोड़कर त्रिपुरा के दूसरे भूमिहीन किसानों को पुनर्वासित करने के लिये १९५६-५७ वर्ष में कितनी धनराशि स्वीकृत हुई है; और

(ख) यदि हां, तो यह धनराशि कितनी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) त्रिपुरा के भूमिहीन किसानों को विशेषरूप से पुनर्वासित करने के लिये १९५६-५७ वर्ष में कोई धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है परन्तु जहां तक संभव है इस प्रकार के किसान खास भूमि पर बसाये जा रहे हैं । बीज, बैल, तथा अन्य कृषि औजार खरीदने के लिये तथा आवण्टित भूमि के सुधार के लिये कृषि ऋण भी उनको दिये जा रहे हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

### लौह अयस्क

†८२७. **श्री बूवराघस्वामी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तामिल नाद में किन स्थानों पर लौह अयस्क प्राप्य हैं ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : अपेक्षित जानकारी का एक विवरण संबद्ध है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ३३**]

### अन्दमान द्वीपसमूह

†८२८. **डा० रामा राव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये बसने वालों के लिये अन्दमान की वन भूमि को साफ करने के लिये किस अभिकरण को ठेका दिया गया है;

(ख) प्रति १०० एकड़ भूमि को साफ करने की लागत क्या है तथा सफाई के ब्योरे क्या हैं ;

(ग) १९५५-५६ में, इस अभिकरण ने कितने एकड़ भूमि की सफाई की;

(घ) इस प्रयोजन के लिये कितनी सहायता तथा अग्रिम धन दिया गया; और

(ङ) जहां सरकार ने काम किया वहां के सरकारी व्यय से, इस प्रति एकड़ व्यय की किस प्रकार तुलना हो सकती है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) मैसर्स पी० सी० रे एण्ड कम्पनी, कलकत्ता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कलारा, तूगापुर, तथा डिलीपुर के विभिन्न क्षेत्रों में सफाई की दरें, ३६५ रुपये से ४६० रुपये तक प्रति एकड़ है । क्षेत्र के व्यापारिक विशिष्टताओं वाले वृक्षों को काटना तथा गिराना तथा वहां से हटाना तथा साथ ही साथ, अन्य वन की झाड़ियों को काट करके, इकट्ठा करके तथा जला कर समस्त क्षेत्र की सफाई करना इसमें शामिल है ।

(ग) ३००० एकड़ ।

(घ) उपरिलिखित अभिकरण को दो डिपटी रेंजर दिये, ८ लाख रुपया (५ लाख रुपये तथा ३ लाख रुपये की दो किश्तों में) १६५५-५६ में अग्रिम धन दिया तथा धन की अदायगी पर दो-मील की पटरी मुहैय्या की ।

(ङ) उत्तरी अन्दमान (मैसर्स पी० सी० रे एण्ड कम्पनी का पट्टे का क्षेत्र) में सरकारी अभिकरण द्वारा कोई क्षेत्र साफ नहीं किया था । यन्त्रों के पूंजी मूल्य तथा इकट्ठा करने और जलाने के व्यय, जो कि लगभग ११० रुपये प्रति एकड़ है, को छोड़कर रंगत घाटी (मध्य अन्दमान) में किये गये तीन प्रयोगों में सरकारी अभिकरण द्वारा सफाई का व्यय क्रमशः ३४५ रुपये, ३३० रुपये तथा ४०० रुपये रहा ।

## उत्तर भारतीय भाषाओं का अध्ययन

†८२६. **श्री बी० एस० मूर्ति :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय अथवा राज्य विश्वविद्यालयों में उत्तर की कुछ भाषाओं का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को, कितने पुरस्कार तथा छात्रवृत्तियां दी गई हैं;

(ख) इन विद्यार्थियों की संख्या क्या है तथा वे किन भाषाओं का अध्ययन कर रहे हैं ;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिये प्रत्येक विश्वविद्यालय में कोई भाषा निश्चित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो विश्वविद्यालय तथा भाषा के नाम क्या हैं;

†**शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एस० दास) :** (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

## असिस्टैंट श्रेणी की परीक्षा

†८३०. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री २२ दिसम्बर, १६५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ६२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर १६५५ में संघ लोक सेवा आयोग की असिस्टैंट श्रेणी परीक्षा में कुल कितने अभ्यार्थी बैठे थे;

(ख) उनमें सरकारी कर्मचारी कितने थे; और

(ग) इस पद पर अब तक कितने नियुक्त किये गये थे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) ३७७६ ।

(ख) १६३८ ।

(ग) ४४ ।

## नागपुर में रिजर्व बैंक का भवन

†८३१. **मुल्ला अब्दुल्लाभाई :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागपुर में भारत के रिजर्व बैंक के भवन पर कुल कितनी धनराशि व्यय होगी तथा निर्माण कार्य, किस समय तक पूर्ण होगा; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) निर्माण कार्य में २६ फरवरी, १६५६ तक कितनी धनराशि व्यय हुई ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)** : (क) भूमि के मूल्य को, जो कि ५·३६ लाख रुपये था, छोड़ कर नागपुर में रिजर्व बैंक के भवन पर ७५ लाख रुपये के व्यय का प्राक्कलन है। इस वर्ष के मध्य तक इस भवन के निर्माण हो जाने की आशा है ।

(ख) २६ फरवरी, १६५६ तक लगभग ४५ लाख रुपये व्यय हुये हैं ।

### केन्द्रीय कांच तथा कुम्भकारी गवेषणा संस्था

†८३२. **मुल्ला अब्दुल्लाभाई** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५४ तथा १६५५ में केन्द्रीय कांच तथा कुम्भकारी गवेषणा संस्था ने मध्य प्रदेश के किन उद्योगों को प्रविधिक सहायता दी थी; और

(ख) यह प्रविधिक सहायता, उद्योग द्वारा मांगने पर दी गई थी अथवा स्वतः ही दी थी ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण संबद्ध है। [ **देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ३४** ]

### आयकर कार्यालयों के किराये

†८३३. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **वित्त** मंत्री २० मार्च, १६५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५४-५५ तथा १६५५-५६ में आय-कर कार्यालयों के किराये के रूप में कितनी धनराशि दी गई;

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन कार्यालयों के निर्माण की क्या योजना है; और

(ग) इसके लिये कितनी धनराशि व्यय होगी तथा पूर्ववर्तिता किस प्रकार निश्चित की गई है;

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : (क) सम्बन्धित आय-कर आयुक्तों से जानकारी एकत्रित की जा रही है। यह प्राप्त होते ही लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) और (ग) जानकारी देने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [ **देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ३५** ]

### भारतीय सेना के कर्मचारियों की पेंशनें

†८३४. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **प्रतिरक्षा व्यय** मंत्री २० मार्च, १६५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सेना के कितने व्यक्तियों को १० रु० प्रति मास से कम पेंशन मिल रही है;

(ख) क्या पेंशन में वृद्धि करने के सम्बन्ध में कोई स्मृतिपत्र प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) भारतीय सेना के १० रु० से कम पेंशन पाने वाले व्यक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है। यह संख्या लगभग चार लाख पेंशन पाने वालों के पेंशन परिपत्रों को देखकर ही निश्चित की जा सकती है। इस सूचना को संकलित करने में जो समय तथा श्रम लगेगा वह परिणामों की उपयोगिता के अनुकूल नहीं होगा।

---

†**मूल अंग्रेजी में**

(ख) पेंशनों की विद्यमान दरों में वृद्धि करने के लिये भारतीय सेना के पेंशनधारियों से विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ।

(ग) जैसा कि २० मार्च, १९५६ को तारांकित प्रश्न संख्या ८१२ के उत्तर में बताया गया था उन पेंशनधारियों की पेंशन की शर्तों को उदार करने के लिये, जो कुछ विशिष्ट तिथियों से अप्रभावी हो गये थे, विभिन्न कदम उठाये गये हैं । छोटी पेंशनें पाने वालों को जो पुनरीक्षित आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते ४ रु० से ६ रु० प्रतिमास की अस्थायी वृद्धि की गयी है ।

**तांबा**

†८३५. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री २० मार्च, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८१३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आंध्र राज्य में पाये गये तांबे की किस्म;

(ख) निक्षेप की कुल मात्रा; और

(ग) सन् १९५५-५६ में उत्पादन ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना दर्शाते हुये एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ३६**]

**तेल सर्वेक्षण के लिये कैनेडियन दल**

†८३६. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री २० मार्च, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या तेल सर्वेक्षण के कैनेडियन दल से दक्षिण भारत के क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने को कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन क्षेत्र चुने गये हैं ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**बस्तर की अनुसूचित जातियां**

†८३७. **श्री मुचाकी कोसा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बस्तर, मध्य प्रदेश, के अनुसूचित जातियों के विकास की योजनायें और उनमें से प्रत्येक के लिये सन् १९५४-५५ तथा १९५५-५६ में स्वीकृत राशि; और

(ख) सन् १९५६-५७ में उनके विकास सम्बन्धी क्या योजनायें हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ सन् १९५४-५५ में २८·०० लाख रुपये और सन् १९५५-५६ में ३४·३० लाख रुपये दिये थे । यह नहीं मालूम कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बस्तर की अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ इसम से कितनी राशि खर्च की गई । सूचना राज्य सरकार से संकलित की जा रही है । तथा प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सन् १९५६-५७ में अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ ली जाने वाली योजनायें अभी प्राप्त नहीं हुई हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

## राज्यों को ऋण तथा अनुदान

†८३८. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५५-५६ के वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य सरकार को ऋण तथा अनुदान के रूप में कुल कितनी कितनी राशि दी गई ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत)** : सूचना संकलित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

## पौंड पावना

†८३९. **डा० रामा राव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५५ में सरकार को पौंड पावने से कुल कितनी ब्याज प्राप्त हुई;

(ख) इसका औसत प्रतिशत कितना बैठता है; और

(ग) सन् १९५५ के प्रत्येक मास की पहली तारीख को पौंड पावने की राशि ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत)** : (क) 'पौंड पावना भारत के रिजर्व बैंक का है, भारत सरकार का नहीं । इसलिये उसकी ब्याज उसे ही मिलती है । सन् १९५५ में पौंड पावने की राशि जो रिजर्व बैंक को मिली २२·०२ करोड़ रुपये थी ।

(ख) सन् १९५५ में औसत दर ३ प्रतिशत थी । रुपये की लघुकालीन दरों में परिवर्तनों के कारण दर समय-समय परबदलता रहता है । सन् १९५५ में रुपये की लघुकालीन दरें २·३ प्रतिशत से ४·०५ प्रतिशत प्रति वर्ष तक रहीं थीं ।

(ग) भारत का रिजर्व बैंक प्रति शुक्रवार को पौंड पावने के आंकड़े प्रकाशित करता है । सन् १९५५ में महीनों की पहली तारीख से सबसे नजदीक के शुक्रवार को पौंड पावने की स्थिति इस प्रकार थी :

| तारीख | राशि (करोड़ रुपये में) |
|---|---|
| ३१-१२-५४ | ७३०·७९ |
| ४-२-५५ | ७३४·८७ |
| ४-३-५५ | ७३१·४० |
| १-४-५५ | ७२४·७५ |
| २९-४-५५ | ७१५·१७ |
| ३-६-५५ | ७१२·०७ |
| १-७-५५ | ७१४·९० |
| २९-७-५५ | ७१७·०७ |
| २-९-५५ | ७१९·९२ |
| ३०-९-५५ | ७१९·४८ |
| २८-१०-५५ | ७१२·३७ |
| २-१२-५५ | ७१८·३२ |

## आयकर सम्बन्धी अपीलें

†८४०. **श्री कामत** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, १९५१ से आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, दिल्ली द्वारा प्रति मास औसतन कितने मामले निर्णीत किये गये; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १६ से ३१ दिसम्बर, १९५१ तक, १ से १५ जनवरी, १९५२ तक और १६ से ३१ जनवरी, १९५२ तक के पखवाड़ों में कितने मामले निर्णीत किये गये ?

†**विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री विश्वास)** : (क) १४० ।

(ख) क्रमशः १३०,३४ और १३९ ।

†मूल अंग्रेजी में

# दैनिक संक्षेपिका

**[ सोमवार, ९ अप्रैल, १९५६ ]**


| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर | १२३१–५२ |
| **तारांकित प्रश्न संख्या** | |
| १२६७ साहित्य अकादमी ... ... ... | १२३१–३२ |
| १२६८ भारत में विदेशी शासकों की प्रतिमायें ... | १२३२–३३ |
| १२६९ राजभाषा आयोग ... ... ... | १२३३–३५ |
| १२७० फोर्ट विलियम-इण्डिया हाऊस पत्र-व्यवहार ... | १२३५ |
| १२७१ केन्द्रीय खाद्य टेकनोलोजी गवेषणा संस्था, मैसूर ... ... | १२३५–३६ |
| १२७२ राष्ट्रीय अभिलेखागार ... ... ... ... | १२३६–३७ |
| १२७३ लौह-अयस्क की खानें ... ... | १२३७–३८ |
| १२७४ खनिज तेल ... ... ... ... | १२३८–३९ |
| १२७७ मनीपुर राज्य परिवहन विभाग ... ... | १२३९–४० |
| १२७८ केन्द्रीय प्रबन्ध संस्था ... ... | १२४० |
| १२८४ कृत्रिम वर्षा ... ... ... ... | १२४०–४१ |
| १२८६ सन् १९५६-५७ में सरकार द्वारा ऋण उगाही ... | १२४१–४२ |
| १२८८ सैनिकों के बच्चों को शिक्षा सम्बन्धी रियायतें ... | १२४२ |
| १२९० मुद्रास्फीति ... ... ... ... | १२४३–४४ |
| १२९१ विश्व बैंक से ऋण ... ... | १२४४–४५ |
| १२९२ केन्द्रीय भारतीय औषधीय वनस्पति संगठन ... | १२४५–४६ |
| १२९४ डीजल इंजन ... ... ... ... | १२४६–४७ |
| १२९५ राज्यों में नये पदों की उत्पत्ति ... ... | १२४७–४८ |
| १२९६ कच्छ में तेल मिलने की संभावना ... ... | १२४८–४९ |
| १२९९ बहावलपुर में विस्थापित सरकारी कर्मचारी ... ... | १२४९–५० |
| १२७५ सशस्त्र बल में असैनिक ... ... ... | १२५०–५१ |
| १२८२ अमृतारा संतान ... | १२५१ |
| १२८७ उस्मानिया विश्वविद्यालय ... ... | १२५१–५२ |
| १२९७ तेल शोधन शालायें ... | १२५२ |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर | १२५३–७० |
| १२६६ श्रमदान ... ... | १२५३ |
| १२७६ बुनियादी शिक्षा आकलन समिति ... ... | १२५३ |
| १२७९ भारतीय विमान बल में भरती ... | १२५३ |
| १२८० मेवाड़ भील दल (कोर) ... ... | १२५४ |
| १२८१ मेहतर तथा दरबान ... ... | १२५४ |

| | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| | **प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)** | |
| | **तारांकित** | |
| **प्रश्न संख्या** | | |
| १२८३ | हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट फैक्टरी तथा भारतीय टेलीफोन उद्योगों में मैसूर के शेयर ... ... ... | १२५४ |
| १२८५ | केन्द्रीय एजेन्सी ब्रांच ... ... | १२५४–५५ |
| १२८६ | आवास योजना के लिये अनुदान ... | १२५५ |
| १२९३ | शिक्षा के स्तर ... ... ... | १२५५ |
| १२९८ | सूर्य शक्ति पर विश्व गोष्ठी ... | १२५५ |
| | **अतारांकित** | |
| **प्रश्न संख्या** | | |
| ७९८ | सैन्य शिक्षा निकाय (ए० ई० सी०) केन्द्र तथा स्कल पचमढ़ी ... | १२५६ |
| ७९९ | कृषि भूमियों पर सम्पदा शुल्क ... ... ... | १२५६ |
| ८०० | भारतीय समवाय ... ... | १२५६ |
| ८०१ | नौसेना के कर्मचारियों का प्रशिक्षण ... | १२५७ |
| ८०२ | टेकनिकल ट्रेनिंग कालेज, जालाहाली ... | १२५७ |
| ८०३ | राष्ट्रीय छात्र सेना निकाय ... ... | १२५७ |
| ८०४ | भूतपूर्व सैनिकों का पुनःस्थापन ... ... | १२५७–५८ |
| ८०५ | परीक्षा के लिये स्टैनोग्राफरों की आयु सम्बन्धी सुविधा ... | १२५८ |
| ८०६ | नृतत्व विभाग ... ... ... | १२५८ |
| ८०७ | छावनी कार्यपालक अधिकारी | १२५८ |
| ८०८ | पुलिस की अभिरक्षा में मृत्युएं ... | १२५९ |
| ८०९ | चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिये वर्दियां | १२५९ |
| ८१० | निर्माण कामगार संघ ... ... | १२५९–६० |
| ८११ | मैकेनीकल इंजीनियरिंग संस्था ... | १२६० |
| ८१२ | अलमोड़ा छावनी ... ... | १२६० |
| ८१३ | त्रिपुरा राज्य कर्मचारी संस्था ... | १२६० |
| ८१४ | त्रिपुरा के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ... | १२६१ |
| ८१५ | उत्तर प्रदेश में खुदाई ... ... | १२६१ |
| ८१६ | सीमा पुलिस ... ... ... ... | १२६१ |
| ८१७ | अध्यापक प्रशिक्षण संस्था, इम्फाल ... ... | १२६२ |
| ८१८ | तम्बाकू पर उत्पादन-शुल्क ... ... ... | १२६२ |
| ८१९ | गोमतेश्वर का नवीकरण ... ... | १२६२–६३ |
| ८२० | जनगणना आंकड़े ... ... ... | १२६३ |
| ८२१ | पौंड का दूसरी मुद्राओं में बदला जाना ... ... | १२६३ |
| ८२२ | दुर्घटनाएं ... ... | १२६३–६४ |
| ८२३ | संघ लोक सेवा आयोग ... | १२६४ |
| ८२४ | साहित्य अकादमी के फेलो ... | १२६४ |
| ८२५ | प्रादेशिक सेना तथा लोक सहायक सेना ... ... | १२६५ |
| ८२६ | भूमिहीन किसान (त्रिपुरा) ... ... ... | १२६५ |
| ८२७ | लौह अयस्क ... ... ... ... | १२६५ |

विषय पृष्ठ

## प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या


| | | |
|---|---|---|
| ८२८ | अन्दमान द्वीप समूह ... ... ... ... | १२६५–६६ |
| ८२९ | उत्तर भारतीय भाषाओं का अध्ययन ... ... ... | १२६६ |
| ८३० | असिस्टेंट श्रेणी की परीक्षा ... ... ... ... | १२६६ |
| ८३१ | नागपुर में रिजर्व बैंक का भवन ... ... ... | १२६६–६७ |
| ८३२ | केन्द्रीय कांच तथा कुम्भकारी गवेषणा संस्था ... ... | १२६७ |
| ८३३ | आय-कर कार्यालयों के किराये ... ... ... | १२६७ |
| ८३४ | भारतीय सेना के कर्मचारियों की पेंशनें ... ... ... | १२६७–६८ |
| ८३५ | तांबा ... ... ... ... ... ... | १२६८ |
| ८३६ | तेल सर्वेक्षण के लिये कैनेडियन दल ... ... ... | १२६८ |
| ८३७ | बस्तर की अनुसूचित जातियां ... ... ... ... | १२६८ |
| ८३८ | राज्यों को ऋण तथा अनुदान ... ... ... ... | १२६९ |
| ८३९ | पौंड पावना ... ... ... ... ... | १२६९ |
| ८४० | आयकर सम्बन्धी अपीलें ... ... ... ... | १२७९–७० |


M35LSD—11-6-57—190—GIPF.

सोमवार
09 अप्रैल 1956

# लोक-सभा

# वाद-विवाद

(भाग २---प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खण्ड ३, १९५६

(२८ मार्च से १७ अप्रैल, १९५६)

1st Lok Sabha
(XII Session)

Preservation Unit
3-4-82
25.11.82
Parliament Library

सत्यमेव जयते

बारहवाँ सत्र, १९५६

(खण्ड ३ में अंक ३१ से अंक ४५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

M117LSD—4

# विषय-सूची

[भाग—२ वाद-विवाद, खण्ड ३—२८ मार्च से १७ अप्रैल, १९५६]

**अंक ३१—बुधवार, २८ मार्च, १९५६**


| | पृष्ठ |
|---|---|
| स्थगन-प्रस्ताव ... ... | १५१७–२० |
| सदस्य का बन्दीकरण | १५२० |
| सदस्य का ज़मानत पर रिहाई ... | १५२०–२१ |
| सभा का कार्य | १५२१, १५२२–२३, १५६८–६९ |
| सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... ... ... | १५२१ |
| विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ... ... | १५२२ |
| गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—अड़तालिसवां प्रतिवेदन. | १५२२ |
| तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि | १५२२ |
| अनुदानों की मांगें | १५२४–६७ |
| मांग संख्या २२—आदिम जाति क्षेत्र | १५२४–६७ |
| मांग संख्या २३—वैदेशिक कार्य ... | १५२४–६७ |
| मांग संख्या २४—पांडिचेरी राज्य ... ... | १५२४–६७ |
| मांग संख्या २५—वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय | १५२४–६७ |
| मांग संख्या ११९—वैदेशिक कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय | १५२४–६७ |
| त्रावणकोर-कोचीन आय-व्ययक, १९५६-५७ ... | १५६७–६८ |
| दैनिक संक्षेपिका | १५७०–७१ |


**अंक ३२—गुरुवार, २९ मार्च, १९५६**


| | |
|---|---|
| सभा-पटल पर रखे गये पत्र | १५७३ |
| अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—पूर्वी पाकिस्तान में हिन्दुओं की स्थिति और वहां से उनका प्रव्रजन | १५७३ |
| सभा का कार्य | १५७४ |
| अनुदानों की मांगें ... ... | १५७४–१६०५ |
| मांग संख्या २२—आदिम जाति क्षेत्र | १५७४–१६०५ |
| मांग संख्या २३—वैदेशिक कार्य ... ... | १५७४–१६०५ |
| मांग संख्या २४—पाण्डिचेरी राज्य ... ... | १५७४–१६०५ |
| मांग संख्या २५—वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय | १५७४–१६०५ |
| मांग संख्या ११—वैदेशिक कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय ... | १५७४–१६०५ |
| त्रावनकोर-कोचीन के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प | १६०५–३१ |
| लेखानुदानों की मांगें—त्रावनकोर-कोचीन ... ... | १६३१–३३ |
| त्रावनकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) विधेयक | १६३३–३४ |
| दैनिक संक्षेपिका ... ... | १६३५ |

पृष्ठ

**अंक ३३—शनिवार, ३१ मार्च, १९५६**


सदस्य का बन्दीकरण तथा दोषसिद्धि ... १६३७

स्थगन-प्रस्ताव

श्री बरलाम दास टंडन का अनशन ... १६३८–३९

अनुदानों की मांगें ... ... १६३७, १६३८–७५

मांग संख्या ९२—पुर्नावास मंत्रालय ... १६३८–७५

मांग संख्या ९३—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय १६३८–७५

मांग संख्या ९४—पुनर्वास मंत्रालय के अधीन विविध व्यय १६३८–७५

मांग संख्या १३९—पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय ... १६३८–७५

ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

अड़तालिसवां प्रतिवेदन ... ... ... १६७५

मद्य-निषेध के लिये अन्तिम तारीख नियत करने के बारे में संकल्प ... १६७५–८५

औद्योगिक तथा वाणिज्यिक राज्य उपक्रमों सम्बन्धी समिति की नियुक्ति के

बारे में संकल्प १६८५–९४

दैनिक संक्षेपिका १६९५


**अंक ३४—सोमवार, २ अप्रैल, १९५६**


विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ... ... ... १६९७

विधान मण्डलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक के बारे में याचिका १६९७

अनुदानों की मांगें ... १६९७–१७५८

मांग संख्या ९२—पुनर्वास मंत्रालय

मांग संख्या ९३—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय

मांग संख्या ९४—पुनर्वास मंत्रालय के अधीन विविध व्यय

मांग संख्या १३९—पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय

मांग संख्या ६७—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय

मांग संख्या ६८—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनायें

मांग संख्या ६९—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय

मांग संख्या १३४—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजी व्यय

मांग संख्या १३५—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय

दैनिक संक्षेपिका ... १७५९


**अंक ३५—मंगलवार, ३ अप्रैल, १९५६**


सभा-पटल पर रखा गया पत्र १७३१

अतारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि १७३१

अनुदानों की मांगें ... ... १७३२–१८१५

मांग संख्या ६७—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय १७६२–१८०९

मांग संख्या ६८—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाएं ... ... १७६२–१८०९

मांग संख्या ६९—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय १७६२–१८०९

पृष्ठ

मांग संख्या १३४—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजी व्यय ... ... १७६२–१८०६
मांग संख्या १३५—सिंचाई और विद्युत मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय १७६२–१८०६
मांग संख्या ४७—स्वास्थ्य मंत्रालय १८१०–१५
मांग संख्या ४८—चिकित्सा सेवाएं १८१०–१५
मांग संख्या ४९—लोक स्वास्थ्य ... ... १८१०–१५
मांग संख्या ५०—स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय १८१०–१५
मांग संख्या १३०—स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी व्यय १८१०–१५

दैनिक संक्षेपिका १८१६

**अंक ३६—बुधवार, ४ अप्रैल, १९५६**

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ... १८१७
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में याचिकायें १८१७
अनुदानों की मांगें १८१७–७९
मांग संख्या ४७—स्वास्थ्य मंत्रालय १८१७–४२
मांग संख्या ४८—चिकित्सा सेवायें १८१७–४२
मांग संख्या ४९—लोक स्वास्थ्य ... ... १८१७–४२
मांग संख्या ५०—स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय १८१७–४२
मांग संख्या १३०—स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी व्यय ... १८१७–४२
मांग संख्या १०१—निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय १८४३–७९
मांग संख्या १०२—सम्भरण ... ... १८४३–७९
मांग संख्या १०३—अन्य असैनिक निर्माण कार्य १८४३–७९
मांग संख्या १०४—लेखन-सामग्री तथा मुद्रण ... १८४३–७९
मांग संख्या १०५—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय १८४३–७९
मांग संख्या १४३—नई दिल्ली पूंजी व्यय १८४३–७९
मांग संख्या १४४—भवनों पर पूंजी व्यय ... ... १८४३–७९
मांग संख्या १४५—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय १८४३–७९

दैनिक संक्षेपिका १८८०

**अंक ३७—गुरुवार, ५ अप्रैल, १९५६**

अनुदानों की मांगें ... ... ... ... १८८१–१९४६
मांग संख्या १०१—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय १८८१–९१
मांग संख्या १०२—सम्भरण ... ... १८८१–९१
मांग संख्या १०३—अन्य असैनिक निर्माण कार्य १८८१–९१
मांग संख्या १०४—लेखन-सामग्री तथा मुद्रण ... ... १८८१–९१
मांग संख्या १०५—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय १८८१–९१

| | पृष्ट |
|---|---|
| मांग संख्या १४३—नई दिल्ली पूंजी व्यय | १८८१–९१ |
| मांग संख्या १४४—भवनों पर पूंजी व्यय ... ... ... | १८८१–९१ |
| मांग संख्या १४५—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय | १८८१–९१ |
| मांग संख्या ८७—उत्पादन मंत्रालय | १८९२–१९४६ |
| मांग संख्या ८८—नमक ... ... | १८९२–१९४६ |
| मांग संख्या ८९—उत्पादन मंत्रालय के अधीन अन्य संगठन | १८९२–१९४६ |
| मांग संख्या ९०—सरकारी कोयला-खानें ... ... ... | १८९२–१९४६ |
| मांग संख्या ९१—उत्पादन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ... ... ... | १८९२–१९४६ |
| मांग संख्या १३८—उत्पादन मंत्रालय का पूंजी व्यय | १८९२–१९४६ |
| दैनिक संक्षेपिका | १९४७ |

**अंक ३८—शुक्रवार, ६ अप्रैल, १९५६**

| | |
|---|---|
| सभा-पटल पर रखे गये पत्र | १९४९ |
| प्राक्कलन समिति— | |
| चौबीसवां प्रतिवेदन ... ... ... ... | १९५० |
| अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक | १९५० |
| कतिपय मंत्रालयों के वार्षिक प्रतिवेदनों के वितरण में विलम्ब ... | १९५०–५१ |
| अनुदानों की मांगें ... ... | १९५१–८३ |
| मांग संख्या ८७—उत्पादन मंत्रालय | १९५१–५७ |
| मांग संख्या ८८—नमक ... | १९५१–५७ |
| मांग संख्या ८९—उत्पादन मंत्रालय के अधीन अन्य संगठन | १९५१–५७ |
| मांग संख्या ९०—सरकारी कोयला-खानें ... ... | १९५१–५७ |
| मांग संख्या ९१—उत्पादन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ... | १९५१–५७ |
| मांग संख्या १३८—उत्पादन मंत्रालय का पूंजी व्यय ... ... | १९५१–५७ |
| मांग संख्या ७८—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय ... | १९५८–८३ |
| मांग संख्या ७९—भारतीय भू-परिमाप | १९५८–८३ |
| मांग संख्या ८०—वानस्पतिक सर्वेक्षण | १९५८–८३ |
| मांग संख्या ८१—प्राणकीय सर्वेक्षण | १९५८–८३ |
| मांग संख्या ८२—भूतत्वीय सर्वेक्षण | १९५८–८३ |
| मांग संख्या ८३—खानें | १९५८–८३ |
| मांग संख्या ८४—वैज्ञानिक गवेषणा ... | १९५८–८३ |
| मांग संख्या ८५—तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज ... | १९५८–८३ |
| मांग संख्या ८६—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन विविध व्यय ... ... | १९५८–८३ |
| मांग संख्या १३७—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय का पूंजी व्यय | १९५८–८३ |

| | पृष्ठ |
|---|---|
| बाल सन्यास दीक्षा रोक विधेयक ... ... | १९८३ |
| विधान मण्डलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक | १९८३–२००० |
| विचार करने तथा प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव | १९८३–२००० |
| भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (**धारा ४२९ का संशोधन**) | २०००–०६ |
| विचार करने का प्रस्ताव | २००० |
| दैनिक संक्षेपिका | २००७ |
| **अंक ३९—सोमवार, ९ अप्रैल, १९५६** | |
| सभा-पटल पर रखा गया पत्र ... ... | २००९ |
| कतिपय मंत्रालयों के वार्षिक प्रतिवेदनों के वितरण में विलम्ब | २००९–१० |
| अनुदानों की मांगें ... ... ... | २०१०–७९ |
| मांग संख्या ७८—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय | २०१०–२४ |
| मांग संख्या ७९—भारतीय भू-परिमाप | २०१०–२४ |
| मांग संख्या ८०—वानस्पतिक सर्वेक्षण | २०१०–२४ |
| मांग संख्या ८१—प्राणकीय सर्वेक्षण | २०१०–२४ |
| मांग संख्या ८२—भूतत्वीय सर्वेक्षण ... ... | २०१०–२४ |
| मांग संख्या ८३—खानें | २०१०–२४ |
| मांग संख्या ८४—वैज्ञानिक गवेषणा | २०१०–२४ |
| मांग संख्या ८५—तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज | २०१०–२४ |
| मांग संख्या ८६—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन विविध व्यय ... ... | २०१०–२४ |
| मांग संख्या १३७—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय का पूंजी व्यय | २०१०–२४ |
| मांग संख्या ४२—खाद्य और कृषि मंत्रालय | २०२५–७९ |
| मांग संख्या ४३—वन | २०२५–७९ |
| मांग संख्या ४४—कृषि ... | २०२५–७९ |
| मांग संख्या ४५—असैनिक पशु-चिकित्सा सेवायें ... | २०२५–७९ |
| मांग संख्या ४६—खाद्य और कृषि मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय | २०२५–७९ |
| मांग संख्या १२७—वनों पर पूंजी व्यय | २०२५–७९ |
| मांग संख्या १२८—खाद्यान्नों का क्रय | २०२५–७९ |
| मांग संख्या १२९—खाद्य और कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय | २०२५–७९ |
| दैनिक संक्षेपिका | २०८० |
| **अंक ४०—मंगलवार, १० अप्रैल, १९५६** | |
| अनुदानों की मांगें ... | २०८१–२१३९ |
| मांग संख्या ७०—श्रम मंत्रालय | २०८१–२१३३ |
| मांग संख्या ७१—मुख्य खान निरीक्षक | २०८१–२१३३ |
| मांग संख्या ७२—श्रम मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय | २०८१–२१३३ |
| मांग संख्या ७३—काम दिलाऊ दफ्तर तथा पुन:संस्थापन | २०८१–२१३३ |
| मांग संख्या ७४—असैनिक प्रतिरक्षा ... ... | २०८१–२१३३ |

पृष्ठ

मांग संख्या १३६—श्रम मंत्रालय का पूंजी व्यय २०८१–२१३३

मांग संख्या ५१—गृह-कार्य मंत्रालय ... २१३३–३९

मांग संख्या ५२—मंत्रिमण्डल २१३३–३९

मांग संख्या ५३—दिल्ली २१३३–३९

मांग संख्या ५४—पुलिस २१३३–३९

मांग संख्या ५५—जनगणना ... २१३३–३९

मांग संख्या ५६—देशी राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते २१३३–३९

मांग संख्या ५७—अन्दमान तथा निकोबर द्वीप २१३३–३९

मांग संख्या ५८—कच्छ २१३३–३९

मांग संख्या ५९—मनीपुर २१३३–३९

मांग संख्या ६०—त्रिपुरा २१३३–३९

मांग संख्या ६१—राज्यों से सम्बन्ध ... २१३३–३९

मांग संख्या ६२—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय २१३३–३९

मांग संख्या १३१—गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय २१३३–३९

दैनिक संक्षेपिका २१४०


## अंक ४१—बुधवार, ११ अप्रैल, १९५६


गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

उनचासवां प्रतिवेदन २१४१

अनुदानों की मांगें २१४१–२२०३

मांग संख्या ५१—गृह-कार्य मंत्रालय ... २१४१–२२०३

मांग संख्या ५२—मंत्रिमण्डल २१४१–२२०३

मांग संख्या ५३—दिल्ली २१४१–२२०३

मांग संख्या ५४—पुलिस २१४१–२२०३

मांग संख्या ५५—जनगणना २१४१–२२०३

मांग संख्या ५६—देशी राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते २१४१–२२०३

मांग संख्या ५७—अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह... २१४१–२२०३

मांग संख्या ५८—कच्छ २१४१–२२०३

मांग संख्या ५९—मनीपुर २१४१–२२०३

मांग संख्या ६०—त्रिपुरा २१४१–२२०३

मांग संख्या ६१—राज्यों से सम्बन्ध ... ... २१४१–१२०३

मांग संख्या ६२—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ... २१४१–२२०३

मांग संख्या १३१—गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय ... २१४१–२२०३

दैनिक संक्षेपिका २२०४

| अंक ४२—गुरुवार, १२ अप्रैल, १९५६ | पृष्ठ |
|---|---|
| अनुदानों की मांगें | २२०५–५८ |
| मांग संख्या ५१—गृह-कार्य मंत्रालय | २२०५–१५ |
| मांग संख्या ५२—मंत्रिमण्डल | २२०५–१५ |
| मांग संख्या ५३—दिल्ली | २२०५–१५ |
| मांग संख्या ५४—पुलिस | २२०५–१५ |
| मांग संख्या ५५—जनगणना ... | २२०५–१५ |
| मांग संख्या ५६—देशी राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते ... | २२०५–१५ |
| मांग संख्या ५७—अन्दमान और निकोबर द्वीप समूह | २२०५–१५ |
| मांग संख्या ५८—कच्छ | २२०५–१५ |
| मांग संख्या ५९—मनीपुर | २२०५–१५ |
| मांग संख्या ६०—त्रिपुरा | २२०५–१५ |
| मांग संख्या ६१—राज्यों से सम्बन्ध ... ... ... | २२०५–१५ |
| मांग संख्या ६२—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ... | २२०५–१५ |
| मांग संख्या १३१—गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय | २२०५–१५ |
| मांग संख्या ६६—लोहा और इस्पात मंत्रालय ... | २२१५–४१ |
| मांग संख्या १३३—लोहा और इस्पात मंत्रालय का पूंजी व्यय | २२१५–४१ |
| मांग संख्या १—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय | २२४१–५८ |
| मांग संख्या २—उद्योग | २२४१–५८ |
| मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े ... | २२४१–५८ |
| मांग संख्या ४—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय | २२४१–५८ |
| मांग संख्या ११३—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय | २२४१–५८ |
| सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... | २२३५ |
| दैनिक संक्षेपिका ... | २२५९ |
| **अंक ४३—शनिवार, १४ अप्रैल, १९५६** | |
| अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर की शुद्धि | २२६१–६२ |
| अनुदानों की मांगें ... ... | २२६२–८७ |
| मांग संख्या १—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय | २२६२–८७ |
| मांग संख्या २—उद्योग ... | २२६२–८७ |
| मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े ... ... | २२६२–८७ |
| मांग संख्या ४—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ... ... | २२६२–८७ |
| मांग संख्या ११३—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय | २२६२–८७ |
| गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—उनचासवां प्रति-वेदन... ... ... ... | २२८७–८९ |
| औद्योगिक तथा वाणिज्यिक राज्य उपक्रमों सम्बन्धी समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प ... ... ... | २२८८–२३०६ |
| बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प | २३०७ |
| दैनिक संक्षेपिका ... ... ... ... | २३०८ |

## अंक ४४—सोमवार, १६ अप्रैल, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

दिल्ली पुलिस द्वारा कथित लाठी चार्ज ... २३०९–११

सभा का कार्य ... २३११–१२

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ... २३१२

जीवन बीमा विधेयक ... २३१२

अनुदानों की मांगें ... ... २३१३–८२

मांग संख्या १—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ... २३१३–२३

मांग संख्या २—उद्योग ... २३१३–२३

मांग संख्या ३—वाणिज्य सूचना तथा आंकड़े ... २३१३–२३

मांग संख्या ४—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ... २३१३–२३

मांग संख्या ११३—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय ... २३१३–२३

मांग संख्या १७—शिक्षा मंत्रालय ... २३२४–७७

मांग संख्या १८—पुरातत्व विद्या ... २३२४–७७

मांग संख्या १९—अन्य वैज्ञानिक-विभाग ... २३२४–७७

मांग संख्या २०—शिक्षा ... २३२४–७७

मांग संख्या २१—शिक्षा-मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ... २३२४–७७

मांग संख्या ११८—शिक्षा मंत्रालय का पूंजी व्यय ... २३२४–७७

मांग संख्या २६—वित्त मंत्रालय ... २३७७–८२

मांग संख्या २७—सीमा शुल्क ... २३७७–८२

मांग संख्या २८—संघ उत्पादन शुल्क ... २३७७–८२

मांग संख्या २९—निगम कर तथा सम्पदा शुल्क सहित आय पर कर ... २३७७–८२

मांग संख्या ३०—अफीम ... २३७७–८२

मांग संख्या ३१—स्टाम्प ... ... ... २३७७–८२

मांग संख्या ३२—अभिकरण विषयों के प्रशासन तथा राजकोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि को भुगतान ... २३७७–८२

मांग संख्या ३३—लेखा परीक्षण ... २३७७–८२

मांग संख्या ३४—चल-मुद्रा ... २३७७–८२

मांग संख्या ३५—टकसाल ... २३७७–८२

मांग संख्या ३६—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें ... २३७७–८२

मांग संख्या ३७—वार्धक्य भत्ता तथा निवृत्ति वेतन ... ... २३७७–८२

मांग संख्या ३८—वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ... २३७७–८२

मांग संख्या ३९—राज्यों को सहायक अनुदान ... २३७७–८२

पृष्ठ

मांग संख्या ४०——संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन २३७७—८२
मांग संख्या ४१——विभाजन-पूर्व के भुगतान ... २३७७—८२
मांग संख्या १२०——भारत सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजी व्यय २३७७—८२
मांग संख्या १२१——चल-मुद्रा तथा टंकण पर पूंजी व्यय २३७७—८२
मांग संख्या १२२——टकसालों पर पूंजी व्यय २३७७—८२
मांग संख्या १२३——निवृत्ति-वेतनों का राशिकृत मूल्य ... २३७७—८२
मांग संख्या १२४——छंटनी किये गये कर्मचारियों को भुगतान २३७७—८२
मांग संख्या १२५——वित्त-मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय ... २३७७—८२
मांग संख्या १२६——केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन २३७७—८२

दैनिक संक्षेपिका २३८३

**अंक ४५——मंगलवार, १७ अप्रैल, १९५६**

कार्य मंत्रणा समिति——
बत्तीसवां प्रतिवेदन २३८५
तारांकित प्रश्नों के उत्तरों की शुद्धि २३८५—८७
अनुदानों की मांगें २३८७—२४२७
मांग संख्या २९——वित्त-मंत्रालय २३८७—२४२५
मांग संख्या २७——सीमा शुल्क २३८७—२४२५
मांग संख्या २८——संघ उत्पादन शुल्क ... २३८७—२४२५
मांग संख्या २९——निगम कर तथा सम्पदा शुल्क सहित आय पर कर ... २३८७—२४२५
मांग संख्या ३०——अफीम २३८७—२४२५
मांग संख्या ३१——स्टाम्प ... ... ... २३८७—२४२५
मांग संख्या ३२——अभिकरण-विषयों के प्रशासन तथा राजकोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि को भुगतान २३८७—२४२५
मांग संख्या ३३——लेखा-परीक्षा २३८७—२४२४
मांग संख्या ३४——चल-मुद्रा २३८७—२४२५
मांग संख्या ३५——टकसाल ... २३८७—२४२५
मांग संख्या ३६——प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें ... २३८७—२४२५
मांग संख्या ३७——वार्धक्य भत्ते तथा निवृत्ति-वेतन ... २३८७—२४२५
मांग संख्या ३८——वित्त-मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय ... २३८७—२४२५
मांग संख्या ३९——राज्यों को सहायक अनुदान ... २३८७—२४२५
मांग संख्या ४०——संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन ... २३८७—२४२५
मांग संख्या ४१——विभाजन-पूर्व के भुगतान २३८७—२४२५

| | पृष्ठ |
|---|---|
| मांग संख्या १२०—भारत सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजी व्यय | २३८७–२४२५ |
| मांग संख्या १२१—चल-मुद्रा तथा टंकण पर पूंजीव्यय ... | २३८७–२४२५ |
| मांग संख्या १२२—टकसाल पर पूंजी व्यय | २३८७–२४२५ |
| मांग संख्या १२३—निवृत्ति-वेतनों का राशिकृत मूल्य ... | २३८७–२४२५ |
| मांग संख्या १२४—छंटनी किये गये कर्मचारियों को भुगतान | २३८७–२४२५ |
| मांग संख्या १२५—वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय ... | २३८७–२४२५ |
| मांग संख्या १२६—केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन | २३८७–२४२५ |
| मांग संख्या ६३—सूचना और प्रसारण मंत्रालय | २४२५–२७ |
| मांग संख्या ६४—प्रसारण ... | २४२५–२७ |
| मांग संख्या ६५—सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय | २४२५–२७ |
| मांग संख्या १३२—प्रसारण पर पूंजी व्यय | २४२५–२७ |
| मांग संख्या ७५—विधि मंत्रालय | २४२५–२७ |
| मांग संख्या ७६—न्याय-व्यवस्था ... ... | २४२५–२७ |
| मांग संख्या ७७—विधि मंत्रालय के अधीन विविध व्यय | २४२५–२७ |
| मांग संख्या १०६—अणुशक्ति विभाग | २४२५–२७ |
| मांग संख्या १०७—अणुशक्ति गवेषणा | २४२५–२७ |
| मांग संख्या १४६—अणुशक्ति विभाग का पूंजी व्यय | २४२५–२७ |
| मांग संख्या १०८—संसद्-कार्य विभाग | २४२५–२७ |
| मांग संख्या १०९—लोक-सभा ... | २४२५–२७ |
| मांग संख्या ११०—लोक-सभा के अधीन विविध व्यय ... | २४२५–२७ |
| मांग संख्या १११—राज्य-सभा ... | २४२५–२७ |
| मांग संख्या ११२—उप-राष्ट्रपति का सचिवालय | २४२५–२७ |
| वित्त विधेयक | २४२७–३० |
| विचार करने का प्रस्ताव | २४२७ |
| दैनिक संक्षेपिका | २४३१ |



M117LSD—190—25-3-58—GIPF.

# लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

# लोक-सभा

सोमवार, ९ अप्रैल, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

## प्रश्नोत्तर

**११–३० म० पू०**

(**देखिये भाग १**)

## सभा-पटल पर रखा गया पत्र

**नेशनल इन्डस्ट्रियल डेवेलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के निर्देशक-बोर्ड का प्रतिवेदन**

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत)** : मैं श्री टी० टी० कृष्णमाचारी की ओर से नेशनल इन्डस्ट्रियल डेवेलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के निर्देशक-बोर्ड के ३१ दिसम्बर, १९५५ को समाप्त होने वाली अवधि के प्रतिवेदन की एक प्रति पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एस०-१२९/५६**]

## कतिपय मंत्रालयों के वार्षिक प्रतिवेदनों के वितरण में विलम्ब

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : अध्यक्ष महोदय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा विधि मंत्रालय ने हमें अभी तक गत वर्ष के कार्य के प्रतिवेदनों की प्रतियां नहीं दी हैं। मुझे सन्देह है कि यह इसलिये नहीं किया गया है क्योंकि लोक-सभा की कार्य सूची में उनकी मांगें सम्मिलित नहीं हैं। दोनों मंत्रियों को इस ढिलाई का कारण बताना चाहिये और भविष्य में हमें उनके प्रतिवेदन ठीक समय पर मिलने चाहियें। विधि मंत्री ने तो केवल एक सारांश प्रस्तुत किया है, जो बिल्कुल अपर्याप्त है।

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई भी विलम्ब नहीं हुआ है। सामान्यतः, ये प्रतिवेदन कुछ ही समय पहले सभा के सामने प्रस्तुत किये जाते हैं, सभा में मांग विशेष पर चर्चा होने से कुछ पहले। हमें संसद् से सूचना मिली थी कि इस वर्ष हमारी मांगों पर चर्चा नहीं होगी। फिर भी लोक-सभा को नवीनतम सूचना देने के लिये मैंने निदेश दे दिया है कि सभी मंत्रालयों के अनुदानों की मांगों सम्बन्धी चर्चा के समाप्त होने से पहले ही, अर्थात् ३१ मार्च, १९५६ तक, हम अपने प्रतिवेदन को अद्यतन बना लें। वास्तव म,

†मूल अंग्रेजी में

[डा० केसकर]
माननीय सदस्यों को वह प्रतिवेदन आज ही वितरित कर दिया जायेगा, और वह प्रतिवेदन ही सबसे अधिक अद्यतन होगा। उसमें ३१ मार्च, १९५६ तक की कालावधि आ जायेगी। वास्तव में, वह हमें शायद शनिवार को ही मिल जाता, पर उसमें एक-दो दिनों की देर हो गई है। यदि अध्यक्ष महोदय यह निदेश करना चाहें कि किसी तिथि विशेष तक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिये, तो हम निश्चय ही उसे उस तिथि तक प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। सामान्यतः हम अभी तक जिस परिपाटी का अनुसरण करते रहे हैं इस बार उसका उल्लंघन नहीं किया गया है।

†**विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री विश्वास)** : मैं केवल यही बताना चाहता हूं कि माननीय सदस्य सदा ही हमारी त्रुटियां ढूंढने की चिन्ता में रहते हैं। लोक-सभा में ऐसा प्रश्न पूछने से पहले, उन्हें पूछताछ तो कर लेनी चाहिये थी। यदि वास्तव में देखा जाये तो विधि मंत्रालय ने काफी समय पहले ही अपना प्रतिवेदन परिचालित कर दिया था। यह अवश्य है कि वह एक सारांश ही है, प्रतिवेदन नहीं है। वास्तव में मंत्रालय 'प्रतिवेदन' जैसी कोई चीज प्रकाशित नहीं करते हैं। प्रतिवेदन का अर्थ होता है अच्छी तरह से जिल्द बंधी एक प्रति, जिसका आवरण बहुत बढ़िया हो। यदि इस प्रकार के प्रतिवेदन की आवश्यकता हो, तो हमें माननीय सदस्यों के लिये एक सुन्दर पुस्तक तैयार करने में कागजों आदि पर काफी व्यय करना पड़ेगा। यदि यही अपेक्षित है, तो यह ठीक है कि इस मंत्रालय ने अभी तक इस सिद्धांत का अनुसरण नहीं किया है। विधि मंत्रालय ने तो उस सामान्य व्यवहार का अनुसरण किया है जो पिछले कई वर्षों से प्रचलित रहा है, और उसने काफी पहले एक सारांश परिचालित कर दिया था। मुझे मालूम है कि इस सारांश को १८ फरवरी को मुद्रणालय में भेज दिया गया था, और इसलिये, कम से कम मार्च के महीने में तो वह माननीय सदस्यों को मिल ही गया होगा।

†**श्री कामत** : मेरा आशय प्रतिवेदन से है। हमें कोई भी प्रतिवेदन नहीं मिला है।

†**श्री विश्वास** : आप उसे सारांश कहें, या प्रतिवेदन कहें। वह समय पर दे दिया गया था। यदि उसी सारांश की जिल्द बंधवा दी जाती तो आप उसे प्रतिवेदन कहने लगते।

†**अध्यक्ष महोदय** : भविष्य में सभी प्रतिवेदन लोक-सभा में समय पर प्रस्तुत कर दिये जाने चाहिये, उनकी विषय-वस्तु या उनका आकार चाहे, जो भी हो। सारांश का सदैव यही अर्थ होता है कि एक उससे बड़ा प्रतिवेदन अभी आने को है। मंत्रालय को, जो भी उसे देना है, और जिस भी रूप में देना है, उसे समय पर दे देना चाहिये।

†**श्री कामत** : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या सूचना और प्रसारण मंत्री के कथनानुसार, उनका वार्षिक प्रतिवेदन हमें वित्त विधेयक से पहले मिल जायेगा ?

†**डा० केसकर** : आज ही उसका वितरण कर दिया जायेगा।

---

## अनुदानों की मांगें*

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा आरम्भ करेंगे।

†**श्री एन० एम० लिंगम** (कोयम्बटूर) : हमारे देश में सन् १९६० के अन्त तक तांबे की आवश्यकता २२,००० टन तक आंकी गई है, पर उसका केवल आधा ही हमारे देश में निकलता है। अभी तांबा केवल बिहार के सिंध भूमि क्षेत्र में निकाला जाता है। पर अनुमान है कि खेतड़ी, सिक्किम और दक्षिण के कुछ अन्य भागों में भी तांबा मिलता है। इस महत्वपूर्ण धातु के सम्बन्ध

†मूल अंग्रेजी में
*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत

में अपने देश को आत्म-निर्भर बनाने के लिये अगली पंचवर्षीय योजना का क्या कार्यक्रम है ? मद्रास के सलेम जिले में बहुतायत से पाये जाने वाले खनिजों—बौक्साइट, मैग्नेसाइट और क्रोमाइट—के लिये मंत्रालय का क्या कार्यक्रम है ? सरकार की नीति इन खनिजों के उपयोग की है, या उनको निर्यात करने की है ? ऐसा लगता है कि उत्पादन मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा प्राकृतिक, संसाधन और वैज्ञानिक मंत्रालय में इनके उपयोग के सम्बन्ध में आपस में कोई समन्वय नहीं है । जब तक हमारे देश के कारखाने इन खनिजों का उपयोग करने योग्य नहीं हो जाते, तब तक अपने यहां उनके परिष्करण और निर्यात से ही काफी व्यक्तियों को रोजगार मिल सकता है, और तीसरी पंचवर्षीय योजना में इनका अच्छी तरह से उपयोग भी किया जा सकता है ।

हमारे यहां दो चीजों का अभाव है : जनशक्ति और मशीनें । अगली पंचवर्षीय योजना में हमें देश की प्रतिरक्षा और राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था, दोनों ही के विचार से तेल को अधिक महत्व देना आवश्यक है । मंत्रालय को इन दोनों समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करना चाहिये ।

कर्मचारियों की भर्ती और उनके प्रशिक्षण में तथा विदेशों से आने वाले उपकरणों के मिलने से बहुत विलम्ब होता है ।

इसके बाद प्रश्न उठता है देश म खनिज तेलों के उपयोग के अभिकरण का । अभी हमार यहां दो क्षेत्र हैं : एक तो मिला-जुला और दूसरा सरकारी । क्या इस उद्योग में निजी क्षेत्र को बिलकुल ही अवसर नहीं दिया जायेगा ? इस कार्य में शीघ्रता करने के लिये यही ठीक मालूम होता है कि हम इस उद्योग में निजी क्षेत्र को भी कार्य करने का अवसर दें ।

वैज्ञानिक गवेषणा के सम्बन्ध में, एक अधिक सहकारितापूर्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता है । अभी वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा परिषद् अधिकतर व्यावहारिक गवेषणा पर जोर दे रही है, और कुछ अन्य संस्थायें मूलभूत गवेषणा पर अपने प्रयास केन्द्रित कर रही हैं । इस क्षेत्र में हमारी जनशक्ति के स्रोत विश्व-विद्यालय ही हैं । इसलिये, उनको गवेषणा की और अधिक सुविधायें दी जानी चाहिये । निजी क्षेत्र के उद्योगों ने इन गवेषणा संस्थाओं की स्थापना में कोई ठोस योग नहीं दिया है । क्या उन्होंने जिस ८० लाख रुपयों की राशि का अंशदान देने का वचन दिया था, वह पूरा कर दिया है ?

राष्ट्रीय प्रयोगशालायें अच्छा कार्य कर रही हैं । प्रोफेसर बर्नाल ने बताया है कि इन प्रयोगशालाओं के कार्य में कोई समन्वय नहीं है । मंत्रालय के प्रतिवेदन से भी उसका कोई ठीक पता नहीं चलता कि उनमें एक प्रभावी समन्वय स्थापित होगा भी या नहीं ।

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : अध्यक्ष महोदय, हमारे अभी तक के और भावी कार्यों के लिये मुझे और मेरे मंत्रालय को दिये गये समर्थन तथा प्रोत्साहन के लिये मैं लोक-सभा का आभारी हूं । यह केवल इसीलिये नहीं कि विरोधी दल और मेरे अपने दल ने मेरा समर्थन किया है, बल्कि इसलिये भी कि लोक-सभा ने सरकार की विकासात्मक कार्यवाहियों के सम्बन्ध में इस मंत्रालय के बढ़ते हुये महत्व का अनुभव किया है । इस समर्थन के बल पर, मैं सरकार से अधिक निधियों और सुविधाओं की मांग करने में समर्थ हो सकूंगा, जिससे कि इस मंत्रालय से जो आशायें की जाती हैं उन्हें इस लोक-सभा, मेरे अपने दल और विरोधी दल के संतोष के लिये सम्पन्न किया जा सके ।

मैं बहुत ही संक्षेप में आपके सामने कुछ तथ्य रखूंगा, जो हमारी अब तक की कार्यवाहियों और इस योजना काल में विस्तृत की जाने वाली भावी कार्यवाहियों की पृष्ठभूमि बनायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री के० डी० मालवीय]

लोक-सभा को विदित है कि लगभग समूची प्रथम योजना अवधि इस प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के निर्माण की अवस्था, या क्रमिक विकास की अवस्था का काल रहा है। गत पांच वर्षों में हमारे मंत्रालय में कई नवीन गतिविधियों की वृद्धि की गई है, और कुछ अन्य को हमारे यहां से हटा भी लिया गया है। मैं संक्षेप में उन्हें बताऊंगा। इस मंत्रालय की स्थापना १९५१ में की गई थी, और भारतीय भू-सर्वेक्षण तथा भारतीय प्राणिकीय और वानस्पतिक सर्वेक्षण को खाद्य और कृषि मंत्रालय से स्थानांतरित करके इस मंत्रालय के अन्तर्गत रखा गया था। इसके बाद, शीघ्र ही प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में खनिज सांख्यकी विभाग भी सम्मिलित कर दिया गया था। इससे ले लिये जाने वाले विभागों को भी देखिये। सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के बनते ही, इस मंत्रालय से नदी घाटी योजनाओं को निकाल लिया गया था। साथ ही आण्विक दर्जा आयोग को प्रधान मंत्री के अधीन एक स्वतन्त्र निकाय के रूप में गठित कर दिया गया था। १९५४ में, प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में कुछ खनिज सम्बन्धी कार्यवाहियों को भी रख दिया गया। लोक-सभा को स्मरण होगा कि १९५५ में हमने विज्ञान मंदिरों के प्रशासन का भार भी सीधे-सीधे संभाल लिया था। उस समय तक वे प्रशासन के मामले में वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा परिषद् के अन्तर्गत रखे गये थे। यह परिषद् एक स्वायत्तशासी निकाय है, और अपने अधिकांश मामलों में मंत्रालय से स्वतन्त्र रहकर कार्य करती है। योजना के अन्तिम चरण में, हमारी कार्यवाहियां तेल के मोर्चे पर तीव्र हो गई थीं और इसके फलस्वरूप तेल और प्राकृतिक गैस का एक और विभाग बनाया गया, जो अभी अपनी निर्माण अवस्था में ही है।

प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के कार्य के सम्बन्ध में, मैं संक्षेप में यही कह सकता हूं कि सरकार की लगभग सभी विकासात्मक कार्यवाहियों को इसी मंत्रालय द्वारा संग्रहीत मूल तथ्यों और सूचनाओं तथा कुछ प्रारम्भिक कार्य का सहारा लेना पड़ता है, या उन पर निर्भर करना पड़ता है; फिर चाहे वह किसी रेलवे पुल का निर्माण हो, या किसी रेल मार्ग का, वह चाहे कोई वनरोपण की योजना हो, या एक विशाल बहु-प्रयोजनीय बांध हो, या इस्पात का कारखाना हो, या अभ्रक की खुदाई हो, और या वह किसी बस्ती की स्थापना की कार्यवाही हो। मैं सभा को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि इनमें से किसी भी कार्यवाही में प्राकृतिक, संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय की सलाह के बिना कोई भी प्रगति नहीं हो सकती है। इसीलिये, मानचित्र तैयार करने, सर्वेक्षण करने और ब्योरेवार, जांच-पड़ताल करने जैसे कार्यों की मूल सूचना से सम्बन्धित सरकार की सभी विकासात्मक कार्यवाहियों का प्रविधिक रूप से समन्वय किया जाना चाहिये और इसे प्राकृतिक, संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय द्वारा दी गई सलाह के दृष्टिकोण से ही करना चाहिये। इसीलिये, इस मंत्रालय का महत्व उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है, और विशेषकर वर्तमान समय में, क्योंकि हम कृषि सम्बन्धी कार्यवाहियों के स्थान पर औद्योगिक विकास योजनाओं की ओर अधिक ध्यान देने लगे हैं। इसीलिये, आपके समर्थन को और इस दृष्टिकयण को, कि यह मंत्रालय सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक है, हमने काफी महत्व दिया है। वह भी शिषकर इस बात को देखते हुये कि सरकार की विभिन्न विकासात्मक कार्यवाहियों के लिये आवश्यक मूल तथ्य हमको ही संग्रहीत और सुलभ बनाने पड़ेंगे।

संक्षिप्तता का विचार करते हुये, मैं इस सभा में उठाई गई कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों के सम्बन्ध में कहूंगा, और उसमें वे सभी बातें आ जायेंगी जो मैं सामान्यतः लोक-सभा के सामने रखना चाहता हूं। मेरे माननीय मित्र श्री टी० एस० ए० चेट्टियार ने कई बातें कही हैं। उन बातों की ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिये, मैं उनका कृतज्ञ हूं। लेकिन मेरा संक्षिप्त उत्तर यह है। उन्होंने कहा था कि वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा परिषद् आदि के कार्य का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया

है । उन्होंने कहा था कि संगठन के कार्य की जांच के लिये विशेषज्ञों की एक संस्था होनी चाहिये, जिसमें संसद् सदस्य भी सम्मिलित हों ।

†**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार** (तिरुपुर) : मैं तो केवल मूल्यांकन का ही जिक्र कर रहा था ।

†**श्री के० डी० मालवीय**: मैं केवल उन्हीं कार्यवाहियों का जिक्र कर रहा था जिन्हें हम आरम्भ कर चुके हैं । इस सम्बन्ध में, उन्हें स्मरण होगा कि १९५४ में प्रधान मंत्री ने एक पुनरीक्षण समिति नियुक्त की थी, जिसने बड़ी तत्परता से अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था । इसे इजर्टन समिति प्रतिवेदन के नाम से पुकारा गया था । उसने उस समय तक स्थापित हो चुकने वाली विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की महत्वपूर्ण गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने के दृष्टिकोण से कुछ सिफारिशें की थीं । इजर्टन समिति के इस प्रतिवेदन का अग्रेतर परीक्षण एक अन्य समिति द्वारा किया गया था, इस समिति में डा० भाभा, डा० घोष और अन्य प्रमुख वैज्ञानिक सम्मिलित थे । उन्होंने उस समिति की कुछ मूल सिफारिशों को कार्यान्वित करने के प्रश्न पर विचार किया था । मेरे एक माननीय मित्र, संसद्-सदस्य श्री डी० सी० शर्मा भी उस समिति में थे । वे जानते हैं कि हमने समन्वय के प्रश्न की कितनी अधिक ब्यौरेवार जांच की थी । राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने के प्रश्न के सम्बन्ध में, यह देखा गया है कि इस कार्य को एक अकेली मूल्यांकन समिति सम्पन्न नहीं कर सकती; यह एक कहीं अधिक कठिन कार्य है । प्रयोगशालाओं द्वारा किये गये कार्य का मूल्यांकन कुछ ऐसे प्रमुख वैज्ञानिकों को ही करना चहिये जो अपने पहले के जीवन में काफी अधिक कार्य कर चुके हों और जो प्रयोगशालाओं द्वारा किये जाने वाले कार्य का मूल्यांकन करने में समर्थ हों। उदाहरण के लिये, चर्म गवेषणा प्रतिष्ठान को लीजिये । यह स्पष्ट ही है कि भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र का कोई जानकार उस प्रतिष्ठान से प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन करने के लिये उतना उपयुक्त सिद्ध नहीं होगा । इसीलिये, हमें ऐसे कई व्यक्ति ढूंढने पड़ते हैं जिन्होंने कि उस प्रयोगशाला विशेष के कार्य का ही विशेष अध्ययन किया हो । और इसीलिये हमारी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में अभी तक सम्पन्न किये गये कार्य को विनियमित करने के लिये शायद एक से अधिक मूल्यांकन समितियों की आवश्यकता है ।

उन्होंने तो एक प्रयोगशाला या कई राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में किये जा रहे कार्य के मूल्यांकन से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठाये थे । उन्होंने विश्वविद्यालयों और निजी क्षेत्र द्वारा संचालित विभिन्न अन्य प्रविधिक संस्थाओं और सरकारी पर्यवेक्षण के अन्तर्गत राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में किये जा रहे कार्यों के सम्बद्धीकरण का भी जिक्र किया था । यह तो ठीक है कि हमें वैसा करना चाहिये, लेकिन वे स्वयं जानते हैं कि इन सभी संस्थाओं के अपने-अपने कमोबेश अलग-अलग कृत्य होते हैं ।

विश्वविद्यालयों में उच्च सनातकोत्तर विद्यार्थी डिग्री और डाक्ट्रेट प्राप्त करने के उद्देश्य से गवेषणा कार्य करते हैं और वास्तव में उसका उन समस्याओं के साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता है जिन्हें देश की कुछ सरकारी और गैर-सरकारी वैज्ञानिक गवेषणा प्रयोगशालाओं में व्यावहारिक दृष्टिकोण से हल करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

इस प्रकार विश्वविद्यालयों की अपनी योजनयें होती हैं और आप जानते हैं कि वे सरकार का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं । उन्हें हमारी सहायता चाहिये और हम उनकी सहायता करने के लिये तैयार हैं परन्तु हमने अपनी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में जो ज्ञान प्राप्त किया है उसे यदि हम अपने कच्चे माल के उपभोग अथवा नई प्रक्रियाओं के आविष्कार पर लागू करना चाहें तो हमें उस विशेषित कार्य का ध्यान रखना होगा जो प्रयोगशालाओं में किया जा रहा है । वही कार्य जिसे हम बड़ा महत्व दे रहे हैं । मूल्यांकन समिति के प्रतिवेदन के पश्चात जहां तक सम्भव था हमने अपनी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का

†मूल अंग्रेजी में

[श्री के० डी० मालवीय]

विकेन्द्रीकरण कर दिया है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् ने भी उन परिणामों को कार्यान्वित करने के लिये एक समिति नियुक्त की थी। हमने अब अपनी प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिक और प्रशासन सम्बन्धी कृत्य विकेन्द्रीकृत कर दिये हैं। निदेशकों को अब कार्य करने, अपने वैज्ञानिकों का चुनाव करने और उन्हें काम सौंपने की अधिक शक्ति प्रदान की गई है। उन्होंने प्रदेशों के लिये कार्यपालिका समितियां बनाई हैं जो काम सौंपेंगी और प्रविधिक तथा प्रशासनिक दृष्टिकोण से काम की देख-भाल तथा पुनरीक्षण करेंगी। अतः अब निदेशक द्वारा कम मांगें केन्द्रीय प्राधिकार को स्वीकृति के लिये भेजी जायेंगी और अब वह और अधिक उत्तरदायित्व के साथ काम करेगा। प्रयोगशालाओं के मुख्य निदेशक के परामर्श से हम निदेशकों की अधिक बैठकें आयोजित कर सकेंगे। अतः आशा है कि निदेशक यथार्थ रूप से और अधिक उत्तरदायित्व के साथ काम करेंगे और कच्चे माल की खोज करने, नवीन प्रक्रियाओं का आविष्कार करने और संसार में हो रही प्रगति के साथ दम मिला कर चलने के लिये अधिक कार्य करेंगे।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : इन निदेशकों में से कितने वैज्ञानिक हैं और कितने वैज्ञानिक नहीं हैं ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : यह सब निदेशक देश में प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो वैज्ञानिक न हो। किसी अवैज्ञानिक व्यक्ति को अपनी प्रयोगशालाओं का निदेशक नियुक्त करना हमारी नीति नहीं है।

कुछ वैज्ञानिक संस्थाओं और उन्हें विश्वविद्यालय के परामर्श से अनुदान देने के बारे में कुछ कहा गया था। हम पहले ही इस प्रश्न की जांच कर रहे हैं कि किस प्रकार विश्वविद्यालयों और इस प्रकार की संस्थाओं को सहायक अनुदान देने के मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और हमारे मंत्रालय में अधिकतम समन्वय स्थापित किया जा सकता है।

वैज्ञानिक साहित्य के प्रादेशिक भाषाओं में वितरित किये जाने के बारे में दिये गये सुझाव का मैं स्वागत करता हूं। हम पहले ही इस प्रश्न का परीक्षण कर रहे हैं और हमने हिन्दी से आरम्भ किया है। हमारी पत्रिका **"विज्ञान प्रगति"** का प्रारम्भ बहुत अच्छी तरह से हुआ है। यह लोकप्रिय हो रही है। यह उन लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करती है जो केवल हमारी प्रयोगशालाओं में हो रहे काम के बारे में ही नहीं, बल्कि देश के औद्योगिक विकास के विषय में भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। हमने **"विज्ञान प्रगति"** में यह सब बातें सम्मिलित की हैं। हम प्रादेशिक भाषाओं में भी इनका प्रकाशन आरम्भ करना चाहते हैं। आशा है कि इस योजना अवधि में इस कार्यक्रम का काफी भाग सम्पन्न हो जायेगा।

आधारभूत और व्यावहारिक गवेषणा के मध्य समन्वय स्थापित करने की समस्या बड़ी जटिल है और थोड़े से समय में हमारे जैसा कोई अप्रविधिक व्यक्ति से स्पष्ट रूप से समझ नहीं सकता है। आधारभूत काम करने वालों को अपने कार्य का विस्तार करने की अधिक स्वतन्त्रता प्राप्त होनी चाहिये और यदि उन्हें अधिक धन और समय लगाना पड़े तो हमें सामान्यतः इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। परन्तु मुझे विश्वास है कि हमारी प्रयोगशालाओं में जो आधारभूत कार्य हो रहा है वह उस स्तर तक पहुंचता जा रहा है जिसकी कि माननीय सदस्य इच्छा करते हैं अर्थात् शीघ्र ही उसका समन्वय व्यवहारिक कार्य से हो जायेगा।

अब मैं विज्ञान मन्दिर योजना को लेता हूं। मेरे माननीय मित्र जानते हैं कि इस योजना में मेरी विशेष रुचि है। इस योजना का उद्देश्य यह है कि विज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान और विज्ञान यह आधारित जानकारी को जनसाधारण तक पहुंचाया जाये और उस अज्ञान को दूर किया जाये जो युगों से

†मूल अंग्रेजी में

चला आ रहा है और जिसके कारण हमारे देश को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है । इस विचार से सरकार ने देश भर में १२५ विज्ञान मन्दिर स्थापित करने की योजना बनाई है । यह योजना इसी वर्ष चालू की गई है । यह जानने के लिये कि कहां इसकी आवश्यकता है मुझे लगभग ढ़ाई वर्ष लगे हैं । मैं मानता हूं कि इस समस्या को सरल बनाने के लिये एक ठोस योजना बनाने का काम बहुत कठिन है । अभी हमने गांव में एक साधारण व्यक्ति की दैनिक समस्याओं, अर्थात् उसकी भूमि का विश्लेषण करने, उसे फसलों की बीमारियों के बारे में बताने, उसे यह बताने कि वह कौन से मूल रोग से पीड़ित है, उसके खून में क्या खराबी है और वह अपने स्वास्थ्य और सफाई को कैसे सुधार सकता है जिससे कि उसका जीवन सुखी हो, को हल करने के बारे में विचार किया है और योजना बनाई है । हमें आशा है कि जब हम इस प्रकार उसकी दैनिक समस्याओं को हल करेंगे तो वह अनुभव करेगा कि वैज्ञानिक ज्ञान और तरीके उसके जीवन को सुखी बना सकते हैं ।

हमने मैजिक लालटैनों, १६ मिलीमीटर प्रौजैक्टरों, सरल पुस्तिकाओं, पुस्तकों, चार्टों, मानचित्रों, वार्ताओं, बैठकों, सम्मेलनों और विचारों में आदान-प्रदान द्वारा वैज्ञानिक जानकारी का प्रचार करने का कार्यक्रम निश्चित किया है । इस विस्तृत कार्य को करने से पहले हमें उसे सीखना होगा । इसी सीखने के लिये हमने देश में अनेक अग्रम योजनायें बनाई हैं, एक दक्षिण में मद्रास के निकट कल्लुपट्टी स्थान पर, एक दिल्ली से छ: सात मील दूर और एक उत्तर प्रदेश में । मैं यह नहीं कहता कि हमने सारा काम सीख लिया है । अब हम शीघ्र ही लगभग ६ विज्ञान मन्दिर स्थापित करेंगे । इस विषय में कार्यवाही की जा रही है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार ने कल्लुपट्टी विज्ञान मन्दिर के उद्घाटन सम्बन्धी कुछ घटनाओं की ओर निर्देश किया । यह कुछ मास पहले की बात है, मैंने पूछताछ की है और मैं यह स्वीकार करता हूं कि जो कुछ उन्होंने कहा वह ठीक था । यह ठीक है कि विज्ञान मन्दिर के उद्घाटन समारोह के पश्चात् लगभग सभी उपकरण विज्ञान मन्दिर से हटा दिये गये थे क्योंकि वह किसी अन्य संस्था के थे । मुझे इसका खेद है कि इस प्रकार का कार्य नहीं किया जाना चाहिये था । मैं प्रयत्न करूंगा कि ऐसी बातें आगे न होने पायें । स्पष्ट है कि यदि ऐसी बातें होती रहीं तो सारी योजना असफल हो जायेगी और विज्ञान प्रगति का उद्देश्य ही पूरा नहीं होगा ।

†**श्री कामत** : इसके लिये कौन जिम्मेवार था ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : इसकी जम्मेवारी इसलिये किसी पर नहीं आती क्योंकि किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है । वह उपकरण किसी और संस्था के थे । हमने उपकरणों की अपनी मांग का व्यादेश भेज दिया था परन्तु वह उस समय तक पहुंचे नहीं थे । क्योंकि उद्घाटन समारोह का दिन निश्चित हो चुका था इसलिये वह उपकरण किसी अन्य गवेषणा संस्था या वैज्ञानिक संस्था से उधार ले लिये गये थे । जब उस संस्था को उनकी आवश्यकता हुई तो वह वापस भेजने पड़े । कुछ समय बाद हमारे अपने उपकरण आ गये और अब वह वहीं हैं और काम आरम्भ हो क्या है ।

†**श्री कामत** : सन्तोषजनक रूप से नहीं ।

†**श्री के० डी० मालवीय** : मैं लोक-सभा को विश्वस दिलाता हूं कि ज्यों ही पदाधिकारी नियुक्त कर दिये जायेंगे—यह कार्य संघ सेवा आयोग कर रहा है—विज्ञान मन्दिर योजना का काम बड़ी तीव्र गति से और सन्तोषजनक रूप से होने लगेगा क्योंकि हमें कुछ अनुभव हो गया है जिससे कि हम अपनी पुरानी गलतियों को ठीक कर सकते हैं ।

प्रविधिक कर्मचारियों, चाहे वे भूतत्ववेत्ता हों या खान इंजीनियर, को प्रशिक्षित करने का प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है । परन्तु मेरे विचार से प्रादेशिक आधार पर प्रशिक्षण देना व्यावहारिक दृष्टि से

†मूल अंग्रेजी में

[ श्री० के० डी० मालवीय ]

ठीक नहीं होगा, यद्यपि प्रादेशिक आधारों पर प्रशिक्षण स्कूल खोलने से पड़ोसी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को सुविधा हो जायेगी परन्तु आस-पास के विद्यार्थियों को सुविधा देना ही उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य उत्तम प्रकार की सूक्ष्म संस्थायें स्थापित करना है जहां औद्योगिक और अन्य योजनाओं क लिये अपेक्षित प्रविधिज्ञों को सभी प्रकार की सुविधायें और शीघ्र प्रशिक्षण दिया जाये। इस विचार से हम प्रादेशिक आधार पर उतनी संस्थाओं का विकास नहीं कर सकते हैं जितनी कि अपेक्षित हैं।

इसलिये हमने उन संस्थाओं पर जोर दिया है जो देश में पहले ही से उन्नति कर रही हैं जैसे कि धनवाद का खानों का स्कूल, खड़गपुर संस्था, आंध्र विश्वविद्यालय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय और अन्य एक दो केन्द्र। इस सारे मामले पर अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद् और उत्पादन, प्राकृतिक, संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय विचार कर रहे हैं यह वह मंत्रालय है जिन्हें बड़ी संख्या में प्रविधिक कर्मचारियों की आवश्यकता है। हमने उन व्यक्तियों की संख्या का अनुमान भी लगाया है जिन्हें प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। उदाहरणतः कोयले और अन्य धातुओं के लिये खान इंजीनियरों का सम्बन्ध है, हम प्रत्येक वर्ष धनबाद स्कूल में ४५, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में १५ से २० तक और लगभग ६ अन्य स्थानों में प्रशिक्षित करते हैं। हमारा विचार है कि धनबाद में प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों की संख्या बढ़ा कर ८५ कर दी जाये। इसी प्रकार बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय १५ या २० की बजाये ४० विद्यार्थियों को प्रशिक्षण सुविधायें देने के बारे में विचार कर रहा है।

इस समय धनबाद में १२ से १५ तक भूतत्ववत्ता प्रशिक्षण प्राप्त करके निकलते हैं, और हम इस संख्या को दुगना करने का विचार कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष १५५ भूतत्व वेत्ता प्रशिक्षण प्राप्त करके कार्य संभालते हैं। हमें लगभग ८०० भूतत्ववेताओं को सेवायुक्त करना है। हमें आशा है कि भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण और भारतीय खान विभाग की बढ़ती हुई योजनाओं के कारण जो मांग बढ़ी है उससे कारण शीघ्र ही उन्हें सेवा युक्त किया जा सकेगा।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार ने खनन कार्य को प्रारम्भ करने के लिये बड़े खनिकों के अतिरिक्त छोटे खनिकों के एक सहकारी संघ बनाये जाने की ओर निर्देश किया था। जैसा कि मैंने बताया, हमारी नीति छोटे खनिकों के सहकारी संघ संगठित करने और निम्न श्रेणी की कच्ची धातुओं की किस्म को सुधारने के लिये कस्टम मिलें स्थापित करने की रही है। हम इस विषय में निश्चित कार्यवाही कर रहे हैं। परन्तु कठिनाई यह है कि बहुत से लोग सहकारिता की उपयोगिता को नहीं समझते। प्रत्येक व्यक्ति अपनी छोटी-सी खान को अलग ही रखना चाहता है क्योंकि उसका यह विचार होता है कि इससे उसे अधिक लाभ प्राप्त होगा। साथ ही वह इस बात से भी डरता है कि सहकारी समिति में शामिल होने से उसका लाभ अन्य लोगों में बंट जायेगा या व्यक्तिगत मालिक होने के नाते वह जो कुछ छुपाना चाहता है उसे वह छुपा नहीं सकेगा। अतः पहले लोगों में इसकी उपयोगिता का प्रचार करना होगा, और यह कार्य हम कर रहे हैं।

जहां तक कस्टम मिलों का सम्बन्ध है, इनका सम्बन्ध कुछ विशेष समस्याओं और कच्ची धातुओं की किस्म से है। भारतीय खान कार्यालय निम्न प्रकार की कच्ची धातुओं की गवेषणा और परीक्षण करता है। उसे एक ऐसे संयन्त्र के बारे में भी मंत्रणा देनी होती है जो उस निम्न श्रेणी की कच्ची धातु के शोधन का काम मितव्ययता से करे चाहे वह धोने की प्रक्रिया द्वारा करे, या चुम्बक द्वारा अलग करके करे, या छान कर या किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा करे। यह समस्त अनुसन्धान करने के पश्चात भारतीय खान कार्यालय उस निम्न श्रणी की कच्ची धातु विशेष के लिये एक विशेष प्रकार संयंत्र का सुझाव देता है। हमने यह कार्य आरम्भ कर दिया है। हम उतनी प्रगति नहीं कर सके हैं जितनी कि मैं चाहता था क्योंकि हमारी मंत्रणा से लाभ उठाने वालों की संख्या बहुत कम है। पर इस योजना

अवधि में हम निम्न श्रेणी की कच्ची धातुओं को सुधारने के इस उपयोगी काम को आरम्भ करने के लिये कई कस्टम मिलें स्थापित करना चाहते हैं।

अब मैं श्री वी० पी० नायर द्वारा कही गई बातों का उत्तर देता हूं। वह सरकार को प्रायः रचनात्मक सुझाव देते रहते हैं। उनके कुछ सुझावों के लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं। मेरा ख्याल है कि उनके द्वारा दिये गये सुझावों और हमारी प्रस्तावित कार्यवाही का संक्षिप्त निर्देश आवश्यक है। उन्होंने समुद्री सर्वेक्षण की कमी का उल्लेख किया है और इस कार्यक्रम के बड़े पैमाने पर क्रियान्वित किये जाने की वांछनीयता के बारे में पूछा है। समुद्री सर्वेक्षण से माननीय सदस्य का क्या तात्पर्य है यह मेरी समझ में नहीं आया है। किन्तु मेरा ख्याल है कि उन्होंने यह कहा है कि यह सर्वेक्षण भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा कया जाना चाहिये।

मेरा निवेदन यह है कि यह एक अत्यन्त उपयोगी कार्यक्रम है। भारत के वानस्पतिक सर्वेक्षण और भारत के प्राणिकीय सर्वेक्षण की गतिविधियों के एक अंग के रूप में हमने अपने प्राकृतिक संसाधनों के, जीवित प्राकृतिक संसाधनों के, जिनमें वानस्पति और प्राणी जीवन सम्मिलित हैं और जिसमें आधप्राणी से लेकर स्तन्यपायी और पेरामीसियम से लेकर सर्वोच्च प्राणी आते हैं, सर्वेक्षण का एक बड़ा कार्यक्रम हम पहले ही से बना रहे हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कार्य आरम्भ हो जायेगा। हमने इस दिशा में पहले ही योजना बना ली है। वास्तव में इसी प्रयोजन के लिये मैंने कुछ समय पूर्व प्रख्यात वनस्पति शास्त्रज्ञों और प्राणीशास्त्र विशारदों का एक सम्मेलन आयोजित किया था। मेरा ख्याल था कि हमारी देश के वनस्पति जीवन के बारे में उपयोगी जानकारी एकत्रित करने और अपने शास्त्रज्ञों को, जिनमें मेरे माननीय मित्र श्री वी० पी० नायर शामिल हैं; जानकारी देने के लिये अद्यतन पत्रिकाओं का प्रकाशन करने के लिये भारत के वानस्पतिक सर्वेक्षण और प्राणिकीय सर्वेक्षण के कार्यक्रमों का विस्तार करने और उन्हें संशोधित करने के लिये वह एक अत्यन्त उपयोगी बात होगी।

मेरे माननीय मित्र ने, वानस्पतिक सर्वेक्षण का जहां तक सम्बन्ध है, सरकार द्वारा पत्रिकायें प्रकाशित किये जाने की असमर्थतता और प्रकाशनों के अभाव का निर्देश किया। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि यह सही नहीं है। हमने इन प्रकाशनों के पुनर्मुद्रण की व्यवस्था की है। इनमें से बहुत से प्रकाशन उपलब्ध नहीं थे। हमने उनमें बिना किसी प्रकार का संशोधन किये उनके पुनर्मुद्रण की व्यवस्था इसलिये की थी क्योंकि हमारा ख्याल था कि ऐसे पुनर्मुद्रित प्रकाशनों से हमें संदर्भ के सम्बन्ध में सहायता मिलेगी। इसलिये **'दी बंगाल प्लांटस', दी फ्लोरा ऑफ मद्रास, दी फ्लोरा ऑफ बम्बई, बिहार एन्ड उड़ीसा, दी फ्लोरा ऑफ अपर गेंजेटिक प्लेन**, इनके पुनर्मुद्रण के लिये पहले ही आदेश दिया जा चुका है। इनमें से कुछ का पुनर्मुद्रण हो रहा है और वह कुछ सप्ताहों में तैयार हो जायेंगे। व्यापक और अद्यतन **फ्लोरा ऑफ इण्डिया** के प्रकाशक का वृहत्तर प्रश्न अब भी अनिर्णीत है। इसमें सभी संशोधित प्रादेशिक प्रकाशन सम्मिलित किये जायेंगे और हम आशा करते हैं कि वह अधिक से अधिक अद्यतन और पूर्ण होगा।

मैं यहां इस बात का उल्लेख कर दूं कि जहां तक **फ्लोरा आफ इन्डिया** का सम्बन्ध है, जो अंतिम **फ्लोरा आफ इन्डिया** हुकर द्वारा लिखी गई थी उसमें काफी संशोधन आवश्यक है क्योंकि उसके प्रकाशन के बाद से ऐसा प्रतीत होता है कि महत्वपूर्ण जातियों में से कई जातियों का, या तो वनों के काटने अथवा बाढ़ या कई अन्य प्राकृतिक और माननीय कारणों के फलस्वरूप, लोप हो चुका है।

†**श्री कामत** : क्या उनका लोप हो रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० डी० मालवीय** : भारत के वानस्पतिक सर्वेक्षण के निदेशक द्वारा बताया गया है कि हमें इस बात की जांच अब पुनः करनी होगी कि उनका अस्तित्व भारत में है अथवा नहीं, और यदि उनका लोप हो चुका है तो उनमें से कितनों को बाहर से लाया जा सकता है। हम इस प्रश्न के प्रति अत्यन्त सतर्क हैं किन्तु जैसा कि मैंने कहा कि एक अद्यतन **फ्लोरा आफ इन्डिया** को तैयार करने में कुछ समय लगेगा। मैंने इस सम्बन्ध में अपने मित्रों से परामर्श किया था और उनका कथन है कि इसमें १५–२० वर्ष से अधिक समय निश्चय ही लग जायेगा। इसी बीच में, जैसाकि मैंने कहा, हम प्रादेशिक फूल-पौधों के बारे में जो प्रकाशन हैं उनका पुनर्मुद्रण उनमें आवश्यक संशोधन करके करेंगे और अद्यतन सर्वेक्षण का हमारा कार्य भी साथ-साथ होता जायेगा।

जहां तक औषधीय पौधों का सम्बन्ध है, विभिन्न मंत्रालयों की गतिविधियों के अंतर्गत काफी कार्य किया जा रहा है। देश के विभिन्न भागों में पाये जाने वाले औषधीय पौधों की पहचान करने और उनका संग्रह करने की ओर भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग विशेष रूप से ध्यान दे रहा है। आसाम, सिक्किम और नेपाल में विभिन्न पौधों का संग्रह किया गया है। इसी प्रकार के सर्वेक्षण दल टिहरी-गढ़वाल, कुमाऊं की पहाड़ियों और पश्चिमी हिमालय के अन्य भागों का भ्रमण करेंगे।

हमारे जाने हुये कुछ औषधीय पौधों में पाये जाने वाले सक्रिय तत्वों की खोज करने के उद्देश्य से उन्होंने हमारी औषध गवेषणा संस्थाओं और अन्य द्वारा भविष्य में कुछ कार्य किये जाने का उल्लेख किया है। हम इसे पहले से ही कर रहे हैं, और वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा परिषद् के तत्वाधान में औषधीय पौधों की कृषि और उनके गुणों में सुधार करने के लिये योजना बना कर जार्य किया जा रहा है।

वैसे ही कई सल्फोन्स सल्फोऑक्साइड और अल्कोलाइडस का परीक्षण जम्मू और लखनऊ स्थित संस्थाओं में किया गया है और ऐसा समझा जाता है कि कुष्ठ, क्षय, और अतिसार रोगों की चिकित्सा में संभवतः वह संभावित अभिकर्ता सिद्ध होंगे। सल्फोन क्रम में दो यौगिकों ने और सल्फोऑक्साइड क्रम में दो यौगिकों ने अधिक अच्छा प्रभाव दिखाया है और अब उनका प्रयोग क्रमशः कुष्ठ और क्षय रोग की चिकित्सा में किया जाता है। हम आशा करते हैं कि कुछ समय के बाद हम औषधियों की संख्या बढ़ाने और इन रोगों के निवारण के लिये उनके कौन से सक्रिय तत्व उत्तरदायी हैं यह जानने के लिये उनकी परीक्षा करेंगे।

†**श्री वी० पी० नायर** (चिरयिन्कील) : मेरा निवेदन है कि मैंने जो बात उठाई थी वह यह नहीं थी। मैंने कहा था कि कई ऐसी औषधियां मौजूद हैं जिनके औषधीय गुणों को हम जानते हैं। वास्तव में अंग्रेजी औषधियों में ७५ प्रतिशत भारतीय हैं। हम अपरिष्कृत औषधियों का निर्यात करते हैं और उनके सक्रिय तत्वों से बनाई गई औषधियों के लिये मुंहमांगे दाम दते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री उसका भी उत्तर दे रहे हैं।

†**श्री वी० पी० नायर** : उन्होंने मेरा तात्पर्य नहीं समझा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : आपकी बात भिन्न है।

†**श्री वी० पी० नायर** : मैं यह जानना चाहता था कि उन्होंने इन संसाधनों—सभी ज्ञात औषधियों के उपयोग क लिये, कोई सहयोजित योजना बनाई है ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : मैं ऐसे कुछ स्वतन्त्र कार्यों का निर्देश कर रहा हूं जिन्हें कि किया जा चुका है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री वी० पी० नायर : यह मैं मानता हूं।

†श्री के० डी० मालवीय : क्षय और कुष्ठ रोग की चिकित्सा के लिये हमने कुछ सल्फोन्स और सल्फौओक्साइड्स खोज निकाले हैं।

ज्ञात औषधीय तत्वों की खोज के लिये गवेषणा कार्य किये जाने के सामान्य पहलू का जहां तक सम्बन्ध है, हमने तत्सम्बन्धी गवेषणा संस्थाओं में पहले ही काफी कार्य कर लिया है और उक्त औषधियों में निहित सक्रिय तत्वों को विदेशियों द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। हम शनैः-शनैः उस ओर जा रहे हैं। हमारी भारतीय औषधियों की—चाहे वह घात्वीय हों या कोई अन्य हों—जांच की जा रही है। इस सम्बन्ध में काफी कार्य किया गया है। हम अब एक केन्द्रीय संगठन के जरिये एक सही तरीके से इस सम्बन्ध में कार्य करना चाहते हैं। उसके लिये खाद्य और कृषि, स्वास्थ्य, प्राकृतिक संसाधन और गवेषणा मंत्रालयों और वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा परिषद् के मध्य काफी समन्वय होना आवश्यक है। इस समिति ने कार्य करने की दिशा में प्रथम कदम उठाया है और उसने विशेषज्ञों, चिकित्सकों और शरीर विज्ञान विशारदों की छोटी-छोटी समितियां बनाई हैं। उसने कुछ ऐसी सिफारिशें भी की हैं जो अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रतीत होती हैं। उन सिफारिशों की जांच विभिन्न मंत्रालयों द्वारा की जा रही है और एक ऐसी केन्द्रीय संस्था स्थापित करने की प्रस्थापना है जो न केवल औषधियों के सक्रिय तत्वों के सम्बन्ध में ही गवेषणा कार्य करेगी वरन् उन पौधों और जड़ी बूटियों के उगाने और संग्रह करने के बारे में भी कार्य करेगी। मैं आशा करता हूं कि वैज्ञानिक गवेषणा संस्था के अन्तर्गत जो केन्द्रीय प्राधिकार स्थापित किया जायेगा वह इस प्रश्न को संतोषजनक तरीके से हल कर लेगा।

मैं अब तेल के प्रश्न को लेता हूं, क्योंकि माननीय सदस्यों ने और विशेष रूप से आसाम के श्री सर्मा ने कुछ प्रश्न उठाये हैं, और वह आसाम ऑयल कम्पनी द्वारा स्थापित किये जाने वाले तेल शोधन कारखाने के बारे में जानना चाहते थे। जैसा कि मेरे माननीय मित्र को ज्ञात है आसाम के नहरकटिया तेल क्षेत्रों में कुछ तेल पाया गया है। उक्त तेल क्षेत्र के कुछ भाग में खुदाई करने के लिये आसाम ऑयल कम्पनी को लाइसेंस प्राप्त है, और शेष भाग उसने तेल की खोज करने के कार्य के लिये ले रखा है। मौजूदा नियमों के अनुसार यदि कोई गैर-सरकारी दल तेल की खोज करने के उपरांत तेल निकाल लेता है तो जिस तेल क्षेत्र में उक्त दल द्वारा तेल खोजा गया है उस तेल से लाभ उठाने का प्रथम अधिकार उस दल को प्राप्त हो जाता है। यह अधिकार कई वर्षों के लिये होता है। पहले वह अवधि तीस वर्ष थी किन्तु पेट्रोलियम रियायत नियमों में संशोधन किया गया और इसे घटा कर बीस वर्ष कर दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि आसाम ऑयल कम्पनी को, जिसने तेल की खोज की है। तेल को निकालने और उसका उपयोग करने का अधिकार बीस वर्ष की अवधि के लिये प्राप्त होगा। और यदि तेल बराबर निकाला जा सका और सरकार यदि उचित समझे तो उक्त अवधि को और बीस वर्षों के लिये बढ़ाया जा सकता है। संसार में सभी स्थानों में किसी तेल क्षेत्र के उपयोग की न्यूनतम अवधि चालीस वर्ष होती है। ऑयल कंपनी और सरकार के बीच एक स्थायी समझौता होता है कि जब तक उस क्षेत्र से तेल निकलता रहे तब तक उसका उपयोग तेल खोजने वाले दल द्वारा किया जाता रहेगा बशर्ते कि वह समझौते के नियमों का उल्लंघन न करे। ऐसे देश भी हैं जहां उक्त अवधि निर्धारित कर दी गई है जैसे ९० वर्ष, ८० वर्ष, ७० वर्ष, ४० वर्ष इत्यादि। हमने पेट्रोलियम रियायत नियमों में संशोधन करके २० वर्ष की अवधि में और २० वर्ष जोड़ दिये हैं। पहली अवधि २० वर्ष की होगी और यदि सब बातें ठीक-ठीक रहीं तो उसे और बीस वर्ष तक जारी रखा जायेगा। किन्तु यह अवधि विशेष महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि कुछ क्षेत्रों को छोड़ कर, जहां आसाम ऑयल कम्पनी या स्टेनवेक ऑयल कम्पनी जैसे गैर-सरकारी समवाय कार्य कर रहे हैं, अब भारत सरकार ने सम्पूर्ण देश में तेल की खोज करने के लिय समूचे कार्यक्रम को अपने हाथों में ले लिया है। यह एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है और आने वाली

†मूल अंग्रेजी में

[ श्री के० डी० मालवीय ]

समाजवादी समाज व्यवस्था में सरकार द्वारा तेल उद्योग का समग्र नियंत्रित किया जायेगा ऐसी हम आशा करते हैं। किन्तु इस समय हम तेल उद्योग के सम्बन्ध में सारी बातें जानते नहीं हैं और हमारे पास तेल को वांछनीय शीघ्रता से निकालने के लिये अपेक्षित सभी उपकरण भी नहीं हैं, इसलिये कुछ समय तक तेल का निकालना किसी मिश्रित व्यवस्था पर आधारित होना है। हम चाहते हैं कि गैर-सरकारी पूंजी का विनियोग हो और ऐसे गैर-सरकारी प्रविधिज्ञ हों, जिन्हें तेल के सम्बन्ध में सभी बातें मालूम हों और जो हमें तेल की खोज करने में सहायता दें और उसे निकाल कर हमारी अपनी शर्तों पर हमें दे दें। यदि हम उन्हें पूर्णत: रोकते हैं, तो उसका अवश्यंभावी परिणाम यह होगा कि तेल के खोज करने की प्रक्रिया और तेल के उत्पादन की गति शिथिल हो जायेगी। हम इस तथ्य से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। आपको इन दो बातों में से किसी एक को चुनना होगा। प्रथम तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिये कि जितने कम समय में हम तेल का उत्पादन करना चाहते हैं उसके लिये इस समय हम मिट्टी का तेल, पेट्रोल, अन्य ईंधन की वस्तुओं की खरीद पर प्रति वर्ष लगभग ९० या ९५ करोड़ रुपये विदेशी विनिमय के रूप में व्यय करते हैं और इस व्यय में निरंतर वृद्धि ही होती जायेगी। उक्त व्यय इस योजनावधि में १५० या २०० करोड़ रुपये तक पहुंचेगा या नहीं यह मैं नहीं जानता हूं। इसलिये यह नितान्त आवश्यक है कि हम तेल का उत्पादन और वह भी यथाशक्य शीघ्र करें। आज हमारा उत्पादन पांच लाख टन से अधिक नहीं है। संभवं है कि इस योजनावधि के अन्त तक हमें लगभग ७० लाख, ८० लाख, ९० लाख, एक करोड़ या एक करोड़ बीस लाख टन तक तेल की आवश्यकता हो किन्तु एक करोड़ बीस लाख टन आप कहां से प्राप्त करेंगे? यदि आप तेल का आयात करते रहें तो हमें बहुत अधिक धन व्यय करना होगा। इसलिये जो एक मात्र विकल्प है वह सरकार द्वारा चुना गया विकल्प ही है और वह यह है कि तेल के उत्पादन और उसकी खोज के कार्य को क्रमश: अपने हाथों में लिया जाये और गैर-सरकारी समवायों द्वारा तेल की खोज किये जाने को न रोका जाय और यदि राष्ट्र के हित में हम अपने लिये कोई अनुकूल समझौता कर सकते हैं तो विदेशी समवायों और प्रविधिविज्ञों की सहायता का स्वागत किया जाये।

†**श्री एन० एम० लिंगम** : क्या मैं जान सकता हूं कि आसाम ऑयल कम्पनी के साथ हमारी भागिता किस सीमा तक है?

†**श्री के० डी० मालवीय** : मैं प्रश्न के केवल सामान्य पहलू का निर्देश कर रहा था। मुझे विश्वास है कि तेल की खोज, उसका उत्पादन और शोधन इन बातों सम्बन्धी कार्यक्रम को यथाशक्य शीघ्रता से अपने हाथों में लेने—किन्तु इसी बीच जहां से भी सहायता मिलती हो, चाहे वह स्वतन्त्र हो या विदेशी समवायों को सहकार्य से हो—तेल के उत्पादन के लिये उसे लेने के सम्बन्ध में सरकार की जो नीति है उसे सदन का समर्थन प्राप्त है। इस समय आसाम के लिये आसाम ऑयल कम्पनी और बंगाल के लिय स्टेनवेक ऑयल कम्पनी कार्य कर रही हैं। स्टेनवेक द्वारा इस तेल की खोज की जा रही है किन्तु आसाम ऑयल कम्पनी ने एक छोटे से क्षेत्र से तेल निकाला है। शेष क्षेत्र में तेल की खोज और अन्य बातों की जांच की जा रही है। अब उक्त क्षेत्र क समूचे कार्य को, जिसमें तेल की खोज भी शामिल है, एक भारतीय समवाय में समाविष्ट किये जाने का प्रस्ताव है जिसमें आसाम ऑयल कम्पनी एक भागीदार होगी। आसाम में तेल की खोज और उत्पादन के लिये एक सर्वछादी समवाय की स्थापना की व्यवस्था करने के लिये योजना बनाई जा रही है। इसके लिये वार्तायें जारी हैं और उस अवस्था में उसका ब्यौरेवार निर्देश करना या उसकी रूपरेखा या वार्ता की शर्तें बताना मेरे लिये उचित नहीं होगा, और मेरा ख्याल है कि सदन मुझ से इस बात में सहमत है। उक्त समवाय की स्थापना के लिये आसाम ऑयल कम्पनी के सम्बन्ध में समझौता होते ही उस

†मूल अंग्रेजी में

विषय को अथवा समझौते की मुख्य रुपरेखा को सभा पटल पर रख दिया जायेगा। यदि सदन की इच्छा है तो माननीय सदस्य निस्सन्देह इस विषय के बारे में अपने आपको संतुष्ट कर सकते हैं।

†**श्री कामत** : क्या समझौते को अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व आप इस सभा के सदस्यों के समक्ष आयेंगे ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : जी, नहीं । समझौते की शर्तों के अन्तिम रूप से निश्चित होने से पूर्व इस सदन के समक्ष आने की हमारी प्रस्थापना नहीं है, क्योंकि हमारा ख्याल है कि हम समग्र स्थिति का मूल्यांकन करने और समझौता करने की स्थिति में हैं। उसके बाद निस्संदेह सदन को समझौते के आधार की जानकारी होगी और मामनीय सदस्य अपने विचार प्रकट कर सकते हैं।

†**श्री मुहीउद्दीन** (हैदराबाद नगर) : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा लगभग दो सप्ताह पूर्व एक प्रैस सम्मेलन में की गई इस आशय की घोषणा का, कि सरकार ५१ प्रतिशत से कम अंश नहीं लेगी, पालन करने का विचार रखती है ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : सरकार आसाम ऑयल कम्पनी से सर्वाधिक और अधिकतम अनुकूल शर्तें प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। हवा का रुख किस ओर होगा यह मैं नहीं जानता हूं, किन्तु जैसा कि मैंने कहा कि प्रशासन के नियंत्रण, प्रविधिक प्रबन्ध व्यवस्था और अन्य बातों के सम्बन्ध में, जो हमें संतोषजनक प्रतीत होती हैं, हम एक समझौता कर सकेंगे। यदि यह संतोषजनक न हुआ, तो हम समझौता नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने अभी कहा है, मैं इस समय इन में से किसी भी विशिष्ट शर्त के बारे में अपने आपको वचनबद्ध नहीं कर सकता।

†**श्री एच० एन० मुकर्जी** (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : क्या माननीय मंत्री यह आश्वासन दे सकते हैं कि सरकार उस समझौते को सदन द्वारा अनुसमर्थित किये जाने के लिये प्रस्तुत करेगी ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : सदन को सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का अनुमोदन करने या न करने के अनेक असवसर प्राप्त होते हैं। जब सदन को, आसाम ऑयल कम्पनी और सरकार के बीच किये गये समझौते का आधार मालूम हो जायेगा, तो सदस्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की आलोचना कर सकेंगे और उसे अनुमोदित या अननुमोदित कर सकेंगे।

बंगाल के सिंचित क्षेत्र में तेल की खोज करने का कार्य जारी है। यह प्रबन्ध व्यवस्था अभी तक अमेरिका की स्टैन्डर्ड वैक्युम ऑयल कम्पनी और भारत सरकार के बीच हुई है। वे प्रयोगात्मक खुदाई कर रहे हैं और वास्तविक खुदाई कार्य के शीघ्र शुरू हो जाने की आशा है। तब हमें मालूम होगा कि वहां उपयोग के लिये तेल काफी है या नहीं। उस समय हम मामले की चर्चा कर सकेंगे। हमें आशा है कि बंगाल से हमें तेल काफी मात्रा में मिलेगा। स्टेण्डर्ड वैक्युम ऑयल कम्पनी से प्रविधिविज्ञ और वैज्ञानिक कहते हैं कि प्रयोगात्मक खुदाई के समाप्त होने और उसके परिणामों की जांच किये जाने के बाद ही हमें जानकारी मिल सकेगी।

अपनी ओर से, हमने देश के विभिन्न भागों में —कैम्बे, जैसलमेर और पंजाब में—तेल की खोज करने का कार्यक्रम प्रायः एक साथ शुरू कर दिया है। अब हमारा विचार है कि उत्तर प्रदेश में गंगा के मैदान के कुछ भागों में भी प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया जाये। कुछ भागों में तेल की खोज करने के कार्य में काफी प्रगति हो चुकी है। मुझे यह बताते हर्ष होता है कि हमारे भूतत्ववेत्ता और रूस से हमारी सहायता के लिये आये मित्रों के बीच बहुत विचार विमर्श के बाद, हमने पंजाब में कुछ स्थानों पर, जहां तेल या गैस मिलने की सम्भावना है प्रयोगात्मक खुदाई करने का निर्णय किया है। पहली प्रयोगात्मक खुदाई के वर्षा ऋतु के तुरन्त पूर्व शुरू कर दिये जाने की आशा है। आशा है कि हमें तेल

†मूल अंग्रेजी में

[श्री के० डी० मालवीय]

के स्थानों का पता लगाने में सफलता प्राप्त होगी। यदि भूमि की बनावट अनुकूल हुई, तो तीन या चार मास के बाद हम वहां भूमि में एक और छिद्र करेंगे। इस काम के दौरान में, हमें कार्य सम्बन्धी समस्त ज्ञान प्राप्त हो जायेगा और धीरे-धीरे हम यह काम विदेशी प्रविधिविज्ञों से अपने हाथों में ले लेंगे, क्योंकि इस समय तक वे हमें काफी प्रशिक्षण दे चुके होंगे और उन्हें भी अपने देश को लौटना होगा।

अलौह धातुओं के विकास के लिये सरकार के कार्यक्रम की ओर मैं संक्षेप में ही निर्देश करूंगा। यह दूसरी योजना का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसमें हीरा, तांबा, सीसा, जस्त, क्रोमाईट, सिलिमेनाइट जैसी धातुयें और कुछ अन्य अयस्क, जो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, सम्मिलित हैं।

सरकार हीरे के उत्पादन को बहुत महत्व देती है, इसलिये नहीं कि उसे रत्न के रूप में हीरों में रुचि है बल्कि इस लिये कि उसे औद्योगिक हीरों में रुचि है। ये रत्न हीरों के साथ मिश्रित पाये जाते हैं। हमें इन प्राकृतिक औद्योगिक हीरों की आवश्यकता कई प्रयोजनों के लिये है। लगभग सभी आधुनिक औद्योगिक औजारों में काटने के लिये हीरा या ऐसी ही कोई अन्य वस्तु लगी होती है। पन्ना में एक हीरे की खान है, जिसे एक निजी कम्पनी चला रही है। इसे सरकार के नियन्त्रण में लाने का विचार है। इस सारे प्रश्न की जांच के लिये, कि इस खान को कैसे सरकार के नियन्त्रण में लाया जाये, इसके उपयोग की प्रक्रिया क्या हो और सरकार उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित करे आवश्यक कार्यवाही शीघ्रता से की जा रही है। इस समय निजी कम्पनी लगभग ६ लाख रुपये के हीरे निकाल रही है।

†**श्री कामत** : कब से ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : सम्भवतः पिछले तीन वर्षों से। मुझे ठीक-ठीक मालूम नहीं, किन्तु यह हमारी आवश्यकता का सौवां भाग भी नहीं। आशा है कि जब हम इसे अपने हाथ में ले लेंगे, तो हीरों का उत्पादन बहुत बढ़ जायेगा। हम अभी यह नहीं कह सकते कि यह कितना होगा, किन्तु यदि सम्भव हुआ तो इस योजना अवधि में इसे २०–४० गुणा तक बढ़ा देने का हमारा विचार है। सारी योजना की जांच की जा रही है हमारा छोटे श्रमिकों को भी इस काम से सम्बद्ध करने का विचार है, और इन छोटे कारीगरों की सहकारी संगठन बनाने का विचार है। हम इनकी सहायता से पृथ्वी के धरातल के पास के हीरों को निकालेंगे। जहां तक गहरी खुदाई के बाद निकाले जाने वाले हीरों का सम्बन्ध है, हम प्रक्रिया को यंत्रीकृत करेंगे और उस क्षेत्र से अधिक शीघ्रता से हीरे निकालेंगे। यह एक निश्चित प्रकार की व्यवस्था होगी जिसमें श्रमिकों से भी सहयोग लिया जायेगा।

तांबे के सम्बन्ध में भी हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। बिहार में हम प्रतिवर्ष केवल ७,००० टन तांबा निकाल रहे हैं। यह उत्पादन एक निजी कम्पनी द्वारा किया जाता है। अब हमारा विचार है कि भविष्य में तांबा निकालने का यह काम भी सरकार के नियन्त्रण में लाया जाये। यह भी राष्ट्रीयकृत क्षेत्र में आयेगा। तांबे की उन खानों को, जो गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं, किन्तु जो चालू नहीं हैं, ले लेने का प्रश्न हमारे विचाराधीन है और जो खानें निजी क्षेत्र की नहीं हैं और हमारी अपनी हैं उनसे तांबे की कच्ची धातु निकालने के सम्बन्ध में सविस्तार जांच की जा रही है। हमारे लिये खान के गुणात्मक और मात्रात्मक परीक्षण का कार्यक्रम विस्तृत रूप से पूरा करना आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में हमने पृथ्वी में छिद्र करके इस कार्य को समाप्त कर लिया है। कच्ची धातु में तांबे की मात्रा लगभग ३ प्रतिशत है, जो इसका उपयोग करने के लिये पर्याप्त समझी जाती है। दूसरी योजना अवधि में हमारा एक खान को, जो कि सम्भवतः राजस्थान में होगी अपने हाथ में ले लेने का विचार है। रूसी विशेषज्ञों ने जिन्होंने इस प्रश्न के सम्बन्ध में हमें परामर्श दिया था, भारतीय भूतत्ववेत्ताओं के निष्कर्षों की पुष्टि की है। हमारे पास भूतत्ववेत्ताओं की संख्या काफी है, किन्तु

†मूल अंग्रेजी में

भू-भौतिकीय विशेषज्ञों और खुदाई करने वालों की संख्या पर्याप्त नहीं है, जोकि खनिजों के उपयोग करने की प्रक्रिया के लिये आवश्यक ह । रूसी विशेषज्ञों ने हमारे निष्कर्षों की पुष्टि की है और हमें आशा है कि इस योजना अवधि में एक अच्छी तांबे की खान का प्रबन्ध मंत्रालय द्वारा संतोषजनक ढंग से किया जायेगा ।

जहां तक सीसे और जस्त का सम्बन्ध है, उनका उपयोग राजस्थान में एक निजी कम्पनी द्वारा किया जा रहा है । इस समय उसका कच्ची धातु का उत्पादन ३०० टन से भी कम है । हम ने उस समवाय से उत्पादन ३०० टन से ५०० टन तक और बाद में शीघ्र १,००० टन तक बढ़ाने के लिये कहा है । उसने सीसे और जस्त की कच्ची धातु का उत्पादन एक युक्तियुक्त अवधि में ३०० से १,००० टन तक बढ़ाना स्वीकार कर लिया है ।

हमारी निर्यात नीति के बारे में एक प्रश्न उठाया गया था ।

†**श्री कामत** : सोने के बारे में क्या स्थिति है ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : हम सोने को उतना महत्व नहीं देते हैं जितना कि कोयले या पैट्रोलियम या लिगनाइट को देते हैं, क्योंकि दक्षिण में लिगनाइट हमारे लिये सोने से भी अधिक मूल्यवान है ।

†**श्री कामत** : कोलार की खानों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : यदि राज्य मंत्रिमंडल या गैर-सरकारी क्षेत्र सोना निकालना चाहता है तो हम सहयोग देने के लिये तैयार हैं ।

†**श्री एन० राचय्या** (मैसूर--रक्षित अनुसूचित जातियां) : कोलार की सोना खानों के राष्ट्रीयकरण की योजना के सम्बन्ध में सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : इस पर भारत सरकार और मैसूर सरकार द्वारा उच्च स्तर पर विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही किसी निर्णय के किये जाने की आशा है । सरकार द्वारा निर्धारित नीति को ध्यान में रखते हुये, यदि राज्य सरकार खानों का इस प्रकार राष्ट्रीयकरण करना चाहें, जिस से कि काम में से कोई कमी न हो, तो हम इसका स्वागत करेंगे । यदि कोई व्यक्ति अयस्क ढूंढ निकाल कर खूब धन कमा सकता है तो वह बड़ी खुशी से ऐसा कर सकता है, और हम उसको मंत्रणा देने का प्रयत्न करेंगे और जो राज्य सरकार इस काम को करना चाहते हैं, उन्हें अपना सहयोग देंगे ताकि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से इसमें सफलता मिले ।

अयस्कों के निर्यात के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने ठीक कहा है कि हमारी निर्यात नीति उदार होनी चाहिये । मैं इससे सहमत हूं । मैं अत्यधिक रुढ़िवादिता में विश्वास नहीं रखता । यदि हमें विदेशी मुद्रा कमानी है तो हमें अयस्क निर्यात के लिये उदार नीति अपनानी होगी, जहां तक यह हमारी राष्ट्रीय मांग के अनुकूल हो । उदाहरण के लिये, यदि हम आगामी पांच वर्षों के लिये अपने लिये एक विशिष्ट प्रकार का बढ़िया कोयला निकालना चाहते हैं तो निश्चय ही हमें उस कोयले को सम्भाल कर रखना होगा और उसका निर्यात नहीं करना होगा । जहां हमारे पास अयस्क बहुतायत में है, जैसे लोहा, मैंगनीज, अभ्रक आदि, तो हमारा यह प्रयत्न होगा कि इन खनिज अयस्कों का निर्यात करके हम अधिकाधिक धन कमायें । हमारा मंत्रालय सम्बद्ध मंत्रालय को निर्यात सम्बन्धी ऐसी उदारता की नीति को अपनाने का परामर्श देता है जो उन खनिजों की राष्ट्रीय मांग के अनुकूल हो ।

इसका दूसरा पहलू भी है । हमें सुरक्षित रखने की बहुत अधिक परवाह नहीं करनी चाहिये । किसे मालूम है कि पांच या पन्द्रह वर्ष के पश्चात इसके विकल्प निकल आयें और वर्तमान खनिजों का मूल्य गिर जाये, चाहे यह लोहा हो या मैंगनीज या अभ्रक । इस लिये हमें उस नीति के द्वारा

†मूल अंग्रेजी में

[श्री के० डी० मालवीय]
अपने अयस्कों का उपयोग करने और उन्हें सुरक्षित रखने के दो दृष्टिकोणों में एक संतुलन रखना होगा, जिस का उत्पादन मंत्रालय तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय खनिज संसाधनों का उपयोग करने के लिये पालन कर रहे हैं ।

अब हम अपने देश में गर्मी सहने वाली ईंटें बना रहे हैं । अब हमें इनका अधिक आयात करने की आवश्यकता नहीं होगी । इसका अन्तोगत्वा यह अर्थ होगा कि अभ्रक और क्रोनाइट आदि खनिज अयस्क अधिक निकाले जायेंगे ।

इस सब के लिये, मूलतः, जैसे श्री शिव मूर्त्ति ने कहा, और इस ओर के कुछ सदस्यों ने कहा है, भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण का बहुत विस्तार करने की आवश्यकता होगी । जब तक भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण और भारतीय खान ब्यूरो का खूब विस्तार नहीं किया जायेगा, उत्पादन मंत्रालय, या लोहा और इस्पात मंत्रालय, या कृषि मंत्रालय, अथवा सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के लिये वह सारा कार्य आरम्भ करना सम्भव नहीं होगा, जिसका हमने वचन दिया है । यदि योजना आयोग ने और वित्त मंत्रालय ने प्राकृतिक, संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय की यह मांग अस्वीकार कर दी, तो विभिन्न मंत्रालयों ने जो कार्यक्रम बनाये हैं, वे पूरे नहीं हो सकेंगे । हम ही उन्हें आवश्यक आंकड़े देते हैं । हम सिंचाई और विद्युत मंत्रालय को बताते हैं कि अमुक बांध के लिये नींव ठोस है या नहीं । यदि हम कहें कि यह ठोस नहीं है, तो उन्हें कार्यक्रम छोड़ना पड़ेगा । यदि हमारे पास भूतत्ववेत्ता और खोदने वाले लोग पर्याप्त मात्रा में नहीं होंगे, तो हमें उनको यह कहना पड़ेगा कि उन्हें यह जानकारी देने के लिये हमें और कई वर्ष लगेंगे । इसलिये, आपसे मुझे जो बल प्राप्त हुआ है, उससे उत्साहित होकर मैं वित्त मंत्रालय से अधिक धन देने के लिये आग्रह करने का प्रयत्न कर रहा हूं, ताकि हमारे राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम में विलम्ब न होने पाये ।

**अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुये ।**

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"कार्य सूची के चौथे स्तम्भ में दिखाई गई राशियों से अधिक, राष्ट्रपति को, निम्नलिखित मांग शीर्षों के सम्बन्ध में, जो दूसरे स्तम्भ में दिखाई गई हैं, उन भारों को पूरा करने के लिये दी जायें, जिनका भुगतान ३१ मार्च १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किया जायगा : मांग संख्या ७८,७९,८०,८१,८२,८३,८४,८५,८६ और १३७।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**[ जो मांगें सभा द्वारा स्वीकृत हुईं वे नीचे दी जाती हैं—संपादक ]**

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि (रुपयों में) |
|---|---|---|
| ७८ | प्राकृतिक, संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय ... ... | ११,४१,००० |
| ७९ | भारतीय भू-परिमाप ... ... ... ... | १,४७,२५,००० |
| ८० | वानस्पतिक सर्वेक्षण | ८,७०,००० |
| ८१ | प्राणिकीय सर्वेक्षण | १०,२४,००० |
| ८२ | भूतत्वीय सर्वेक्षण | १,४३,८९,००० |
| ८३ | खानें ... ... | ४९,०५,००० |
| ८४ | वैज्ञानिक गवेषणा ... ... ... | ३,०८,४५,००० |
| ८५ | तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज ... ... | ५३,९३,००० |
| ८६ | प्राकृतिक, संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन ... विविध व्यय ... ... ... ... | २१,००० |
| १३७ | प्राकृतिक, संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय का पूंजी व्यय ... | ३,८६,६७,००० |

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा खाद्य और कृषि मंत्रालय की मांगों पर विचार करेगी। इनके लिये ५ घण्टे आवंटित किये गये हैं। जो सदस्य कटौती प्रस्ताव रखना चाहते हैं वे १५ मिनट के अन्दर सभा पटल पर दे दें। उनके नियमित होने और प्रस्तावक के उपस्थित होने की अवस्था में उन्हें प्रस्तुत समझा जायेगा। साधारणतया बोलने वाले सदस्यों को १५ मिनट और आवश्यकता पड़ने पर वर्गों के नेताओं को २० मिनट दिये जायेंगे।

निम्न लिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि (रुपयों में) |
|---|---|---|
| ४२ | खाद्य और कृषि मंत्रालय | ६९,१५,००० |
| ४३ | वन | २,७२,९०,००० |
| ४४ | कृषि ... ... | ... १५,०२,०६,००० |
| ४५ | असैनिक पशु-चिकित्सा सेवायें ... | १,२१,१६,००० |
| ४६ | खाद्य और कृषि मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय ... | ५,३०,३९,००० |
| १२७ | वनों पर पूंजी व्यय ... ... | ३०,५१,००० |
| १२८ | खाद्यान्नों का क्रम ... ... | ... ४२,१८,२३,००० |
| १२९ | खाद्य और कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय | ... ३४,७२,२३,००० |

**डा० राम सुभग सिंह** (शाहाबाद-दक्षिण) : सबसे पहले मैं अपना यह कर्त्तव्य समझता हूं कि उन तमाम लोगों को धन्यवाद दूं जो लोग हल के पीछे-पीछे चलते हैं और अपना काम करते हैं। आज-भी आप देखेंगे कि इस अप्रैल के महीने में और इतनी कड़ी धूप में वे लोग अपने काम में लगे हुये हैं और कटाई जुताई करते होंगे। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और यहां पर लगभग ७० प्रतिशत लोग खेती पर ही अपने जीवन के निर्वाह के लिये निर्भर करते हैं। इनमें से केवल १० करोड़ लोग ही ऐसे हैं जिनको हर रोज काम करने का मौका मिलता है। बाकी लोगों के लिये कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे कि उनको पूरे दिन का काम मिल सके। हमारे यहां जो प्रति एकड़ खेती की उपज होती है, वह भी बहुत कम होती है। इसके बहुत से कारण हैं जिनमें मैं अभी नहीं जाना चाहता। हमारे देश में वे लोग जो नौकरी करते हैं, चाहे कल कारखानों में चाहे दूसरी जगहों पर, वे प्रति व्यक्ति ८०० और १७०० के बीच का पदार्थ उत्पादित करते हैं। इसके मुकाबले में जो लोग खेती का काम करते हैं उनका प्रति व्यक्ति उत्पादन केवल ५०० रुपया का होता है। इससे यह अन्दाजा नहीं लगाया जाना चाहिये कि जिन लोगों के पास खेती की जमीन भी नहीं है वे भी इतनी ही रकम का पदार्थ उत्पादित करते हैं। इसी उत्पादन के अनुपात में ही खेती तथा कल कारखानों में काम करने वाले लोगों की वार्षिक आय भी होती है। पर यह आय केवल उन लोगों की है जोकि खेती पर निर्भर करते हैं और जिनकी तादाद १० करोड़ ३६ लाख के करीब है। हमारे देश में २४ करोड़ लोग खेती पर जीवन निर्वाह करते हैं और इनमें से कोई सवा आठ करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास खेती करने के लिये जमीन नहीं है। चूंकि हमारे देश में इतनी भारी तादाद में लोग खेती पर निर्भर करते हैं और मेहनत से ये अपना काम करते हैं, यही कारण है कि मैंने उनको धन्यवाद दिया है।

आज हमें आजाद हुये कोई ८ वर्ष हो गये हैं परन्तु हम भूमि व्यवस्था में कोई समुचित परिवर्तन नहीं ला सके हैं। जो लोग खेती में लगे हुये हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा उनकी प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम है और उनमें से सवा आठ करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास तनिक भी जमीन नहीं है। इन लोगों

†मूल अंग्रेजी में

[डा० राम सुभग सिंह]

की प्रति परिवार आय ४४७ रुपये है और प्रति परिवार खर्च ४६१ रुपये है। अब जिस तरह से ये लोग अपना निर्वाह करते हैं उसका अन्दाजा सहज ही लगाया जा सकता है। इससे तो वही पुरानी कहावत चरितार्थ होती है, कि ये लोग कर्ज में जन्मते हैं, कर्ज में जीते हैं और कर्ज में ही मरते हैं। इस स्थिति में आज भी, जबकि हम आजाद हो गये हैं, कोई तबदीली नहीं आई है। यह बहुत ही दुःख की बात है। इन लोगों की आर्थिक दशा बहुत दयनीय है। इनकी आय में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। इनकी आय बढ़ने के अनेकों कारण हैं, इसको मैं मानता हूं। परन्तु जब उनकी यह हालत है तो किस प्रकार हमारे वित्त मंत्री कहते हैं कि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधर गई है और साथ ही वह उन पर टैक्सों का बोझ लादने का प्रयत्न करते हैं। वह कहते हैं कि चूंकि इन लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर गई है इस वास्ते मैं यह उचित ही समझता हूं कि कपड़े पर टैक्स लगा दिया जाये और उन्होंने लगा भी दिया है। लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि यदि वह देश का दौरा करने का कष्ट उठायें और केवल शहरों तक ही अपनी गतिविधियों को सीमित न रखें और गांवों की ओर भी ध्यान दें तो उनको पता चलेगा कि इस वक्त किसानों के ऊपर पहले से ज्यादा बोझ पड़ा हुआ है। उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। आप अस्पतालों की ही बात ले लीजिये। अगर किसी किसान का लड़का या लड़की बीमार पड़ जाती है तो उसको यह सुविधा नहीं है कि वह जाकर सरकारी अस्पताल में उसको दाखिल करवा दें। बगैर घूस के कहीं काम ही नहीं चलता है। यही हाल पुलिस का है। वह भी बगैर घूस के काम नहीं करती है। अगर आज मुझे कोई मारता है और मैं रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन जाता हूं तो बिना रुपया लिये कोई मेरी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करेगा। यही हालत मुकदम्मों की है। बिना घूस दिये अगर आप चाहें कि आपके मुकदम्मे का फैसला हो जाये तो यह नामुमकिन बात है। इस तरह से जो बोझ पहले किसानों के ऊपर थे उनमें बजाय कमी होने के वृद्धि ही हुई है।

मैं मानता हूं कि प्लानिंग कमिशन में अच्छे आदमी हैं और हमें गौरव है कि हमारे प्रधान मंत्री उसके सभापति हैं। प्लानिंग कमिशन ने यह फैसला किया है कि जितने खेत हैं उनकी गणना की जाये, उनका सैंसस (गणना) लिया जाये। आज १६ राज्यों में गणना समाप्त हो गई है। लेकिन इन किसानों को इस गणना के दौरान में कितनी दिक्कत उठानी पड़ी है इसका ज्ञान शायद प्लानिंग कमिशन को नहीं है। मैं चाहता हूं कि खाद्य और कृषि मंत्रालय प्लानिंग कमिशन को बतायें कि यदि आज देश में २६ करोड़ ६० लाख एकड़ में खेती होती है तो यह मेरा दावा है कि सैंसस करने वालों ने किसानों से २६ करोड़ ६० लाख रुपये कम से कम बतौर घूस के जरूर वसूल किये होंगे। कई जगहों में हमने अपनी आंखों से देखा है कि एक-एक दस्तावीज को देखने के लिये पांच-पांच और दस-दस रुपये लिये गये हैं और यदि किसानों ने देने से इन्कार किया तो उनसे कहा गया कि यह जमीन तुम्हारी नहीं है दूसरे के नाम की है। यह बोझ जो किसानों पर पड़ा है यह दूसरी किस्म का बोझ है।

अब ट्यूबवैल्स को ले लीजिये। यह कहा गया है कि २,६५० ट्यूबवैल बनाये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त और ७५० ट्यूबवैल ग्रो मोर फूड (अधिक अन्न उपजाओ) के अन्तर्गत बनाये जा रहे हैं। अगर सरकार ट्यूबवैल बनवाती है तो वह ५०,००० या ६०,००० रुपया उस पर खर्च करती है। लेकिन अगर एक किसान बनाता है या अध्यक्ष महोदय आप खुद बनवायें तो १३,००० या १४,००० या १५,००० रुपया ही आपका एक साधारण ट्यूबवैल बनवाने में खर्च होगा। या ज्यादा से ज्यादा २० हजार लगेगा लेकिन बीस हजार और साठ हजार में तो बहुत बड़ा अन्तर है। और इसका बोझ कर के रूप में किसानों पर पड़ता है। यह बोझ इतना बढ़ गया है कि वह असह्य हो गया है। जिस चीज पर १५ हजार खर्च होने चाहिये अगर उस पर ६० हजार खर्च किये जायें तो कर जो निर्धारित होगा वह तो ६० हजार के हिसाब से ही होगा और इससे किसान का बोझ कई गुना बढ़ जायेगा। इसका परिणाम यह होता है कि जहां पानी की दर ५ रुपया प्रति एकड़ होनी चाहिये वहां वह १५ रुपये प्रति एकड़ निर्धारित

की जाती है। इससे किसानों की स्थिति कमजोर पड़ जाती है। इतना ही नहीं है। चाहे लेंड सेंसस हो, चाहे ट्यूबवैल हो, चाहे कचहरी हो, चाहे पुलिस हो कहीं पर भी उसका काम आसानी से नहीं निकलता। कहने का तात्पर्य यह है कि आज सन् १९५६ में हम किसानों को या खेतों पर काम करने वालों को इतनी स्वतन्त्रता नहीं दे सके हैं कि वे बड़े अफसरों के सामने सिर उठाकर बात कर सकें। इसे मैं एक दु:खद चीज समझता हूं। अगर आज आदमी कचहरी जाता है तो कांपते-कांपते जाता है, किसी बड़े अफसर के सामने जाता है तो कांपते-कांपते जाता है। मैं इस स्थिति को हटाना चाहता हूं।

हमारी स्थिति कमजोर होने का एक दूसरा कारण और है। अभी होली के दिनों में नार्थ बिहार में बीस रुपये और पच्चीस रुपये मन पर भी गेहूं नहीं मिलता था। अभी त्रिपुरा से शिकायत मिली है कि वहां २५ और ३० रुपये मन चावल मिलता है। अगर सरकार के चावल के खरीद के दाम ११ रुपये प्रति मन हैं तो त्रिपुरा में ज्यादा से ज्यादा, ट्रांसपोर्ट चार्जेज लगाने के बाद, १५ या १६ रुपये के भाव से मिलना चाहिये। आज हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में और पंजाब में तिलहन खूब पैदा होता है लेकिन बंगाल में तेल दो रुपये सेर भी नहीं मिल पाता। अगर इस बढ़ी हुई कीमत का लाभ किसान को मिलता तब भी कुछ संतोष होता। लेकिन होता यह है कि फसल के मौके पर किसान को तो ८ रुपये प्रति मन के भाव से दाम दिया जाता है। बाद में दाम बढ़ जाता है।

कहा जाता है कि किसान ढीले हैं। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाये तो उन्होंने उत्पादन काफी बढ़ा दिया है। जहां सन् १९५० में उत्पादन का आंकड़ा ९३.४ था वहां आज, यानी पिछले साल का आंकड़ा ११३.९ है। लेकिन भाव सन् १९५० में ११३.९ था वह आज गिर कर ७७.१ रह गया है। इस तरह से उसकी आय कम हो गयी है। मोटे ढंग से भी अगर किसी साधारण आदमी को समझाया जाये तो वह समझ लेगा कि इस प्रकार किसान की आय में कमी हो गयी है। अब इसका मुकाबला आप औद्योगिक उत्पादन से कीजिये। उसके उत्पादन का मूल्य जो कि सन् १९५० में १०४ था वह बढ़कर ११५.९ हो गया और दूसरी ओर किसान के उत्पादन का मूल्य जो कि सन् १९५० में ११३ था वह गिर कर ७७ रह गया। औद्योगिक उत्पादन के भाव बढ़ते जा रहे हैं। वह संगठित व्यवसाय है इसलिये उसके उत्पादन के मूल्य बढ़ते जा रहे हैं। अब आप देखिये कि शुगर (चीनी) फैक्टरी वाले कहते हैं कि जहां तक फैक्टरी के खेतों का प्रश्न है चाहे वे ५ हजार एकड़ के हों या दस हजार एकड़ के हों उनके लिये कोई सीलिंग नहीं होनी चाहिये और वह बात मान ली गयी है और प्लानिंग कमीशन ने भी इस बारे में एक पैराग्राफ लिख दिया है, क्योंकि इस व्यवसाय का उन पर दबाव है।

ला मिनिस्टर साहब कहते थे कि हम क्या रिपोर्ट तैयार करें। अगर केवल उनको रिपोर्ट में यही कहना है कि इस साल में कौन-कौन से कानून बने तब तो कोई बड़ी रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम अपेक्षा करते हैं कि वे अपनी रिपोर्ट में यह भी बतलावें कि साधारण आदमी को अब कचहरियों में पहले के मुकाबले में कितनी अधिक सुविधा मिलने लगी है ताकि लोगों की स्थिति का कुछ दिग्दर्शन हो सके।

**श्री कामत** : आप दुरुस्त कहते हैं।

**डा० राम सुभग सिंह** : जब किसान के यहां पैदावार होती है तो उसको उसका कम से कम दाम मिलता है। लेकिन जिस दिन उसके घर में वह चीज खत्म हो जाती है तो उसी का उसको दुगना दाम देना पड़ता है और कभी-कभी दुगना दाम देने पर भी उसको वह चीज नहीं मिलती।

इसी प्रश्न के साथ भूमि व्यवस्था का सवाल भी जुड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, इस वक्त २४,९९,००,००० आदमी खेती पर निर्भर करते हैं। इनमें से केवल १६ करोड़ आदमी ऐसे हैं जिनके पास अपनी खेती है, बाकी के पास, यानी ८ करोड़ के पास, अपनी खेती नहीं है। आज प्लानिंग कमीशन सीलिंग लगाने के प्रश्न पर विचार करती है लेकिन जिस वर्ग पर सीलिंग लगानी है वह संगठित

[ डा० राम सुभग सिंह ]

है। इसलिये इस प्रश्न का कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है और सब के सब इसमें फसे हुये हैं । लेकिन मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न को उस आदमी के दृष्टिकोण से सोचा जाये जिसके पास अपनी कोई जमीन नहीं है। हमको यह सोचना है कि हम उस आदमी को जमीन कैसे दें। आज हालत यह है कि किसी भी प्रदेश में यह सीलिंग का प्रश्न हल नहीं हो पाया है। केवल उत्तर प्रदेश, वगैरह दो-चार प्रदेशों में कुछ हुआ है, लेकिन वह भी भविष्य के लिये है कि भविष्य में कोई ३० एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकेगा । इस समय हमारे देश में २६ करोड़ एकड़ भूमि पर खेती होती है। वैसे कुल खेती योग्य भूमि हमारे यहां ४१ करोड़ ७० लाख एकड़ है। उसमें अगर हम सिंचाई वाली ५ करोड़ १७ लाख भूमि भी जोड़ लें तो कुल जमीन ४६ करोड़ ८७ लाख एकड़ होती है। हमारे पास कुल खेती करने वाले आदमी २४ करोड़ हैं। मोटे तौर पर इनको हम १० बीघा फी परिवार के हिसाब से दे सकते हैं। ऐसा करने के लिये ज़रूर कड़ाई करनी पड़ेगी । लेकिन आप कहेंगे कि ऐसा करने से उत्पादन नहीं बढ़ सकता। हमारी गवर्नमेंट दो-तीन साल से जापानी तरीके के प्रयोग कर रही है और उनमें सफलता भी मिली है। मैं समझता हूं कि अगर उन्नत तरीकों से खेती की जाये तो १० बीघे में भी काफी पैदावार हो सकती है। और मेरा तो विश्वास है कि छोटा किसान ज्यादा पैदावार करता है। जिसके पास एक एकड़ भूमि है वह उसमें सब्जी बोकर काफी पैसा कमा लेता है। हो सकता है कि जो बड़े-बड़े लोग हैं उनकी जमीन में कम पैदावार होती हो।

इसके अतिरिक्त मुझे एक और शिकायत है। वह यह है कि हम जो मदद देते हैं वह ज्यादातर बड़े लोगों को पहुंचती है जिनका गवर्नमेंट के अफसरों से ज्यादा मेल होता है। और यह स्वाभाविक है क्योंकि अफसर लोग भी अगर गांवों में जाते हैं तो इन्हीं बड़े लोगों के यहां जाते हैं। इसलिये चाहे कूआ खोदने की बात हो, चाहे ट्यूब वैल लगाने की बात हो, चाहे और कुछ करना हो, जो सहायता हम देते हैं उसका ज्यादातर हिस्सा बड़े लोगों को पहुंचता है।

जहां तक कोआपरेटिव का सवाल है उसका भी यही हाल है। साधारण आदमी को तो कोआपरेटिव के मानी भी नहीं मालूम। जो बड़े लोग हैं वे कोआपरेटिव से भी ज्यादा लाभ उठा लेते हैं। मैं यह तो नहीं कहता कि वे शत प्रतिशत लाभ स्वयं ही उठा लेते हैं, लेकिन जो हम इस मद में सहायता देते हैं उसका अधिकांश भाग उन्हीं को मिलता है। इसमें थोड़े सुधार की गुंजाइश है।

अब लोगों को बसाने का सवाल है। जहां तक खेतिहर मजदूर को बसाने का सवाल है उसमें अभी बहुत कम प्रगति हुई है। कोई एक सौ व्यक्तियों को ही भोपाल के मिकेनाइज्ड फार्म पर बसाया गया है। आन्ध्र में ५४० परिवारों को बसाने की योजना है और कच्छ में १३० परिवारों को बसाने की योजना है। उत्तर प्रदेश में १,००० परिवारों को बसाने की योजना है। पता नहीं कि अभी तक वे लोग बसाये गये या नहीं ।

इसका तात्पर्य यह है कि जिनके पास नहीं है उनको देने में अनेकों कठिनाइयों के ही कारण सरकार नहीं बसा सकी होगी लेकिन वह कौन-सी ताकत है जो इन कठिनाइयों पर विजय पाने की क्षमता रखती है ? उन कठिनाइयों को हमें हटाना चाहिये और उस रोड़े को हमें हटा देना चाहिये ।

सीलिंग मुकर्रर करने की बात जैसा कि मैंने पहले कहा, उस भूल-भुलैया में हम लोग परेशान हैं और यह हकीकत है कि सीलिंग एक बड़ी जटिल समस्या है और इसका निर्णय देश के तमाम वर्गों को देख कर करना चाहिये और इस बारे में कामत जी के शब्दों में एक सी समदर्शी नीति अख्तियार करनी चाहिये और एक पैमाने से हम सबको आय को कूतें, चाहे वह मजदूर हो और चाहे वह बड़ा से बड़ा टाटानगर की फैक्टरी का मैनेजर हो और हमें उन दोनों को एक दृष्टि से और एक जुये में नाथना चाहिये और मैं तो कहूंगा छोटे-बड़े मुलाजिमों को बराबर तनख्वाह मिले और अगर कोई उनमें से ज्यादा अक्लमंद हो तो वह अपनी अकल की मुफ्त सेवा प्रदान करे।

**श्री कामत** : वे बुद्धिदान दें ।

**डा० राम सुभग सिंह** : ठीक है, उनको बुद्धिदान देना चाहिये । अगर एक में दूसरे मुलाजिम की अपेक्षा अधिक बुद्धि है तो उनको यह शोभा नहीं देता कि उस बुद्धि के एवज में वह कुछ अधिक रुपया लें और यह मुआविजे वाली बात मैं उचित नहीं समझता । और यही कारण है कि प्लानिंग कमिशन ने सीलिंग के बारे में जो रुख अपनाया है उससे मैं सहमत नहीं हूं और उसको फ्लेयोर मानता हूं और यह क्या बात है कि उसने अभी तक इस बारे में जिस उचित ढंग से विचार करना चाहिये था, विचार नहीं किया है और जिससे प्रेरित होकर प्रान्तीय सरकारें उसको अपने यहां कार्यान्वित करें या जिससे हम लोग उत्साहित होकर खुद ब खुद शिक्षित हो जायें और उसको कार्य रूप में परिणत करने लगें ।

लैंड रिफार्म कमेटी की रिपोर्ट में फैमिली होल्डिंग के लिये कहा गया है कि १,६०० रुपये जिसकी ग्रास इनकम हो, चाहे १,२०० रुपये नैट इनकम है, वह फैमिली होल्डिंग है । बड़ी से बड़ी जो फैमिली होगी उसका ६ गुना देंगे और चाहे पर्सनल कल्टिवेशन के लिये तीन गुना तक दे सकते हैं । अब पर्सन्ल और इमपर्सन्ल के साथ-साथ यह जो लैंड मैनेजमेंट और एक कोआपरेटिव मैनेजमेंट की बात की जाती है और यह जो आपके लैंड सेंशस करने वाले मुलाजिम हैं, इनके जरिये जिस तरह से काम चलाया जाता है, उससे क्या इस योजना की सफलता की आशा की जा सकती है ? आप जबर्दस्ती देश के किसानों पर लैंड का मैनेजमेंट करने के लिये एक मैनेजर बैठाल सकते हैं और जिस तरह से कि इनकम टैक्स वाले जिस को कि इनकम टैक्स नहीं लगाना चाहिये, उसके लिये भी लिख देते हैं कि इससे इनकम टैक्स लिया जाय उसी तरह यहां भी धांधली बाजी चलेगी क्योंकि ऐफीशैण्ट के सर्टिफिकेट तो यह ही लोग देंगे, अब चाहे कृषि के इन्स्पेक्टर दें चाहे डिस्ट्रिक्ट एग्रीकलचर आफिसर दें, उनका वही रवैया रहने वाला है जैसा कि इनकम टैक्स के अफसरान का रहता है कि सबको अविश्वास की नजर से देखा जाय । जहां तक इस डिपार्टमेंट का ताल्लुक है मैं पूछना चाहता हूं कि कितने गांवों को इसने अपने ढंग से चलाने की कोशिश की और उसमें इसको सफलता मिली ? और जहां तक सरकार द्वारा डेरी फार्म के चलाने का सम्बन्ध है मैं पूछना चाहता हूं कि कौनसा ऐसा सरकारी डेरीफार्म है जो मुनाफे में चला हो या चल रहा है ? अगर कोई भी सरकारी डेरी फार्म मुनाफे में नहीं चल रहा है तो मैं पूछना चाहूंगा कि किसान उससे क्या सीखेगा ? सरकार के डेरीफार्मों से क्या हमारे किसान भाई कुछ भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं ? सरकार के जबलपुर, और डुमरांव और आरे के डेरीफार्म या तो टूट रहे हैं या घाटे में जा रहे हैं । हम लोग देहात में एक गाय या भैंस पालते हैं तो वह एक गाय या भैंस पाल कर ५,७ आदमी के एक परिवार का भरण-पोषण की व्यवस्था करते हैं । आप उस शख्स को जो एक गाय, या एक भैंस पालता है उसको मदद देने की क्या व्यवस्था करते हैं ? हरिनघटा डेरीफार्म को १ करोड़ ६० लाख रुपये देने की व्यवस्था है और २० करोड़ रुपये दूसरी पंचवर्षीय योजना में डेरीफार्मों पर खोलने के लिये रखे गये हैं । लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि सरकारी डेरी फार्ममों का काम जिस प्रकार चल रहा है वह उत्साहप्रद नहीं है और उनके काम में घाटा ही दिखाई पड़ता है । हरिनघटा, आरे और करनाल में इस तरह के डेरीफार्म की बातें चल रही है और हम काफी रुपया उन पर खर्च कर देते हैं और हम देख रहे हैं कि वहां पर ठीक तरह से काम नहीं होता है और चूंकि हम किसानों को कोई मदद नहीं दे रहे हैं इसलिये हमारे किसानों की आर्थिक रीढ़ की हड्डी दिन प्रति दिन कमजोर होती जाती है लेकिन रिपोर्ट में यह दिया जाता है कि इन किसानों की अवस्था प्रति दिन सुधरती जाती है तो सुधरती इस माने में है कि हम अपने बाहुबल से ज्यादा से ज्यादा पैदा करते हैं लेकिन आपकी सहायतायें उन लोगों तक नहीं पहुंच पातीं जो लोग कि सचमुच उसके पाने के हकदार हैं । इसीलिये मैं निवेदन करूंगा, यों तो हमें अपने मंत्री महोदयों में पूर्ण विश्वास है और मैं उनकी क्षमता का भी कायल हूं कि जो भी चीज रखी जाती है उसे जल्दी से जल्दी पूरी कर लेते हैं लेकिन इतना जरूर कहूंगा

[ डा० राम सुभग सिंह ]

कि यह जो यन्त्र है इसमें बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता है । लैंड सेंशस और ट्यूब वैल आदि योजनायें, इसमें शक नहीं, कि बड़ी अच्छी योजनायें हैं और अगर ठीक तरह इन पर कार्य किया जाय तो हमारे देश के किसानों और गांवों की दशा बहुत कुछ बेहतर हो सकती है और देश समृद्ध हो सकता है लेकिन जरूरत इस बात की है कि जिन लोगों और जिस मशीनरी पर इन योजनाओं को सफलतापूर्वक चलाने का भार है, उन में से आप खराब तत्वों को निकाल बाहर करिये और उस मशीनरी को पूरी तरह से ओवरहाल करिये क्योंकि आज लैंड सेंशस को लेकर किसानों में एक अविश्वास की भावना सी पैदा हो गई है क्योंकि वे देखते हैं कि इसको लेकर काफी गड़ बड़ चलती है और घूसखोरी भी चलती है । इसलिये अगर आप इन चीजों पर ध्यान देंगे और इनको सुधारेंगे तो आपकी यह सारी योजनायें कामयाब भी होंगी और दूसरी चीजों पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा ।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय) : मेरे कटौती प्रस्तावों में इस बात का उल्लेख किया गया कि हमारे देश के वनों में अंधाधुंध शिकार किया जाता है । एक ओर तो हम पशुओं का संरक्षण करने की ओर ध्यान दे रहे हैं और दूसरी ओर हमारे पशुधन का वध इतने जोरों पर है कि यदि यही अवस्था रही तो पन्द्रह बीस वर्ष में कोई जंगली पशु दिखाई नहीं देगा ।

देश के वन्य पशुओं के संरक्षण के लिये एक बोर्ड है, परन्तु उसकी शक्तियां बहुत सीमित हैं । इसी प्रकार शिकार के नियम तो अच्छे हैं, परन्तु व्यवहार में वे न के बराबर हैं । मुझे नहीं मालूम कि आया इस विभाग के प्रभारी किसी मंत्री को शिकार के बारे में कुछ ज्ञान है ।

दिल्ली के आस-पास और उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में चार वर्ष पहले २० इंच से लेकर २४ इंच तक के सींगों वाले हिरनों की कतारें मिला करती थीं, जिनका शिकारी लोग चाव से शिकार करते थे । परन्तु आज अच्छे सिरवाला हिरन कहीं दिखाई ही नहीं देता । यह कितनी दयनीय स्थिति है ।

मध्य प्रदेश की भी आज यही स्थिति है, जो पहले कभी भारत की सर्वोत्तम शिकारगाह थी । पहले वह चीतल और सांवर का घर था, पर अब वहां लम्बे सींगों वाला हिरन ढूंढना भी असम्भव है ।

इसका क्या कारण है ? दिल्ली में शरणार्थी लोग बहुत आ बसे हैं । दूसरे प्रत्येक व्यक्ति को शिकार का लाइसेंस दे दिया जाता है । और बहुधा लोग ऋतु, लिंग या आयु आदि का विचार किये बिना ही शिकार किया करते हैं । तीसरे, अमरीकी लोग भी यहां बहुत आ गये, जो जीपों में चढ़कर ऋतु, लिंग, आयु आदि का ध्यान न रखते हुए शिकार किया करते हैं ।

पशुओं की सबसे अधिक तबाही सैनिक अफसर किया करते हैं । वे इसके लिये सैनिक गाड़ियों का भी उपयोग करते देखे जाते हैं । ये लोग और अमरीकी लोग यह अनुभव नहीं करते कि हिरनी का मारना शिकारी विधि के अधीन बहुत बड़ा अपराध है । वे लोग अन्धाधुन्ध इनको मारते रहते हैं । अधिक दुःख की बात है कि ये शिकारी जंगली पशुओं को मार कर उनका मांस दिल्ली के होटल वालों को बेच देते हैं ।

पक्षियों का जीवन भी समाप्त होता जा रहा है । किसान लोग अपनी फसलों को बचाने वाली बन्दूकों के द्वारा पक्षियों को मारते रहते हैं और जब पानी सूख जाता है तो जहां थोड़ा बहुत पानी होता है, वहां वे बैठ जाते हैं और जो पशु पक्षी वहां पानी पीने आते हैं, उनको मारते रहते हैं, चाहे वह हिरनी हो या कोई पशु पक्षी का बच्चा ।

†मूल अंग्रेजी में.

मध्य प्रदेश में सैनिक अफसरों ने उधम मचा रखा है । वे शिकार खेलने का लाइसेंस लेने की परवाह भी नहीं करते । वहां के वरिष्ठ कर्मचारियों ने इस मामले में अपनी असहायावस्था प्रकट की । मैं एक उदाहरण उपस्थित करता हूं, मध्य प्रदेश का एक वरिष्ठ सैनिक अफसर मध्य प्रदेश के वन के बिल्कुल बीच बिना लाइसेंस शिकार खेलते हुए पकड़ा गया और उस पर अभियोग चलाने की बात आई, तभी सैनिक अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया और मामला रफा-दफा कर लिया गया । अफसर का यह कृत्य और सरकारी तंत्र का उसको बचाना कितनी शर्म की बात है ।

इनके अतिरिक्त इमारती लकड़ी के ठेकेदार भी, चाहे उनको बन्दूक सम्भालनी आती हो या नहीं, अपने साथ बन्दूक लेकर चलते हैं और अंधाधुंध पशुओं को मारते रहते हैं । यदि देखा जाये तो जो लोग वास्तविक शिकारी हैं, वे जंगली पशुओं के सबसे बड़े रक्षक हैं ।

मध्य प्रदेश में यह स्थिति है कि शेर और चीते को खाने के लिये जंगली पशु नहीं मिलते, इसलिये वे गांवों से गाय आदि पशुओं को उठाकर ले जाते हैं और मनुष्यों के उठाये जाने की भी बहुत-सी घटनायें हुई हैं । इसके दो कारण हैं, एक तो यह छोटे पशुओं के अन्धाधुंध मारे जाने के कारण इनको खुराक नहीं मिलती है । दूसरे ठेकेदार और सैनिक लोग शिकार को घायल करके छोड़ जाते हैं फिर घायल हुआ पशु बदला चुकाने के लिये मनुष्यों को मारने पर तुल जाता है ।

इसका इलाज यह है कि गर्मी की ऋतु में, जब फसलें नहीं होतीं, किसानों से फसल बचाने वाली बन्दूकें ले ली जायें । क्योंकि इसी मौसम में पशुओं का अधूरा शिकार खेला जाता है ।

दूसरे, जो लोग बिना अनुमति सरकारी रक्षित वनों में शिकार खेलते हुये पकड़े जायें, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाये और उनकी बन्दूकें ज़ब्त कर ली जायें और उनके शिकार के लाइसेंस रद्द कर दिये जायें । वन रक्षक (फारेस्ट गार्ड) गरीब होने के कारण थोड़ी-सी भी घूस मिल जाने पर इस बात की परवाह नहीं करते कि किसी अपराधी को दण्ड मिलना चाहिये ।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इमारती लकड़ी के ठेकेदारों या उनके किसी कर्मचारी को किसी भी प्रकार का शिकार का लाइसेंस न लेने दें ।

रक्षा विभाग को भी अनुदेश दिया जाना चाहिये कि उनका कोई भी कर्मचारी या अफ़सर सैनिक गाड़ियों में, बिना अनुमति शिकार न खेलें । सरकारी पेट्रोल का व्यय कर और सरकारी गाड़ियों में जाकर उनका बिना अनुमति शिकार खेलना अत्यन्त अनुचित है ।

मैंने इसलिये यह बात उठाई है क्योंकि जिन लोगों को जंगली पशुओं के संरक्षण में दिलचस्पी है, उन्हें इन बातों से बड़ा दु:ख होता है । जब तक केन्द्रीय सरकार इस मामले में हाथ नहीं डालेगी, कुछ नहीं होगा और पन्द्रह वर्ष में देश में कोई भी जंगली पशु दिखाई नहीं देगा ।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** (चित्तूर) : प्रथम योजना का मुख्य उद्देश्य खाद्य के बारे में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना था, जिसकी प्राप्ति बहुत कुछ अंशों में हो गई है । पटसन और गन्ना के अतिरिक्त अन्य सभी पदार्थों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है । पटसन और गन्ने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसकी प्राप्ति योजना काल में भी नहीं हो सकेगी । उत्पादन में वृद्धि न केवल अधिक भूमि पर खेती करके अपितु भूमि की उर्वरता बढ़ जाने के कारण हुई है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हम दस करोड़ अतिरिक्त खाद्यान्नों का उत्पादन करना चाहते हैं, जिसमें ८ प्रतिशत अधिक भूमि पर खेती करके और ९२ प्रतिशत उत्पादन में वृद्धि करके । हमारे देश की भूमि संसार के देशों में सब से कम उपजाऊ है । अत: उससे आय भी कम ही होती है । इस आय में वृद्धि उत्पादन में वृद्धि करके ही की जा सकती है जिसके लिये कृषि करने के उन्नत तरीकों, अच्छी प्रकार की खाद का प्रयोग करना आवश्यक है ।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री विश्वनाथ रेड्डी]

सरकार की गन्ने के बारे में बड़ी गलत नीति है । अभी हमारे यहां केवल १७ लाख टन चीनी तैयार होती है जबकि हमारी आवश्यकता २५ लाख टन की है । इस कमी को पूरा करने के लिये विद्यमान चीनी कारखानों का विस्तार भी करना होगा और नई चीनी मिलें खोलने के लिये अनुमति देनी होगी । विस्तार कार्यक्रम ४३ कारखानों में लागू करने का विचार किया जा रहा है जिससे ३ लाख टन चीनी तैयार होगी । शेष पांच लाख टन की पूर्त्ति नई चीनी मिलों के द्वारा होगी । नये कारखानों को लाइसेंस देने के बारे में खाद्य और कृषि मंत्रालय का रुख बड़ा खराब है । योजना आयोग ने स्वयं अपने प्रतिवेदन में कहा है कि देश में अब खाद्यान्नों के उत्पादन पर आत्याधिक जोर देने की आवश्यकता नहीं है । हमारा उद्देश्य तो ऐसी फसलों को बदल-बदल कर बोना होना चाहिये जिससे भूमि से अधिकाधिक लाभ उठाया जा सके और भूमि की उत्पादन शक्ति भी बढ़ सके ।

देखा यह गया है कि जिन स्थानों में अधिकांशतः अन्न की खेती होती है वहां चीनी की मिल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है । वास्तव में देखा जाये तो ऐसा नहीं होना चाहिये क्योंकि हमारा उद्देश्य तो चीनी की कमी को पूरा करना है । जहां कहीं सारी सुविधायें उपलब्ध हों वहां चीनी की नई मिलें खोलने के लिये अनुमति दी जानी चाहिये । मैं इस सम्बन्ध में विशेष रूप से आन्ध्र का उल्लेख करना चाहूंगा । आन्ध्र में अधिकांशतः खाद्यान्न ही पैदा किये जाते हैं जबकि मेरा सुझाव यह है कि वहां चीनी के और कारखाने खोलने के लिये स्वीकृति दी जानी चाहिये । वहां आठ कारखाने काफी नहीं हैं । वास्तव में यदि देखा जाये तो आंध्र में सबसे सस्ती दर पर चीनी तैयार की जा सकती है । गन्ने की प्रति एकड़ पैदावार भी वहां अधिक है ।

मैं चाहूंगा कि खाद्य और कृषि मंत्रालय तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में समन्वय होना चाहिये । कुछ कृषि पदार्थों के निर्यात के बारे में जो नीति अपनाई गई है उससे कृषकों को कोई सहायता नहीं मिलती । निर्यात किये जाने वाले पदार्थों के बारे में मंत्रालय के कृषि अर्थ व्यवस्था और सांख्यिकी विभाग को न केवल राय ही देनी चाहिये वरन् सरकार को यह भी बताना चाहिये कि किस मात्रा में निर्यात किया जा सकता है । झगड़ा यह है कि यदि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय निर्यात की कुछ मात्रा निर्धारित करता है तो खाद्य और कृषि मंत्रालय सावधानी बरतने के लिये उतनी मात्रा निर्यात नहीं करेगा । यही कारण है कि उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय को समय पर सम्मति नहीं मिल पाती ।

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : क्या आप कोई उदाहरण दे सकते हैं ।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** : पिछले वर्ष मूंगफली की पैदावार बहुत अधिक हुई थी और उसके निर्यात करने का प्रश्न उस समय उठाया गया जब कि बड़े-बड़े व्यापारियों को उससे लाभ हुआ और कृषक बेचारे ज्यों के त्यों ही रह गये । एक और उदाहरण लीजिये । पिछले वर्ष इसी प्रकार चावल के निर्यात के बारे में भी हुआ था जबकि कृषकों को कोई लाभ नहीं हुआ और २ लाख टन स्वीकृत निर्यात मात्रा में से केवल ८५,००० टन निर्यात किया गया । मैं और भी अनेक उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूं ।

अब मैं बागबानी और फल परिरक्षण उद्योग के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा । कहा जाता है कि हमारे यहां जितने फल पैदा होते हैं उसके २५ प्रतिशत बिल्कुल सड़-गल जाते हैं । भले ही हम संतुलित भोजन की स्थिति तक न पहुंच सकें किन्तु यदि हम इन २५ प्रतिशत फलों को जो नष्ट हो जाते हैं, बचाने का प्रयत्न करें, तो भी बहुत कुछ हो सकता है । इसके लिये हमें एक कार्यक्रम बनाकर आगे बढ़ना चाहिये । प्रथम पंचवर्षीय योजना में तो इस सम्बन्ध में कुछ कार्य हो नहीं सका । द्वितीय योजना काल में फल परिरक्षण उद्योग की क्षमता बढ़ा कर एक लाख टन प्रति वर्ष करने का विचार है । सभा को इस पर विचार करना चाहिये । बड़े-बड़े देशों में जहां काफी फलों का उपभोग होता है, शीत-

†मूल अंग्रेजी में

संग्रहागारों का प्रबन्ध नहीं है। इस ओर मंत्रालय बिल्कुल ध्यान नहीं देता। मौसम में फल आवश्यकता से अधिक आ जाते हैं और फसल के पश्चात् ढूंढे नहीं मिलते। अतः विभिन्न उपभोग केन्द्रों में शीत-संग्रहागारों की सुविधा की जानी चाहिये। इनको सहकारिता के ढंग पर भी चलाया जा सकता है। इस प्रकार व्यापारियों को भी काफी लाभ हो सकेगा।

अब मैं भूमि की सहायता के बिना फ़सलें उत्पादित करने का उल्लेख करना चाहता हूं। इससे न केवल उत्पादन में वृद्धि होगी वरन् नियंत्रित दशाओं में हमें इनके अध्ययन करने का भी अवसर मिलेगा। अभी तक कोई भी कृषि संस्था ने इस प्रकार का कार्य नहीं किया है। सुना है कि दक्षिण में इस कार्य को लागू किया गया है। वास्तव में देखा जाये तो हमें इस ओर कदम बढ़ाना चाहिये क्योंकि भविष्य में भी हमारा देश कृषि-प्रधान ही रहेगा, उद्योग-प्रधान नहीं बन जायेगा। दूसरी बात यह कि जनसंख्या भी निरन्तर बढ़ती जा रही है। अतः मेरा सुझाव कि इस ओर भी तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिये।

तत्पश्चात् मैं नलकूप कार्यक्रम का एक सरसरी तौर पर उल्लेख करना चाहूंगा। दो-तीन वर्ष पूर्व यह कार्यक्रम आरम्भ किया गया था। इस बारे में हमारी प्रगति बहुत धीमी है क्योंकि ३५० में से केवल १९ नलकूप अभी तक बनाये जा सके हैं। अतः इस ओर तीव्रता से कार्य करने की आवश्यकता है।

[ **उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए ]

प्रतिवेदन से पता लगा कि नींबू घास और चन्दन के तेल का कारखाना नागपुर में स्थापित होगा। जहां तक मैं समझता हूं त्रावनकोर-कोचीन में नींबू घास होता है और इस देश में जितना चन्दन का तेल पैदा होता है उसका लगभग ९० प्रतिशत मैसूर राज्य से प्राप्त होता है। मेरी समझ में नहीं आता कि जब वस्तु-स्थिति ऐसी है तो फिर यह कारखाना मध्य प्रदेश में क्यों स्थापित किया जा रहा है। अतः मुख्य प्रयोगशाला त्रावनकोर-कोचीन या मैसूर राज्य में स्थापित की जानी चाहिये और उसकी अन्य शाखा भले ही कहीं और खोली जा सकती है।

अब मैं कुछ कृषि-पदार्थों के मूल्यों का उल्लेख करना चाहूंगा। देश में कृषि पदार्थों के मूल्य बढ़ते ही उन्हें घटाने के लिये हाय-तोबा मच गई थी। सरकार को भी इस पर ध्यान देना पड़ा। मेरी शिकायत यह है कि इस बारे में सरकार ने अपना कोई निश्चित आधार नहीं बनाया है। हम किसी भी पदार्थ की उत्पादन लागत नहीं जान पाते। इस बारे में सांख्यिकी और अर्थव्यवस्था विभाग भी कुछ हमारी सहायता नहीं कर रहा है। विभिन्न पदार्थों की उत्पादन लागत जाने बिना ही हम खाद्यान्नों के मूल्य पर नियन्त्रण लगाने की बात सोचने लगते हैं। अतः कोई नीति बनाने से पूर्व मैं सुझाव दूंगा कि सरकार को चाहिये कि वह कोई ऐसा अभिकरण बनाये जो विभिन्न पदार्थों का मूल्यांकन कर उनका मूल्य तदर्थ आधार पर निर्धारित न कर उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित करे।

**चौ० रणवीर सिंह** (रोहतक) : मैं कोई भी बात कहने से पहले उन करोड़ों किसानों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने अपनी मेहनत से और जो सरकार की बहुत थोड़ी मदद मिली, उसके जरिये देश के अन्दर वह हालात पैदा किये जिनकी वजह से हमारी पहली पंचवर्षीय योजना कामयाब हुई और दूसरी पंचसाला योजना के लिये एक मजबूत नींव रखी गई।

आपको मालूम ही है कि हमारी आबादी का तकरीबन ७० फी सदी हिस्सा खेती से सम्बन्ध रखता है, लेकिन इस ७० फी सदी आबादी के हिस्से में सारे देश की पैदावार का कुल ५० फी सदी हिस्सा ही आता है, जिससे जाहिर होता है कि अगर देश के अन्दर हमें समाजवादी ढंग का समाज बनाना है तो सबसे पहले हमें इस चीज को, कि देश की ७० फी सदी आबादी की आमदनी देश की पैदावार का कुल ५० फी सदी हिस्सा है, खत्म करना है।

[चौ० रणवीर सिंह]

पिछली पंचसाला स्कीम के अन्दर खेती के लिये जो रुपया खर्च किया गया था इस मंत्रालय के द्वारा वह २४३ करोड़ था और आइन्दा पंचसाला प्लैन के ऊपर ३४० करोड़ रुपया रखा गया है जबकि देश की तमाम प्लैन के ऊपर पहले २,००० करोड़ रुपया खर्च हुये और आगे हम ४,८०० करोड़ रुपये खर्च करना चाहते हैं। साफ जाहिर होता है कि शायद हमारे प्लैनर्स यह समझ बैठे हैं कि इस देश की खेती का मसला बहुत हद तक सुलझ गया है।

जबकि सरमाया जो दूसरी पंचसाला योजना पर लगने का है, वह पहली पंचसाला स्कीम से दुगने से भी ज्यादा है तो इस मंत्रालय के ऊपर होने वाला खर्चा अगर तीन गुना नहीं हो सकता है तो कम से कम जिस हिसाब से दूसरे मुहकमों पर खर्चा बढ़ा है उसी हिसाब से इस विभाग का भी खर्चा बढ़ाना चाहिये था। मैं नहीं कह सकता कि इस विभाग के लिये और अधिक रक़म क्यों नहीं बढ़ाई गई वैसे मैं जानता हूं कि इस खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के तीनों मंत्री महोदय बढ़े काबिल आदमी हैं और तीनों के दिलों में इस देश के किसानों के लिये बड़ा प्यार है। पता नहीं इस मंत्रालय ने प्लानिंग कमिशन से ही कम रुपया मांगा या वहां से ही कम दिया गया, लेकिन यह मैं कहे बगैर नहीं रह सकता कि किसानों के साथ न्याय नहीं किया गया है। अगर किसान मेहनत नहीं करते तो यह पहली पंचसाला योजना ही कामयाब नहीं होती और दूसरी का तो शायद हम स्वप्न भी नहीं देख सकते। इससे बढ़िया इनवैस्टमेंट का ज़रिया क्या हो सकता है? देश के अन्दर चाहे कृषि मंत्रालय पर लगाइये चाहे इर्रीगेशन वगैरह के ऊपर लगाइये सारे मिलकर मेरे ख्याल में ६०० करोड़ से ज्यादा पहली पंचसाला योजना में खर्च नहीं किया गया है हालांकि इस मंत्रालय के ऊपर तो सिर्फ २४३ करोड़ रुपया ही खर्च हुआ। अब जो हमारी आमदनी, अनाज की पैदावार, कपास और पटसन की पैदावार बढ़ी, वह पैदावारकम से कम उस पैदावार में से हमारे आने वाले पांच सालों के अन्दर कम से कम १,२०० करोड़ पहले बाहर भेजा जाता था अनाज, कपास या पटसन आदि मंगाने के लिये वह अब आगे नहीं किया जायेगा। एक रुपये के बदले में किसान ने पांच साल के अन्दर दो रुपये पैदा किये, तो इससे बढ़कर कौनसा क्षेत्र ऐसा हो सकता था जिसमें ज्यादा से ज्यादा रुपया लगाने के लिये सरकार सोच सकती थी?

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि डा० राम सुभग सिंह ने कहा कि इस देश के अन्दर किसानों की जो हालत है वह ऐसी है कि उनको जितना मिलता है और जितना उसमें लगाते हैं, उसमें घाटा ही रहता है, आमदनी तो दूर रही और जिसका नतीजा यह है कि इस देश के किसानों के ऊपर कर्ज का भार बढ़ रहा है। आज अरबों रुपये के कर्ज का भार हमारे देश के किसानों के ऊपर है। मुझे दूसरे सूबों का तो उतना ज्यादा तजुर्बा नहीं, लेकिन अगर अपने सूबे के उपाध्यक्ष महोदय, जहां के कि आप और हम रहने वाले हैं, उनके हालात का अगर हम मुक़ाबला करें तो हमें ताज्जुब होता है कि आया यह हिन्दुस्तान की आज़ादी किसानों के लिये है या मनीलैंडर्स की है। हमारे सूबे में क़ानून था कि कोई मनीलैंडर किसी काश्तकार की न तो ज़मीन नीलाम करा सकता था और न उसका कोई मींस आफ़ प्रोडक्शन नीलाम करा सकता था लेकिन आज हालत दूसरी है और आज के क़ायदे के हिसाब से उसका मींस आफ़ प्रोडक्शन और उसकी जमीन भी कुर्क हो सकती है। हमें तो उम्मीद थी कि काफी प्रान्त में भी देश के आज़ाद होने के बाद पंजाब से कुछ शिक्षा लेंगे और गरीब किसानों को इन सूद लेने वालों अर्थात् मनीलैंडर्स के पंजों और शिकंजों से बचायेंगे। जो रूरल क्रेडिट सर्वे रिपोर्ट निकली है उससे जाहिर होता है कि अंदाजन कोई २५ परसेंट और ३० परसेंट तक सूद लिया जाता है जबकि बिड़ला और दूसरे बड़े-बड़े पूंजीपति और कारख़ानेदार जो आज भी ताक़तवर हैं और अगर वे कोई नया काम चलाना चाहें तो उनको ३, ४ या ५ फीसदी की दर के ऊपर कर्ज दिया जा सकता है और इस दर से वे जितना चाहें कर्ज़ ले सकते हैं। दूसरी तरफ किसान हैं जो क़र्ज के भार से दबे हुये हैं और अगर वे अपनी हालत को सुधारने के लिये कर्ज लेना चाहें या क़र्ज लेने क लिये मजबूर हों तो उनको १८, २० और ३० फीसदी की दर से

कर्ज लेना पड़ता है तो इसी से आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश के किसानों का भविष्य कैसा अंधकारमय है ?

इस देश के अन्दर अगर समाजवादी ढंग का समाज बनाना है तो इस देश के नेताओं को और सरकार को सोचना होगा और बड़ी गम्भीरता से सोचना होगा कि जो पहले के कर्जे हैं, उन कर्जों के बदले में किसानों की ज़मीनें और उनके मींस आफ़ प्रोडक्शन (उत्पादन के साधन) अवश्य बचाने होंगे। इस सम्बन्ध में जो कायदे और कानून पंजाब सूबे के अन्दर थे, वे तमाम देश के अन्दर रायज़ करने होंगे ताकि किसान लोग अपने आपको जो रुपया कर्ज देने वाले हैं अर्थात् मनीलैंडर्स लोगों से अपने को बचा सकें। साथ ही साथ इस तरह की भी व्यवस्था होनी चाहिये कि अपनी उन्नति करने के लिये वाजिबी दर पर इनको आर्थिक सहायता मिल जाया करे।

कोआपरेटिव्स् की इस देश में बड़ी चर्चा और शोरशराबा है और यह कहा जा रहा है कि इस के अन्दर आगे आने वाले 'पांच सालों' के अन्दर बड़े-बड़े गोदाम बनाये जायेंगे, हमें यह सब सुन कर बड़ी खुशी हुई, लेकिन हमें इसमें एक डर है और वह यह है कि कोआपरेटिव्स् के नाम से इस में कुछ थोड़े से वही लोग दाख़िल हो जाते हैं जिनके कि पास रुपया है और जिनके कि बाप दादा गरीब किसानों को क़र्जा दिया करते थे। आज हम क्या देखते हैं कि हमारे ही ज़िले के अन्दर एक कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी बनी है। उसके बारे में मंत्री महोदय से बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि उनका ख्याल है कि १०, १५ मील के इलाके से जहां से कि गन्ना आ सकता है और जहां से कि गन्ना आना चाहिये, उससे बाहर के इलाकों के जो शेयर होल्डर्स हैं, वे इसमें नहीं होने चाहियें। मैं समझता हूं मुझ से उनको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि ५० फीसदी से ज्यादा जो हिस्से हैं वे ऐसे इलाकों के हैं जिनका कि गन्ना उस शूगर फैक्टरी में नहीं आ सकता। यही नहीं, हमारे मंत्री महोदय ने बताया कि हमारी पंजाब सरकार से बातचीत हुई है और उन्होंने यकीन दिलाया है कि वह १०, १५ मील के इलाके से बाहर के किसानों के हिस्से १०,१५ मील के किसानों के हिस्से में तबदील करेंगे, लेकिन मंत्री महोदय और उपाध्यक्ष महोदय आपको यह जान कर ताज्जुब होगा कि बीच के अर्से के लिये जो डाइरेक्टर्स नामिनेट किये गये, उनमें ७५ फीसदी ऐसे आदमी हैं जो १५ मील से दूर के रहने वाले हैं और ७५ फीसदी ऐसे आदमी हैं जिनका कि गन्ना उस मिल के अन्दर क्रश नहीं किया जायगा। उसके अन्दर वे कोआपरेटिव ढंग से कोई फायदा उठा नहीं सकेंगे, वे क्रैडिटर के नाते आ रहे हैं। अगर आप सही मानों में कोआपरेटिव सोसाइटियाँ लोगों की भलाई के लिये चलाना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि चाहे आप झिझकें या और कोई बात कहें, एक ही उसूल हमें मानना होगा और उस ढंग पर हमें कोशिश करनी होगी कि हर एक छोटे से छोटे इलाके में एक कोआपरेटिव सोसाइटी बनाई जाय और आपको किसान को उसमें शामिल होने के लिये तैयार करना पड़ेगा और अगर उसके पास शेयर खरीदने के लिये अपना रुपया नहीं है तो उसको रुपया दिया जाय और तक़ावी लोन उसके नाम लिख लिया जाय और हर एक आदमी को जो उस कोआपरेटिव सोसाइटी का लाभ उठायेगा, उसको उसका हिस्सेदार बनाया जाय। इस तरह की कोआप-रेटिव्स् बनाई जानी बहुत जरूरी हैं वरना आज जो गरीबों को २०, ३० और ४० फीसदी की दर से सूद लेकर लूटा जा रहा है वह लूटखसोट जारी रहेगी।

मंत्री महोदय से मैं कहूंगा कि अगर आप दिल से चाहते हैं कि यहां पर कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी बने और किसानों की भलाई के लिये काम हो तो उसकी एक ही तरकीब है कि सरकार अपना सरमाया उनमें लगाये। आज उन आदमियों से जिनमें से तकरीबन ५२ या ५७ फीसदी कर्जदार हैं, कैसे आप यह तवक्को कर सकते हैं कि वह आपको रुपये देने के लिये पैसे बचा कर रखेंगे ? उनको आप को रुपया तकावी की शक्ल में देना होगा। इसके अलावा आपको उनकी आमदनी बढ़ाने के लिये कुछ समय काम करना होगा। अगर आप को उनके ऊपर बीस लाख रुपया लगाना है और उनसे सिर्फ चार या

[ चौ० रणवीर सिंह ]
पांच लाख ही वसूल हो सकता है, तो बाकी का पंद्रह लाख रुपया आपको उनको तकावी की शक्ल में देना चाहिये ।

इसके बाद मैं कुछ और अर्ज करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से । आपके और हमारे इलाके में भाखरा नंगल की स्कीम तकरीबन मुकम्मिल होने वाली है । आप जानते हैं कि यह सतलुज का पानी बहुत से शहरों और गांवों को तबाह कर दिया करता था । लेकिन जो भाखरा नंगल का डैम बना है इससे बहुत सारे शहर और गांव तबाही से भी बचेंगे और वह लोग भी बचेंगे जो कि मुल्क की जमीन से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं । ऐसी हालत में यह तमाम का तमाम रुपया आखिर बेटरमेंट फीस की शक्ल में किसानों से ही क्यों लिया जाय ? उसका कुछ हिस्सा सरकार फ्लड कंट्रोल या किसी दूसरे नाम से दे । बेटरमेंट फीस किसानों की हैसियत से और लाभ के अनुपात में ही लगाई जाय ।

किसानों की बहबूदी के लिये अगर कोई रोशनी हमारे सामने नजर आती है तो वह अम्बर चरखा है । आज अम्बर चर्खे चलाने वाले और आल इंडिया खादी बोर्ड वाले सरकार के पास आने में घबराते हैं । मैं चाहता हूं कि इस अम्बर चर्खे के लिये मिनिस्ट्री आफ प्रोडक्शन उन को कम से कम ५० फीसदी ग्रान्ट दे ताकि इस अम्बर चर्खे की उन्नति हो सके । मैं इसके बारे में आपके द्वारा और इस हाउस के द्वारा मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि अगर उनकी मिनिस्ट्री उन लोगों को हौसला दे आज देश के किसान १०० रु० फी चर्खे के हिसाब से खरीद सकते हैं । लेकिन वह तभी सम्भव है जब मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन या जो आप का सेक्रेटेरियट है, जिसका रुझान बड़े-बड़े सरमायेदारों की तरफ है, वह गरीब लोगों को उनके झंझट से निकाल कर हौसला दे । मिनिस्ट्री आफ प्रोडक्शन और इस मिनिस्ट्री आफ फूड ऐंड ऐग्रिकल्चर को इस चर्खे को आगे बढ़ाने में उनकी सहायता करनी चाहिये और पूरा बढ़ाव देना चाहिये । जैसा अभी डाक्टर राम सुभग सिंह ने बतलाया कितने आदमी ऐसे हैं जो अपना समय खेती में लगा सकते हैं ? उनका काफी समय बच रहता है जिस को वह अपनी तरक्की करने के काम में इस्तेमाल कर सकते हैं ।

साथ ही मैं यह अर्ज भी करना चाहता हूं कि यहां बड़ी-बड़ी स्कीमें निकाली जाती हैं, हमारे देश में खेती को बढ़ाने के लिये भी बड़ी-बड़ी स्कीमें हैं । लेकिन क्या इस मंत्रालय ने कभी यह सोचा है कि जो हिन्दुस्तान के आम किसान हैं जिनकी होलडिंग कुल तीन, चार या पांच एकड़ की है, कैसे एकानमिक खेती में तब्दील किया जाय, और क्या इसके लिये कोई स्टैप लिया गया ? मैं और डा० राम सुभग सिंह जापान गये थे, वहां हमने देखा कि जिस किसान के पास पांच एकड़ की मिल्कियत है वह करीब पंद्रह हजार रुपया साल कमा सकता है । तो क्या हम इस मंत्रालय से यह तवक्को कर सकते हैं कि वह बजाय इसके कि बड़ी-बड़ी चीजों की तरफ ध्यान दे, जैसे इसकी तरफ कि एक तरफ लोग यह कहते हैं कि सीलिंग होनी चाहिये, दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि सीलिंग न होनी चाहिये, इस सबको हल करे और बेचारे किसानों की तरक्की के लिये सोचे । उन आदमियों की तरक्की की बात सोचे जिन के पास सिर्फ पांच या सात एकड़ की होल्डिंग है और जिनकी खेती एक घाटे की खेती है । आज सरकार लाखों करोड़ों रुपया रिसर्च के ऊपर खर्च करती जा रही है, उस रिसर्च को करने के बाद क्या वह इन चार या पांच एकड़ की मिल्कियत वालों की खेती को फ़ायदेमन्द बनाने के लिये कोई तजवीज रखती है ? मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि किस तरह से आज वह यह कर सकती है कि रिसर्च पर जो करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है उसका फायदा आम किसानों तक पहुंच सके ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अगले माननीय सदस्य का नाम पुकारने से पूर्व मुझे एक घोषणा करनी है ।

†मूल अंग्रेजी में

खाद्य और कृषि मंत्रालय के अधीन विभिन्न मांगों सम्बन्धी निम्नलिखित छँटे हुए कटौती प्रस्ताव हैं, जिनके बारे में यह ठहराया गया है कि सदस्य उन्हें प्रस्तुत करेंगे :

| मांग संख्यायें | कटौती प्रस्तावों की संख्या |
|---|---|
| ४२ | १३ से १८, ११३ से ११६, ३६९, ३७०, १०५४ से १०७१, १०७५ से १०८८, १०९० से १०९३, १०९५ से ११०१ । |
| ४३ | ११७, ६०५, ९१९, ९२०, ११०२, ११०५ । |
| ४४ | १९, ११८, ११९, १२०, ३७१, ३७२, ३७३, ३७४, ६१३, ६१४, ११२० से ११३४ । |
| ४५ | १२१ । |
| ४६ | २० से २४, १२२ । |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्तावक | कटौती आधार | कटौती राशि (रुपयों में) |
|---|---|---|---|
| ४२ | श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा पश्चिम) | आदिम जातियों के गांवों में मीन क्षेत्र आरम्भ करने के लिये वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता । | १०० |
| ४२ | श्री बीरेन दत्त | त्रिपुरा में आदिम जाति के लोगों और विस्थापित व्यक्तियों द्वारा आरम्भ किये गये वर्तमान मीन क्षेत्रों को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता । | १०० |
| ४२ | श्री बीरेन दत्त | त्रिपुरा की कृष्य भूमि के विस्तृत क्षेत्र में कृषि करने के लिये केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन का एक यूनिट स्थापित करने की आवश्यकता । | १०० |
| ४२ | श्री बीरेन दत्त | त्रिपुरा में ऋण द्वारा और अन्य प्रकार की सहायता से त्रिपुरा के तम्बाकू उत्पादकों को सहायता देना । | १०० |
| ४२ | श्री बीरेन दत्त | त्रिपुरा में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा भूमि पर बसाये गये जूमियों को बीज और खाद देने की आवश्यकता । | १०० |
| ४२ | श्री बीरेन दत्त | जिन ग्रामवासियों ने ऊसर भूमि को सींचने के लिये नहरें बनाने का प्रबन्ध किया है उन्हें सहायता देने की आवश्यकता । | १०० |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्तावक | कटौती आधार | कटौती राशि (रुपयों में) |
|---|---|---|---|
| ४२ | श्री बीरेन दत्त | विभिन्न संगठनों और त्रिपुरा सरकार द्वारा भूमि सुधार के सुझावों को प्रभावी बनाने की आवश्यकता । | १०० |
| ४२ | श्री बीरेन दत्त | प्रथम पंचवर्षीय योजना में कोई भूमि सुधार न करने में असफलता । | १०० |
| ४२ | श्री बीरेन दत्त | त्रिपुरा में किसानों को भूमि कृष्यंकरण के लिये सहायता देने की आवश्यकता । | १०० |
| ४२ | श्री बीरेन दत्त | घोरमारा और त्रिपुरा के अन्य क्षेत्रों में सिंचाई की छोटी योजनाओं को आरम्भ करने की आवश्यकता । | १०० |
| ४२ | ठाकुर युगल किशोर सिंह (मुजफ्फरपुर-उत्तर-पश्चिम) | भारत में सहकारिता आन्दोलन को लोकप्रिय बनाने में सरकार की असफलता । | १०० |
| ४२ | ठाकुर युगल किशोर सिंह | उत्पादन बढ़ाने में छोटे किसानों को पर्याप्त सहायता देने में सरकार की असफलता । | १०० |
| ४२ | श्री एन० बी० चौधरी (घाटल) | आलू के बीजों के ऊंचे दामों को घटाने में असफलता । | १०० |
| ४२ | श्री एन० बी० चौधरी | किसानों का कोरम । | १०० |
| ४२ | श्री एन० बी० चौधरी | अभाव वाले क्षेत्रों के लिये व्यवस्था । | १०० |
| ४२ | श्री एन० बी० चौधरी | चीनी वितरण सम्बन्धी नीति । | १०० |
| ४२ | श्री एन० बी० चौधरी | गहरे समुद्रों में मछली पकड़ना । | १०० |
| ४२ | श्री एन० बी० चौधरी | वन विकास नीति । | १०० |
| ४२ | श्री एन० बी० चौधरी | चावल के मूल्य की नीति । | १०० |
| ४२ | श्री एन० बी० चौधरी | नव-युवक किसान आदान-प्रदान कार्यक्रम । | १०० |
| ४२ | श्री एन० बी० चौधरी | अमरीकी अतिरिक्त कृषि-उत्पाद के उत्सर्जन के प्रति रुख । | १०० |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्तावक | कटौती आधार | कटौती राशि (रुपयों में) |
|---|---|---|---|
| ४२ | श्री एन० बी० चौधरी | कृषि सम्बन्धी जानकारी का प्रचार। | १०० |
| ४२ | श्री एन० बी० चौधरी | अच्छी किस्म के पटसन के अच्छे बीज अपेक्षित मात्रा में वितरित करने में असमर्थता। | १०० |
| ४२ | श्री एन० बी० चौधरी | लाख का उत्पादन और लाख उद्योग। | १०० |
| ४२ | श्री एन० बी० चौधरी | कलकत्ता और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में चावल के मूल्यों में हाल ही में हुई अत्यधिक वृद्धि को रोकने में असफलता। | १०० |
| ४२ | श्री एन० बी० चौधरी | खाद्यान्नों की निर्यात नीति। | १०० |
| ४२ | श्री एन० बी० चौधरी | वाणिज्यिक फसलों की मूल्य सम्बन्धी नीति। | १०० |
| ४२ | श्री एन० बी० चौधरी | केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन द्वारा भूमि के कृष्यकरण के लिये ली गई धन राशि। | १०० |
| ४२ | श्री एन० बी० चौधरी | सामान के लिये गोदाम बनाने के बारे में कार्यवाही करने में विलम्ब। | १०० |
| ४२ | श्री एन० बी० चौधरी | पश्चिमी बंगाल के कुछ भागों में नल-कूपों की आवश्यकता। | १०० |
| ४२ | श्री एन० बी० चौधरी | पशुपालन का विकास करने की आवश्यकता। | १०० |
| ४२ | श्री एन० बी० चौधरी | गुड़ का मूल्य। | १०० |
| ४२ | श्री एन० बी० चौधरी | चीनी और गन्ने के मूल्य। | १०० |
| ४२ | श्री एन० बी० चौधरी | खाद्यान्न का अन्तर्देशीय यातायात। | १०० |
| ४२ | श्री एन० बी० चौधरी | भांडार सम्बन्धी नीति। | १०० |
| ४२ | श्री एन० बी० चौधरी | धान कूटना। | १०० |
| ४२ | श्री एन० बी० चौधरी | अभाव की दशा और सहायता कार्य। | १०० |
| ४२ | श्री एन० बी० चौधरी | भूमि सुधार सम्बन्धी विधि के बारे में राज्य सरकारों को परामर्श देने में देरी। | १०० |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्तावक | कटौती आधार | कटौती राशि (रुपयों में) |
|---|---|---|---|
| ४२ | श्री एन० बी० चौधरी | सफल भूमि सुधारों के लिये प्रभावकारी कार्यवाही करने के बारे में राज्य सरकारों को परामर्श देने में असफलता । | १०० |
| ४२ | श्री एन० बी० चौधरी | आलू परिरक्षण के लिये सुविधा । | १०० |
| ४२ | श्री एन० बी० चौधरी | बोरो धान के बारे में गवेषणा सम्बन्धी ज्ञान का प्रसार । | १०० |
| ४२ | श्री एन० बी० चौधरी | भूधृति की सुरक्षा के प्रदान के बारे में राज्य सरकार को परामर्श । | १०० |
| ४२ | श्री एन० बी० चौधरी | भूमि सम्बन्धी गणना करने में देरी । | १०० |
| ४२ | श्री एन० बी० चौधरी | अधिक अन्न उपजाओ योजनाओं के अधीन छोटी सिंचाई योजना कार्यों के लिये छोटी-छोटी केन्द्रीय सहायता । | १०० |
| ४२ | श्री एन० बी० चौधरी | अखिल भारतीय देहाती ऋण सम्बन्धी सर्वेक्षण समिति की खाद्य और कृषि मंत्रालय सम्बन्धी सिफारिशों को शीघ्र क्रियान्वित करना । | १०० |
| ४२ | श्री एन० बी० चौधरी | उपरिसीमा से अधिक भूमि के वितरण के बारे में राज्यों को परामर्श । | १०० |
| ४२ | श्री एन० बी० चौधरी | चकबंदी करने के ढंग के बारे में राज्यों को उचित परामर्श की कमी । | १०० |
| ४२ | श्री एन० बी० चौधरी | सहकारी संगठन के विकास में धीमी प्रगति । | १०० |
| ४२ | श्री एन० बी० चौधरी | विपणन संगठनों का विकास । | १०० |
| ४२ | श्री एन० बी० चौधरी | सांख्यिकी के सुधार की आवश्यकता । | १०० |
| ४२ | श्री एन० बी० चौधरी | भूअभिलेख के सुधार के लिये कार्यवाही । | १०० |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्तावक | कटौती आधार | कटौती राशि (रुपयों में) |
|---|---|---|---|
| ४२ | श्री एन० बी० चौधरी | प्रथम पंचवर्षीय योजना की कालावधि के दौरान में भूमि संरक्षण पर कम व्यय । | १०० |
| ४२ | श्री एन० बी० चौधरी | जंगलों में अथवा उनके निकट रहने वाले व्यक्तियों को उनके अधिकार न देना । | १०० |
| ४२ | श्री एन० बी० चौधरी | कुछ लाभदायक जड़ी बूटियों की खेती के बारे में वनगवेषणा शाला और राज्यों में समन्वय । | १०० |
| ४२ | श्री एन० बी० चौधरी | मुर्गी पालन योजनायें । | १०० |
| ४३ | श्री बीरेन दत्त | अन्नपूर्णा जलपानगृहों की स्थापना करने के लिये अगरतला में स्त्रियों की खाद्य परिषद् की स्थापना करने की आवश्यकता । | १०० |
| ४३ | श्री देवगम (चैबस्सा-रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां) | भूमिहीन आदिम जाति को भूमि देने के लिये उस सम्पूर्ण मैदानी भूमि को जो कृषि करने योग्य भूमि में बदली जा सकती है जंगल के रक्षित क्षेत्र से हटाने की आवश्यकता । | १०० |
| ४३ | श्री देवगम | प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्याय ३७ पैरा १८ में बताये गये वन स्कूल चलाने के लिये असफलता । | १०० |
| ४३ | श्री देवगम | भूमिहीन आदिम जातियों को देने के लिये रक्षित जंगलों के अधीन कृषि योग्य सम्पूर्ण मैदानी भूमि को निकालने की आवश्यकता । | १०० |
| ४३ | श्री एन० बी० चौधरी | वनगवेष्णा संस्था देहरादून, के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें । | १०० |
| ४३ | श्री फ्रेंक एन्थनी | जंगलों में पशुओं का अन्धाधुंध मारना । | १०० |
| ४४ | श्री बीरेन दत्त | त्रिपुरा में बुनियादी कृषि प्रशिक्षण केन्द्र चलाने की आवश्यकता । | १०० |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्तावक | कटौती आधार | कटौती राशि (रुपयों में) |
|---|---|---|---|
| ४४ | श्री बीरेन दत्त | उपयुक्त नालियों की व्यवस्था करने, दलदली भूमि को सुधारने के लिये इच्छुक किसानों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता । | १०० |
| ४४ | श्री बीरेन दत्त | त्रिपुरा राज्य यें सम्यावर्तन के बारे में किसानों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता । | १०० |
| ४४ | श्री बीरेन दत्त | राज्य में मक्का के आटे के उत्पादन को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता । | १०० |
| ४४ | श्री एस० के० रज़मी (सिहोर) | इंटीखेरी फार्म भोपाल के लिये दो वर्ष पूर्व संघ ने जिन किसानों की भूमि अर्जित की थी, उन्हें प्रतिकर देने में असफलता । | १०० |
| ४४ | श्री एस० के० रज़मी | भोपाल में निर्धन किसानों की भूमि को कृषि योग्य बनाने के बारे में केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन की ओर से उपेक्षा । | १०० |
| ४४ | श्री एस० के० रज़मी | भोपाल में उन निर्धन किसानों को जिनकी भूमि केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन ने कृषि योग्य बनाई है, तकावी ऋण की स्वीकृति देने में असफलता । | १०० |
| ४४ | श्री एस० के० रज़मी | केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन द्वारा बनाई गई कृषि योग्य भूमि के लिये सरकार द्वारा बहुत मूल्य लेना जिसके परिणामस्वरूप उन किसानों की जो यह मूल्य देने में असमर्थ थे, भूमि नीलाम हो गई, और उन्हें बहुत-सी कठिनाईयां उठानी पड़ीं । | १०० |
| ४४ | श्री देवगम | छोटा नागपुर के आदिम जाति क्षेत्र में मीन क्षेत्र चालू करने के लिये वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने की आवश्यकता । | १०० |
| ४४ | श्री देवगम | छोटा नागपुर में केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन की एक इकाई की स्थापना करने की आवश्यकता । | १०० |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्तावक | कटौती आधार | कटौती राशि (रुपयों में) |
|---|---|---|---|
| ४४ | श्री के० एस० राव (एलुरू रक्षित-अनुसूचित जातियां) | भारतीय कृषि गवेषणा संस्था में मासिक वेतन वाले श्रमिकों को वर्ष में १५ दिन का आकस्मिक अवकाश देने में असफलता। | १०० |
| ४४ | श्री के० एस० राव | भारतीय कृषि गवेषणा संस्था में मासिक वेतन वाले श्रमिकों को साप्ताहिक छुट्टी देने में असफलता। | १०० |
| ४४ | श्री के० एस० राव | मासिक वेतन वाले उन श्रमिकों को जिन्हें कोई सरकारी आवास नहीं मिला है मकान किराया भत्ता देने की आवश्यकता। | १०० |
| ४४ | श्री के० एस० राव | टी० ए० आर० आई० कर्मचारियों के कार्मिक संघ बनाने की स्वीकृति न देना। | १०० |
| ४४ | श्री के० एस० राव | भारतीय कृषि गवेषणा संस्था में मासिक वेतन पाने वाले तथा दैनिक वेतन पाने वाले श्रमिकों को कार्मिक संघ कार्यवाहियों के लिये उत्पीड़न। | १०० |
| ४४ | श्री के० एस० राव | भारतीय कृषि गवेषणा संस्था में छंटनी किये गये कर्मचारियों को सेवामुक्त प्रमाणपत्र देने की आवश्यकता। | १०० |
| ४४ | श्री के० एस० राव | भारतीय कृषि गवेषणा संस्था के लिये मासिक वेतन पाने वाले श्रमिकों के लिये कोई वेतन क्रम निर्धारित करने की असफलता। | १०० |
| ४४ | श्री के० एस० राव | भारतीय कृषि गवेषणा संस्था में मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को स्थायी बनाने की असफलता। | १०० |
| ४४ | श्री के० एस० राव | भारतीय कृषि गवेषणा संस्था में दैनिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को मासिक वेतन पाने वाले श्रमिकों में बदलने की असफलता। | १०० |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्तावक | कटौती आधार | कटौती राशि (रुपयों में) |
|---|---|---|---|
| ४४ | श्री के० एस० राव | भारतीय कृषि गवेषणा संस्था में मासिक वेतन पाने वाले श्रमिकों को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधा देने में असफलता। | १०० |
| ४४ | श्री के० एस० राव | भारतीय कृषि गवेषणा संस्था में मासिक वेतन पाने वाले श्रमिकों को उनके कार्य के अनुसार जैसे चरवाहे, ग्वाले आदि का पद देने में असफलता। | १०० |
| ४४ | श्री के० एस० राव | भारतीय कृषि गवेषणा संस्था में मासिक वेतन वाले श्रमिकों को कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि की सुविधा देने की असफलता। | १०० |
| ४४ | श्री के० एस० राव | औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ की धारा ३ के अधीन अपेक्षित रूप में भारतीय कृषि गवेषणा संस्था में श्रमिकों और प्रबन्धकों की समितियां बनाने में असफलता। | १०० |
| ४४ | श्री के० एस० राव | औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ के अधीन अपेक्षित रूप में भारतीय कृषि गवेषणा संस्था में छंटनी किये गये कर्मचारियों को उपदान देने में असफलता। | १०० |
| ४४ | श्री के० एस० राव | भारतीय कृषि गवेषणा संस्था में मासिक वेतन पाने वाले और नैमित्तक श्रमिकों को उन्हें दंडित किये जाने से पूर्व अपना बचाव करने का अवसर देने में असफलता। | १०० |
| ४५ | श्री बीरेन दत्त | त्रिपुरा के पहाड़ी क्षेत्रों में पशु-चिकित्सा सम्बन्धी सहायता का विस्तार करने की आवश्यकता। | १०० |
| ४६ | श्री बीरेन दत्त | सरकार द्वारा त्रिपुरा में सतीखाद्य उद्योग आरम्भ करने की आवश्यकता। | १०० |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्तावक | कटौती आधार | कटौती राशि (रुपयों में) |
|---|---|---|---|
| ४६ | श्री बीरेन दत्त | त्रिपुरा में अधिक गन्ना उपजाने के लिये सहायता के रूप में गन्ना उत्पादकों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता। | १०० |
| ४६ | श्री बीरेन दत्त | त्रिपुरा में अच्छी किस्म के बीज और ऋण देकर वहां के रुई उत्पादकों को सहायता देने की आवश्यकता। | १०० |
| ४६ | श्री बीरेन दत्त | त्रिपुरा के अगरतला और कैलासहर में पशु-चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों को कुटीर और आवास देने की आवश्यकता। | १०० |
| ४६ | श्री बीरेन दत्त | त्रिपुरा के सब-डिवीज़नों में नमूने के मुर्गीपालन प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की आवश्यकता। | १०० |
| ४६ | श्री बीरेन दत्त | त्रिपुरा में सरकार द्वारा फलों को डिब्बों में बंद करने का उद्योग आरम्भ करने की आवश्यकता । | १०० |

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा इन सभी कटौती प्रस्तावों पर चर्चा कर सकती है ।

†**सरदार लाल सिंह** (फीरोज़पुर–लुधियाना ) : मैं खाद्य और कृषि मंत्री श्री जैन और कृषि मंत्री डा० देशमुख को बधाई देता हूँ कि उन्होंने गन्ने के मूल्य के सम्बन्ध में स्थिति पूर्वत: रखी यद्यपि उसे कम करने के बारे में कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय चीनी मिल संघ की वार्षिक बैठक में भी कहा था कि किसानों के साथ उचित व्यवहार किया जाय । डा० देशमुख ने भारत के किसानों को संगठित करना आरम्भ किया है। इस कार्य में श्री कृष्णप्पा ने भी योगदान दिया है। उनकी कृषि सम्बन्धी जानकारी देखकर हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। इन मंत्रियों को चाहिये कि वे अपने वैयक्तिक प्रभाव का उपयोग किसानों की मांगों को पूरा करने के लिये करें।

बिजली का लाभ मुख्यत: शहर के लोगों को मिलता है । देश में बिजली का उत्पादन दिन प्रति दिन बढ़ रहा है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पांच हजार से बीस हजार तक की जनसंख्या वाले ८५ प्रतिशत नगरों में बिजली पहुंच जायगी किन्तु केवल २ प्रतिशत गांवों में बिजली पहुँचेगी। मेरा निवेदन है कि गांवों में भी बिजली पहुँचायी जाय और किसानों को रियायती दर पर बिजली दी जाये ताकि वे नलकूप और खेती की मशीनों को कम खर्चे पर चला सकें।

खेती की उपज पर अभी अतिरिक्त रेल भाड़ा लगता है। गन्ना उत्पादकों को प्रति मन ७ और ८ आने देने पड़ते हैं। रेल किराया भाड़ा कम होना चाहिये। अमरीका में उस ईंधन तेल पर संघीय कर नहीं लगाये जाते जो खेती के कामों में प्रयोग किया जाता है। भारत में ऐसे तेल पर बहुत अधिक

†मूल अंग्रेजी में

[सरदार लाल सिंह]

कर देना पड़ता है। हाल ही में कुछ कृषिजन्य पदार्थों पर बिक्री कर भी लगाये गये हैं इन पर सहानुभूति से विचार किया जाना चाहिये।

खाद्य मंत्रालय में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अमोनियम सल्फेट का १८ लाख टन तथा फास्फेरिक उवर्रकों का ६ लाख टन लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिये कृषि मंत्रालय बधाई का पात्र है। फिर भी अन्य देशों में प्रयोग किये जाने वाले उवर्रकों की तुलना में यह राशि कुछ भी नहीं है। प्रति व्यक्ति भूमि कम होने तथा न्यूनतम उपज होने के कारण हमें अधिकाधिक उवर्रकों का उपयोग करना चाहिये यह तभी सम्भव हो सकेगा जब कि इनके मूल्य घटा दिये जायें। बागबानी के विकास के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ९ करोड़ रुपये रखे गये हैं। मेरा सुझाव है कि इस राशि का अधिकांश भाग अच्छे किस्म के पौधे उगाकर जनता में बांटने और प्रशिक्षित व्यक्तियों की व्यवस्था करने में खर्च किया जाना चाहिये। सब्जियों के उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है इन की कम उपज का कारण यह है कि इन के उत्पादकों को कम मूल्य मिलता है। वह राशि उपभोक्ता द्वारा दी गई राशि का एक छोटा अंश होती है। आस्ट्रेलिया में बिक्रेता उस मूल्य में ३३ प्रतिशत से अधिक की वृद्धि नहीं कर सकता जो उसने सब्जी उत्पादक को दी है।

फल परिरक्षण का देश के लिये बड़ा महत्व है और इस पर सरकार को अधिक ध्यान देना चाहिये। हवाई द्वीप पर इस क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की गई है। यदि उचित तरह से इस उद्योग का विकास किया जाये तो यह भारत का एक प्रमुख उद्योग बन जायगा और हम इससे करोड़ों रुपये कमा सकते हैं। अखिल भारतीय परिरक्षण संघ और अन्य संस्थाओं ने इस सम्बन्ध में जो अभ्यावेदन दिये हैं उन पर विचार किया जाना चाहिये और उन कठिनाइयों को दूर किया जाना चाहिये।

मालगोदामों को बनाने का काम जल्दी किया जाना चाहिये ताकि किसान वहां पर अपनी उपज रख सकें, उसके आधार पर ऋण ले सकें और उचित समय पर उसे बेच सकें।

मूल्यों को गिरने से रोकने सम्बन्धी सिद्धान्त को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इसका फल तभी मिलेगा जब वस्तुओं का उचित मूल्य निश्चित किया जाय और उन्हें बहुत बड़ी मात्रा में खरीदा जाय हमने बहुत कम अनाज खरीदा है। अमरीका में दो हज़ार करोड़ रुपयों का कृषि उत्पाद उनका मूल्य गिरने से रोकने के लिये खरीदा गया है।

यह कहना कि खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ने से गरीबों को बड़ी हानि होती है, गलत है क्योंकि ८३ प्रतिशत व्यक्तियों पर जो गांवों में रहते हैं और जिन्हें अनाज के रूप में वेतन मिलता है या जो स्वयं किसान हैं, इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। अतएव मूल्य उचित होने चाहियें।

अगली पंचवर्षीय योजना में प्रति वर्ष १ लाख टन चीनी का आयात करने का उपबन्ध किया गया है। हमें चाहिये कि भविष्य में हमें बिल्कुल भी चीनी का आयात न करना पड़े।

सहकारी ढंग में चीनी की मिलें खोलने की नीति का मैं स्वागत करता हूँ। आस्ट्रेलिया जैसे देश में भी ५० प्रतिशत चीनी मिल सहकारी आधार पर चलाये जाते हैं। यदि सरकार समझती है कि चीनी के नये मिलों को सहकारी आधार पर आरम्भ नहीं किया जा सकता, तो उसे चाहिये कि जिन वर्तमान गैर-सरकारी मिलों का प्रबन्ध और व्यवस्था ठीक नहीं है, उन्हें अपने कब्जे में ले ले। अब समय आ गया है कि तैयार माल बनाने वाले सब उद्योगों का नियंत्रण उनके उत्पादकों के हाथों में होना चाहिये और वे सहकारी आधार पर चलाये जाने चाहियें।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीनी के आवश्यकता से अधिक उत्पादन को रोकने की बात की जाती है। परन्तु मेरा मत है कि यदि अधिक उत्पादन होता है तो आर्थिक सहायता दे कर उसका निर्यात किया जा सकता है; जिस प्रकार आस्ट्रेलिया और इन्डोनेशिया करते हैं।

सरकार ने चीनी मिलों के अधिक लाभों में गन्ना उत्पादकों का भाग निश्चित करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी। परन्तु उसने अभी तक प्रतिवेदन नहीं दिया। सरकार को चाहिये कि वह समिति के प्रतिवेदन को शीघ्र प्रस्तुत करने के लिये कहे।

गन्ने के मूल्य के बारे में मालिकों और गन्ना उत्पादकों के बीच बड़ा संघर्ष है। मूल्य में एक आने के अन्तर का भी बड़ा महत्व होता है। गन्ने का मूल्य इस आधार पर निश्चित किया जाता है कि गन्ने से ९.६ प्रतिशत चीनी निकलेगी। वास्तव में चीनी ९ से १२ प्रतिशत निकलती है। थोड़ा अन्तर पड़ने से भी मिलों को बहुत लाभ हो जाता है। इन प्रश्नों को निबटाने के लिये सरकार को मूल्य निर्धारण बोर्ड स्थापित करना चाहिये, जैसा कि आस्ट्रेलिया में है, और जिस की सिफारिश चीनी प्रतिनिधि मण्डल ने भी की है। इस विषय में शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिये।

गुड़ का मूल्य फसल के दिनों में बहुत गिर जाता है। और बाद में बढ़ जाता है। इसके लिये सरकार को भावों को गिरने से रोकने के लिये नीति बनानी चाहिये।

†**श्री लक्ष्मणय्या** (अनन्तपुर) : खाद्य और कृषि के सम्बन्ध में इस मंत्रालय ने जो प्रगति की है, उसके लिये मैं इसे बधाई देता हूँ। पहले अनाज पर कंट्रोल था और लोगों को बड़ा परेशान होना पड़ता था, परन्तु अब अन्न का उत्पादन बहुत बढ़ गया है।

इस मंत्रालय के मंत्रिगण कृषि और खाद्य के मामले में पूर्णरूपेण निपुण हैं और हमें आशा है कि वे किसानों और खेतिहर मजदूरों की हालत को सुधारने के लिये कोई सक्रिय कार्य करेंगे।

उद्योगों के लिये कृषि कच्चा माल देती है और लोगों के लिये अन्न पैदा करती है। यह मुख्य उद्योग है। किन्तु सरकार उद्योगों की ओर अधिक ध्यान देती है औद्योगिक मजदूरों को शिक्षा आदि की सुविधायें देने का प्रयत्न करती है। इसी प्रकार की सुविधायें कृषकों और खेतिहर मजदूरों को क्यों नहीं दी जातीं ? वे बेचारे अत्यधिक परिश्रम करके अन्न उपजाते हैं, परन्तु उन को थोड़े दामों पर अपना उत्पादन बेचना पड़ता है। इसलिये वे सदा ऋण-ग्रस्त रहते हैं।

जिस प्रकार औद्योगिक वस्तुओं के माल के मूल्य निर्धारित किये जाते हैं, उसी प्रकार कृषि जन्य पदार्थों के भी मूल्य निर्धारित किये जाने चाहिये, ताकि कृषकों को अच्छे दाम मिल सकें। ऐसा करने से उन का उत्साह बढ़ेगा और उन्हें उत्पादन में दिलचस्पी बढ़ेगी।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहां लोग व्यवसाय के रूप में या लाभ के हेतु से कृषि नहीं करते, बल्कि कृषि उनके जीवन का एक अंग है, वे उसका परम्परा के रूप में पालन करते हैं, चाहे उन्हें लाभ हो या न हो। परन्तु उन्हें भूमि माता पर विश्वास होता है कि वह उनको नष्ट नहीं होने देगी। इसलिये मैं सरकार से अपील करता हूँ कि इन कृषकों को उत्साहित करने और उन में जीवन फूंकने के लिये एक मूल्य स्तर निर्धारित किया जाना चाहिये। खाद्य उत्पादन की प्रगति का यह एक मेन साधन है।

मैं श्री विश्वनाथ रेड्डी की इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि खाद्य और कृषि तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में समन्वय होना चाहिये। मैं रायल सीमा का निवासी हूँ, जहां कभी कभी वर्षा

†मूल अंग्रेजी में

[श्री लक्ष्मणय्या]
होती है। गत वर्ष अच्छी वर्षा होने के कारण मूंगफली और तिलहन खूब पैदा हुआ। परन्तु उनका मूल्य बहुत कम था? व्यापारियों ने वह सब कम मूल्य पर खरीद लिया। बाद में उन के निर्यात की अनुमति मिल जाने से उनका मूल्य बढ़ गया। जिसका परिणाम यह हुआ कि व्यापारियों को खूब लाभ हुआ और कृषकों को कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिये मैं चाहता हूँ कि इन मंत्रालयों में समन्वय होना चाहिये और निर्यात सम्बन्धी नीति की घोषणा फसल के समय की जानी चाहिये ताकि कृषक उस नीति का लाभ उठा सकें और अपनी उपज का अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकें।

हाल ही में हम ने कुमुदवती परियोजना बनाई है, जिस के अधीन कुछ भूमि में खेती की जाने लगी है। हम हिन्दुपुर में चीनी फैक्टरी आरम्भ करने की मांग कर रहे हैं। रायल सीमा में कोई बड़ा उद्योग नहीं है। होसपेट की चीनी फैक्टरी अब मैसूर राज्य में चली गई है। इसलिये अब वहां एक फैक्टरी आरम्भ करने की आवश्यकता है। किन्तु केन्द्रीय सरकार इस की मंजूरी देने में हिचकिचाहट कर रही है हालांकि आन्ध्र सरकार ने हिन्दुपुर और चित्तूर में सहकारी आधार पर चीनी फैक्टरियां स्थापित करने की सिफारिश की है। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि कम से कम मेरे जिले में एक फैक्टरी तो शीघ्र ही स्थापित की जानी चाहिये, ताकि चीनी के लिये उत्तर भारत पर हमारी निर्भरता कम हो जाये।

मेरे क्षेत्र के गांव बड़े गन्दे और निर्धन हैं और किसान लोग पेटभर कर रोटी भी नहीं कमा सकते। हमें वहां सदा वर्षा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

प्राचीन काल में विजय नगर के महाराजाओं ने छोटे बड़े तालाब बनवाये थे, परन्तु उन में से कुछ का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। हम ने सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया था पर कोई फल नहीं निकला। इसलिये अब सरकार से प्रार्थना है कि वह इन तालाबों को ठीक करवा कर इन को उपयोग में लाये। वहां की बड़ी बड़ी प्रयोजनाओं का गांवों के लोगों को कोई लाभ नहीं। उन्हें तो सिंचाई सम्बन्धी सुविधाओं से सरोकार है। किन्तु सरकार ने उनके लिये कुछ नहीं किया। एक तालाब की मरम्मत के लिये ८ वर्ष से मांग की जा रही है, किन्तु अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि इन तालाबों की मरम्मत के लिये और उपयोग में न आने वाले कुंओं की मरम्मत के लिये काफी धनराशि मंजूर की जानी चाहिये, ताकि वहां के लोगों को सिंचाई की कुछ सुविधा मिल सके।

पानी खेंच कर सिंचाई करने के लिये बैलों की आवश्यकता होती है, और बैलों को खरीदने के लिये काफी धन खर्च होता है, और उत्पादन लागत अधिक हो जाती है। अतः इसका कोई लाभ नहीं होता। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि गांवों में बिजली दी जाये ताकि लोग थोड़ा सा खर्च करके सस्ती बिजली के द्वारा पानी निकालने के पम्प लगा सकें।

मैसूर के गांवों में सस्ती बिजली मिलने के कारण वहां फसलें बहुत अच्छी होती हैं। इसलिये हमारे ज़िले में भी पानी खींचने वाले पम्पों के लिये सस्ती बिजली दी जानी चाहिये ताकि वहां के लोगों को कुछ आराम और प्रोत्साहन मिल सके।

यद्यपि कृषि गवेषणा केन्द्र अच्छी जानकारी का संग्रह कर के उसका प्रचार करने का अच्छा काम कर रहे हैं, परन्तु कृषि विभाग के अफसरों का वही नौकरशाही का बर्ताव है। उन्हें गांवों में जाकर लोगों को वैज्ञानिक ढंग से खेती करने के लाभ बतलाने चाहियें। माना, गांवों के लोग अज्ञानी होने के कारण रूढ़िवादी हैं, परन्तु यदि उन्हें ठीक तरह वैज्ञानिक ढंगों का लाभ समझा दिया जाये, तो निश्चय ही वे उसे अपना लेंगे, और दूसरे लोगों को भी उन के लिये प्रोत्साहन देंगे। इससे उत्पादन में वृद्धि होगी। अतः मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि कृषि को प्राथमिकता

देते हुए इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिये, ताकि हमारे कृषक समृद्ध हो सकें। इससे देश का कल्याण होगा।

†**श्री मुहीउद्दीन** : कृषि के क्षेत्र में हम ने जो प्रगति की है उसके लिये मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूँ। उत्पादन वृद्धि और उत्पादन क्षमता में काफी प्रगति हुई है और सिंचाई की सुविधायें भी बढ़ी हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अब जीवन दिखाई देता है।

कृषि के लिये वित्त व्यवस्था करने और मालगोदाम बनाने के बारे में सरकार का प्रस्ताव बहुत अच्छा है। इससे गांवों के लोगों को बड़ा लाभ होगा। इस के साथ ही हमें सहकारी कृषि उत्पादन भी आरम्भ करना चाहिये। मालगोदाम विभाजन और वित्त की व्यवस्था करने के बाद सहकारी उत्पादन को लेना ठीक नहीं है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की कालावधि में अन्य सुधारों के साथ उत्पादन के संगठन पक्ष की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। किन्तु इस समस्या का कहीं उल्लेख भी नहीं किया। माना यह कठिन है, परन्तु हमारे बहुत से कृषकों के पास बहुत थोड़ी थोड़ी भूमि है, उत्पादन बढ़ाने के लिये सहकारी उत्पादन व्यवस्था लाने की नितांत आवश्यकता है।

उत्पादन के लिये कई प्रकार के सहकारी संगठन होते हैं। हमें अपने देश के अनुकूल सहकारी संगठनों का प्रयोग करना चाहिये और इन पद्धतियों को अपनाने के लिये प्रोत्साहन देना चाहिये। मेरा सुझाव है कि जो लोग उत्पादन के लिये सहकारी संस्थाएं बनाते हैं उन को अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण देने, तथा ब्याज की दर के बारे में रियायत और प्राथमिकता दी जानी चाहिये। इस प्रकार एक नींव स्थापित हो जायेगी और कृषक लोग इस के लाभ देखकर स्वयं इस की ओर खिंचे आएंगे। अब इस नीति का पालन करते हुए एक विस्तृत योजना बनाई जाये और कृषकों में उसका प्रचार किया जाये।

कृषकों के लिये मूल्य बड़े महत्व का विषय है। चावल, अनाज और दालों का उत्पादन बहुत बढ़ गया है परन्तु मूल्य गिरते जा रहे हैं। फसल के समय मूल्य कम होते हैं, परन्तु फसल बिक जाने के बाद मूल्य बढ़ जाते हैं। इस से किसानों में बेचैनी फैली रहती है।

मूंगफली और अरण्डी के मूल्य भी पिछले वर्ष की अपेक्षा बढ़ गये हैं। इस प्रकार मूल्य का हेर फेर अवांछनीय है। सरदार लाल सिंह ने कहा है कि सरकार को अमेरिका के समान बड़े पैमाने पर कृषि जन्य वस्तुएं खरीद लेनी चाहियें। परन्तु मैं उस नीति के पालन करने की सलाह नहीं दूंगा। अपितु मूल्य को ठीक रखने और उत्पादन का विनियमन करने के लिये दूसरे उपाय हैं।

पिछले दो या तीन महीनों में चावल और दूसरे कृषि जन्य पदार्थों का मूल्य बढ़ने लगा है। हैदराबाद में टेण्डर दिये गये थे और सारा माल गोदामों में भर दिया गया है। परन्तु सरकारी गोदामों से चावल बिकने का बाजार भाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। परन्तु अनुसूचित बैंकों द्वारा कृषिजन्य उपज के लिये दिये जाने वाले अग्रिम धन के बारे में रिजर्व बैंक ने जो कदम उठाया है, उस का अच्छा प्रभाव होगा। मूल्यों के बढ़ने की आशा में हैदराबाद के बैंकों की ब्याज की दरें बढ़ गई हैं। अब मूल्यों की जांच के लिये उपमंत्री के सभापतित्व में एक समिति नियुक्त की गई है। हैदराबाद में दालों की बड़ी भारी मण्डी है। मैं आशा करता हूँ कि उपमंत्री हैदराबाद के कई वर्षों के मूल्यों का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि वहां स्थानों पर मूल्य में कितना बड़ा अन्तर है और इस अन्तर के कारण कृषकों को कितनी हानि होती है।

चीनी फैक्टरियों से सम्बद्ध खेतों का उल्लेख किया गया है। मंत्री महोदय ने बताया है कि मिलों के खेतों के क्षेत्र की उपरिसीमा निश्चित करने का प्रश्न विचाराधीन है। परन्तु मेरा विचार

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मुहीउद्दीन]
है कि चीनी मिलों को अपने खेत रखने देना चाहिये, क्योंकि उससे फैक्टरी को स्थापित्व प्राप्त होता है। इसलिये इन में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

लाभ में भाग लेने का तरीका पिछले वर्ष चालू किया गया था परन्तु ६५ फैक्टरियों में किसानों को कुछ भी नहीं मिला और केवल ३६ फैक्टरियों में किसानों को लाभ मिला। इस की जांच के लिये अब दूसरी विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई है। मैं आशा करता हूँ कि जो फैक्टरियां अच्छा काम कर रही हैं, उनके प्रतिकूल कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह समझा जाता है कि अच्छी फैक्टरियों की उत्पादन लागत कम होती है इसलिये उन्हें दूसरी फैक्टरियों की अपेक्षा किसानों को अधिक मूल्य देने के लिये कहा जाता है। मुझे आशा है कि लाभ का हिस्सा देने का सूत्र बनाने से पूर्व इस महत्व-पूर्ण बात को ध्यान में रखा जायगा और यह योजना सब जगह एकरूप होगी और सफल रहेगी।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : खाद्य और कृषि मंत्रालय के अधीन विभिन्न मांगों सम्बन्धी निम्नलिखित अग्रेतर कटौती प्रस्ताव है जिनके बारे में यह दर्शाया गया है कि सदस्य उन्हें प्रस्तुत करेंगे :

| मांग संख्यायें | कटौती प्रस्तावों की संख्या |
|---|---|
| ४२ | ११९६ |
| ४३ | ११०४ |
| ४४ | ... ११०६ और ११०७ |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्तावक | कटौती आधार | कटौती राशि (रुपयों में) |
|---|---|---|---|
| ४२ | श्री वी० बूबराघस्वामी (पैरम्बलूट) | भूमि की उपरिसीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में असन्तोषजनक प्रगति। | १०० |
| ४३ | श्री वी० बूबराघस्वामी | वन विभाग में भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिये उचित कार्यवाही करने की आवश्यकता। | १०० |
| ४४ | श्री वी० बूबराघस्वामी | कृषकों को वित्तीय और अन्य सुविधायें देने के बारे में सरकार द्वारा अपनाई गई नीति। | १०० |
| ४४ | श्री वी० बूबराघस्वामी | मद्रास राज्य के तिरुची जिले के उदयरपालयम, पैरम्बलूर और मुसीरी तालुकों के पिछड़े क्षेत्रों में जल संसाधनों का उचित सर्वेक्षण करने की आवश्यकता। | १०० |

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ये कटौती प्रस्ताव भी अब सभा के सम्मुख विचाराधीन हैं।

श्री के० सुब्बा राव के अंग्रेजी और हिन्दी न जानने के कारण मैं संविधान के अनुच्छेद १२०(१) के परन्तुक के अधीन उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति देता हूँ।

उन्होंने अपने भाषण का सार अंग्रेजी में दे दिया है। वह रेकार्ड के लिये दिया जा सकेगा और मंत्री भी उससे लाभ उठा सकेंगे।

†मूल अंग्रेजी में

***श्री के० एस० राव** : हमारा देश कृषि-प्रधान है इसलिये 'खाद्य और कृषि' का जन साधारण के जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार की कृषि व्यवस्था होगी उसी हिसाब से देश की आर्थिक अवस्था भी बनेगी या बिगड़ेगी। सरकार कहती है कि उसने खाद्य समस्या को हल कर लिया है किन्तु वास्तविकता यह है कि खाद्यान्नों के आयात में कमी हुई है और देश के उत्पादन में वृद्धि हुई है। नदी घाटी योजनायें बनाने के लिये मैं सरकार की प्रशंसा करता हूँ किन्तु साथ ही उसे सावधान भी कर देना चाहूँगा कि हम अभी आत्म-निर्भर नहीं हुए हैं और अभी हमें इस क्षेत्र में बहुत कार्य करना शेष है। देश में बेकार मज़दूरों की संख्या बढ़ती जा रही है और साथ ही उनकी क्रय शक्ति गिरती जा रही है। वास्तव में देखा जाये तो अभी तक इतना काम होने पर भी खेतों में काम करने वाले मज़दूरों की समस्या कुछ भी नहीं सुलझ पाई है। अभी भी बेचारे किसानों को विवश होकर, अपनी पैदावार सस्ते मूल्य पर बेच देनी पड़ती है जबकि बनिये और व्यापारियों की बन आती है। कुटीर उद्योगों पर निर्भर रहने वाले लोगों के सम्मुख भी अनेक संकट हैं और मध्यम वर्ग के लोगों का तो जीना तक दूभर हो रहा है। सरकार चाहती तो खाद्यान्नों का काफी मात्रा में संग्रह करके मूल्य में स्थायित्व ला सकती थी। देश की दशा तेज़ी से बिगड़ती जा रही है। अतः सरकार को सस्ते मूल्य पर खाद्यान्न बेचने वाली दूकानें खोलनी चाहिये। जो चीज़ त्रिपुरा में की गई है वह सभी जगह की जा सकती है। वास्तव में देखा जाये तो उत्पादन में वृद्धि केवल कागज़ी चीज़ हो सकती है, वास्तविक नहीं। इस कारण लोगों को सहायता देने के लिये और अधिक उपाय किये जाने चाहियें।

सरकार बार-बार यह घोषणा करती है कि उत्पादन में वृद्धि करने के लिये भूमि का कृष्यकरण किया जायेगा और धरती भूमि खेतिहर मज़दूरों और छोटे-छोटे किसानों को दी जायेगी किन्तु यह सब केवल कहने की बातें हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में उन किसानों को भूमि देने पर ज़ोर दिया गया था, जिनके पास भूमि नहीं है किन्तु आज तक तो कुछ हुआ नहीं है।

त्रावणकोर-कोचीन के लगभग १२० परिवार भोपाल में बसाये गये हैं। उत्तर प्रदेश से १००० परिवारों को आन्ध्र से ५४० परिवारों को और कच्छ से १३० परिवारों को बसाने की मांग की गई है। आश्चर्य है कि बारह करोड़ एकड़ भूमि होते हुए भी यह नौबत क्यों है। मज़े की बात तो यह है कि उन गरीब परिवारों को जिन्होंने भूमि को अपने अथक परिश्रम से कृषियोग्य बनाया, वहां से बेदखल करके राजनीतिक पीड़ितों को वह भूमि दी जा रही है। भूमि की उपरि सीमा निर्धारित करने और भूमि सुधार करने की सरकार लम्बी-चौड़ी बातें किया करती है किन्तु वास्तविकता यह है कि सरकार स्वयं सबसे बड़ी जमीदार बन बैठी है। जब इस मामले में केन्द्रीय सरकार स्वयं कुछ नहीं करती तो राज्य सरकारों से किस प्रकार आशा कर सकती है। कई बार बांटी जाने वाली बंजर भूमि के आंकड़े राज्यों से मांगे जाते हैं किन्तु शायद आज तक यह सूचना पूरी नहीं हो सकी है। आन्ध्र राज्य सरकार कुछ क्षेत्रों को परियोजना से प्रभावित क्षेत्र कह कर वहां के लोगों को हटाना चाहती है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि इन लोगों को फिर कहां बसाया जायेगा और किस प्रकार ये बेचारे अपना जीवन यापन कर सकेंगे। इन सब बातों को देखते हुए कांग्रेस सरकार से यह प्रश्न पूछने के लिये मजबूर हो जाता हूँ कि आखिर भूमिहीन मज़दूरों और किसानों को बसाने के बारे में सरकार की नीति क्या है? कितना कार्य इस दिशा में अब तक किया जा चुका है? क्या राज्य सरकारों को कोई निदेश जारी किये गये हैं, और उनका क्या प्रभाव हुआ है? इन सारी बातों का निश्चित उत्तर मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा।

बड़े आन्दोलन करने के पश्चात् कहीं जाकर योजना आयोग को भूमि की उपरि सीमा निर्धारित करना स्वीकार किया किन्तु ये भूमि सुधार सम्बन्धी कार्य कब से आरम्भ किये जायेंगे। आन्ध्र राज्य

*मूल तेलुगु में

[श्री के० एस० राव]

में इस बारे में अभी तक कोई आन्दोलन नहीं हुआ है। किसानों को बेदखली से बचाने के लिये कोई भी संरक्षण की सुविधा नहीं दी गई है। मुख्य मंत्री ने यह कह दिया है कि योजना आयोग की बातें अव्यवहार्य और अनुचित हैं। अतः जब तक ठोस कार्यवाही नहीं की जाती तब तक स्थितियों में कोई सुधार नहीं किया जा सकता। मुझे विश्वास है कि सरकार यदि इस बारे में कुछ करना चाहती है तो उसे राज्य सरकारों के साथ वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा जैसा कि उसने राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बारे में किया था। सम्पूर्ण देश में आन्ध्र के १४ गांवों में निम्नतम मजूरी अधिनियम को प्रयोग के तौर पर लागू किया गया है। मैं जानना चाहूंगा कि ऐसे अधिनियम केवल संविधि-पुस्तक के लिये ही बने हैं अथवा कार्यान्वित किये जाने के लिये भी।

अन्त में मैं सरकार से कहूंगा कि वह अपने उत्तरदायित्वों से बचने की कोशिश न कर योजना आयोग द्वारा बनाये गये सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने के लिये तत्काल कार्यवाही करे। मुझे विश्वास है कि संविधान का बहाना नहीं बनाया जायेगा क्योंकि संविधान व्यक्तियों को नहीं बनाता अपितु व्यक्ति ही मिलकर संविधान की रचना करते हैं।

†**पंडित के० सी० शर्मा** (ज़िला मेरठ-दक्षिण): मैंने माननीय सदस्यों के भाषणों को बड़े ध्यान से सुना और इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि सभी लोग इस बात के इच्छुक हूं कि कृषकों की अवस्था में सुधार हो। भारत सरकार और राज्य सरकारों ने कृषकों की दशा सुधारने के लिये जो भी उपाय किये हैं वे समस्या को देखते हुए नहीं के बराबर हैं। केवल हमारे ही देश में नहीं सारे संसार में कृषि को एक व्यवसाय या उद्यम नहीं समझा जाता। यहां तो कृषि एक ऐसा कार्य है कि कठिन परिश्रम करने पर भी बेचारे किसान को कुछ भी लाभ नहीं मिल पाता। मिलेट नामक फ्रांसीसी कलाकार ने और कुछ अन्य कवियों ने कृषक का बड़ा दयनीय चित्र खींचा है। जबकि व्यापारी की स्थिति ठीक इसके विपरीत होती है। थोड़े से शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यापारी का कार्य कुछ भी न कर के धन कमाना होता है। किसान बेचारे को इन ज़मीदारों या व्यापारियों का सहारा लेना ही पड़ता है। वास्तव में हमारे देश में कृषकों की दशा इतनी शोचनीय है कि कठिन परिश्रम करने पर भी उन्हें समुचित मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता जिन से जीवन मरण की समस्या हर समय उनके सम्मुख रहती है। हज़ारों वर्षों से ज़मीदार और किसानों की ऐसी ही दशा चलती आ रही है। गणतन्त्र के आने से और मानव जीवन का मूल्य परखने से अब जाकर कृषकों की दशा सुधारने की ओर अब ध्यान दिया जाने लगा है।

मैंने कृषकों के साथ कार्य किया है, उनका कार्य करने का तरीका और जीवन देखा है। मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि श्री ए० पी० जैन और डा० पी० एस० देशमुख ने जो नये तरीके अपनाये हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं। कृषकों की दशा सुधारने के लिये तो पूरी क्रान्ति की आवश्यकता है। कुछ सौ नलकूप बनवा देने या ऋण दे देने से ही यह समस्या हल नहीं हो सकती, अमरीका जैसे उन्नत देशों में भी कृषकों को उसके प्रयत्नों के बावजूद भी सबसे कम पारिश्रमिक मिलता है। एक कृषक की सेवा का हमारे देश में क्या स्थान है, यह किसी से छिपा नहीं। प्रत्येक क्षेत्र उसी के जीवन पर अवलम्बित है, फिर भी स्वयं उसे भरपेट भोजन तक नहीं मिलता। ऐसी स्थिति केवल उसी समय तक रहेगी जब तक कि वह महत्वाकांक्षी नहीं है और जब तक वह अनभिज्ञ है किन्तु यह चीज़ बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है।

अमरीका में अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में मूल्यों में गिरावट आई थी। जब खाद्यान्नों के मूल्य बहुत अधिक गिर गये तो देश व्यापी आन्दोलन हुआ। वित्तीय उपाय आदि करके किसी प्रकार मूल्य बढ़ाये गये। अन्य पदार्थों के मूल्य खाद्यान्नों के मूल्य के समान करने पड़े। अन्य देशों में भी इस

†मूल अंग्रेजी में

प्रकार के आन्दोलन हो चुके हैं। केवल हमारे देश में कुछ नहीं हुआ उसका कारण है कि यहां का कृषक अब भी भाग्यवादी है। वह चुपचाप सारी चीजों को भगवान के नाम पर सहन कर लेता है। विज्ञान की प्रगति के साथ ही अब भाग्यवाद भी बदल रहा है। अब उसे प्रत्येक वस्तु को अपने वास्तविक स्वरूप में देखना पड़ेगा और एक दिन वह आयेगा जबकि विप्लव होगा। अतः केवल बीजों आदि की व्यवस्था से काम नहीं चलेगा बल्कि दृष्टिकोण बदलना होगा। इस प्रकार एक बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है।

प्रशासन के बारे में मुझे इस बात पर बड़ी लज्जा आती है कि जमींदार और कृषक के अभियोग में न्यायालय कभी भी कृषक को सन्देह-लाभ नहीं देता। कई बार तो सरासर यह जानते हुये भी कि किसी किसान की खेत पर हत्या कर दी गई है, अपराधी को दण्ड नहीं दिया जाता। यह सब सिद्ध करते हैं कि अत्याचारी जमींदारों की तुलना में कृशकों के साथ न्यायालयों में भी न्याय नहीं किया जाता। मैं कहता हूं कि जब तक इन सब चीजों में महान परिवर्तन नहीं किया जाता तब तक सह-अस्तित्व की बात करना व्यर्थ है। यद्यपि अब जमींदारी समाप्त हो गई है किन्तु फिर भी जहां कहीं जमींदार रह गये हैं उनका अत्याचार जारी है।

ऋण सम्बन्धी सुविधायें जितनी मिलनी चाहियें उतनी नहीं दी जा रही हैं। हमारे वित्त मंत्री का यह सोचना कि रिजर्व बैंक के द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना कर १०-१२ करोड़ रुपया दे देने से कृषकों की ऋण समस्या हल हो जायेगी, आदिम काल के मनुष्यों जैसी कल्पना करना है। यह समस्या इतनी सरलता से हल होने वाली नहीं है।

अब स्थिति सुधारने की योजनाओं को लीजिये। आपको भण्डार, खाद और सिंचाई सम्बन्धी सुविधायें देनी चाहियें। सबसे प्रथम चीज तो यह है कि उन्हें कृषि में शिक्षा दी जानी चाहिये। मेरा सुझाव है कि प्रत्येक राज्य में प्रायमरी शिक्षा से लेकर आगे तक ग्रामीण जीवन और कृषि सम्बन्धी कार्यों की शिक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिये। चार पांच कृषि सम्बन्धी प्रयोगशालायें होनीं चाहियें जिनमें कृषि पर गवेषणा की जा सके। इन गवेषणाओं के परिणाम कृषकों को भी बताये जाने चाहिये। यदि यह हो गया तो अच्छे किस्म के बीज, कृषि करने के उन्नत तरीके और फसलों की अदला-बदली वैसे ही कृषक जान लेंगे।

मेरे मित्र श्री ए० पी० जैन मूल्यों को गिरने से रोकने के पक्ष में हैं। इससे कृषकों को बड़ा लाभ होगा। यह चीज सिद्धांत रूप में तो अच्छी है किन्तु व्यवहार रूप में मुझे इसकी उपयोगिता के विषय में आशंका है क्योंकि, कृषकों की इस बारे में प्रत्येक अवस्था में सहायता करने के लिये हमारे पास कोई मशीनरी नहीं है। यह प्रश्न केवल भारत के सम्मुख ही नहीं है। अन्य देशों ने इसे हल करने के लिये वित्तीय, उपायों मुद्रा सम्बन्धी सिद्धांतों, बैंक की दर तथा कुछ अन्य इसी प्रकार के उपायों का सहारा लिया है। इनका अध्ययन करना चाहिये। इस चीज को सिद्धांत रूप में स्वीकार करना चाहिये कि कृषि जीवन-निर्वाह वृत्ति नहीं अपितु औद्योगिक उपक्रम है।

†**श्री सारंगधर दास** (ढेंकानाल—पश्चिम कटक) : खाद्य और कृषि मंत्रालय के प्रतिवेदन में आंकड़े और विवरण दिये हुये हैं। उत्पादन में निश्चय ही वृद्धि हुई है। इसमें से कितनी वृद्धि मौसम के कारण हुई और कितनी नियंत्रण हटा लेने के कारण हुई, यह मुझे पता नहीं।

वैज्ञानिक ढंग से खेती करने और उन्नत ढंग से कृषि करने के बारे में काफी चर्चा की गई है। चूंकि भारत में प्रत्येक फसल का प्रति एकड़ उत्पादन बहुत कम है। जब हमारे यहां केन्द्र में भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् जैसा संगठन मौजूद है और प्रत्येक राज्य में कृषि विभाग है, जिसमें वैज्ञानिक ढंग

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सारंगधर दास]

से प्रशिक्षित लोग हैं, तो फिर हमें यह अनुभव करना चाहिये कि कृषि में सुधार करने के लिये बहुत कुछ करना है। अतएव मेरा सुझाव है कि चावल, गेहूं, कपास और पटसन आदि का प्रति एकड़ उत्पादन बताया जाये जिससे हमें प्रगति का ठीक ठीक पता लग सके। यह बताने से कि कितनी एकड़ भूमि का कृष्यकरण हुआ और कितना उर्वरक बेचा गया, कोई लाभ नहीं है। धान की जापानी ढंग की खेती के बारे में कहा गया है कि इससे अनुमानतः १५.८ मन प्रति एकड़ उत्पादन में वृद्धि हुई। कहना तो यह चाहिये कि १९५४–५५ में प्रति एकड़ एक निश्चित परिमाण में वृद्धि हुई। यह कहना आवश्यक है कि प्रति एकड़ उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई। समस्त उत्पादन वृद्धि से कुछ पता नहीं लगता क्योंकि बहुत सी भूमि का कृष्यकरण किया जा रहा है। अतएव अतिरिक्त उत्पादन इस अतिरिक्त भूमि में की गई खेती के कारण प्रतीत होता है।

यद्यपि उर्वरकों और संखात को लोकप्रिय बनाने के लिये बहुत कुछ किया गया है फिर भी यह कहना भ्रमात्मक है कि हम अपनी खेती में वैज्ञानिक ढंग से सुधार कर रहे हैं। खेती को वैज्ञानिक ढंग से चलाने के बारे में कोई योजना नहीं है।

तीन वर्ष पूर्व प्रतीत होता था कि किसान सिन्दरी के उर्वरक नहीं ले रहे हैं। इसके बाद वह उर्वरक राज्यों के द्वारा किसानों को देने और फसल के समय उनसे वस्तु रूप में उनका मूल्य लेने का ढंग अपनाया गया। उड़ीसा ने इससे कोई लाभ नहीं उठाया। यह कार्य भी सुनियोजित नहीं था। मिट्टी का विश्लेषण किये बिना खाद डालने से आशातीत परिणाम नहीं निकले और किसान निराश हो गये।

क्या मंत्रालय ने इस बात पर भी ध्यान दिया है कि उर्वरकों में अपमिश्रण हो सकता है? उत्पादन तभी बढ़ सकता है जब एक ऐसी सेवा की स्थापना की जाये जो खेतों की मिट्टी का विश्लेषण करे और उर्वरकों के प्रयोग में किसानों को सलाह दे। अमरीका में ५० वर्ष पहले यही किया गया था।

फसल बोने से पहले सरकार को मुख्य फसलों का न्यूनतम मूल्य निश्चित कर देना चाहिये। ऐसा करना उन फसलों के लिये बहुत आवश्यक है जिनका सरकार प्रचार करती है ताकि उनके विषय में भारत आत्म-निर्भर हो जाये और विशेष रूप से पाकिस्तान पर निर्भर न रहना पड़े। ऐसी फसलें कपास और पटसन हैं। लगभग तीन साल पहले कपास और जूट के उत्पादन पर जोर दिया गया था जिसके फलस्वरूप विभिन्न स्थानों में इनकी खेती की गई और खूब फसल हुई। परिणामस्वरूप इनके मूल्य गिर गये। इसीलिये अगले साल कम क्षेत्र में जूट की खेती की गई तथा उत्पादन कम हुआ अतः मूल्यों को नीचे गिरने से बचाना बहुत आवश्यक है। हां; यह निश्चित किया जा सकता है कि आवश्यकतानुसार कितने क्षेत्र में किसी फसल की खेती की जाय।

उड़ीसा में दो साल से सूखा पड़ रहा है। पिछले साल वहां बाढ़ आई थी इसका प्रभाव २० लाख लोगों पर पड़ा है। धान १३ (या १४) मन बिकता है और कहीं कहीं इस मूल्य पर भी नहीं मिलता। २० लाख लोगों की मांग है उस क्षेत्र में धान लोगों में बांटा जाय। पिछले सितम्बर अक्तूबर में हमने सरकार को सुझाव दिया था कि वहां पर ये वस्तुयें पहुंचाई जायें ताकि वे लोग भविष्य में उत्पादन कर सकें। परन्तु अभी तक वहां नहीं पहुंचाया गया है। वहां ४०० टन प्रति दिन के हिसाब १ लाख टन चावल पहुंचाया जाना चाहिये। सरकार ने इस सिलसिले में व्यवस्थित कार्य नहीं किया है इसलिये वह अभावग्रस्त क्षेत्र बन गया है।

देश से तिलहन और खली का निर्यात कर दिया जाता है। इनमें नत्रजन होता है और हमारे कृषिविदों की सलाह है कि यह नत्रजन भूमि में वापस भेजा जाना चाहिये। चीन और जर्मनी में ऐसा ही किया जाता है। हमारी भूमि धीरे धीरे कम उपजाऊ हो गई है क्योंकि हम मल-मुत्र का सदुपयोग नहीं करते और उसका खाद नहीं बनाते। विदेशी हमारे तिलहन और खली अपने पशुओं को खिला कर दूध आदि का उत्पादन करते हैं। हमें इनका निर्यात न कर स्वयं प्रयोग करना चाहिये।

कुछ राज्य खाद्यान्नों का भंडार रखते हैं और उनके बिगड़ने पर उसे नाममात्र के मूल्य पर बेच डालते हैं। हमारा सुझाव है कि चावल के स्थान पर धान का संग्रह करना चाहिये जो दो साल तक खराब नहीं होता। भांडारग्रह देशभर में बनाये जाने चाहिये और वहां से अभावग्रस्त वाले क्षेत्र को अन्न पहुंचाया जाना चाहिये।

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : इस सभा में विभिन्न माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई बातों का उत्तर देने के लिये मैं भूमिका स्वरूप देश में पिछले कुछ सालों में हुये कृषि उत्पादन की रूप रेखा देना चाहता था। मुझे हर्ष है कि श्री सारंगधर दास ने वह जानकारी मांग कर जो मेरे पास है एक अच्छा अवसर प्रदान किया है।

इस देश में कृषि उत्पादन में १९५२–५३ से वृद्धि हुई है। १९५३–५४ में अर्थात् योजना की समाप्ति के दो वर्ष पहले हमने ६,८७,००,००० टन खाद्यान्न का उत्पादन किया जबकि १९५५–५६ के लिये लक्ष्य केवल ६,१६,००,००० टन था अर्थात् हमने दो वर्ष पहले ही ७१,००,००० टन अधिक उत्पादन किया। मूल वर्ष की तुलना में यह १,४७,००,००० टन अधिक था। योजना के अनुसार १९५५–५६ में ८०० लाख एकड़ से हमें २७२ लाख टन चावल का उत्पादन करना था। वास्तव में १९५३–५४ में हमने ७७० लाख एकड़ से कुछ अधिक भूमि से २७८ लाख टन चावल पैदा किया अर्थात् हमने १९५५–५६ के लिये निर्धारित लक्ष्य से उस क्षेत्र से जो ३० लाख एकड़ से कम था ६ लाख टन अधिक चावल का उत्पादन किया।

†**श्री पी० एस० ए० चेट्टियार** : तीस लाख एकड़ का क्या हुआ ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : उस पर आसाम बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल की बाढ़ों का प्रभाव पड़ा था। यह उत्पादन केवल अच्छे मौसम के कारण नहीं हुआ क्योंकि १९५४–५५ और १९५५–५६ में भी जबकि मौसम खराब था अधिक उत्पादन हुआ था। १९५४–५५ अच्छा साल नहीं था। उस समय बाढ़ें आई और सूखा पड़ा फिर भी हम १९५५–५६ के लक्ष्य से ४२ लाख टन खाद्यान्नों का अधिक उत्पादन कर सके। १९५३–५४ चीनी और गन्ने के लिये बुरा साल था। किन्तु १९५४–५५ में स्थिति पूर्ववत हो गई। सबसे अधिक उत्पादन १९५१–५२ में १४.९४ लाख टन हुआ था। १९५४–५५ में इस राशि से १ लाख टन अधिक उत्पादन हुआ। यह हमारे लिये बड़ी बात थी। हमारे विरोधी पक्ष के मित्र श्री सारंगधर दास को चीनी और गन्ने का अच्छा ज्ञान है इसीलिये कदाचित् उन्होंने इसकी चर्चा नहीं की। हम पर उन्होंने चीनी का आयात करने के लिये दोष लगाया। और इस सभा में मैंने उनको उत्तर दिया कि शीघ्र ही देश में चीनी का अतिरेक हो जायेगा। बात वास्तव में वैसी ही हुई। इस अतिरिक्त चीनी का उत्पादन हमने लगभग ४० लाख एकड़ भूमि में उत्पदित गन्ने से किया जबकि १९५१–५२ में ४८ लाख एकड़ में १ लाख टन कम चीनी का उत्पादन किया गया था। कुछ लोग कहते हैं कि यह इसलिये हुआ कि हमने अधिक गन्ना चीनी के उत्पादन में लगाया। बिना गन्ने के चीनी का उत्पादन हो ही नहीं सकता।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** (चित्तौड़) : राजस्थान में मिलों द्वारा हजारों मन गन्ना नहीं खरीदा जा रहा है।

†**डा० पी० एस० देशमुख** : मैं कह रहा था कि हमने कितनी चीनी और गुड़ का उत्पादन किया। यद्यपि हमने इतनी चीनी का उत्पादन किया. फिर भी गुड़ के लिये गन्ने की कमी नहीं थी वास्तव में गुड़ के मूल्य इतने गिर गये थे कि हमें पिछले दो वर्षों में इसके खुले निर्यात की छूट देनी पड़ी। श्री विश्वनाथ रेड्डी ने कहा कि हम गन्ने और जूट के सकल लक्ष्य से अधिक उत्पादन नहीं कर पाये हैं,

†मूल अंग्रेजी में

[डा० पी० एस० देशमुख]

मैं उनसे सहमत हूं। जहां तक चीनी में गुड़ का सम्बन्ध है हमने देश की सारी आवश्यकताओं की लगभग पूर्ति कर दी है। जूट का उत्पादन बढ़ रहा है। हमने इस साल १४ प्रतिशत अधिक जूट का उत्पादन किया है। इससे खेती को गई भूमि के क्षेत्र में अधिक वृद्धि नहीं हुई है। हमारी समस्त वृद्धि २७ प्रतिशत की तुलना में ४१.४ प्रतिशत थी। कुछ अतिरिक्त उत्पादन में खेती किये गये क्षेत्र बढ़ जाने से हुआ होगा। परन्तु शुद्ध औसत उत्पादन में १४ प्रतिशत की वृद्धि हुई है और वह पिछले सालों की तुलना में अधिक है।

[**श्रीमती रेणुचक्रवर्ती** पीठासीन हुई]

१६५३–५४ और १६५४–५५ में प्रायः प्रत्येक फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई है जो पिछले सालों की तुलना में अधिक है। मैंने पहले अंदाज़ नहीं लगाया कि श्री सारंगधरदास क्या चाहते थे अन्यथा मैं औसत उत्पादन के बिन्दु रेख (ग्राफ) देता। मेरे पास आंकड़े हैं। जिनसे पता लग सकता है कि प्रति एकड़ उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है। कुछ मामलों में तो ५० प्रतिशत और उससे अधिक भी वृद्धि हुई है। उदाहरणार्थ १६५०–५१ में चावल का प्रति एकड़ औसत उत्पादन प्रति एकड़ ५६६ पौंड था जो १६५३–५४ में बढ़कर ८०५ पौंड हो गया। अर्थात् ७०.७ करोड़ एकड़ भूमि में प्रति एकड़ २०६ पौंड अर्थात् २.५ मन की वृद्धि हुई। ज्वार का उत्पानन १६४८–४६ में ३०५ पौंड से बढ़कर १६५४–५५ में ४६६ पौंड हो गया अर्थात् ४३४ लाख एकड़ में प्रति एकड़ २ मन की वृद्धि हुई। बाजरे का औसत उत्पादन १६५२–५३ में २२० पौंड से बढ़कर १६५३–५४ में ३३० पौंड हो गया। पूरे ५० प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मक्का का उत्पादन १६५०–५१ में ४८८ पौंड था जो १६५४–५५ में बढ़कर ७०७ पौंड हो गया। रागी का उत्पादन १६५१–५२ में ५३५ पौंड था जो १६५३–५४ में ७१७ पौंड हो गया। गेहूं १६४८–४६ में ५६६ पौंड प्रति एकड़ था जो १६५४–५५ में ७१३ पौंड हो गया। जो १६४६–५० में ६३१ पौंड था जो १६५४–५५ में बढ़कर ७८० पौंड हो गया। चना १६५०–५१ में ४०१ पौंड था पर १६५४–५५ में ५४६ पौंड हो गया। रूई के उत्पादन में भी लगभग ५० प्रतिशत की वृद्धि हुई। ६२ पौंड से उत्पादन ६२ पौंड हो गया।

†**श्री सारंगधर दास** : क्या इन आंकड़ों के लिये सारे देश में नमूना सर्वेक्षण किया गया था।

†**डा० पी० एस० देशमुख** : ये आंकड़े राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और अन्य सर्वेक्षण जो हमने आरम्भ किये हैं। उन से प्राप्त आंकड़ों से अच्छे हैं। मैं आश्वासन दिला दूं कि हमारा सांख्यकी विभाग कार्य कर रहा है। ये सारे आंकड़े उसके श्रम के कारण, जो बहुत ही वैज्ञानिक हैं, प्राप्त हुये हैं। गेहूं और तिलहन के उत्पादनों में वृद्धि हुई है। १६५४–५५ में गेहूं का उत्पादन १६५५–५६ के लक्ष्य से २ लाख टन अधिक था। औसत में भी ५० प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तिलहनों का लगभग ६ लाख टन अधिक उत्पादन हुआ है।

सकल उत्पादन ही नहीं औसत उत्पादन भी बढ़ा है। इस औसत की वृद्धि १६५३–५४ में नहीं अपितु बाद के दो वर्षों में भी हुई है। इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि एक वर्ष में अधिक उत्पादन केवल ठीक समय पर मानसून आने के कारण नहीं हुआ है अपितु अन्य कारणों से भी हुआ है। और मैं सभा को आश्वासन दिलाता हूं कि उससे कम उत्पादन नहीं होगा। उत्पादन इसलिये अधिक हुआ है कि हमारी बिना अधिक सहायता के किसानों ने खेती करने के अच्छे ढंगों को अपनाया है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि अन्य देशों की भांति कुछ अधिक सहायता देनी चाहिये थी पर उपलब्ध संसाधनों को देखते हुये हम केवल उतनी ही सहायता दे सकते हैं। मैं सभा को बतला दूं कि पाकिस्तान में ६६ और कुछ मामलों में ५० प्रतिशत सहायता दिये जाने पर भी उर्वरकों की खपत में ज्यादा वृद्धि

†मूल अंग्रेजी में

नहीं हुई है। हमने वही काम इस देश में बिना किसी आर्थिक सहायता के कर लिया है। हमने अमोनियम सल्फेट की खपत में ३७५ प्रतिशत की वृद्धि की है। जब उर्वरकों के मूल्य कम हो गये तब भी हम अपने मूल्य नहीं घटा सके। भाग्यवश इस बीच में स्थिति में सुधार हो गया है। मूल्य बढ़ गये हैं। इसलिये उर्वरकों के मूल्यों के बारे में किसानों को शिकायत करने का कोई न्यायकारण नहीं है।

जापानी ढंग की खेती के बारे में केवल दो बातें कहना चाहता हूं। तीन साल इसका प्रचार करने से हम इसे ३५ लाख एकड़ भूमि में इसका प्रयोग करवा सके। इस क्षेत्र में केवल बीज के कारण ही ३.५ करोड़ रुपये की बचत हुई अतिरिक्त उत्पादन १५ लाख टन से कम नहीं हुआ है। इसका मूल्य ५० करोड़ होगा। परन्तु इस समस्त कालावधि में केन्द्रीय सरकार को इस पर ३ लाख रुपये खर्च करने पड़े और मैं समझता हूं कि सब राज्य सरकारों ने २ लाख रुपये भी खर्च नहीं किये होंगे। अतएव चावल का अच्छा उत्पादन एक आकस्मिक घटना नहीं है। यह लोगों के कार्यों का परिणाम है।

मैं उर्वरक और उत्पादन के बीच में वस्तु विनिमय की व्यवस्था करवाना चाहता था। इसमें मैं असफल रहा। मुझे यह कहते हुये हर्ष होता है कि यद्यपि मैं वस्तु विनिमय का लाभ देने में असमर्थ रहा किन्तु देश के किसानों ने इसे स्वीकार किया। मैं डा० राम सुभग सिंह और चौधरी रणवीर सिंह के साथ देश के किसानों को बधाइयां देता हूं जिन्होंने हमारी बात मानी और सीमित साधनों के अंदर उन्होंने हमारी आशाओं को पूरा किया। विभिन्न वक्ताओं ने और बहुत सी बातें कीं उन सब के बारे में कहना कठिन है। समयाभाव के कारण राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के समय खाद्य और कृषि मंत्रालय सम्बन्धी विषयों के बारे में हम कुछ नहीं कह सके। आय व्यय पर सामान्य चर्चा के समय हमें समय नहीं मिला। अतएव बहुत सी बातों का उत्तर दिया जाना था और मैं सोचता था कि इसके लिये पर्याप्त समय मिलेगा। अब मैं कुछ ही बातों का उत्तर दे सकता हूं और आश्वासन देता हूं कि कही गई सब बातों की जांच की जायेगी और आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

कही गई महत्वपूर्ण बातों में से कुछ निम्नलिखित हैं। डाक्टर राम सुभग सिंह ने नलकूप बनाने के लिये सरकार द्वारा दी गई राशि की तुलना किसानों द्वारा व्यय की गई राशि से की है। मुझे दुख है कि उन्हें इस विषय में पूरी जानकारी नहीं है। मैं सभा को नलकूप बनाने की लागत का विश्लेषण करके दिखाऊंगा। भूमि पर लगभग १५०० रुपये लगते हैं। जिन नलकूपों की चर्चा की है वे कम गहरे हैं अर्थात् ७५ अथवा १०५ फुट गहरे हैं। हमारे नलकूप २७५ से ३५० फुट और इससे भी अधिक गहरे होते हैं। इनका व्यास भी किसानों द्वारा सरकारी समितियों से लिये गये ऋण की सहायता से बनाये गये नलकूपों के व्यास से अधिक होता है। वे कभी कभी ११–१२ इंच चौड़ा बनाते हैं। हम १८ से २४ इंच चौड़ा बनाते हैं। हम अच्छा पाइप लगाते हैं दूसरे लोग खराब सामान लगाते हैं जिससे ५–६ साल बाद उनका नुकसान होता है। हमारे नलकूप बहुत अधिक वर्ष चलते हैं। अतएव मैं सोचता हूं कि लागत में कोई बचत नहीं होती। हमने इन आंकड़ों की तुलना राज्यों द्वारा बनाये गये नलकूपों से की है। समग्र दृष्टि से यह प्रतीत होता है कि नलकूप बनाने में हम अत्यधिक व्यय कर रहे हैं।

बरमे से छेद करके और ३०० फुट के डेवेलपमेंट बरमे से छेद करने की लागत १२ हजार रुपये होती है। ३०० फुट सीमेंट के पाइप पर जिसका ६ से १२ इंच व्यास होता है, ६००० रुपये लगते हैं। टरबाइन, पंप, मोटर और ट्रांसफार्मर पर ६००० रुपये लगते हैं। शायद गलती यह हो सकती है कि हमारे मित्र ने केवल इन तीनों वस्तुओं की गणना की है और भूमि की लागत का लेखा नहीं किया है। इससे

[डा० पी० एस० देशमुख]

राशि २४ हजार रुपये हो जायेगी। उन्होंने स्वीकार किया है कि लागत २० हजार रुपये हो सकती है अतः कोई अधिक अन्तर नहीं है। हम दो बातों पर अधिक जोर देते हैं। पहला तो टैंक पम्प घर एक लम्बी सीमेंट लगी हुई नाली और चालक का घर है। इस पर १५ हजार रुपये लगते हैं। दूसरी बात है बिजली पहुंचाने के लिये १-१/२ मील तार लगाना। इस पर औसतन १५ हजार रुपये खर्च होते हैं। इसी कारण कुल व्यय लगभग केवल ५५,५०० रुपये होता है। यदि हम ३० हजार रुपये और भूमि का लागत मूल्य घटा दें तो लागत में ३१,५०० रुपये की कमी हो जायेगी और वह २४ हजार हो जायेगा।

डाक्टर राम सुभग सिंह ने भूमिहीन श्रमिकों को बसाने आदि की बात कही है। मुझे आशा है कि खाद्य और कृषि मंत्री इसके बारे में कुछ कहेंगे।

उन्होंने किसानों के रहने के ढंग की भी चर्चा की है। मैं उनसे सहमत हूं कि पदाधिकारी उन्हें पूर्वतः ही तंग करते हैं। तथा महाजन खून चूसते हैं इसमें हम बहुत कम अन्तर कर पाये हैं। परन्तु इसमें खाद्य और कृषि मंत्रालय का दोष नहीं है। उन्हें इसके लिये अपने राज्य की सरकार से, पुलिस से, न्यायालयों से तथा राज्य के अन्य संगठनों से शिकायत करनी चाहिये। मुझे विश्वास है कि इसमें केन्द्रीय सरकार और खाद्य मंत्रालय का दोष नहीं है। श्री फ्रेंक एन्थनी ने वन्य पशुओं के बारे में कहा है। शिकारी आदि जो अपराध करते हैं उसकी ओर उन्होंने सभा का ध्यान दिलाया है। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि वन्य पशुओं के संरक्षण के लिये जब से वन्य पशु बोर्ड बनाया गया है जब से कई अच्छी बातें की गई हैं। मुझे समय नहीं है कि मैं संक्षेप में भी उन कार्यों की चर्चा कर सकूं। ऊटी में मई १९५५ में वन्य पशुओं के भारतीय बोर्ड की कार्य कारिणी समिति की बैठक हुई थी जिसमें गैर-कानूनी शिकार और शिकार नियमों के तोड़ने पर विचार किया गया था। बैठक में सुझाव दिया गया था कि यदि उन लोगों की अनुज्ञप्तियां स्थायी तौर पर रद्द कर दी जायें जो इस विषय में दोषी पाये जायें तो पशुओं की रक्षा में इसका अच्छा प्रभाव होगा। बोर्ड के सभापति के कहने पर समिति ने तीन बातों पर राज्य सरकारों से सामग्री एकत्रित की अर्थात्—शिकार करने के नियमों को भंग करने पर एवं गैर-कानूनी तौर पर शिकार करने पर दिये गये अर्थ दंड अथवा दंड, इन दुर्व्यवहारों को करने वाले व्यक्तियों को दंड देने के बारे में राज्य सरकारों के सुझाव और इस प्रकार के लोगों के शस्त्रों के लाइसेंसों को स्थायी तौर पर रद्द करने के बारे में राज्य सरकारों की रायें। मुझे हर्ष है कि त्रावनकोर-कोचीन कच्छ-आंध्र और हैदराबाद की सरकारें इस मत की है कि इस प्रकार के दोषी व्यक्तियों के शस्त्रों के लाइसेंसों को स्थायी तौर पर रद्द कर दिया जाय। पैप्सू, दिल्ली, और अजमेर की सरकारों ने द्वितीय शर्त पर स्थायी तौर पर रद्द करने का सुझाव दिया है। बम्बई सरकार ने सुझाव दिया है कि शिकार चुराने के मामले में शस्त्रों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाय। अन्य राज्यों के उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है। फसल की रक्षा करने की बन्दूकों के बारे में वन्य पशु के भारतीय बोर्ड ने जिसकी बैठक फरवरी, १९५५ में कलकत्ते में हुई थी माना है कि उनका दुरुपयोग किया जाता है और सिफारिश की है कि ऐसा करने से जिन स्थानों में जहां किसी खास जाति के पशुओं अथवा पक्षियों के सर्वनाश का भय हो वहां ऐसे स्थानों से ऐसी बन्दूकें वापस ले लेनी चाहिये और फसल की रक्षा सरकारी संगठन द्वारा की जानी चाहिये। इस सिफारिश को मानने के लिये केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है, भोपाल, मनीपुर, पैप्सू, बम्बई, सौराष्ट्र, राजस्थान, और उत्तर प्रदेश ने जिलाधीशों और पुलिस अधिकारियों को अनुदेश दिये हैं कि वे ध्यान रखें कि फसल की रक्षा करने के लिये दी गई बन्दूकों का दुरुपयोग न किया जाय और वे केवल फसल की रक्षा के लिये ही काम में लायी जायें। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि उन्हें ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है कि राज्य में ऐसी बन्दूकों के कारण किसी खास जाति के पशु पक्षियों का सर्वनाश होने वाला है। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकारी संगठन द्वारा फसलों की रक्षा करना अव्यवहार्य है। अन्य राज्य सरकारों के उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है।

इस प्रश्न की चर्चा फिर से समिति की बैठक में हुई और समिति ने सिफारिश की कि फसल की रक्षा के लिये बांस की बाढ़ लगानी चाहिये। यह सिफारिश राज्य सरकारों को भेज दी गई है और उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है।

सैनिकों और जंगल के ठेकेदारों द्वारा अंधाधुंध किये जाने वाले शिकार की भी चर्चा की गई। इस पर श्री फ्रेंक एन्थनी ने बहुत ज़ोर दिया है। सैनिकों द्वारा शिकार नियमों के तोड़े जाने की चर्चा मई १६५५ में कार्य कारणी समिति की तीसरी बैठक में हुई। समिति ने बोर्ड के सभापति से प्रार्थना की कि आखेट नियमों को प्रभावकारी बनाने के लिये वे सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों से पत्र-व्यवहार करें। सभापति ने उन्हें लिखा और उन्होंने उत्तर दिया कि वे इस बात में पूर्ण सहयोग देंगे कि सैनिक शिकार नियमों का कड़ाई से पालन करें।

जंगल के ठेकेदारों को कानूनन हम इस आधार पर लाइसैंस देना बंद नहीं कर सकते कि वे जंगल के ठेकेदार हैं। फिर भी जब वे दोषी पाये जाते हैं तो कड़ी कार्यवाही की जाती है और उनके शस्त्रों के लाइसेंस रद्द कर दिये जाते हैं। वन्य पशुओं की रक्षा के लिये सरकार को सलाह देने के लिये भारत सरकार द्वारा बनाये गये वन्य पशुओं का भारतीय बोर्ड पिछले डेढ़ वर्षों से बहुत कार्य कर रहा है। हमने इस विषय पर थोड़ी देर से ध्यान दिया है। परन्तु तब से हमने बहुत सी बातों पर ध्यान दिया है तथा दुराचार और दुरुपयोग को रोकने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं। बोर्ड की कार्यकारिणी की डेढ़ वर्ष में अब तक तीन बैठकें हो चुकी हैं। बोर्ड की मंत्रणा पर राज्य सरकारों द्वारा ऐसे कुछ पशु-पक्षी, जिनका सर्वनाश हो रहा था, रक्षित पशु-पक्षी घोषित किये गये हैं।

वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिये वन्य जीव-जन्तुओं के अंधाधुंध शिकार को रोकने की और आगे की कार्यवाही के रूप में भारत सरकार ने शेरों, शिकारी तेन्दुओं, भूरे बारह सिंहों, हरिणों, आदि जैसी पशु-जातियों के सम्बन्ध में वन्य जीव-जन्तुओं के निर्यात और उसके उत्पोपादों पर प्रतिबन्ध लगा दिये हैं। इनका निर्यात बिल्कुल कड़ाई के साथ निषिद्ध कर दिया गया है। गेंडों, आदि जैसी कुछ अन्य पशु-जातियों का निर्यात केवल वैज्ञानिक संस्थाओं को किया जा सकता है।

†**श्री फीरोज गाँधी** (जिला प्रताप गढ़—पश्चिम व जिला राय बरेली—पूर्व): कितने बन्दरों का निर्यात किया जा चुका है?

†**डा० पी० एस० देशमुख:** उनकी संख्या बहुत अधिक है, उनसे छुटकारा पाने पर हमें प्रसन्नता ही होगी।

†**श्री फीरोज गाँधी:** क्या उनके निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध है?

†**डा० पी० एस० देशमुख:** शिकायतें आई थीं कि उनका निर्यात मानवीय परिस्थितियों में नहीं किया गया था। उस सीमा तक हमने उनके निर्यात की कुछ शर्तें निश्चित कर दी हैं। हम ऐसी कुछ गारंटी चाहते हैं कि उनको मानवीय परिस्थितियों में ले जाया जायेगा। हम उनके निर्यात की मांग के हर मामले की जांच-पड़ताल करते हैं, और उसके बाद ही उस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं।

†**श्री मात्तन** (तिरुवल्ला): हमारे मकानों में बन्दरों द्वारा की जाने वाली शरारतों के सम्बन्ध में क्या किया गया है?

†**डा० पी० एस० देशमुख:** मुझे उस शिकायत का पता है।

भारत सरकार ने वन्य जीव-जन्तुओं के परीक्षण के लिये राज्य सरकारों को शरण-स्थानों और राष्ट्रीय उपवनों के निर्माण के लिये कहा है। इस काम के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय

†मूल अंग्रेजी में

[डा० पी० एस० देशमुख]

और राज्य क्षेत्रों में लगभग १,३५,००,००० रुपयों की व्यवस्था की गई थी। भारत सरकार इसका ५० प्रतिशत व्यय का भार वहन करेगी। गत जनवरी में हुई बोर्ड की कार्यकारिणी समिति ने सिफारिश की थी कि राज्यों में पूर्णा कालिक वन्य जीव-जन्तु परीक्षण अधिकारी नियुक्त किये जायें, और भारत सरकार ने कार्यान्विति के लिये उस सिफारिश को राज्य सरकारों को भेज दिया है।

**श्री पी० एन० राजभोज** (शोलापुर—रक्षित-अनुसूचित जातियां) : मैं मंत्री महोदय से एक सवाल पूछना चाहता हूं :

**डा० पी० एस० देशमुख :** अभी रहने दीजिये, मुझे ही बोलने दीजिये।

**श्री पी० एन० राजभोज :** क्या जमीन के बारे में हरिजनों को भी कुछ दिया गया है ?

**डा० पी० एस० देशमुख :** यह बीच में नहीं बतलाया जा सकता।

श्री विश्वनाथ रेड्डी द्वारा कुछ विषयों का एक बहुत निश्चित निर्देश सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई थी। मेरा विचार है कि हम उनमें से कई विषयों के सम्बन्ध में यथेष्ट कार्यवाही कर भी चुके हैं, विशेषकर फल उद्योग और शीत कोठार संयंत्रों के विकास के सम्बन्ध में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में फल-परिरक्षण सम्बन्धी योजनाओं के लिये १,७५,००,००० रुपयों की एक व्यवस्था की गई है। इस राशि में से, शीत कोठार संयंत्रों की स्थापना के लिये ४० लाख रुपये रखे गये हैं। इस राशि से हम कुछ उपयुक्त स्थानों पर आठ या दस शीत कोठार संयंत्रों की स्थापना कर सकेंगे। इस काम के लिये कृषि वस्तु-विक्रय निदेशालय ने वर्तमान शीत कोठार सुविधाओं और केन्द्रों का एक सर्वेक्षण भी कर लिया है।

श्री विश्वनाथ रेड्डी ने अनुसंधानात्मक नल-कूपों की धीमी प्रगति के सम्बन्ध में भी शिकायत की थी, और उन्होंने तो यहां तक कहा कि अनुसंधानात्मक नल-कूप कार्यक्रम के सम्पन्न होने तक हम में से कई तो वृद्ध भी हो चुकेंगे। मैं उन्हें आश्वासन दे सकता हूं कि आंध्र में यह कार्य मार्च, १६५७ तक आरम्भ हो जायेगा। दुर्भाग्यवश, मशीनों के आने में कुछ विलम्ब हो गया था।

†**श्री मात्तन :** मद्रास के नल-कूपों के सम्बन्ध में क्या हुआ ?

†**डा० पी० एस० देशमुख :** हमारे पास सारे देश भर के लिये एक कार्यक्रम है। अभी यहां मेरे पास उसका पूरा ब्यौरा नहीं है, लेकिन मेरा विचार है कि उसमें निर्धारित अवधि से बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। शायद उसमें निर्धारित समय से छः महीने या एक वर्ष का ही समय अधिक लगेगा। मशीनों के आते ही हम काम आरम्भ कर देंगे, और मुझे विश्वास है कि हमारे कार्य से प्रत्येक को संतुष्टि होगी। हमें आशा है कि मार्च, १६५८ के अन्त तक हम देश भर के सभी ३५० अनुसंधानात्मक नल-कूपों सम्बन्धी कार्य को सम्पन्न कर लेंगे।

इन नल-कूपों के लिये कुछ विशेष मशीनों की भी आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिये, अभी के हमारे जितने भी नलकूप हैं उनमें से अधिकांश उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पंजाब की कछारी भूमि में स्थित हैं और वहां हमें साधारणतः मिट्टी नहीं मिलती। इसलिये हम ऐसे स्थानों में नलकूप बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं जहां कि वे साधारणतः सफल नहीं रहते हैं। कुछ ही ऐसे खित्ते हैं जहां हमें आशा है कि नलकूपों द्वारा उत्तम जल मिलने की संभावना हो सकती है। इन सभी स्थानों का निर्धारण हम भूतत्वीय सूचना के आधार पर कर रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि दक्षिणी पठार की सारी भूमि नलकूपों के लिये अनुपयुक्त है। केवल नर्मदा घाटी, पैंच घाटी जैसे कुछ स्थानों और कुछ अन्य में हम नलकूप बना सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरी बात यह है कि नल कूप योजना के एक प्रसन्नता का विषय होने पर भी हमें यह समझ लेना चाहिये कि उसके लिये कुछ बाद-कल्पे और कुछ सूचनाओं की भी आवश्यकता होती है। यदि इनको उपलब्ध नहीं किया जा सकता तो नलकूप बनाना भी सम्भव नहीं होता है। उदाहरण के लिये, यदि २७० या ३०० या ३५० फीट तक छिद्रीकरण करने के बाद भी हमें वहां कम से कम ३०,००० गैलन प्रति घण्टे के हिसाब से पानी नहीं मिलता, तो नलकूप कोई अधिक उपयोगी नहीं होगा। उसमें किसी को भी कोई रुचि नहीं होगी। उसको मितव्ययता के साथ नहीं चलाया जा सकेगा। इसलिये यह भी इसमें एक बाधा है, लेकिन जहां तक कार्यक्रम का सम्बन्ध है, निस्सन्देह हम उसमें यथा सम्भव तेजी से आगे बढ़ेंगे।

श्री विश्वनाथ रेड्डी ने भूमि हीन खेती का भी जिक्र किया था। अभी तीन या चार सप्ताह पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने मुझे इस विषय पर प्रधान मंत्री के नाम लिखे अपने एक पत्र की प्रति भेजी थी। जहां तक भूमिहीन खेती द्वारा उत्पादन का सम्बन्ध है, वह एक बड़ी खर्चीली कृषि-पद्धति है। हमारे देश में इतनी अधिक भूमि पड़ी हुई है कि हम अपनी वर्तमान पद्धति से ही दूना और तिगुना उत्पादन कर सकते हैं, और हम अपनी भूमि पर कोई मनमाने परीक्षण नहीं कर सकते हैं। हमारे यहां उत्पादन में लगाये जाने के लिये बहुत अधिक भूमि पड़ी हुई है। फिर भी हमने उस विषय के उस पक्ष की भी उपेक्षा नहीं की है, और हमने उसके सम्बन्ध में भी कुछ परीक्षण किये हैं। लेकिन, एक मोटे तौर पर कहा जा सकता कि कहीं भी ये परीक्षण एक बड़े पैमाने पर नहीं किये गये हैं। उनको प्रयोग-शाला के कुछ अच्छे परीक्षण मात्र कहा जा सकता है। अभी तक तो वे परीक्षण मनोरंजन के विषय ही बने हुये हैं। जहां तक उस पद्धति की मितव्ययता का सम्बन्ध है, अभी उसके सम्बन्ध में कार्य करना और यह दिखाना शेष है कि भूमि के बिना भी उतना ही खाद्य मितव्ययता के साथ उत्पन्न किया जा सकता है जितना कि भूमि के द्वारा किया जाता है।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी :** हमारे देश में भूमि पर बहुत अधिक भार है, तो क्या हमारे यहां ये परीक्षण सफलता के साथ नहीं किये जा सकते हैं ?

†**श्री ए० पी० जैन :** वाणिज्यिक पैमाने पर नहीं।

†**डा० ी० एस० देशमुख :** चौ० रणवीर सिंह की बातों के सम्बन्ध में मैं कह ही चुका हूं कि किसानों की दशा का उन्होंने जो वर्णन किया है उससे मैं बहुत अधिक असहमत नहीं हूं, और मैं यह भी मानता हूं कि हमने कृषकों को कोई बहुत अधिक सहायता नहीं दी है। लेकिन हमारे संसाधन भी तो सीमित हैं, और हम अपनी इच्छा के अनुसार सहायता नहीं कर सकते।

जहां तक कि किसानों को दी जाने वाली सूचना का सम्बन्ध है, उन्होंने उसका भी कुछ निरुपण किया। मैं जबसे इस पद पर हूं, तभी से मैं इस दिशा में यथासम्भव अधिक से अधिक प्रयास करता रहा हूं, और मैं कह सकता हूं कि यह जितना भी अधिक उत्पादन हुआ है उसका अधिकांश इसी कारण हुआ है कि हमने कृषकों तक इस प्रकार की सूचना पहुंचायी थी। यदि हमने ऐसा न किया होता, तो हमें और अधिक उत्पादन के रुप में उनका इतना प्रत्युत्तर भी नहीं मिल सकता था। इसीलिये, मैं इस सम्बन्ध में अपने मित्र से यही कहूंगा कि यह तो सही है कि हमने अभी अपना आदर्श प्राप्त नहीं किया है और वह अभी बहुत दूर है, फिर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि हमें अशिक्षित किसानों के साथ काम करना पड़ता है और हमारे पास सूचना के प्रसारण के लिये यथेष्ट व्यवस्था भी नहीं है कि हम उनके पास चल-चित्रादि लेकर जा सकें, और चल चित्रों के निर्माण के सम्बन्ध में भी सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने हमें प्रति वर्ष कृषि सम्बन्धी दो ही चलचित्र दिये हैं। इस पर भी हमने कुछ योजनायें बनाई हैं, जिनके द्वारा हम लगभग तीस चलचित्र तैयार करेंगे।

†मूल अंग्रेजी में

[डा० पी० एस० देशमुख]

हमारी यही बाधायें हैं। हमने परिणामों को किसानों तक पहुँचाने में ढिलाई नहीं की है, हम उसमें अपनी पूरी शक्ति लगा रहे हैं। किसानों को यहां तक बुलाने का यदि कोई उद्देश्य था तो यही कि हम उनको अपनी नई बातों के सम्बन्ध में कुछ अधिक सूचना दें। और इनमें उनको दिखाने की सबसे बड़ी चीज थी, देश में कृषि विज्ञान का "मक्का" अर्थात् पूसा प्रतिष्ठान। हमारी इस कार्यवाही का एक उद्देश्य यह भी था कि वे केन्द्रीय सरकारी और अन्य अधिकारियों को अपनी कठिनाइयां भी बतलायें।

मंत्रालय के संगठन के सम्बन्ध में सरदार लाल सिंह ने जो मुझे बधाई दी है, उसके लिये मैं उनका आभारी हूं।

अच्छा हो यदि मैं अब अपने मित्र श्री सारंगधर दास द्वारा कही हुई बातों के सम्बन्ध में कुछ कहूं, क्योंकि विरोधी दल की ओर से बोलने वालों में वे अकेले ही थे और इसीलिये उनकी बातों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। उनकी सबसे पहली शिकायत तो यह थी कि हम सभी ब्यौरा नहीं दे रहे हैं। मैं इसके सम्बन्ध में कह चुका हूं, और मैंने उनको उसका ब्यौरा भी दिया था। और यदि फिर कभी भी वे अधिक ब्यौरा चाहें तो मैं उन्हें वह ब्यौरा दे सकता हूं। मैंने इस बढ़े हुये उत्पादन के ग्राफ भी तैयार किये हैं, और मैं उन्हें अपने कार्यालय में आने का निमंत्रण देता हूं। आर्थिक विभाग के कार्य का पता लगाने और उस के पास जो सामग्री है उसे स्वयं अपनी आंखों से देखने के लिये, मैं उनके सामने इन ग्राफों के साथ ही साथ एक प्याला चाय भी पेश करूंगा।

उन्होंने तिलहनों के निर्यात के सम्बन्ध में भी शिकायत की थी और कहा था कि हम एक बहुत अविवेकपूर्ण कार्य कर रहे थे। लेकिन मैं बता ही चुका हूं कि यह सिर्फ इसीलिये किया गया था कि उससे कीमतों में सुधार होगा और उत्पादकों को लाभ पहुंचेगा। आदर्श के रूप में तो मैं उनकी इस बात से सहमत हो सकता हूं कि किसी भी ऐसी चीज का निर्यात न किया जाये जिससे कि वास्तव में भूमि की खाद्य सम्बन्धी उर्वरता बढ़ती हो। हड्डी के चूरे के सम्बन्ध में भी यही बात है, और हमारी नीति है कि हड्डी के चूरे या हड्डियों को देश से बाहर न जाने दिया जाये। लेकिन हमारे सामने कुछ बाधायें हैं, और हमारी कुछ सीमायें हैं। हमें कुछ विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है। यदि हम सभी चीजों का निर्यात बन्द कर दें तो हमें विदेशी मुद्रा मिलने की बिल्कुल भी सम्भावना नहीं रह जायेगी।

उन्होंने मिट्टी के विश्लेषण का भी जिक्र किया था, और अपने भाषण में उन्होंने यह भी बताया था कि अमरीका में पचास वर्ष पूर्व क्या किया गया था। मैं उन्हें बता दूं कि हमारी सूचना उतनी पुरानी नहीं है और न हम उतने पिछड़े हुये ही हैं, जितना कि वे सोचते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, मिट्टी-विश्लेषण सम्बन्धी हमारा कार्यक्रम भी बहुत अच्छा और जोरदार है। मैं उनकी इस बात से तो सहमत हूं कि जब तक हमारे देश में मिट्टी का विश्लेषण नहीं किया जाता और हम अपने किसानों को यह बताने की स्थिति में नहीं होते कि वे किस प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग करें और हर फसल के लिये प्रति एकड़ उसका कितना परिमाण प्रयुक्त किया जाये, तब तक हम अपना कर्त्तव्य ठीक से पूरा करने का श्रेय नहीं ले सकेंगे। लेकिन विगत समय में इन में से अधिकांश बातों का अभाव था और उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। इसलिये हम अब एक दिन में यह सब कमी पूरी नहीं कर सकते। हम मिट्टी के विश्लेषण और उर्वरकों के प्रयोग के क्रम (सूची) के महत्व को पूरी तरह समझते हैं। मैं उन्हें आश्वासन दे सकता हूं कि हम इस कार्य को बड़ी गम्भीरता से कर रहे हैं, और अगले पांच वर्षों में हम उसमें से बहुत कुछ को पूरा भी कर चुकेंगे।

मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने उर्वरकों की खपत के सम्बन्ध में भी कहा था। मैं यह तो मानता हूं कि उर्वरकों के प्रयोग की सिफारिश करने से पहले मिट्टी का विश्लेषण कर लेना आवश्यक है, लेकिन मैं उन्हें यह भी बता दूं कि हम जहां भी किसानों को उर्वरकों का प्रयोग करने की सलाह देते हैं हम उनके सम्बन्ध में थोड़ी-बहुत सामग्री तो संग्रह कर ही लेते हैं। हम केवल अमोनियम

सल्फेट से कहीं अधिक सिफारिश रगद-मिश्रणों की करते हैं। यही हमारी नीति है, और हम चाहते हैं कि किसान केवल नाइट्रोजन के प्रयोग की अपेक्षा, एक से अधिक उर्वरकों के मिश्रणों को ही अधिकाधिक काम में लायें। मुझे यह बताते बड़ी प्रसन्नता होती है कि इस सम्बन्ध में भी हमने काफी सफलता प्राप्त कर ली है। यह इसीलिये कि केवल अल्मोनियम सल्फेट की ही खपत में वृद्धि नहीं हुई है, पर सुपर फास्फेटों की खपत भी दूनी हो गई है, अब इस क्षेत्र में उर्वरकों का एक तीसरा मिश्रण भी प्रचलित होता जा रहा है। हम इस बात की भी देखभाल करेंगे कि किसान इन उर्वरकों को अधिकाधिक वैज्ञानिक रूप से प्रयोग करते रहें।

हमारे बढ़े हुये उत्पादन का अधिकांश इसी के कारण बढ़ा है। सरदार लाल सिंह ने कहा ही था कि जापान और फारमोसा जैसे छोटे-छोटे देशों की तुलना में भी हमारे देश में कहीं पर भी उर्वरकों की खपत न तो संतोषपूर्ण है और न उचित ही। हमारे यहां उतने उर्वरकों की खपत भी नहीं होती जितनी कि आज फारमोसा में होती है। लेकिन, हमने उर्वरकों के प्रयोग में वृद्धि करने की भरसक चेष्टा की है।

समय समाप्त हो चुका है, इसलिये मैं अब यह कह कर ही अपना भाषण समाप्त करता हूं कि मुझ से या मेरे माननीय सहयोगी, खाद्य और कृषि मंत्री से जो जो बातें उत्तर देने से रह गई हैं, हम उन सभी बातों की बड़ी सावधानी से परीक्षा करेंगे, उन पर विचार किया जायेगा। मैं लोक सभा को यह आश्वासन भी देता हूं कि कम से कम द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तो हमने वन-विज्ञान, भूमि परीरक्षण, उद्यान-विद्या और ऐसी सभी चीजों की ओर कहीं अधिक ध्यान दिया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इनमें से कुछ को अधिक महत्व कम स्थान नहीं दिया गया था। इसी प्रकार सहकारिता, विक्रय, श्रेणी-बद्धीकरण, गोदाम बनाने, प्रारम्भिक परिष्करण आदि की ओर भी हमने इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अधिक ध्यान दिया है।

खाद्य और कृषि मंत्रालय की मांगों को उचित समर्थन देने के लिये, मैं लोक सभा का आभारी हूं।

†**श्री एन० बी० चौधरी :** खाद्य और कृषि मंत्रालय के प्रतिवेदन में प्रगति का एक अति सुन्दर चित्र प्रस्तुत किया गया है परन्तु वास्तव में कृषकों की दशा दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। उनका जीवन पहले की भान्ति विवशतापूर्ण और दु:खी है और उनका ऋण बढ़ता जा रहा है। इसका कारण यह है कि यहां और राज्यों में मंत्रालय ठीक प्रकार से भूमि का सुधार नहीं कर सका है। गत दो तीन वर्षों के अभिलेखों से पता चलता है कि अन्य लोगों की भूमि पर निर्भर करने वालों और उन काश्तकारों की, जिन्हें स्थायी भोग अधिकार प्राप्त नहीं है, हालत बड़ी खराब है, बहुतसों की तो बेदख़ली कर दी गई है। १९५१–५२ में संरक्षित कृषकों की संख्या २,११,४३६ थी जो २६,७५,९६० एकड़ भूमि में कृषि करते थे। १९५४-५५ में ९०,२७९ संरक्षित कृषक १०,९५,३१९ एकड़ भूमि में खेती करते थे। इस से पता चलता है कि उनकी संख्या कम हो गई है, यह एक गम्भीर विषय है। एक प्रकार से यह एक प्रतिकूल भूदान है और यह भूमि स्वेच्छा से नहीं दी जा रही है। स्वयं मंत्री महोदय ने इस बात को स्वीकार किया है कि कृषकों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। वाणिज्यक फसलों और खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ जाने पर भी कृषि श्रमिकों और अन्य कृषकों के १७० लाख परिवारों की हालत सुधर नहीं सकी है बल्कि उनकी हालत गिरती ही जा रही है। इसका मूल कारण सरकार की भूमि संगठन सम्बन्धी नीति की बुनियादी त्रुटियां हैं। मध्यवर्ती व्यक्तियों को हटाने के लिये कई विधान पारित किये गये हैं परन्तु फालतू भूमि को भूमिहीन कृषि श्रमिकों में नहीं बांटा

†मूल अंग्रेजी में

[श्री एन० बी० चौधरी]

गया है। लोगों का सहयोग प्राप्त नहीं किया जाता है और सुधारों को कार्यान्वित करने के लिये कृषि संस्थाओं से परामर्श नहीं किया जाता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में चकबन्दी के कार्य के बारे में घूस और पक्ष-पात की गई शिकायतें मुझे मिली हैं। लोग चकबन्दी प्राधिकारियों पर अनुचित रूप से प्रभाव डाल कर अच्छी भूमि प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार की बुराइयों को दूर किया जाना चाहिये तभी उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कृषकों की हालत सुधर सके।

मूल्यों में जो उतार चढ़ाव होता रहता है उससे किसानों और उपभोक्ताओं को बड़ी हानि होती है पश्चिमी बंगाल में चावल का मूल्य असाधारण रूप से बढ़ रहा है। इसका यह कारण है कि वहां चावल की उपज कम हुई है। दो वर्ष पूर्व वहां ३९ लाख टन चावल पैदा हुआ। १९५४ में उत्पादन ५२ लाख टन था परन्तु १९५५ में उत्पादन केवल ३७ लाख टन ही रह गया। उड़ीसा में भी उत्पादन के कम होने के कारण वहां से चावल भी नहीं मंगवाया जा सकता।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

यदि सरकारी संसाधनों से चावल का सम्भरण न किया गया और उसके मूल्य को घटाने का प्रयत्न न किया गया तो मूल्य अत्याधिक बढ़ जायेंगे।

वाणिज्यिक फसलों, विशेषकर पटसन, के निम्नतम मूल्य निश्चित करने के लिये कई अभ्यावेदन भेजे गये हैं परन्तु अभी तक कुछ नहीं किया गया है। मूल्यों के बारे में सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिये जिससे कि अत्याधिक उतार चढ़ाव न हो। अतः नीति में परिवर्तन किया जाना चाहिये।

सुधार शुल्क और सिंचाई दरों का कृषकों के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि एक एकड़ को पानी देने के लिये आप १० या १५ रुपये ले लेते हैं तो उनकी हालत कैसे सुधर सकती है, सिंचाई मंत्रालय के प्रतिवेदन से पता चलता है कि १५ वर्ष के समय में सिंचाई किये जाने वाले क्षेत्र को दो गुना कर दिया जायेगा। इस समय कृषि योग्य भूमि के केवल २० प्रतिशत की सिंचाई की जाती है। इसे बढ़ाने से ही हम वह लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे जो द्वितीय पंचवर्षीय योजाना में निर्धारित किया गया है।

मैंने अपने एक कटौती प्रस्ताव के द्वारा मंत्रालय का ध्यान कृषक समाज की ओर आकर्षित करने का प्रयत्न किया है। इसे कृषक समाज कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि यह उन बड़े कृषकों का संगठन है जो ट्रैक्टर से काम लेते हैं और जिनके पास बहुत अधिक भूमि है परन्तु यह उत्पादकों का प्रतिनिधि संघ नहीं है, क्योंकि इसमें कृषि श्रमिकों और भोक्ता कृषकों को कोई स्थान नहीं दिया गया है। यदि आप इसे एक कृषक संघ बनाना चाहते हैं तो इसमें अखिल भारतीय किसान सभा जैसे प्रतिनिधि संगठनों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिलना चाहिये तभी कृषकों के वास्तविक विचारों का पता चल सकेगा। अभी अभी माननीय कृषि मंत्री ने भारतीय कृषि गवेषणा संस्था को कृषि विज्ञान का मक्का बताया था। मैं उन से सहमत हूँ, परन्तु मुझे यह कहना है कि वहां काम करने वालों को अन्य सरकारी कर्मचारियों की भान्ति वर्ष में १५ दिन का आकस्मिक अवकाश भी नहीं दिया जाता है। वे १५ और २० वर्ष से काम कर रहे हैं और मासिक वेतन पर काम करते हैं।

†**डा० पी० एस० देशमुख** : क्या संस्था में किये जाने वाले वैज्ञानिक कार्य का मूल्य कुछ लोगों के वेतन के आधार पर निर्धारित किया जाता है?

†**श्री एन० बी० चौधरी** : मैं वैज्ञानिक कर्मचारियों के काम की सराहना पहले ही कर चुका हूँ।

†मूल अंग्रेजी में

परन्तु जो लोग बुनियादी कार्य करके इन वैज्ञानिकों की सहायता कर रहे हैं उनकी समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। उन्हें कोई साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलता, उन्हें मकान किराया, भत्ता नहीं दिया जाता है, भविष्य निधि और चिकित्सा सुविधायें भी नहीं दी गई हैं। इनकी ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने में विलम्ब किया गया है। लोक-सभा में एक विधेयक भी पुरस्थापित किया गया है परन्तु न जाने वह कब पारित होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में १३० करोड़ रुपये के ग्रामीण ऋण की व्यवस्था की गई थी परन्तु १९५५ तक केवल ३० करोड़ रुपया दिया गया था। इस प्रकार प्रथम योजना में जो वचन दिया गया था उसे पूरा नहीं किया गया है। मौसमी कार्यवाही के लिये कृषकों को ७०० करोड़ रुपया ऋण लेना पड़ता है। इसका ३ प्रतिशत सहकारी समितियां देती हैं और ३ प्रतिशत तक़ावी और अन्य कृषि सम्बन्धी ऋण द्वारा प्राप्त होता है। अतः यदि हम इन्हें गांव के महाजनों से बचाना चाहते हैं तो द्वितीय पंच-वर्षीय योजना अवधि में सरकार को अधिक प्रयत्न करने होंगे और अधिक ऋण की व्यवस्था करनी होगी और कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिये ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करना होगा।

**श्री दिगम्बर सिंह** (ज़िला एटा-पश्चिम व जिला मैनपुरी-पश्चिम व ज़िला मथुरा-पूर्व) : सब से पहले मैं कृषि मंत्रालय को, जो कार्य उसने किये हैं, उनके लिये धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस मंत्रालय के सम्मुख एक तो बड़ी समस्या ३६ करोड़ जनता के लिये भोजन का प्रबन्ध करने की है और दूसरी २४ करोड़ किसानों की उन्नति व जीवन-स्तर ऊंचा करने की है। इस मंत्रालय ने जितना काम इस सम्बन्ध में किया है और जो जो कार्य वह अब कर रहा है, मैं समझता हूँ कि कोई भी समझदार और ईमानदार व्यक्ति उसे उसके लिये धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता। इस मंत्रालय द्वारा किये गये कार्यों में से कुछ का मैं जिक्र करना चाहता हूँ।

ट्रैक्टर संघठन द्वारा १४ लाख एकड़ भूमि सन् १९४८ से आज तक कृषि योग्य बनाई गई है जिस पर कि आज बहुत से बड़े बड़े फार्म विशेषकर यू० पी० में खुल गये हैं और जहां पर लाखों टन का उत्पादन हो रहा है जिससे हमारे देश को खाद्यान्न के बारे में आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिली है। इस वर्ष भी एक लाख ८० हज़ार एकड़ भूमि खेती योग्य बनाई गई है और उस में काश्त हो रही है।

इसी तरह से ट्यूब वैल्स (नलकूप) के सम्बन्ध में भी उल्लेखनीय कार्य इस मंत्रालय ने किया है। इस मंत्रालय ने एक योजना बनाई थी जिस के अन्तर्गत उसका विचार सन् १९५६ के अन्त तक २,६५० ट्यूब वैल बनाने का था। पिछले वर्ष के अन्त तक २,३७५ ट्यूब वैल बन गये थे और मैं समझता हूँ कि बाक़ी के भी बन गये होंगे। क्योंकि १९५६ तक की सूचना मुझे प्राप्त नहीं। लेकिन इन ट्यूब वैल्स के सम्बन्ध में मुझे एक चीज़ निवेदन करनी है और वह यू० पी० और विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र यानी मथुरा ऐटा व मैनपुरी के बारे में है। वहां पानी की समस्या बहुत ही जटिल है। यहां नहरों का आखीर है, ट्यूबवैल बने नहीं, बड़े प्रयत्न से कुछ मैनपुरी में बने हैं वहां पर कुछ एरिया (क्षेत्र) ऐसा है जहां पर ट्यूबवैल सफल हो जाते हैं और कुछ एरिया ऐसा है जहां सफल नहीं होते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से ठीक तरह से जांच नहीं की गई है कि कौनसा क्षेत्र ऐसा है जहां पर ट्यूबवैल सफल हो सकते हैं और कौनसा क्षेत्र ऐसा है जहां पर ट्यूबवैल सफल नहीं हो सकते हैं। बहुतसी ऐसी जगह हैं जहां पर सरकार ने यह घोषित किया था कि वहां पर ट्यूबवैल लगाना सफल हीं हो सकता। लेकिन प्राइवेट तौर से उन स्थानों में जो ट्यूबवैल

[ श्री दिगम्बर सिंह ]

बनाये गये हैं वे सफल रहे हैं और उन ट्यूब वैलस में से काफी पानी मिल रहा है। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि आप इस प्रश्चिमी हिस्से में जहां रेगिस्तान बढ़ता चला जा रहा है विशेष प्रबन्ध करके वहां खोज करायें और बतायें कि कहां पर ट्यूब वैल सफल हो सकते हैं और कहां पर नहीं हो सकते हैं।

अब मैं मंत्रालय को इसलिये भी बधाई देना चाहता हूं कि अमोनियम सल्फेट् का जहां सन् १९५२ में पौने तीन लाख टन उत्पादन हुआ था अब वह बढ़कर करीब छ: लाख टन हो गया है। इतने थोड़े समय में इतना ज्यादा उत्पादन करके दिखा देना कोई मामूली बात नहीं है और अवश्य ही मंत्रालय इसके लिये बधाई का पात्र है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहां उत्पादन इतना बढ़ा है वहां इस खाद का प्रयोग उस तरह से नहीं हो रहा है जिस तरह से होना चाहिये। देहातों में जब लोगों को खाद दी जाती है तो यह कहा जाता है कि कि तुम्हें लेनी पड़ेगी बीज के साथ लेने को बाध्य किया जाता है। इस तरह से किसानों के पास जब कोई चारा नहीं रह जाता है तो वे इसको ले कर बड़े-बड़े फार्म वालों को कम कीमत में बेच देते हैं जिससे कि उनको हानि उठानी पड़ती है इस वास्ते मैं समझता हूं कि सबसे पहली बात जो आपको करनी चाहिये वह यह है कि आप जा कर किसानों को यह समझाये कि खाद को इस तरह से इस्तेमाल किया जाये और इस तरह से इसे काम में लाया जाये जिससे कि किसान जो अब खाद को दूसरों के हाथ बेच कर हानि उठाते हैं इस हानि से बच सकें और उनको खाद के प्रयोग से लाभ पहुँच सके। यह भी उनको अनुभव कराया जाये केवल कहा न जाये।

साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि विद्यार्थियों को विदेश भेजकर विशेषज्ञ बनाने और देहातों में जाकर काम करने के बारे में जो शिक्षा दी जा रही है उसका बहुत सा हिस्सा ऐसा होता है जिससे कि उन्हें वह जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है, जो देहातों के लिये उपयोगी नहीं होतीं। उस में वही विद्यार्थी भाग ले सकते हैं जिनको उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। साधारण ज्ञान वाले किसानों के लड़के भाग नहीं ले पाते ? मैं समझता हूं कि भारतवर्ष की उन्नति के लिये यह आवश्यक है कि केवल बी० एस० सी० और एम० एस० सी० या और ऊंची डिग्रियां प्राप्त करने वाले लोगों को ही कृषि की शिक्षा न दी जाये, बल्कि कुछ ऐसा तरीका बनाया जाये कि गांवों के साधारण शिक्षा प्राप्त लोग भी खेती की अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। ऐसा करना हमारे देश की परिस्थितियों के अधिक अनुकूल होगा।

अब मैं आपसे प्राइस सपोर्ट (मूल्य समर्थन) के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। हमारे इस मंत्रालय ने जब यह देखा कि किसानों की स्थिति खराब हो रही है और उनके उत्पादन की कीमतें गिरती चली जा रही हैं तो उसने एक योजना बनायी कि सरकार गल्ला खरीदेगी। लेकिन मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश की हालत इन सब प्रयत्नों के होते हुए भी खतरनाक सीमा पर पहुंच गई है। पिछले साल हमारे देश में ५,५३,००,००० टन अनाज का उत्पादन हुआ। अगर आप यह मान लें कि किसान को प्रति मन पांच रुपये का नुक्सान हुआ तो आप देखेंगे कि इस कारण किसानों को करीब साढ़े सात अरब रुपये का नुक्सान हुआ है। जिन किसानों ने साल भर मेहनत करके यह उत्पादन किया उनको तो लाभ नहीं हुआ लेकिन जिन लोगों ने कुछ दिन पहले उस गल्ले को खरीद कर रख लिया था उनको लाभ पहुंच गया। यह जो हानि हमारे किसानों को उठानी पड़ी उससे २४ करोड़ आदमियों की आमदनी में प्रति व्यक्ति ३० रुपये के हिसाब से कमी हो गई। अगर यह हानि न होती तो उनकी आमदनी में ३० रुपये की और वृद्धि हो जाती; अगर आप जो खेती के मालिक दस करोड़ हैं उनका ही हिसाब लगायें तो आप देखेंगे कि उनकी आय में प्रति व्यक्ति ७५ रुपये की कमी हो गई। मैं निवेदन करूँगा कि हमारा मंत्रालय किसानों की भलाई का उस तरह से काम कर रहा है जिस तरह से कि शहद की मक्खी करती है। वह धीरे-धीरे शहद इकट्ठा करती है और

एक दिन कोई चुपचाप आकर उसे निकाल ले जाता है। हमारे मंत्रालय की अवस्था भी देहात में रहने वाले उन किसानों की सी है जो कि साल भर मेहनत करने पर भी अपनी आर्थिक समस्या को हल नहीं कर पाते हैं। जिस तरह से कि सारे देश में हमारे किसानों की आर्थिक अवस्था खराब है उसी तरह से मैं कहूंगा कि हमारे कृषि मंत्रालय की भी आर्थिक अवस्था खराब है दूसरे मंत्रालयों के मुकाबले में इस मंत्रालय को कम रुपया मिलता है।

कुछ समय हुआ मैं अपने देश के किसान की आमदनी और दूसरे देशों के किसानों की आमदनी की तुलना कर रहा था। मैंने देखा कि अगर हम अपने किसान को अमरीका के किसान के स्तर पर लाना चाहते हैं तो हम को ३५ पंचवर्षीय योजनाओं तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यहां आय प्रति व्यक्ति २५५ और अमरीका में ८,७०० है। और यदि हम अपने किसानों को इंग्लैण्ड के किसानों के बराबर लाना चाहते हैं तो हम को २९ पंचवर्षीय योजनाओं तक प्रतीक्षा करनी होगी। और वह भी उस समय जब कि हमारी आमदनी बराबर १८ प्रतिशत के हिसाब से बढ़ती चली जाये। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता यह है कि जब उत्पादन ज्यादा बढ़ जाता है तो उसी हिसाब से आमदनी में वृद्धि नहीं होती। जब तक उत्पादन थोड़ा रहता है तब तक ज्यादा वृद्धि होती है। एक तरफ़ हम यह देखते हैं और दूसरी तरफ हम अपनी योजनाओं को देखते हैं। हमें दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमें यह आशा नहीं दिखायी देती कि हमारे किसानों की अवस्था उतनी अच्छी हो सकेगी।

अध्यक्ष महोदय, अपने मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर, मंत्री महोदय के वक्तव्यों के आधार पर, देश और विदेश के विशेषज्ञों के निरीक्षण के आधार पर तो हमारे किसान उन्नति कर रहे हैं। लेकिन यदि मैं कहूं एक किसान होने के नाते, देहात में रहने वाला होने के नाते, देहात के किसानों की अवस्था को देखने वाला होने के नाते, किसानों का पड़ोसी होने के नाते जो कि मेरे सामने आकर रोते हैं और जिनके मुझे आंसू पोंछने पड़ते हैं, और जिनकी लड़कियां मेरे सामने आकर रोती हैं और कहती हैं कि हमारे बाप ने हमारा गहना गिरवी रख दिया था और कहा था कि फ़सल पर छुड़ा देंगे लेकिन अब तक वह उसे नहीं छुड़ा सकते, यदि मैं कहूं कि बैंक का मैनेजर और सरपंच होने के नाते जबकि किसान मेरे पास आकर कहते हैं कि हमारे पास रुपया नहीं है आप चाहें तो हमारी कुर्की करा लीजिये, किसानों की स्थिति के आधार पर तो मुझे कहना पड़ेगा कि किसानों की अवस्था खराब होती चली जा रही है। दूसरे देशों के किसानों के बारे में हम पढ़ते हैं कि वे अपने लिये लग्ज़री (विलास) की चीज़ें खरीदते हैं। लेकिन हमारे देश के किसान के लिये दोनों वक्त भर पेट भोजन ही एक बड़ी लग्ज़री है जो कि उसको केवल फ़सल के दिनों में ही मिलती है। साल में काफी समय ऐसा है कि उनको भरपेट खाना नहीं मिलता। केवल फसल के दो माह ही भर पेट खाना देने वाले होते हैं। उनकी मुख्य लग्जरी खाना ही है। कपड़ा और मकान तो सुविधा अनुसार उनको मिल ही नहीं पाता। एक समय था जब उनको ये चीज़ें भी मिलती थीं। यदि आप रिपोर्ट के आधार पर, सरकार की योजनाओं के आधार पर, विदेशी विशेषज्ञों के आधार पर मानना चाहें तो मान सकते हैं कि किसानों की उन्नति हो रही है लेकिन यदि आप मुझ से एक किसान के नाते पूछें तो मैं कहूंगा कि किसानों की और देहात के मजदूरों की स्थिति अपेक्षाकृत ख़राब है। आज आप किसानों के घर में जाकर देखिये। पहले उनके यहां जितना कपड़ा आता था आज उतना नहीं आता। उनके लड़के पढ़ते थे, वे पढ़ाई छोड़ कर घर आ रहे हैं। पहले किसानों का जमघट बाजारों में ज़ेवर ख़रीदने के लिये लगा रहता था, आज उसे बेचने के लिये वे वहां जाते हैं। वह तो उन्होंने कुछ पिछली लड़ाई के जमाने में बचा लिया है उसके कारण वे किसी तरह अपना काम चला रहे हैं नहीं तो वे अपना काम भी न चला सकते। अगर उनके पास लड़ाई के समय का पैसा न होता तो उनकी इससे भी ख़राब हालत हो जाती। आज जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूं वह एक पार्लियामेंट का मेम्बर होने

[श्री दिगम्बर सिंह]

के नाते या नेता बन कर नहीं बल्कि एक किसान होने के नाते उनकी अवस्था आपके सामने रख रहा हूं। जो विशेषज्ञ किसानों का निरीक्षण करके राय देते हैं वह सही नहीं हैं क्योंकि किसानों की वास्तविक अवस्था का उनको परिचय नहीं है। जो लोग मिनिस्टरों (मंत्रिगण) के साथ व जिलाधीशों के साथ जीप में बैठ कर उनकी दशा का निरीक्षण करने के लिये जाते हैं उनको उनकी दशा का वास्तविक ज्ञान नहीं हो पाता। उसका कारण यह है कि किसान चाहे जितनी खराब अवस्था में हो वह उसे हर किसी के सामने प्रकट नहीं करता, चाहे वह अपने घर में भूखा रहा हो पर बाहर वह मूंछ ऐंठता हुआ निकलता है। वह नहीं चाहता कि कोई समझे कि उसकी अवस्था खराब है। वह अपनी वास्तविक अवस्था के नारे आदि लगा कर दिखाना नहीं जानता। लेकिन हमारे वे नेता जिनका सम्पर्क जनता के साथ है, जैसे बिनोवा जी, या श्री टंडन जी, कहते हैं कि किसानों की दशा अपेक्षाकृत खराब है। यदि आपको इसका विश्वास न हो तो मैं इस बात के लिये तैयार हूं कि आप मेरे साथ चलिये और देखिये कि जो मैं कह रहा हूं वह सत्य है या नहीं। यदि जो मैं कह रहा हूं वह सत्य न हो तो मैं पार्लियामेंट की मेम्बरी से इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं।

तो मैं यही निवेदन करूँगा, जैसा कि मैंने पहले भी कई बार निवेदन किया है, कि कमेटी बनाइये, विशेषज्ञों की नहीं, एम० एस० सी० और बी० एस० सी० लोगों की नहीं, बाहर के विशेषज्ञों की नहीं, लेकिन उनकी जो कि किसान की वास्तविक अवस्था के जानकार हैं और वह कमेटी राय दे कि किस प्रकार किसानों की दशा में सुधार हो सकता है और उस राय पर अमल किया जाये। उसी समय मैं समझता हूँ कि किसानों की अवस्था में सुधार हो सकता है। वास्तविक अवस्था के ज्ञान से पहले सुधार करना उचित नहीं।

हमारे यहां बेकारी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। इस पर भी हम को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। पहले अगर किसी किसान के घर में दस आदमी होते थे तो उसकी अवस्था अच्छी होने के कारण उन सबका गुजारा खेती से हो जाता था। लेकिन अब हालत यह है कि अगर किसी के यहां दस आदमी हैं तो छः का तो गुज़ारा खेती से होता है बाक़ी चार को नौकरी आदि तलाश करनी पड़ती है। जब किसानों की अच्छी हालत थी तो गांवों के मजदूरों को किसानों के यहां उनके खेत पर व मकान की मरम्मत आदि का बहुत सा काम मिल जाता था। परन्तु अब जब किसान उन से कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है इसलिये मैं तुम को काम नहीं दे सकता तो वे मज़दूर शहर की ओर भागते हैं। किसानों के जो लड़के पढ़ रहे थे वे पढ़ना छोड़ कर नौकरी की तलाश में फिरते हैं। इस प्रकार हमारे यहां बेकारी बढ़ रही है। जब किसानों की अवस्था अच्छी थी तो यह हालत नहीं थी। एक मात्र बेकारी दूर करने का तरीका किसानों की आर्थिक अवस्था का सुधार है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं जो कि विचारणीय है। आप देश की उन्नति करना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे देश में अधिकांश जनता खेती पर निर्भर करती है। अन्य आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में बहुत कम जनता लगी हुई है। जब तक कि खेती में काम करने वालों की संख्या को कम नहीं करेंगे तब तक रहन सहन का स्तर ऊँचा नहीं उठ सकता। कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि अमरीका में १२८ आदमी १,००० हज़ार के लिये अन्न पैदा करके और बचा कर बाहर भेजें और हमारे ७०६ व्यक्ति १,००० के लिये अनाज पूरा भी पैदा न कर सकें।

आज आप देखिये कि अमरीका में १,००० प्रति आदमियों पर १२८ आदमी खेती का काम करते हैं और यूनाइटेड किंगडम में १,००० प्रति आदमियों पर ५० आदमी खेती का काम करते हैं जब कि हमारे देश में जो कि एक खेतिहर देश है यहां पर हर १,००० व्यक्ति के पीछे ७०६ आदमी खेतीबाड़ी का काम करते हैं। अमरीका में १२८ आदमियों के काम करने के बाद भी खेती का

उनकी कुल आमदनी का ६ प्रतिशत है और अनाज अपने देश की आवश्यकता से अधिक पैदा करते हैं। और हमारे देश में इतने अधिक आदमियों के खेती पर काम करने के बाद भी देश की आमदनी का पचास प्रतिशत है फिर भी पूरे देश को अनाज पैदा नहीं कर पाते। अब आप देखिये कि पचास प्रतिशत आमदनी पर केवल आप ७०६ आदमियों को लगाये हुए हैं और बाकी ५० प्रतिशत आमदनी पर आपके २९४ आदमी लगे हुए हैं। इससे आपको ज़ाहिर हो जायगा कि कितना बड़ा हिस्सा आमदनी का वह हमारा खा रहे हैं? मैं पहले भी इस चीज़ को कह चुका हूं और आज फिर कहना चाहता हूं कि यह ठीक है कि हमारे देश का उत्पादन बढ़ रहा है, हमारी नेशनल इन्कम (राष्ट्रीय-आय) बढ़ रही है, हमारी आमदनी बढ़ रही है, बड़े-बड़े कारखाने और उद्योग धंधे स्थापित हो रहे हैं, लेकिन मैं बड़े ज़ोर से और चिल्ला कर इस बात की घोषणा करना चाहता हूं कि हमारे देश के गरीब किसान, मज़दूरों की हालत और ज्यादा खराब हो रही है। उसका कारण यह है कि हमने पूंजीपतियों से कुछ धन लिया और गरीबों से भी धन लिया, थोड़े से आदमियों को तनख्वाह के रूप में वे दे दिया गया। अब आप हिसाब लगा कर देखिये कि एक आदमी को १०० रुपया माहवार तनख्वाह देने के लिये कितने गरीबों से आपको पैसा लेना पड़ेगा? किसानों के कई परिवारों की आमदनी उसमें लग जायेंगी। पूंजीपतियों से भी धन लिया गया और उन बेचारे किसान मजदूरों से भी लिया गया है जिनकी कि स्थिति पहले से खराब हो गई है और वह जो बीच के तबके को नौकरी देने पर खर्च हुआ है, किसान मजदूरों को नहीं मिला। यह जो आपका काम हो रहा है, इसके लिये मैं यह कहूंगा कि अगर आप जनता को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि देश तरक्की कर रहा है तो अखबारों से नहीं, रिपोर्टों से नहीं, यहां की संसद् भवन और ऊंचे महलों से नहीं और दिल्ली की सड़कों से नहीं बल्कि उस गरीब किसान के घर और उसके बीवी बच्चों की उन्नति करके विश्वास दिलाइये। जब वह देखेगा कि आपकी सहायता से वह अपने बाल-बच्चों का भरण-पोषण बखूबी कर सकता है और स्वयं उसकी तरक्की हो रही है तब वह विश्वास करेगा कि देश तरक्की कर रहा है। अन्यथा बड़े से बड़े नेता और स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू ही क्यों न जाकर उस गरीब किसान से कहें कि देश तरक्की कर रहा है तो वह उस पर विश्वास नहीं करेगा जब उस का पेट भूखा और कपड़े फटे और मकान टूटा है।

**श्री ए० पी० जैन** : कितने ही महानुभावों ने यहां पर बोलते समय देहात की गरीबी और किसान की मजबूरी की तरफ ध्यान दिलाया है। इस बात की भी चर्चा की गई कि बहुत सारे आदमी ऐसे हैं जिनके कि पास ज़मीन नहीं हैं। सूद की दर ज्यादा है और ज्यादातर किसानों के पास जमीन थोड़ी है......

**श्री पी० एन० राजभोज** : ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है।

**श्री ए० पी० जैन** : किसान फसल के मौके पर सस्ते दाम पर अपना अनाज बेचता है और जिस वक्त कि फ़सल बाजार में आ जाती है तो उसके दाम बढ़ जाते हैं, यह सारी ठीक बातें हैं। अगर किसी भाई ने यह ख्याल किया हो कि मैं इन बातों में किसी की काट करने वाला हूं तो वे भूल में हैं। इसमें कोई शक नहीं कि किसान कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के मुकाबले में कम पैसे पाता है और मुसीबत में है......

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अंग्रेजी में बोलें ताकि सभी सदस्य उसे समझ सकें।

†**श्री ए० पी० जैन** : यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं अंग्रेज़ी में ही बोलूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ए० पी० जैन]

श्रीमान्, कई माननीय सदस्यों ने लोक-सभा का ध्यान कृषकों की निर्धनता और दुदर्शा की ओर आकर्षित किया है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि कृषकों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामों में बहुत से लोगों के पास भूमि नहीं है, और उनसे भी अधिक लोगों की भूमि अमितव्ययी है। कृषकों को भारी ब्याज देना पड़ता है। फ़सल के समय वह सस्ते दामों पर फसल बेच देता है। फसल के बाद मूल्य तीव्र गति से बढ़ने लगते हैं। वास्तव में ग्रामों के लोगों की हालत बहुत खराब है। यदि कोई माननीय सदस्य, जिसे इस विषय में अधिक जानकारी हो, यह सोचे कि मैं इन बातों से इनकार करूँगा तो यह उसकी भूल होगी। कृषकों की ग़रीबी कोई नई बात नहीं है।

एक माननीय सदस्य सम्भवतः श्री दिगम्बर सिंह, ने कहा ३ या ४ वर्ष पहले ऐसी हालत नहीं थी। उन्होंने कहा कि चार वर्ष पहले कृषकों की हालत अच्छी थी, उनके पास पहनने के लिये वस्त्र और खाने के लिये अनाज पर्याप्त था और गत चार वर्ष में ही उनकी यह दुर्दशा हुई है; परन्तु मैं उनसे सहमत नहीं हूं। भारतीय कृषक की ग़रीबी एक या दो दशक, एक या दो शताब्दियों से नहीं बल्कि हज़ारों वर्ष से चली आ रही है। यदि किसी माननीय सदस्य का यह विचार हो कि हम किसी उपचार द्वारा इसे ५ या १० वर्ष में दूर कर सकते हैं तो मैं यह स्पष्ट कर दूं कि उन्हें मुझसे या वर्तमान सरकार से ऐसी आशा नहीं करनी चाहिये।

कुछ परिस्थियां ऐसी हैं जो एक अर्से से चली आ रही हैं। उन्हें हमें स्वीकार करना ही होगा। हम चाहे उन के बारे में बात करें या न करें वह बनी ही रहेंगी। हमारे समक्ष जो प्रश्न है वह यह है कि क्या हम उन परिस्थितियों को, हमें उपलब्ध संसाधनों की सीमा के अन्दर, सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं ?

†**श्री एन० बी० चौधरी**: हमारा विचार यह है कि उसमें सुधार होना प्रारम्भ नहीं हुआ है।

†**श्री ए० पी० जैन**: श्रीमान्, माननीय सदस्य के इस हस्तक्षेप पर मुझे आपत्ति है। माननीय सदस्य बाद में प्रश्न पूछ सकते हैं। माननीय सदस्य ने भाषण देते समय कुछ ऐसी बातें कही थीं जिन्हें कि मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, किन्तु मैंने उनके भाषण में कोई हस्तक्षेप नहीं किया था।

स्थिति का मूल्यांकन करने का सही तरीका यह है कि हम यह देखें कि क्या हम परिस्थिति को सुधारने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं? क्या हम सही दिशा में अग्रसर हो रहे हैं? मैं सदन को यह बताना चाहता हूँ कि हमने परिस्थिति को सुधारा है और हम सुधार करते रहेंगे। हमने बहुतसी बातों को सुधारा है और हम अन्य बातों को भी सुधारेंगे। मेरा ख्याल है कि इस मंत्रालय के अस्तित्व को मैं सही तरीके से न्यायसिद्ध कर सकूंगा।

माननीय सदस्य श्री सारंगधर दास ने कहा कि उत्पादन में जो वृद्धि हुई है वह प्राकृतिक कारणों के परिणामस्वरूप हुई है। प्राकृतिक कारण तो सदैव ही रहते हैं। प्राकृति की सहायता के बिना तो कृषि संभव ही नहीं है। किन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि पिछले तीन वर्षों में १९५३–५४, १९५४–५५ और १९५५–५६ में बाढ़ों, चक्रवातों और सूखा जैसी प्राकृतिक विपत्तियों के बावजूद हमने बढ़ते हुये उत्पादन की गति को बनाये रखा है। वर्ष १९४९–५० की तुलना में १९५३–५४ का उत्पादन का देशनांक ११४ था। वर्ष १९५४–५५ में उक्त अंक ११३·९ था, और वह उससे पिछले वर्ष के स्तर पर ही था और इस वर्ष के अन्तिम और अस्थायी प्राक्कलनों के अनुसार कृषि उत्पादन का देशनांक, मूलभूत वर्ष १९४९–५० की तुलना में ११४ से अधिक होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

यदि उत्पादन की गति को पिछले तीन वर्षों से भी अधिक समय तक कायम रखा गया है तो क्या हम आत्मविश्वास के साथ यह नहीं कह सकते हैं कि देश के किसी न किसी भाग में आई प्राकृतिक विपत्तियों के बावजूद हम ने उत्पादन की वृद्धि को कायम रखा है और हम उसे भविष्य में भी कायम रख सकेंगे? यह प्रश्न का एक पहलू है।

मैंने जो कुछ कहा है उसके समर्थन के लिये कई अन्य बातें भी हैं। १९५१ में हमने ४७·२५ लाख टन खाद्यान्नों का आयात किया; १९५२ में आयातित खाद्यान्न ३८·६४ लाख टन था; १९५३ में २०·०३ लाख टन खाद्यान्न का आयात किया गया; १९५४ में हमने केवल ८·०८ लाख टन का आयात किया और १९५५ में हमने केवल ७ लाख टन खाद्यान्न का आयात किया। यह क्या दर्शाता है? क्या खाद्यान्नों के बारे में हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ी नहीं है? दूसरी ओर हम कुछ खाद्यान्नों का निर्यात करते रहे हैं और कई वर्षो के बाद ऐसा करना सम्भव हुआ है। हमने चावल को थोड़े परिमाण में निर्यात किया है। हमने गेहूँ से बनी वस्तुओं का, मक्का का और दालों का एक बड़े पैमाने पर निर्यात किया है। मैं अधिक आंकड़े नहीं दूंगा किन्तु इन सब बातों से यह स्पष्ट है कि देश का कृषि उत्पादन बढ़ा है और यह वृद्धि स्थायी है।

क्या यह सच नहीं है कि खाद्यान्नों पर लगाये गये राशनिंग जैसे सभी प्रतिबन्ध हटा लिये गये हैं? क्या यह सफलता नहीं है। मैं यह कहने नहीं जा रहा हूँ कि प्रत्येक किसान की कठिनाई दूर हो गई है या छोटे और मध्यम श्रेणी के किसान सभी कठिनाइयों से मुक्त हो गये हैं। मैं इस बात को जानता हूं कि देश में कई व्यक्ति दोनों जून भरपेट भोजन नहीं कर सकते हैं। दुर्भाग्यवश हमारे देश में कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे जिन्हें उनकी आवश्यकतानुसार खाने को नहीं मिल पाता हो, यह स्थिति अत्यन्त शोचनीय है। इसके लिये मुझे उतना ही दुःख है जितना कि माननीय सदस्यों को। किन्तु जीवन के ऐसे बीभत्स अंगों को देखने से स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमें स्थिति का मूल्यांकन समग्रतः करना चाहिये और यह देखना चाहिये कि हम कहां जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मैं इस बात को पुनः कहता हूँ कि हम उत्पादन में वृद्धि कर सके हैं। आखिरकार इस बढ़े हुए उत्पादन का लाभ किसे मिलता है? यह सम्भव है कि उक्त लाभ का वितरण देश के बड़े, मध्यम और छोटे कृषकों के मध्य सामान रूप से नहीं हो सका है किन्तु समस्त कृषक समुदाय को लाभ प्राप्त हुआ है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कृषि उत्पादन के मूल्य की बात उठाई है। गत वर्ष आयव्ययक सत्र में जब हम इस सदन में चर्चा कर रहे थे तो कई माननीय सदस्यों ने कृषि उत्पाद के मूल्यों की गिरावट के बारे में चिंता प्रकट की थी। इस आशय के सुझाव दिए गये थे कि कृषि उत्पाद के मूल्यों को गिरने से हमें रोकना चाहिये। हम ने तद्विषयक नीति को निश्चित किया था। हमनें मोटे अनाज, गेहूँ और चावल के मूल्यों को गिरने से रोका था। और मैं यह बिना किसी हिचक के कहता हूँ कि हमारी उक्त नीति अत्यन्त सफल रही है। किसी माननीय सदस्य ने कहा कि खाद्यान्नों के मूल्यों को गिरने से रोकने के लिये हमारी जो योजना थी उसके अन्तर्गत हमने खाद्यान्न बहुत थोड़े परिमाण में खरीदे थे। मैं उनके इस कथन को समादर के रूप में स्वीकार करता हूँ क्योंकि किसी ऐसी सफल योजना का प्रमुख गुण है बाजार के रुख को सुधारना और ऐसी मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों का सृजन करना जिनके अन्तर्गत खाद्यान्नों को खरीदना आप के लिये आवश्यक नहीं होता है। और मेरे ख्याल में, बड़ी निधियों के विनियोग के बग़ैर हमने खाद्यान्नों के मूल्यों को गिरने से रोका है और यह मंत्रालय की सफलताओं में से एक है। भविष्य में यदि मुझे खाद्यान्नों के मूल्यों को गिरने से रोकना पड़ता है तो मैं अपनी कार्यवाही की सफलता का निर्णय खाद्यान्नों के उस बड़े परिमाण से नहीं करूंगा जोकि मुझे खरीदना है किन्तु मेरा निर्णय खाद्यान्नों के छोटे परिमाण की खरीद पर निर्भर होगा।

[श्री ए० पी० जैन]

सदन को इस बात का स्मरण होगा कि कि १९५४ के उत्तरार्द्ध और १९५५ के प्रारम्भ में कृषि उत्पाद के मूल्य गिरने लगे थे और सभी को इस बात की चिंता थी। मूल्य किस हद तक गिरे थे इसके बारे में मैं कुछ बताता हूँ। खाद्यान्नों के थोक मूल्यों में सबसे अधिक गिरावट मई, १९५५ में हुई थी जबकि १९३९ के देशनांक १०० की तुलना में उस वर्ष का देशनांक ३११ था। इसके बाद मूल्य बढ़ने लगे और मार्च में देशनांक ४४९ तक बढ़ गया था जिसका अर्थ ४४ प्रतिशत वृद्धि था। इसी के अनुरूप मई १९५५ में सभी वस्तुओं के लिये देशनांक ३४२ था और उसमें १५ प्रतिशत की वृद्धि होने के फलस्वरूप वह ३९३ हो गया था। यह क्या दर्शाता है ? इसका अर्थ यह है कि कृषि उत्पाद और अन्य वस्तुओं के मूल्यों में मौजूदा विभेद कम हो गया था।

इस का समर्थन अन्य आंकड़ों से भी होता है जिन्हें मैं प्रस्तुत करता हूं। यदि अप्रैल १९५५ में खाद्यान्न का देशनांक १०० मान लिया जाये तो फरवरी १९५६ में वह १३६·९ था। कपास का देशनांक १०० था और वह बढ़कर १२३·८ हो गया था। कच्चे पटसन का देशनांक १०० था और वह घटकर ९७·४ रह गया था। तिलहन का देशनांक १०० से १४३ हुआ था। उसकी तुलना में अप्रैल १९५५ में लोहा और इस्पात का देशनांक १०० था जोकि फरवरी १९५६ में बढ़कर ११६·४ हो गया था। कपास से बनी वस्तुओं का देशनांक १०० से घटकर ९८ हुआ था। सीमेंट का देशनांक १०० से घटकर ९९·२ हुआ था; मिट्टी के तेल का देशनांक १०० से कम होकर ९१·९ हुआ था; अल्यूमीनियम सल्फेट का देशनांक स्थिर रहा था। इससे यह काफी स्पष्ट है कि जब कि वस्तुओं के मूल्य . . . . .

†**डा० राम सुभग सिंह** : किसानों को स्थिर मूल्यों पर सीमेंट उपलब्ध है या नहीं इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

†**श्री ए० पी० जैन** : इस के बारे में मैं बाद में बताऊंगा।

जैसा कि मैं बता रहा था कि जब कि लोहा और इस्पात के अतिरिक्त उन वस्तुओं के मूल्य गिरे जिनका उपयोग सामान्यत: किसानों द्वारा किया जाता है, तो खाद्यान्न के मूल्यों में वृद्धि हुई थी।

इस सम्बन्ध में . . . . . . . . . . .

†**श्री आल्तेकर** (उत्तर सतारा) : खली के बारे में आप क्या जानकारी देंगे ?

†**श्री ए० पी० जैन** : खली के बारे में मैं आंकड़े नहीं दे सकूंगा। जनता का एक भाग ऐसा है जिसे कृषि उत्पाद के मूल्यों में वृद्धि होने पर चिंता हो रही है। मैं खाद्यान्नों, उद्योग सम्बन्धी वस्तुओं और कुछ सम्बन्धित वस्तुओं के सामान्य देशनांकों की तुलना करता हूं। पहले तो मैं जून, १९५० को याने कोरियाई युद्ध के पूर्व की अवधि को लेता हूँ और बाद में अप्रैल १९५४ को लेता हूँ जबकि मूल्यों में गिरावट हुई थी। इसके बाद मैं मई १९५५ को लूंगा जबकि मूल्यों में सबसे अधिक गिरावट हुई थी और तदनन्तर मार्च, १९५६ याने वर्तमान काल।

| | जून १९५० | अप्रैल १९५४ | मई १९५५ | २४ मार्च १९५६ |
|---|---|---|---|---|
| सामान्य देशनांक | ... ३९६ | ४०३ | ३४२ | ३९३ |
| खाद्यान्न | ... ४५६ | ४२६ | ३११ | ४४९ |
| दालें | ... ४०९ | ३८१ | २१६ | ३८९ |
| निर्मित वस्तुएं | ... ३४८ | ३८१ | ३७५ | ३७४ |

†मूल अंग्रेजी में

उपर्युक्त अंकों से यह स्पष्ट हो जायेगा कि मई १६५५ में केवल निर्मित वस्तुओं को छोड़कर शेष सभी थोक मूल्यों में वृद्धि हुई है। जहां तक खाद्यान्नों और उद्योग सम्बन्धी कच्चे माल का सम्बन्ध है, मौजूदा मूल्यों की तुलना अप्रैल १६५४ में जो मूल्य थे उनसे की जा सकती है और इससे यह स्पष्ट है कि मौजूदा वृद्धि पहले जो गिरावट हुई है उसके विपरीत है। खाद्यान्नों और उद्योग सम्बन्धी कच्चे माल के मौजूदा मूल्य कोरियाई युद्ध के पूर्व जो मूल्य थे उनसे कुछ कम हैं। मौजूदा मूल्य लगभग अप्रैल १६५४ के मूल्यों के स्तर पर हैं। इसलिये किसी प्रकार की आशंका नहीं होनी चाहिये। गत वर्ष कृषि उत्पाद के मूल्यों में जो गिरावट हुई थी उसका यह केवल एक परिमार्जन है।

†**श्री फिरोज गांधी** : आपने कम क्या किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने बिक्री कर बढ़ा दिया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री उन्हीं बातों के बारे में बता रहे हैं जो उन्होंने की हैं।

†**श्री फिरोज गांधी** : उन्होंने जो कुछ किया उसके विपरीत किसी और ने उनसे परामर्श लिये बगैर किया है।

†**श्री कामत** : माननीय मंत्री लाचार हैं।

†**चौ० रणबीर सिंह** : क्या यह कहना सही नहीं है कि गतवर्ष फसल के समय जिस गेहूँ का भाव १४ रुपये प्रतिमन निर्धारित किया गया था वह ६ रुपये प्रति मन की दर से बेचा गया था और जिस चावल पर नियंत्रण लगाकर उसका मूल्य २२ रुपये प्रति मन निर्धारित किया गया था उसका मूल्य गिरकर ८ रुपये प्रति मन हो गया था? यह आंकड़े किस प्रकार दिये जाते हैं यह मेरी समझ में नहीं आता है। इससे बहुत परिवर्तन हो जाता है।

†**श्री ए० पी० जैन** : केवल माननीय सदस्य समझ नहीं सके हैं। यही मैं कह रहा हूँ।

†**चौ० रणबीर सिंह** : मैं अवश्य समझता हूँ। मेरा ख्याल है आंकड़ों के जाल से कोई व्यक्ति प्रभावित नहीं होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति शांति। इन बातों का कभी अन्त नहीं होगा। माननीय मंत्री को बोलने दिया जाये।

†**श्री ए० पी० जैन** : बाज़ार में और विशेषकर सट्टा बाज़ार में ऐसी चर्चा है कि मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियां अपना प्रभाव मूल्यों पर डाल रही हैं।

इसमें संदेह नहीं है कि २८ अक्तूबर, १६५५ और २५ मार्च, १६५६ के बीच की अवधि में मुद्रा में काफी वृद्धि हुई है। यह एक व्यस्त मौसम है और साधारणतः मुद्रा में वृद्धि होती है। २८ अक्तूबर, १६५५ से लेकर २५ मार्च, १६५६ की बीच की अवधि में मुद्रा के संभरण में १६७ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। अनुसूचित बैंकों की जमापूंजी में १३८ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। गत वर्ष २८ अक्तूबर, १६५४ से २५ मार्च, १६५५ के बीच की अवधि में मुद्रा के सम्भरण में १३१ करोड़ रुपये और अनुसूचित बैंक जमापूंजी में ६३ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उपलब्ध मुद्रा में वृद्धि हुई है किन्तु रिज़र्व बैंक स्थिति को ध्यानपूर्वक देख रहा है और मुद्रा वृद्धि के परिणामों को आयात और निर्यात नीति में संशोधन करके आंशिक रूप से संतुलित किया गया है। दस लाख टन गेहूँ और दस लाख टन चावल का एक खाद्यान्न भंडार स्थापित करने की भारत सरकार की प्रस्थापना है। हम इसके लिये तेजी से कार्यवाही कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ए० पी० जैन]

बैंकिंग समवायों द्वारा व्यापारियों को उपलब्ध की गई सुविधाओं का निरीक्षण रिजर्व बैंक द्वारा किया जा रहा है और यदि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जबकि जमापूंजी में कटौती आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्यवाही की जायेगी। मैं निवेदन करता हूँ कि जबकि मूल्यों के बढ़ जाने से कृषकों को लाभ हुआ है, तो मूल्यों के अत्यधिक बढ़ जाने की कोई आशंका इस समय नहीं है। सरकार द्वारा स्थिति का निरीक्षण सावधानी से किया जा रहा है और आवश्यकता होने पर सुधारात्मक कार्यवाही की जायेगी।

मैंने निवेदन किया है कि चावल और गेहूँ के संग्रह के लिये हम एक भंडार बनाने जा रहे हैं। हम आत्मनिर्भरता के बारे में कई बार कहते रहे हैं। खाद्यान्नों के बारे में आत्मनिर्भरता का क्या अर्थ है यह हमें समझना चाहिये। प्रदत्त परिस्थितियों में हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं, किन्तु यदि बाज़ार में अधिक मुद्रा लाई गई तो संभव है कि यह आत्मनिर्भरता न रहे। भारत में लोग अपनी आय का एक बड़ा भाग खाद्यान्नों पर व्यय करते हैं। श्रमिक और एक निचला मध्यम वर्ग परिवार अपने कुल व्यय का लगभग ७० प्रतिशत खाद्यान्नों पर व्यय करता है। कुछ थोड़े से अधिक धन का अर्थ है खाद्यान्नों के उपभोग में वृद्धि और थोड़े कम धन का अर्थ है खाद्यान्नों के उपभोग में कमी। इसलिये भारत की अमेरिका या युरोपीय देशों के साथ जहां खाद्य पर किया गया व्यय परिवार के बजट का एक छोटा सा भाग होता है, तुलना नहीं की जा सकती, यदि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बाजार में अधिक रुपया प्रचालित किया जाये, तो आज जिसे आत्म-निर्भरता कहा जाता है, वही अपर्याप्तता में परिवर्तित हो जायेगी। अतः कृषि उत्पाद, विशेषतया खाद्यान्नों के मूल्यों को स्थिर रखने के लिये, हमने रक्षित स्टाक बनाने का निर्णय किया है और यह आन्तरिक मंडी से खरीद कर नहीं बनाया जायेगा।

†**श्री वेलायुधन** : (क्विलोन व मावेलिक्करा-रक्षित अनुसूचित जातियां) तो आप ने निर्यात क्यों किया है।

†**खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा)** : अब नहीं किया, बहुत पहले किया था।

†**श्री ए० पी० जैन** : मैं सदन का ध्यान उस बातचीत की ओर दिलाऊंगा जो कि हम कुछ विदेशों से करते रहे हैं। समस्त संसार में, विशेषकर अमेरिका में, इस समय फालतू उत्पाद का स्टाक इतना अधिक है कि जितना पहले कभी नहीं था। खाद्यान्न सम्बन्धी राष्ट्रमंडलीय आर्थिक समिति के नवीनतम बुलेटिन के अनुसार, चार गेंहू-निर्यात करने वाले देशों, अर्थात अमेरिका, केनाडा, आस्ट्रेलिया और आर्जेन्टाइना के पास ५९० लाख टन का फालतू स्टाक है। यह १९५४ के स्टाक से ४२ लाख टन अधिक है और पिछले वर्ष के स्टाक से १९ लाख टन अधिक है। अमेरिका में, जो कि निर्यात करने वाले देशों में से प्रमुख देश हैं, मक्का का स्टाक बहुत अधिक है; १९५४-५५ के अन्त में यह २५७ लाख टन था।

यह बड़े दुःख की बात है कि संसार के एक भाग में स्टाक जमा होते जा रहे हैं और अन्य भागों में कमी और भूख और कुपोषण की स्थिति है। जब हम पिछली बार रोम में थे, तो यह प्रश्न खाद्य और कृषि संस्था में उठा था और इस बात पर कुछ चर्चा हुई थी कि इस फालतू अनाजों को पिछड़े हुये देशों के आर्थिक विकास के लिये कैसे काम में लाया जाये। मोटे तौर पर यह माना गया था कि इन फालतू अनाजों का उपयोग, संभरण को सीमित करके नहीं बल्कि उपभोग बढ़ा कर किया जाये और इनका उपयोग नियमित रूप से किया जाये, ताकि किसी अनुचित दबाव के कारण मूल्यों में कमी न हो और आन्तरिक व्यापार में उत्पादन की साधारण व्यवस्था में कोई हानिकारक बाधा न पड़े।

---

†मूल अंग्रेजी में

हम अमेरिका से गेहूं आयात करने के लिये तैयार हैं, किन्तु इसमें दो कठिनाइयां हैं। पहली यह है कि हम चाहते हैं कि संभरण कुछ वर्षों तक प्रत्याभूत रहे और दूसरी यह कि आयात मूल्य आन्तरिक मूल्य के बराबर हो। इस विषय में कुछ बातचीत होती रही है और आशा है कि गेहूं का स्टाक बनाने के लिये हम कुछ निर्णय कर लेंगे।

अपने निकटवर्ती देश ब्रह्मा के साथ भी, जोकि एक मित्र देश है जिस के साथ हमारे व्यापारिक सम्बन्ध हैं, एक दीर्घकालीन समझौता करने के लिये हमारी बातचीत चल रही है। यह बातचीत अभी प्रारंभिक अवस्था में है। यह समझौता तीन या पांच वर्ष तक के लिये होगा और इसके अन्तर्गत हम चावल का आयात करेंगे। इस चावल के स्टाक का उपयोग हम किसी विपत्ति के समय आवश्यकता पड़ने पर या मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के लिये करेंगे। अनाजों के स्टाक और मूल्यों को बनाये रखने के सम्बन्ध में, मोटे तौर पर हमारी नीति यही होगी। वास्तव में पिछले वर्ष हमें बहुमूल्य अनुभव प्राप्त हुआ है। बाढ़ों के आने के कारण मोटे अनाजों की फसल को बहुत हानि पहुंची थी और मूल्य अत्याधिक बढ़ गये थे। हमने चावल और गेहूं के स्टाक से माल देना प्रारम्भ कर दिया जिसके कारण से मूल्य उचित स्तरों पर बने रहे। इस अनुभव से हमारा उत्साह बढ़ा है और हमें आशा है कि रक्षित स्टाक के होते हुये हम मूल्यों को स्थिर बना सकेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : स्टाक कितना होगा ?

†**श्री ए० पी० जैन** : २० लाख टन रक्षित स्टाक।

अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं समझौते के सम्बन्ध में जो बातचीत होती रही है, उसकी जानकारी मैं सदन को देना चाहता हूं। सदन को याद होगा कि हम सब से पहले १९४९ में इस समझौते में सम्मिलित हुये थे। उस समय ४६ देश इसमें सम्मिलित हुये थे। यह पुरानी बात है, और मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। यह समझौता चार वर्ष के लिये था। १९५३ में हम तीन वर्ष के लिये फिर इस समझौते में सम्मिलित हुये थे। यह जुलाई १९५६ में समाप्त होने को है। गत वर्ष इस विषय में बातचीत शुरू की गई थी कि क्या हमें इस समझौते की अवधि बढ़ानी चाहिये और यदि हां, तो किन शर्तों के अधीन। इस सम्बन्ध में तीन प्रश्न हैं : हम कितनी अवधि के लिये समझौता में सम्मिलित हों, कितने परिमाण के लिये सम्मिलित हों और कितने मूल्यों पर सम्मिलित हों। जहां तक अवधि का सम्बन्ध है, मैं पहले कह चुका हूं कि हमें तीन वर्षों की अवधि के लिये समझौते में सम्मिलित होने पर कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक परिमाण का सम्बन्ध है, यह उन मूल्यों पर निर्भर है, जिन पर निर्यात करने वाले देश हमें गेहूं देने के लिये तैयार हैं। दुर्भाग्यवश निर्यात करने वाले देशों से हमें अधिक सहायता नहीं मिली। वर्तमान समझौते के अनुसार निम्नतम मूल्य १५५ सैंट प्रति बुशल और अधिकतम मूल्य २०५ सैंट प्रति बुशल है। यदि मूल्य निम्नतम स्तर पर पहुंच जाये, तो निर्यात करने वाले देश हमें निश्चित परिमाण खरीदने के लिये बाध्य कर सकते हैं। यदि मूल्य उच्चतम स्तर तक पहुंचे तो हम उन्हें निश्चित परिमाण को अधिकतम मूल्यों पर बेचने के लिये बाध्य कर सकते हैं। हमारी धारणा है कि निर्यात करने वाले देशों ने जान-बूझ कर मूल्यों का स्तर बहुत ऊंचा रखा हुआ है। अधिकांश आयात करने वाले देश युक्तियुक्त मूल्यों—निम्नतम तथा अधिकतम मूल्यों—के लिये बातचीत करते रहे हैं। मेरा विचार है कि सम्मेलन १९ को होगा, जब कि कोई अन्तिम निर्णय किया जायेगा। मुझे इस सम्मेलन के परिणाम के सम्बन्ध में बहुत आशा नहीं है। फिर भी यदि अवधि काफी लम्बी हो, परिमाण भी काफी हों और मूल्य उचित हों, तो हम संविदा करने के लिये तैयार रहेंगे।

इसका एक और पहलू है। यद्यपि निम्नतम और अधिकतम मूल्य निश्चित हैं, तथापि देखा यह गया है कि निर्यात करने वाले देश मूल्यों को इन स्तरों के बीच घटने या बढ़ने नहीं देते हैं। मैं इसे उचित

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ए० पी० जैन]

नहीं समझता । किसी देश को मूल्यों में हेरफेर करने का अधिकार नहीं है, हम चाहते हैं कि निर्यात करने वाले देश मूल्यों में की जाने वाली इस घटा-बढ़ी को करना छोड़ दें ।

कुछ माननीय सदस्यों ने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया था । डा० राम सुभग सिंह ने कहा कि मध्यम श्रेणी के और छोटे किसानों को वह सहायता नहीं मिल रही जो सरकार किसानों को दे रही है । यह कुछ हद तक सही है और हम इस स्थिति में सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं । माननीय सदस्यों को विदित है कि ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति की रिपोर्ट के सम्बन्ध में किये गये निर्णयों के फलस्वरूप, १०,००० संस्थाएं, जिन्हें बड़ी सहकारी संस्थायें कहा जायेगा, स्थापित करने का निर्णय किया गया है । यह कार्यक्रम दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में अर्थात १९६० तक पूरा कर दिया जायेगा और यह भारत के लगभग एक तिहाई भाग में चालू हो जायेगा । बड़ी सहकारी संस्था ऐसी संस्था होगी जिसमें ५ से १० तक ग्राम भाग ले सकेंगे और इसकी अंशपूंजी २०,००० रुपये होगी । साधारणतया आधी पूंजी सरकार देगी और आधी सदस्य देंगे । एक माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ मामलों में किसान के पास, विशेषकर मध्यम श्रेणी या छोटे किसान के पास, इतना धन नहीं होता जिससे कि वह संस्था की पूंजी में अंशदान दे सके । इसलिये हमने यह व्यवस्था की है कि जहां किसान पूंजी में अंशदान देने में असमर्थ हो, तो वह कमी सरकार पूरी कर देगी और यह धन छोटी-छोटी किस्तों में उससे वसूल कर लिया जायेगा । प्रत्येक छोटे किसान और मध्यम श्रेणी के किसान को सहकारी संस्था का सदस्य बनने का अधिकार होगा । यदि संस्था उसे सदस्य बनाने से इनकार करे, तो उसे रजिस्ट्रार के पास अपील करने का अधिकार होगा । किन्तु, उसे सदस्य बनने के लिये बाध्य नहीं किया जायेगा । सहकारी संस्था प्रतिवर्ष लगभग २,००,००० रुपये का कारबार करेगी और साधारणतया एक संस्था में ५०० सदस्य होंगे । यह अपना खर्च पूरा कर सकने की स्थिति में होगी इसलिये हम इन बड़ी सहकारी संस्थाओं को बना रहे हैं । संभव है कि प्रारम्भिक वर्षों में संस्था उपरि व्यय को पूरा न कर सके । इसलिये सरकार ने पहले तीन वर्षों में संस्था का ५० प्रतिशत खर्च देने का निर्णय किया है । ये संस्थायें बहुप्रयोजनीय संस्थाएं होंगी । वे किसानों को उर्वरक, बीज, उपकरण, मिट्टी का तेल आदि संभरित करेंगी । अब तक, सब राज्यों में नहीं, केवल कुछ राज्यों में किसानों को भूमि की प्रतिभूति पर ऋण दिया जाता है । इसका परिणाम यह होता है कि वह किसान, जिसे भूमि का स्वामित्वाधिकार प्राप्त नहीं होता है इस ऋण से लाभ नहीं उठा सकता है । भविष्य में ऋण भावी फसल की प्रतिभूति पर दिया जायेगा ।

†**एक माननीय सदस्य** : खड़ी फसल ?

†**श्री ए० पी० जैन** : खड़ी नहीं, होने वाली फसल । यह ऋण उत्पादन प्रयोजनों के लिये उर्वरक, बीज आदि के रूप में दिया जायेगा अधिकांश जिन्स के रूप में और कुछ नकदी के रूप में भी ।

सहकारी संस्था की रक्षा के लिये और इस प्रयोजन के लिये कि किसान को अपने उत्पाद का पूरा मूल्य मिल सके । इस संस्थाओं के भंडारघर होंगे । ऋण लेने वाले किसान के लिये अपनी उत्पाद सहकारी संस्थाओं के द्वारा बेचना अनिवार्य होगा और कुछ समय के लिये, जब तक कि उत्पाद मंडी में नहीं भेज दिया जाता यह भंडारघर में ही रहेगा । इसमें वह उर्वरक, बीज आदि भी रखा जायेगा जो कि संस्था बेचना चाहती है । इन भंडारघरों के लिये कुछ रुपया भारत सरकार देगी और कुछ राज्य सरकारें देंगी । भारत सरकार ७५ प्रतिशत रुपया देगी—६२ १/२ प्रतिशत ऋण के रूप में और १२ १/२ प्रतिशत अनुदान के रूप में । राज्य सरकारें २५ प्रतिशत रुपया देंगी—१२ १/२ प्रतिशत ऋण के रूप में और १२ १/२ प्रतिशत अनुदान के रूप में । अतः इन भंडार घरों को बनाने के लिये २५ प्रतिशत रुपया अनुदान के रूप में दिया जायेगा और ७५ प्रतिशत ऋण के रूप में, जोकि आसान किस्तों में वसूल किया जायेगा ।

†मूल अंग्रेजी में

विचार यह नहीं है कि सरकार इन प्राथमिक संस्थाओं में सदा ही अंशधारी बनी रहे क्योंकि सहकारी संस्था के सदस्य इस बात के विरुद्ध हैं कि पदाधिकारी या सरकार के प्रतिनिधि इस संस्थाओं की निदेशक बोर्ड में हों। हम अपनी पूंजी और प्रतिनिधि यथासंभव शीघ्र वापस ले लेने का भरसक प्रयत्न करेंगे। हमने यह भी व्यवस्था की है कि चाहे पूंजी कितनी भी क्यों न हो, सरकार के प्रतिनिधियों की संख्या एक तिहाई से अधिक नहीं होगी। पूंजी चाहे ७५ प्रतिशत हो निदेशक बोर्ड में सरकार के प्रतिनिधियों की संख्या एक तिहाई से अधिक नहीं होगी और ये निदेशक दिन प्रतिदिन के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

केन्द्रीय सहकारी बैंकों को भी दृढ़ किया जायेगा। सरकार पूंजी का अंशदान देगी और इसके सम्बन्ध में दो शर्तें होंगी, अर्थात् सरकार द्वारा नियुक्त किये गये प्रतिनिधियों की संख्या एक तिहाई से अधिक नहीं होगी और वे केन्द्रीय बैंकों के दिन प्रतिदिन के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। प्रत्येक राज्य में एक शीर्षस्थ बैंक होगा यहां भी सरकार द्वारा भाग लेने सम्बन्धी वही नियम लागू होंगे।

एक प्रश्न ब्याज की दर के बारे में पूछा गया था। भारत के रक्षित बैंक ने अल्प-कालीन ऋणों के लिये १·५ प्रतिशत की दर से पूंजी देने का वचन दिया है। यह दर काफी कम है और ये प्राथमिक सहकारी संस्थायें किसानों को ६·२५ प्रतिशत की दर से ऋण देंगी। इन प्रारम्भिक समितियों को एक सहकारी विक्रय समिति के साथ सम्बद्ध किया जायेगा। वह अपना सामान सहकारी विक्रय समिति के द्वारा बेचेंगी। एक शीर्ष विक्रय समिति होगी।

तीन स्तरों पर स्टोर और गोदाम होंगे। निम्नतर, अर्थात मंडी के स्तर पर, इनका निर्माण सहकारी समितियों द्वारा, सरकार से उस आधार पर, जिस आधार पर प्रारम्भिक सहकारी समितियों के भंडारघरों के लिये धन दिया जाता है, मिले धन से, किया जायगा। आशा की जाती है कि विक्रय सहकारी समितियां अगले पांच वर्षों में लगभग १,५०० भंडारघरों का निर्माण कर लेंगी। इसके अतिरिक्त राज्यों के स्तर पर वह भंडारघर होंगे जिनका निर्माण राज्य सरकारों द्वारा किया जायेगा। उनकी संख्या लगभग २५० होगी। तीसरे, भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय महत्व के स्थानों पर १०० भंडारघरों का निर्माण किया जायेगा। यह बड़े भंडारघर होंगे।

कृषि-वस्तुओं के मूल्यों में मौसमी उतार-चढ़ाव को दूर करने का एकमात्र उपाय यही है कि भंडारघरों का जाल-बिछा दिया जाये। मुझे आशा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हम केन्द्रीय गोदाम-व्यवस्था निगम के अन्तर्गत निर्मित किये गये गोदामों के द्वारा १०० स्थानों की, राज्य गोदाम-व्यवस्था निगमों द्वारा निर्मित किये गये गोदामों के द्वारा २५० स्थानों की और सहकारी विक्रय समितियों द्वारा निर्मित किये गये गोदामों के द्वारा १,५०० स्थानों की आवश्यकता पूरी कर देंगे। केन्द्र स्थान पर विशाल कार्य सहकारी समितियों द्वारा ४,००० अथवा ५,००० गोदामों का निर्माण किया जायेगा और शेष गोदामों को किराये पर ले सकती हैं, और कई स्थानों पर तो इस समय भी भंडारघर हो सकते हैं। गोदामों में संग्रह की गयी वस्तुओं पर बैंक अग्रिम रुपया देंगे। इस प्रकार कृषकों को भंडारघर में संग्रह की गयी वस्तुओं के मूल्य का एक अंश, उसके संग्रह किये जाने के तुरंत बाद ही प्राप्त हो जायेगा। मैं समझता हूं कि इससे मौसमी उतार-चढ़ाव को दूर करने में बहुत सहायता मिलेगी। चौ० रणबीर सिंह को यही मेरा उत्तर है।

भूमि की अधिकतम सीमा के सम्बन्ध में एक बात और है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि भूमि-सम्बन्धी सुधार के हमारे प्रयासों का देश के कुछ भागों में अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण और खेदजनक प्रभाव पड़ा है। यह सत्य है कि देश के कुछ भागों में विशेष रूप से हैदराबाद में किसानों और संरक्षण प्राप्त किसानों को बड़ी संख्या में अपनी जोतों से बेदखल किया गया है। जिस समय भूमि सम्बन्धी सुधार किये

[श्री ए० पी० जैन]

जाते हैं, उस समय जमींदारों और उन लोगों के बीच, जो सुधार करना चाहते हैं, सदा ही संघर्ष होता है, क्योंकि गरीब किसान निस्सहाय होते हैं। हमारे और भूस्वामियों के बीच भी संघर्ष हुआ है। हम लोग भूमि सम्बन्धी सुधार करना चाहते हैं। परन्तु इन भूस्वामियों द्वारा हमारे प्रयासों को व्यर्थ कर देने का प्रयत्न किया जा रहा है।

यह प्रस्थापना हमारे विचाराधीन है कि कुछ दिनों पूर्व के एक निश्चितकाल के भीतर तथा-कथित स्वेच्छा से जिन भूमियों का समर्पण कर दिया गया है उनको स्वेच्छा से किया गया समर्पण न माना जाये और जिन व्यक्तियों को बेदखल किया गया है उनको, इस बात का विचार किये बिना कि समर्पण किया जा चुका है, पुनर्नियुक्त कर दिया जाये हम इस बात से बहुत ही दुखी हैं। परन्तु माननीय सदस्यों को यह स्मरण रखना होगा कि केवल भारत में ही नहीं वरन् सम्पूर्ण संसार में जिस समय भूमि सम्बन्धी सुधार किसी व्यापक पैमाने पर लागू किये जाते हैं, उस समय उनसे प्रभावित होने वाले व्यक्ति इन सुधारों को व्यर्थ करने के लिये हर प्रकार की तिकड़म और चालबाजी करने को तैयार रहते हैं।

जहां तक भूमि की अधिकतम सीमा का सम्बन्ध हैं, मैं समझता हूं कि हमने कुछ प्रगति की है, यद्यपि यह प्रगति इतनी नहीं है जो इस सभा के प्रत्येक वर्ग को संतुष्ट कर सके। अधिकतम सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध करने के लिये भूमि-जोतों और कृषिकार्य की एक गणना की जा चुकी है। हम को १९ राज्य सरकारों से परिणाम प्राप्त हो चुके हैं।

कुछ सदस्य अधिकतम सीमा निर्धारित करने के इस विचार के विरोधी हैं। मैं इस बात का विशेष रूप से समर्थक हूं और हमें अधिकतम सीमा काफ़ी नीचे स्तर पर निश्चित करनी चाहिये। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने हाल ही में एक सर्वेक्षण किया था और यह देखा गया है कि ७५ प्रतिशत किसानों के पास पांच एकड़ से भी कम भूमि है और कुल मिला कर उनके पास कुल क्षेत्र का केवल सोलहवां भाग ही है। एक प्रतिशत बड़े किसानों के पास कुल क्षेत्रफल का सोलहवां भाग है। इसका अर्थ यह हुआ कि उनके पास उतना क्षेत्र है जितना कि निम्नतर स्तर के ७५ प्रतिशत किसानों के पास है। दो प्रतिशत किसान, जिनके पास ३० एकड़ से भी अधिक भूमि है, कुल क्षेत्र के २९ प्रतिशत भाग के स्वामी हैं। कभी-कभी यह कहा जाता है कि आप उद्योगों से होने वाली आय की अधिकतम सीमा तो निर्धारित नहीं कर रहे हैं और यह प्रश्न किया जाता है कि "केवल भूमि के सम्बन्ध में ही अधिकतम सीमा क्यों निर्धारित की जा रही है"? यह एक अच्छा तर्क हो सकता है, परन्तु जहां तक संभव हो हमें वांछनीय, अच्छे कार्य ही करने चाहिये। मैं तो आय की अधिकतम सीमा निर्धारित किये जाने का समर्थक हूं, परन्तु यदि सरकार आय की अधिकतम सीमा निर्धारित किये बिना भी भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित कर देती है तो भी मैं कहता हूं: "भूमि की अधिकतम सीमा अवश्य ही निर्धारित कीजिये क्योंकि यह सहायक सिद्ध हो गयी और आय की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का मार्ग भी प्रशस्त कर देगी"।

अब, भूमि की अधिकतम सीमा निश्चित कर देने सम्बन्धी विधान नौ राज्यों में स्वीकार किये जा चुके हैं। पांच राज्यों में वर्तमान जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित की जा रही है और शेष चार में केवल भविष्य में प्राप्त की जाने वाली भूमि की। जिन पांच राज्यों में वर्त्तमान जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित की जा रही है, वह हैं पंजाब, पश्चिम बंगाल, हैदराबाद, जम्मू और काश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश। जिन चार राज्यों में भविष्य में प्राप्त की जाने वाली भूमियों की अधिकतम सीमा निर्धारित की गयी है वह हैं उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, सौराष्ट्र और दिल्ली।

अब जब हमने आंकड़े एकत्र कर लिये हैं, तो हमें आशा है कि अधिकतम सीमा निश्चित करने के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय शीघ्र ही कर लिया जायेगा और हम राज्यों को उस के अनुसार कार्य-वाही करने की सलाह देंगे। मैं जानता हूं कि भूमि सम्बन्धी सुधारों का प्रश्न बड़ा ही कठिन प्रश्न हैं और

अनेक प्रश्न, जिनमें हमारी सहकारी समितियों की सफलता भी शामिल है, भूमि सम्बन्धी सुधारों की सफलता पर ही निर्भर हैं ।

अन्त में, माननीय सदस्य श्री मोहिउद्दीन ने कृषि उत्पादक सहकारी समितियों का ज़िक्र किया था । व्यक्तिगत रूप से मैं उनको बहुत ही महत्वपूर्ण समझता हूं । यह एक बड़ा ही जटिल प्रश्न है । अभी तक हमको सफलता नहीं प्राप्त हो सकी है । देश में लगभग एक हज़ार उत्पादक सहकारी समितियों की स्थापना की गयी है और उनमें से थोड़ी ही सफल हो पायी हैं । मैं समझता हूं कि सहकारिता सम्बन्धी विशाल कार्यक्रम के फलस्वरूप हम देश में ऐसा वातावरण तैयार कर सकेंगे जो किसानों के मन में सहकारिता के प्रति विश्वास की भावना उत्पन्न कर सके और उसके बाद कृषि के क्षेत्र में उत्पादक सहकारी समितियों की स्थापना करना संभव हो सकेगा । हमारी चीन को एक शिष्टमंडल भेजने की स्थापना है जो वहां जा कर इस बात का अध्ययन करेगा कि उन्होंने कृषि के क्षेत्र में सहकारी उत्पादक सहायता कार्यक्रम को किस ढंग और तरीके से संगठित किया है । यह सही है कि चीन की राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियां हमारे यहां से भिन्न प्रकार की हैं । परन्तु हम उनके अनुभवों से लाभान्वित होना चाहते हैं, और अपने लिये एक ऐसा नमूना तैयार करना चाहते हैं जिसके द्वारा इन सहकारी समितियों को विकसित कर सकें । वास्तव में, छोटे और माध्यम श्रेणी के किसानों का भविष्य और समृद्धि इन सहकारी समितियों की सफलता पर ही निर्भर करती हैं और मैं लोकसभा को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं इनकी सफलता के लिये भरसक प्रयास करूंगा ।

[अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौता प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।]

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के चौथे स्तम्भ में दी गयी राशियों से अनधिक राशियां दूसरे स्तम्भ में दिये गये मांग शीर्षों के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिये दी जायें ।"

मांग संख्या : ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, १२७, १२८, और १२६

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

[जो मांगें सभा द्वारा स्वीकृत हुईं वे नीचे दी जाती हैं—**सम्पादक**]

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि (रुपयों में) |
|---|---|---|
| ४२ | खाद्य और कृषि मंत्रालय | ६६,१५,००० |
| ४३ | वन ... | २,७२,६०,००० |
| ४४ | कृषि ... ... ... | १५,०२,०६,००० |
| ४५ | असैनिक पशु चिकित्सा सेवायें ... ... | १,२१,१६,००० |
| ४६ | खाद्य और कृषि मंत्रालय के अधीन विविध विभाग अन्य व्यय | ५,३०,३६,००० |
| १२७ | वनों पर पूंजी-व्यय ... ... | ३०,५१,००० |
| १२८ | खाद्यान्नों का क्रय ... ... ... | ४२,१८,२३,००० |
| १२६ | खाद्य और कृषि मंत्रालय की अन्य पूंजी व्यय ... | ३४,७२,३३,००० |

**इसके पश्चात लोक-सभा मंगलवार १० अप्रैल, १६५६ के साढ़े दस बजे तक के लिये स्थगित हुई**

†मूल अंग्रेजी में

# दैनिक संक्षेपिका

**[सोमवार, ६ अप्रैल, १६५६]**


पृष्ठ

**सभा-पटल पर रखा गया पत्र** ... ... ... ... ... ... २००६

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि० के निदेशक-बोर्ड का प्रतिवेदन, १६५५

**अनुदानों की मांगें--** ... ... ... ... ... २०१०-७६

प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर और आगे चर्चा जारी रही तथा अनुदानों की मांगों की पूरी राशि स्वीकृत हुई ।

खाद्य और कृषि मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई तथा समाप्त हुई । मांगों की पूरी राशि स्वीकृत हुई ।

**मंगलवार, १० अप्रैल, १६५६ के लिये कार्यावलि—**

श्रम मंत्रालय और गृह-कार्य मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर चर्चा ।



M111LSD—190—8-11-57—GIPF